षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 38, सोमवार, 17 अप्रैल, 1978/27 चैत्र 1900 (शक)

Sixth Series, Vol. XIII, No. 38, Monday, April 17, 1978/Chaitra 27, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Sixth Session

(4th Session)

[ ]

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची

CONTENTS

अंक 38, सोमवार, 17 अप्रैल, 1978/27 चैत्र, 1900 (शक)

No. 38, *Monday, April* 17, 1978/*Chaitra* 27, 1900 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 740, 741, 744, 745, 749, 750, 752 और 756	Starred Questions Nos. 740, 741, 744, 745, 749, 750, 752 and 756	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 742, 743, 746, 748, 751, 753, 754, 755, 757 से 759	Starred Questions Nos. 742, 743, 746, 748, 751, 753, 754, 755 and 757 to 759	20—134
अतारांकित प्रश्न संख्या 6931 से 7027 और 7029 से 7130	Unstarred Questions Nos. 6931 to 7027 and 7029 to 7130.	34—167
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	*Re.* Motions for Adjournment	167—168
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	*Re.* Points of Order	168—172
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	172—175
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	175
नन्दा देवी पर सी० आई० ए० द्वारा आण्विक उपकरणों को लगाये जाने का समाचार	Reported Planting of nucleat device by the CIA in the Nanda Devi	175—181
श्री दलपत सिंह परास्ते	Shri Dalpat Singh Paraste	175
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	175—178
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	178—179
श्री शंकर सिंह जी बघेला	Shri Shankersinhji Vaghela	179

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign‡ marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	179—181
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	181
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
71वां और 72वां प्रतिवेदन	Seventy first and Seventy Second Reports	181—182
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House	182
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report	
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक—पुरःस्थापित	Air (Prevention and Control of Pollution) Bill—Introduced	182
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	183—184
(एक) जनता सरकार की औद्योगिक नीति को विफल करने के लिये विमको लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हेरा फेरी का समाचार	(i) Reported manipulations by the Multinationals like Vimco Ltd. to scuttle the Janata Government's industrial policy	
श्री आर० के० महालगी	Shri R. K. Mhalgi	183
(दो) जालन्धर में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के अधिवेशन के दौरान खुफिया ब्यूरो के हस्तक्षेप का समाचार	(ii) Reported interference by Intelligence Bureau in CPI (M)'s Congress held at Jullundur	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	183—184
(तीन) बिहार में 65 महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने का असत्य समाचार	(iii) Inaccurate news reports re. rape of 65 women in Bihar	
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	184
अनुदानों की मांगें, 1978—79	Demands for Grants, 1978-79	184—208
(एक) श्रम मंत्रालय	(i) Ministry of Labour	184
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	184—185
श्री रूपलाल सोमानी	Shri Roop Lal Somani	185—186
श्री मोहन भैया	Shri Mohan Bhaiya	186—188
श्री वी० एम० सुधीरन	Shri V. M. Sudheeran	188—189
श्री भारत भूषण	Shri Bharat Bhushan	189—190
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	191—194
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	194—198
(दो) विदेश मंत्रालय	(ii) Ministry of External Affairs	198
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	199—202
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	202—203
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrat Barua	203—206
श्री एस० कुन्डू	Shri S. Kundu	206—208

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 17 अप्रैल, 1978/27 चैत्र, 1900 (शक)

Monday, April 17, 1978/Chaitra 27, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए चुने गये ग्रामीण छात्र

***740. श्री भगत राम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत इस योजना के आरम्भ होने से अब तक छात्रवृत्ति के लिये चुने गए ग्रामीण छात्रों की वर्षवार प्रतिशतता और संख्या क्या रही और क्या उनकी संख्या नगण्य रही ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ग्रामीण छात्रों को ऐसी छात्र-वृत्तियां समुचित अनुपात में मिल सकें; और

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का अपनी चयन प्रक्रिया में ऐसा सुधार करने को कहा जायेगा जिससे ग्रामीण छात्रों को उनका ठीक और उचित भाग मिल सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए 1976 में चुने हुए 293 छात्रों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 18 उम्मीदवार (6.1 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों के थे। पिछले वर्षों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि पहले कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग) क्योंकि ये छात्रवृत्तियां पूर्णतया योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जाती हैं, अतः इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु किसी प्रकार की कोई रियायतें देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री भगत राम : यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि समूचे देश में प्रतिभा बराबर मात्रा में उपलब्ध है । उत्तर से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना 80 प्रतिशत जनता को छोड़ देती है जिसमें से प्रतिभावान विद्यार्थी चुने जाने चाहिये । इस बात को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोटा प्रणाली को अपनाया जायेगा जिसके अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उसकी जनता के अनुपात से छात्रवृत्तियां दी जायें । तब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात से जिलावार कोटा निर्धारित किया जा सकता है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : छात्रवृत्तियां की संख्या बहुत अधिक नहीं है । वर्ष 1977–78 के लिए छात्रवृत्तियों की प्रस्तावित संख्या दसवीं श्रेणी के लिए केवल 350 और ग्यारहवीं श्रेणी के लिए 100 है । मैं समझता हूं कि 352 जिले हैं और यदि माननीय सदस्य का सुझाव मान लिया जाये तो हम औसतन एक जिले के लिए एक से अधिक विद्यार्थी नहीं ले सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

श्री भगत राम : क्या परीक्षा की सामग्री ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए ऐसी होगी जिससे उपस्थित समस्या का समाधान ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध हो ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा कि मैंने कहा है कि यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा की खोज के लिए आरम्भ की गई है ।

यह प्रश्न विद्यार्थियों के रहने के स्थानों के बारे में है, इस बारे में पहले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि फार्म में ऐसे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं दिए जाते हैं । हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह संभव है । मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं परन्तु हम यह देखेंगे कि क्या हम बाद में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं ताकि अधिक विद्यार्थी ऐसी परीक्षा दे सकें ।

CHOWDHRY BALBIR SINGH : May I know whether he would draw up some better frame to make selection of the talents from among rural students. In villages also as many talent students are available as are in the cities. The students in citites do not have more talent in comparison to students of villages except manners and some bookish knowledge. Taking this into consideration that even the talented students in the villages do not succeed in such tests whether he would adopt such system of their selection or examination that the talented students of the villages get chance and they also avail themselves of this opportunity.

PRATAP CHANDRA CHUNDER : This test is conducted at 300 centres in the whole country. We find that 54 out of 100 students coming from urban areas are rejected whereas 20 out of 100 rural students are rejected. This shows we are not against villages. As we have not enough resources, so We cannot do much.

राजस्थान नहर

*741. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के लिए मूलतः तैयार किया गया 184 करोड़ रुपयों का अनुमान. परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण बढ़कर 420.85 करोड़ रुपये हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन कारणों को अब किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

1963 में राजस्थान नहर परियोजना पर व्यास परियोजना की लागत के हिस्से सहित 184 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था, लेकिन कई कारणों से अब इसके लगभग 480 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की संभावना है । इन कारणों में मजदूरी, सामग्री और उपस्करों के मूल्य में वृद्धि, पोंग में व्यास बांध की लागत के हिस्से में वृद्धि, लूनकनसर-बीकानेर लिफ्ट स्कीम को शामिल करने से परियोजना के आकार में परिवर्तन, जल-हानियों को न्यूनतम करने के लिए शाखा वितरण और माइनर नहरों को पक्का करने की व्यवस्था और परियोजना को पूर्ण करने के लिए दीर्घ अवधि लग जाना भी शामिल है । शुरू में राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति धीमी रही थी । इसका कारण अन्य बातों के साथ-साथ साधनों की कमी और व्यास पर जल-संचय बांध के न होने के कारण पीने और निर्माण के लिए गैर-मानसून अवधियों में पर्याप्त मात्रा में पानी का उपलब्ध न होना था । अब ऐसी स्थिति नहीं है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पहले की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 4.6 करोड़ से अधिक के वार्षिक औसत खर्च और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 9.5 करोड़ रुपये के वार्षिक खर्च की तुलना में पांचवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 63.43 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 1977–78 वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपया खर्च होने की संभावना है । परिव्ययों को काफी मात्रा बढ़ाये जाने से राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी कार्यों के 1983–84 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

श्री के० राममूर्ति : सभा-पटल पर रखे गये विवरण को देखकर बड़ा दुख हुआ । राजस्थान नहर परियोजना 1963 में आरम्भ की गई थी और मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है कि यह 1983–84 तक पूरी हो जायेगी, अर्थात् एक परियोजना के लिये लगभग 20 वर्ष लगेंगे तथा मलतः जिसके लिये 184 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था । यह योजना आयोग में या अन्यत्र कार्य कर रहे व्यक्तियों के कारण हुआ है ....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री के० राममूर्ति : जी, हां । मंत्री महोदय द्वारा विवरण में बताई गई विवशताओं के बारे में योजना बनाते समय ही अनुमान लगाया जा सकता था । क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग ने इस बढ़ी हुई लागत —180 करोड़ रुपये से 480 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत—की मंज़ूरी दे दी है और क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि यह परियोजना 1983–84 से पहले ही पूरी हो जायेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है । इसके रास्ते में अनेक बाधायें आई और पुनरीक्षण भी हुए । 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद 1963 में पुनरीक्षण किया गया था । यह उस समय की पहली और अनुमानित लागत थी जो लगभग 184 करोड़ रुपये थी । पोंग बांध और हरिका बराज की लागत का अंश 44 करोड़ रुपये था । उसके बाद 1970 में

कुछ कारणों से पुन: पुनरीक्षण किया गया। राजस्थान से गुजरने वाली इस नहर जो पक्की नहीं की गई है, से होने वाली भारी हानि से बचने के लिए यह उचित समझा गया कि शाखाओं, सहायक नहरों और छोटी नहरों को पक्का किया जाये। अत: इन्हें पक्का करने पर और बांध पर खर्च बढ़ गया। अत: 1970 में किये गये दूसरे पुनरीक्षण के अनुसार कुल खर्च बढ़ गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में केवल दो बातें पूछी गई हैं। एक, क्या योजना आयोग ने अधिक राशि की मंजूरी दे दी है? दो, क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि समय सीमा में यह परियोजना पूरी हो जायेगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मुझे निवेदन करना है कि प्रथम चरण के लिये 176 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं और चरण दो के बारे में हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है और यह अभी भी राजस्थान सरकार के विचाराधीन है और इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि इस परियोजना को 1983–84 से पहले पूरा करना संभव होगा।

श्री के० राममूर्ति : मंत्री महोदय ने बताया है कि योजना आयोग ने अभी तक राशि का कुछ अंश मंजूर नहीं किया है क्योंकि कुछ अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है। यह हमारे सरकारी तंत्र का योजना आयोग से अनुरोध करने और इस परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण को अन्तिम रूप देने का तरीका है। वित्त मन्त्री महोदय ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में बताया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होने का मतलब है कि मूलत: अनुमानित लागत से और अधिक खर्च होगा। जहां तक उत्तरी भारत का सम्बन्ध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। मैं जानना चाहूंगा हू कि क्या इसे युद्ध स्तर पर और तत्काल आरम्भ किया जायेगा और क्या मंत्री महोदय पुन: सभा को आश्वासन देंगे कि इस बारे में योजना आयोग के साथ तत्काल बातचीत की जायेगी और इसे शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, धन की कमी के कारण परियोजना में विलम्ब नहीं हो रहा है। धन उपलब्ध है और इस समूचे वर्ष के लिये धन नियत किया गया है। अगले वर्ष के लिये भी 30 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं और परियोजना कार्य काफी तेजी से चल रहा है। एक ओर जहां परियोजना पर काम हो रहा है तो यह पाया गया है कि कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है। यही मामला अब विचाराधीन है।

SHRI DAULAT RAM SARAN : May I know whether the lift irrigation schemes to be constructed out of Rajasthan Canal are included in this project ? Will they also be completed according to this phased programme ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ शाखाओं, सहायक नहरों और माइनरों की व्यवस्था करने वाली लूणकणसर-बीकानेर सिंचाई योजना आरम्भ की गई थी और वह भी इस परियोजना का अंग है।

SHRI BEGA RAM CHAUHAN : The Rajasthan Canal Project is a big canal but is it not a fact that the cement and bricks meant for this project is not being sent elsewhere not only in Rajasthan but whole of India and this building material is not being utilized for the project ? Canal is being dug and constructed without using cement meant for it. I have written several letters to the hon. Minister in this regard but no reply thereto has been received. Is it not a fact that the cement etc. which should be used for Rajasthan canal is being sent to Bikaner, Ganganagar and Punjab ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : The Engineers of Rajsthan are executing this Project. It is very sad that the cement meant for this project is not being used for it but sent elsewhere.

मैं इस मामले की छानबीन करके जांच करूंगा।

खाद्य-उत्पादन घटने के बारे में एफ० ए० ओ० का प्रतिवेदन

*744. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० ओ० (खाद्य तथा कृषि संगठन) के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार भारत गम्भीर रूप से प्रभावित उन 48 देशों में से है जहां वर्ष 1970—76 के दौरान खाद्य-उत्पादन प्रति व्यक्ति 0.4 प्रतिशत घट गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि संगठन ने नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन के 19वें सत्र में परिचालित "खाद्य तथा कृषि की स्थिति, 1977" विषयक समीक्षा में इस बात का उल्लेख किया था कि अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित भारत सहित 45 देशों में 1970—76 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खाद्य उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट मुख्य रूप से अफ्रीका के अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित देशों में खाद्य उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की निम्न वृद्धि-दर के कारण आई है। सुदूरपूर्व के अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित देशों में भी वृद्धि की दर केवल 2.0 प्रतिशत थी। तथापि, ऐसे संकेत हैं कि 1974—76 के दौरान अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित देशों में खाद्य उत्पादन की वृद्धि-दर 1971—73 की पिछली त्रिवार्षिक अवधि की तुलना में अधिक थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वर्ष 1977—78 के लिये आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि 1977 में अनाजों की प्रतिदिन के लिये प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता 420.2 ग्राम से कम होकर 395.4 ग्राम हो गई। दालों की यह उपलब्धता 47.1 ग्राम से कम होकर 40.1 ग्राम हो गई और अब यह 43.3 ग्राम हो गई है। वर्ष 1972 में कुल उपलब्धता 467.3 ग्राम थी जो कम होकर 438.7 ग्राम हो गई। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कृषि अनुसंधान तथा कृषि अनुसंधान संस्थान पर इतनी बड़ी धन राशि खर्च किये जाने के बावजूद और इस वर्ष के लिए 51 करोड़ रुपये के बजट के बावजूद स्थिति इतनी शोचनीय क्यों है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन से सम्बन्धित था जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने अब किसी अन्य प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जिसका प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया था। मैं विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उदाहरणार्थ ·········

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से है। उन्हें इन सब बातों का पता होना चाहिए।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आपने इसका प्रश्न में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। अन्यथा ·········

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के लिये भी ऐसा करना आवश्यक है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रतिव्यक्ति शुद्ध उत्पादन बढ़ रहा है । 1969-70 में प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन 161 ग्राम था ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु को यह सब कुछ याद रह सकता है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस वर्ष हम प्रति व्यक्ति 170 ग्राम उत्पादन की आशा कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में मैंने आंकड़े बताये हैं, मैंने दालों और अनाजों और उनकी कुल खपत के बारे में आंकड़े बताये हैं । खाद्य तेलों के लिये 1970–71 में यह 3.5 थी और 1976-77 के उत्पादन के अनुसार यह केवल 3.2 ही बैठता है । वर्ष 1970–71 के लिये वनस्पति का उत्पादन प्रति व्यक्ति 1 ग्राम था । यह कम होकर 0.9 हो गया है । 1970–71 के दौरान चीनी का प्रति व्यक्ति उत्पादन 7.3 था और यह कम होकर 6.1 हो गया है । मैं पुन: मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन चीजों की जानकारी रखते हैं क्योंकि कृषि उत्पादन तथा लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराने के मामले में वह लोगों के विश्वासभाजन हैं । मैं फिर कृषि अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों के बड़े-बड़े दावों के बारे में कह रहा हूं कि वह दिखावा अधिक हैं और वास्तविकता कम ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं यह मानता हूं कि प्रमुख तेल बीजों का प्रति व्यक्ति कुल उत्पादन कम हो गया है । 1969-70 में यह 14.3 था । 1975–76 में यह लगभग 16 था......

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न और उसका उत्तर दोनों ही मूल प्रश्न से अलग हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, क्या आप सदन को तटस्थ रूप से बतायेंगे कि क्या मैं जनता की सेवा कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सेवा कर रहे हैं लेकिन उचित तरीके से नहीं क्योंकि आपका प्रश्न अलग है तथा आपका अनुपूरक प्रश्न का विषय भिन्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे मध्यस्थता के लिये कहना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ वर्षों में तिलहनों के प्रति व्यक्ति कुल उत्पादन में कमी हुई थी और कुछ अन्य वर्षों में इसमें वृद्धि हुई थी । उदाहरणार्थ 1975-76 में इसमें प्रति व्यक्ति 21.6 किलोग्राम की वृद्धि हुई है । वर्ष 1976–77 में कुछ कारणों से इसमें 12.6 किलोग्राम की कमी हुई है । थोड़ी वृद्धि अथवा कमी के साथ यह प्राय: स्थिर रही है । आलू, मछली और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है । उदाहरणार्थ आलू में वृद्धि हुई थी ....

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों बिलकुल अलग वस्तुओं के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अपनी समझदारी से सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूर्णतया एफ० ए० ओ० के प्रतिवेदन के बारे में था। अब आप एक अलग रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एफ०ए०ओ० के प्रतिवेदन में खाद्य उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया गया है ......

अध्यक्ष महोदय : यह मैं समझ रहा हूं। यह अत्यन्त व्यापक प्रश्न है। इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि इस मंच (फोरम) पर यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता तो मैं नहीं जानता कि कहां पर पूछा जा सकता है। मंत्री महोदय ने कुछ बढ़ा-चढ़ा कर दावे किये हैं। दालें, मूंगफली आदि और तिलहनों के लिये प्रतिदिन 85 ग्राम की आवश्यकता है, वास्तविक खपत 65 ग्राम है, इसी प्रकार साग-पात की प्रतिदिन 114 ग्राम की आवश्यकता है और वास्तविक खपत 88 ग्राम है, सब्जियों और फलों के लिये प्रतिदिन 85 ग्राम की आवकश्यकता है जबकि वास्तविक खपत 6 ग्राम है। मछली, मांस और अंडे के लिये प्रतिदिन 125 ग्राम की आवश्यकता है जबकि वास्तविक खपत 14 ग्राम है। यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : अच्छी जानकारी है लेकिन असम्बद्ध है।

श्री बेदब्रत बरुआ : एफ०ए०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में निरन्तर प्रति व्यक्ति उपलब्धता अथवा उत्पादन सदैव बहुत कम होने का एक स्पष्ट कारण कृषि की हमारी पुरानी पद्धति और कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई करने की क्षमता का न होना है। इसका परिणाम यह है कि हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा असिंचित रहता है। यह कहा गया है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, यदि सिंचित किया जाये, समस्त विश्व का भरण-पोषण करने में समर्थ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक के दल ने सरकार के नोटिस में लाया है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में स्वयं ही प्रायः पानी के असीम स्रोत हैं। यदि हां, तो पानी के संसाधनों का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री वी० अरुणाचलम : कम उत्पादन होने का एक कारण कृषि के विकास के लिये धनराशि का अपर्याप्त आवंटन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राक्कलन समिति ने अपनी बारहवीं रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन योजनावधि में काफी कम किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई के लिये अधिक धनराशि का आवंटन करने पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बहुत सीमित है। यह उससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री वी० अरुणाचलम : कम उत्पादन के लिये एक कारण धनराशि का अपर्याप्त आवंटन है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन यह उससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री चित्त बसु : अपने उत्तर के बीच में माननीय मंत्री ने कुछ आंकड़े उद्धृत करते हुए कहा है कि चना तथा कृषि उत्पाद की अन्य किस्मों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस से सहमत नहीं हैं कि तब भी विश्व के अन्य उन्नत कृषि देशों

की तुलना में **प्रति व्यक्ति** उत्पादन कम है ? यदि ऐसा है, तो सरकार का विचार भारतीय कृषि में **प्रति व्यक्ति** उत्पादन में आगे वृद्धि करने के मामले में क्या विशेष कदम उठाने का है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पुनः यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : ये दो प्रश्न हैं । एक प्रश्न यह है कि क्या अन्य देशों की तुलना में यहां पर **प्रति व्यक्ति** उत्पादन कम है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ देशों की तुलना में यह कम है लेकिन बहुत से देशों की तुलना में यह अधिक है । देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हम भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिये राज्यों को अनुदान

*745. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिये अनुदान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ;

(ग) राज्य में खोले गए बहुप्रयोजनीय तथा अन्य स्कूलों के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि अनुदान की कोई राशि व्यपगत हो गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : (क) केन्द्र सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिये राज्यों को अलग से अनुदान तथा सहायता नहीं देती है । केन्द्रीय सहायता, सम्पूर्ण राज्य योजनाओं के लिए खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस समय शिक्षा समवर्ती सूची में है लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में कोई इमारत नहीं है और विद्यार्थी वृक्षों की छांव में पढ़ रहे हैं । उनमें उचित पर्यावरण और अच्छी इमारत नहीं हैं । और बहुत सी बनी हुई इमारतें आधी-निर्मित हैं और पूरी बनी हुई नहीं हैं जनता पार्टी की सरकार अधिक ग्रामीण उत्थान के लिये कह रही है । क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारों को अधिक राशि का अनुदान प्राप्त हो और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अधिक राशि का निर्धारण करे ? यदि हां, तो कितना आवंटन किया गया है और इस मामले के बारे में सरकार की रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : यद्यपि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिये आपात काल के दौरान संविधान में संशोधन किया गया था तथापि इसे समवर्ती सूची में लाने के लिये कोई विधान नहीं लाया गया है । यह अभी तक राज्य सूची में है और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलना राज्य सरकारों की प्राथमिक अथवा सीधी जिम्मेदारी है । भारत सरकार केवल राज्यों को उनकी योजनाओं के लिये खण्ड अनुदानों के रूप में अनुदान देती है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : उर्दू के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिये उर्दू में अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिये बहुत कम कोई गुंजाइश है । अत: मैं जानना चाहता हुं कि क्या सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देते समय यह देखेगी कि अल्पसंख्यकों के बच्चों के हित के लिये उर्दू के विकास हेतु विशेष रूप से धनराशि का आवंटन किया जाये ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : हालांकि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है तथा जहां तक उर्दू का संबंध है हम राज्य सरकारों को इसके विकास और विभिन्न राज्यों के स्कूलों में इसका अध्ययन कराने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर रहे हैं । जहां तक उर्दू के विकास का संबंध है हमने एक राष्ट्रीय समिति 'तरक्की-ए-उर्दू' बोर्ड के नाम से बनाई है जिसके माध्यम से हम इस भाषा का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री ए० मुन्ना साहिब : मैं जानना चाहता हुं कि क्या केरल राज्य को अनुदान सूची में शामिल किया गया है और यदि हां, तो इसे कितनी राशि दी गई है ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : सभी राज्यों को शामिल किया गया है । यह राज्य योजना में है । इस समय मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है कि केरल को कितनी राशि दी गई है ।

SHRI YUVRAJ : What is the basis of Central aid given to States ? I would like to know whether the backward States are given more grants or this grant is given on the basis of population, what is the criteria ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : पिछड़े क्षेत्रों की, जहां तक संभव हो सके, सहायता करना जनता पार्टी की सरकार की नीति है । योजना आयोग इस पर प्रयोग कर रहा है कि इस मामले में पिछड़े क्षेत्रों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है ।

MEMBERS OF AGRICULTURAL PRICES COMMISSION

*749. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether an Agricultural Prices Commission has been constituted at the Centre;

(b) the number of official and non-official members thereof, separately; and

(c) the manner in which the same is constituted ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 8 जनवरी, 1965 से की गई थी । आयोग के स्वीकृत अमले में एक अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित तीन सदस्य शामिल हैं । इस समय सदस्य का एक पद रिक्त है ।

वर्तमान गठन के अनुसार, अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव अर्थशास्त्री हैं, जबकि दूसरे सदस्य को राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त किया गया है, ताकि कृषि उपादन व उपभो-

क्ताओं की समस्याओं की जानकारी रखने वाले एक गैर-सरकारी सदस्य को भी आयोग में शामिल किया जा सके। ये नियुक्तियां मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति की मंजूरी से की गई हैं ।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Whether Government have considered this criteria that the price of agricultural production will be fixed proportionate to the cost of production of the farmers and the price of agricultural inputs ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : Figures are taken from some universities to fix this criteria and something is fixed itself by the commission and some farmers organisations are also called in.

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उत्पातन लागत पर विचार किया जाता है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मूल्यों का निर्धारण करते समय उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता र।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : डा० धर्म नारायण, चेयरमन, डा० (श्रीमती) थामराजाक्षी, सदस्य सचिव और चौधरी रणधीर सिंह, सदस्य ।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : This commission was constituted in 1965. May I know as to why its third member has not been appointed so far and why proper representation has not been given to the farmers who are concerned with the commission. Whether Government do not want to consider the views of the farmers ?

Government have recently fixed the price of the wheat. Some chief Ministers had suggested that the price of wheat should be fixed at Rs. 120/- per quintal and some of them had asked to fix it at Rs. 125/- per quintal. I would like to know as to why the Government not considered their view.

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न इस से सम्बंधित नहीं है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : चौधरी रणधीर सिंह को कृषि प्रतिनिधि के रूप में लिया गया था और वह अभी तक इसके एक सदस्य हैं ।

श्री एस० ननजेश गौडा : कृषि मूल्य आयोग ने कृषि की पृष्ठभूमि को जाने बिना ही मूल्यों के निर्धारण करने में भारी गलती की है । मैं इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी सदस्य को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं । मेरे विचार से इस आयोग में कोई किसान नहीं है । मूल्यों को निर्धारण करते समय किसानों की समस्याओं को अवश्य समझना चाहिये । उन्हें उत्पादन-लागत पर विचार करना चाहिए । लेकिन वे विश्वविद्यालयों अथवा अन्य स्थानों से ब्यौरे प्राप्त करते हैं । कृषि मूल्य आयोग में एक किसान प्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है ।

दूसरी बात हमने यह देखी है कि बहुत से औद्योगिक उत्पादों के मूल्य का निर्धारण उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है । इसमें किसान को प्रकृति और सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है । क्या आप निर्धारित किये जाने वाले मूल्यों का कोई तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये किसान संघों (फार्मर्स फेडरेशन) की सलाह लेंगे ? क्या प्रतिवर्ष मूल्यों की घोषणा करने से पूर्व मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मूल्य निर्धारित करते समय किसान संघ (फार्मर्स फैडरेशन की भी राय ली जाती है। वास्तव में प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं है। प्रश्न कृषि मूल्य आयोग गठित करने के बारे में है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य का पता है कि मूल्य के बारे में किसानों में बहुत असंतोष है क्योंकि उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस कृषि मूल्य आयोग में चौ० रणधीर सिंह के अतिरिक्त, जो एक सदस्य हैं, सभा सदस्य अधिकारी सम्वर्ग के हैं। क्या मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे कि किसी गैर अधिकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाये और अधिकांश सदस्य अधिकारी वर्ग के न हों। जो सदस्य आयोग के मनोनीत किये जाते हैं वे उत्तर भारत के होते हैं जो अधिकतम गेहूं के बारे में रुचि रखते हैं और चावल के मामले में वे दक्षिण भारत की उपेक्षा करते हैं। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस आयोग में दक्षिण भारत का विशेषतया चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र का, कोई सदस्य मनोनीत करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे विचार में डा० (श्रीमती) थामराजाक्षी दक्षिण भारत से हैं। उत्तर-दक्षिण का कोई प्रश्न नहीं है.................

श्री एम० सत्यनारायण राव : गैर-अधिकारी सदस्य के बारे में क्या विचार है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : चौधरी रणधीर सिंह गैर-अधिकारी सदस्य हैं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चावल दक्षिण राज्यों में ही पैदा नहीं होता है। वास्तव में चावल उत्तर भारत के राज्यों में भी फालतू होता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : चाहे उत्तर से हो या दक्षिण से, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या चावल पैदा करने वाले राज्यों से कोई सदस्य मनोनीत किया जायेगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों का सम्बन्ध है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चावल का फालतू उत्पादन होता है। उन्हें ऊंचे मूल्य निर्धारित किये जाने की अधिक चिन्ता है। अन्य राज्य भी चावल का उत्पादन करते हैं और कुछ चावल इन राज्यों से दूसरे राज्यों में जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या आप चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों से कोई सदस्य मनोनीत करेंगे ताकि उनके मामले पर भी विचार किया जा सके।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : चौ० रणधीर सिंह ऐसे क्षेत्र के सदस्य हैं जहां गेहूं और चावल दोनों ही पैदा होते हैं।

SHRI CHANDAN SINGH: Sir, I would like to say that the majority in any Board gets thing done in its favour. Shri Randhir Singh alone cannot do anything while other members of the commission are not worried about the practical and believe in statistics. I, therefore, request the hon. Minister to include more agriculturist members in the Commission. Is he prepared to do it ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : There is no such sites.

श्री टी० ए० पाई : मंत्री महोदय ने पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चावल पैदा करने वाले राज्यों की संज्ञा दी है। क्या मैं यह बात उनके ध्यान में ला सकता हूं कि इन राज्यों में

चावल का उत्पादन तो होता है परन्तु चावल इनके लिये नकदी फसल है जबकि दक्षिण में चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में यह फसल खाद्यान्न की मुख्य फसल है। अतः नकदी फसल और खाद्यान्न फसल की कीमतों के बीच एक अन्तर रखा जाना चाहिये। अन्यथा जो चावल की खेती खाद्य पदार्थ की फसल के रूप में करते हैं उनको इसकी खेती के लिये भारी मूल्य चुकाना पड़ता है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह विचार करने के लिये एक सुझाव है।

कुमायूं की संपदा का संरक्षण

***750. डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला अल्मोड़ा के कुछ प्राचीन मंदिर सांस्कृतिक सम्पदा में समृद्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में मूर्ति तस्करों द्वारा अल्मोड़ा जिले (उ०प्र०) में जागेश्वर और पाताल भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों से अत्यधिक पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व की कुछ मूर्तियां उठा ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कुमायू की इस सम्पदा के संरक्षण के लिए और इसे संदिग्ध तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

जागेश्वर, बैजनाथ, कटारमल और द्वाराहाट में अनेक मंदिर-समूह राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं।

(ख) जागेश्वर के मन्दिरों से दस मूर्तियां और पोनराजा की एक कांस्य-प्रतिमा चुराई गई थी। किन्तु कांस्य-प्रतिमा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाद में बरामद कर ली गई थी। सरकार को पाताल भुवनेश्वर, जोकि केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है, से मूर्तियां की चोरी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) अल्मोड़ा में नियुक्त संरक्षण सहायक इन स्मारकों की मरम्मत तथा रख-रखाव का काम देखता है। इसके अतिरिक्त, रखवाली और सुरक्षा के लिए चार स्मारक परिचर जागेश्वर में नियुक्त किए गए हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : विदेशी आक्रमण के समय देश के इस भाग के प्राचीन मंदिरों से बहुत सी मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिये ले जायी गयीं। मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने कुछ राष्ट्रीय महत्व के मंदिरों के ग्रुप बना दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अल्मोड़ा तथा अन्य पड़ोसी पर्वतीय जिलों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि उस जिले में केवल यही चार ग्रुप हैं, यदि सर्वेक्षण वास्तव में किया गया है तो दूसरे जिलों में अन्य मन्दिर कौन से हैं और उन स्मारकों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या काटरमल मन्दिर से सूर्य की प्रतिमा भी गुम है और अभी तक बरामद नहीं हुई है और न ही अभी तक पता लगा है ? क्या जागेश्वर से पोनराजा की प्रतिमा, जो इस देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कहीं अन्यत्र पड़ी है और अभी तक मन्दिर में अपने वास्तविक स्थान पर नहीं पहुंचाई गई है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : एक अनुपूरक प्रश्न में माननीय सदस्य ने बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछ लिये हैं। इन सभी प्रश्नों को याद रखवाना मेरे लिये बहुत कठिन है। फिर भी मैं इतना बताना चाहता हूं कि राज्य सूची अर्थात् सूची संख्या 2, मद 12 के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाय गये कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों के अतिरिक्त प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और रिकार्ड आते हैं। अतः जो स्मारक राज्य सरकार के अधिकार में है, अब उचित जांच करने के बाद कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। ये हैं जागेश्वर मन्दिर ग्रुप-1, बैजनाथ-2, कटरामल-3, द्वाराहाट-4, चम्पाहाट-5, कुछ मन्दिरों के अवशेष तथा गंगाहाट में अंकित मशीनरी-6। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जिन्हें अपने अधिकार में ले लिया है, हम उनकी सुरक्षा के प्रबन्ध कर रहे हैं और ऐसा करने के लिये हमने अधिक कर्मचारी लगाये हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या पोनराजा की प्रतिमा अभी तक वापस नहीं लाई गई है, क्या कटरामल से सूर्य की प्रतिमा भी गुम है और अभी तक वापस नहीं लाई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह उन मन्दिरों की श्रेणी में आता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : जी हां।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। मैंने बताया है कि पोनराजा की केवल एक कांस्य प्रतिमा चुराई गई थी और वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बरामद कर ली गई है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिमा कहीं अन्यत्र पड़ी है अथवा वापस मन्दिर में ले आई गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस प्रश्न के लिये नोटिस चाहिये।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या कुमायूं विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि विशेषतया अलमोड़ा में एक संग्रहालय बनाया जाये ताकि ये सभी स्मारक और मूर्तियां उसमें रखी जा सकें। और वहां जो बहुत से पर्यटक जाते हैं वहां वे ऐसी चीजें देख सकें। इन्हें सुरक्षित रूप से भी रखा जा सकता है क्योंकि अब ये इधर-उधर फैले हैं। पहाड़ियां होने के कारण इन्हें सुरक्षित रखना कठिन है। हमारे पास इन्हें सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं। क्या आपको ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि नहीं तो क्या सरकार संग्रहालय बनाने के विषय में स्वयं ही विचार कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता है। मुझे इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये। आशा है माननीय सदस्य नाराज न होंगे क्योंकि इस समय मेरे पास कोई नोट नहीं है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir there are a large number of National temples and Museums in the Country. There are frequent cases of idol and Sculptures thefts. In certain cases, idols or images have been recovered. There is an International Gang behind these cases. Idols are stolen and sold for lakhs of rupees. I would like to know whether the hon. Minister is satisfied with the action taken against the culprits brought to the book uptil, now and the steps taken to ensure that there are no such recurrences in future.

2—208LSS/78

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : We are sorry for such incidences. We are trying to put a stop to such cases by employing more people. We are also trying to improve social awareness so that people may feel they are also responsible for the protection of the movements.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, my question has not been answered. There is an international gang involved in it. This gang takes away Indian sculptures to foreign Countries and dispose them off for a good amount. Some cases have been brought to book and the Government have taken action in those cases. I would like to know whether the Govt. is satisfied with action taken against such culprits and the steps taken to ensure that there is no recurrence of such cases in future.

अध्यक्ष महोदय : नये अनुपूरक प्रश्न मत उठाइये। आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, this is Question regarding ancient sculptures. I have asked only one supplementary in this regard.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I have said that Government is trying to see that there are no theft cases. We have posted officials from custom's Department and from the Department of Archaeological Survey to check the international try to take stolen sculptures abroad. Certain theft cases have been detected.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, my question has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्री सरत कार : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह स्मारकों तथा स्थापत्यकला की चीजों में रुचि ले रहे हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं। परन्तु इन चीजों ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व भी प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ये स्थापत्यकला की सभी स्मारक और छोटी वस्तुयें तस्करी करके विदेशों में ले जाई जाती हैं और हमारे देश में ऐसी तथा प्राचीन बहुत सी वस्तुयें उपलब्ध हैं, विशेषतया, उड़ीसा में अनेकों मंदिर हैं। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहां जो भी बहुमूल्य वस्तुयें हैं उनकी रक्षा के लिये सरकार नये तंत्र की स्थापना करेगी अथवा नया निदेशालय स्थापित करेगी ताकि इन वस्तुओं की रक्षा की जा सके। इस मामले को सरसरी तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि मंत्री महोदय के विचार में इनका राष्ट्रीय महत्व नहीं है परन्तु हमारे विचार से इनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है और ये वस्तुएं हमारे देश से तस्करी करके बाहर ले जा जाई जाती हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का छात्र होने के नाते मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम मामले को सरसरी तौर पर नहीं ले रहे हैं, हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु संविधान के अन्तर्गत स्मारकों की रक्षा का कार्य केन्द्र तथा राज्य दोनों के बीच बंटा हुआ है। इन मन्दिरों और स्थापत्यकला की वस्तुओं की देखभाल करना पहले राज्य सरकार का दायित्व है। जो राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर दी जाती हैं वे केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और हम अपनी ओर से जितना भी कई सकते हैं कर रहे हैं।

SHRI RAMANAND TIWARI : May I know from the hon. Minister as to what have you done in respect of bringing about awareness in public. The thefts cf

idols have been going for years from now. That is why I want to know what orders have been issued to make the public conscious about it aware and from what date, and what have been the results thereof ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I want to cite an instance. There was an exhibition in Calcutta a few months ago. In that exhibition it was also indicated as to how many idols have been stolen away, what steps we take to apprehend the culprits and how far we have been successful in our efforts. Thus we are trying to bring about awareness in public and seek public cooperation in this connection.

SHRI RAMANAND TIWARI : Mr. Speaker, Sir my question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

गिरी इंस्टीट्यूट, लखनऊ के लिए धनराशि

*752. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गिरि इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज' लखनऊ को विशेष अध्ययनों के लिये धन-राशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गई है और किन विषयों के अध्ययन के लिये दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा विशेष अध्ययनों के लिए प्राप्त राशि एवं विषय जिनके लिए अनुदान दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	वर्ष	विषय	अनुदान देने वाला प्राधिकरण	राशि
1	2	3	4	5
1.	1973	उत्तर प्रदेश की चुनिन्दा शहरी हस्तशिल्प की समस्याएं ।	योजना आयोग	2,57,962.95
2.	1974	दस्तावेजों एवं प्रलेखों का संकलन तथा मिलान अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी सघ ।	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	15,000.00

1	2	3	4	5
3.	1975	लखनऊ में चिकन उद्योग का वित्त पोषण ।	इण्डियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ ।	3,250.00
4.	1975	मार्गदर्शी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना ।	कृषि मंत्रालय	18,000.00
5.	1976	भारत में कृषि विकास की क्षेत्रीय पद्धतियों का अध्ययन ।	योजना आयोग भारत सरकार	45,759.00
6.	1976	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्बंधों पर आपातकाल का प्रभाव ।	श्रम मंत्रालय भारत सरकार	7,000.00
7.	1977	औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के उद्योगों के प्रौद्योगिकीय संबंध— आई०एल०ओ० परियोजना (कानपुर के धातु उद्योग) ।	आई०एल०ओ०	57,000.00
8.	1977	प्रशासन भारतीय युवा वर्ग के संबंध में क्षेत्रीय सेमिनार ।	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद नई दिल्ली ।	15,000.00
9.	1977	उत्तरी भारत में भूमि प्रशासन ।	—वही—	12,500.00
10.	1978	उत्पादन कार्यकलापों का क्षेत्रीय विविधिकरण ।	—वही—	50,000.00

SHRI HARGOVIND VERMA : May I know wether the organisations receiving these funds utilised those funds for the very purpose or not not if whether the hon. Minister will conduct an enquiry into that matter and in case, something wrong is found, will he punish those people These days there are many institutions set up in the names of being leaders and are spending lakh of money extravagently at their own whim and sencies. Is the hon. Minister making a plan to put curb on these institutions ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : From the list supplied by me it appears that the research made in the subject has been successful. Grants amounting to Rs. 2,57,962·95 have been given by the Planning Commission for problems of Urban handicrafts in U.P. this project has been completed. Similarly, in regard to the financing of Chikan Industry, a report has been submitted. In regand to pilot intensive Rural Employment project, the work has been completed. Thus, every thing is complete.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह पूछा गया है कि यदि कोई अनियमिततायें हैं तो क्या आप उनके बारे में जांच कराएंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरा निवेदन है कि उन्होंने इसके पूर्व कुछ और भी पूछा था। वह जानना चाहते थे कि कितनी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं। प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या हम जांच करने को तैयार हैं ।

अब, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने वस्तुत: इस मामले की जांच पहले के लिये एक अधिकारी भेजा था और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। यदि आगे कार्यवाही करना जरूरी हुआ तो परिषद् निश्चय ही कार्यवाही करेगी।

SHRI HARGOVIND VERMA : Sir, I would like to know the number of such institutions in the country as are named after big leaders and how much money has been spent on them. May I also know from him since how long such institutions are working in the country are robbing the poor people and spending their money on their own luxuries and selfish ends?.

अध्यक्ष महोदय : यह बात मुख्य प्रश्न से नहीं पैदा होती क्योंकि प्रश्न तो केवल गिरि इंस्टीट्यूट लखनऊ से संबंधित है।————————**(व्यवधान)** वर्मा जी, नियमों के अधीन यह पूछने की अनुमति नहीं है।

******(व्यवधान)**

इसका रिकार्ड न रखा जाये

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसी विषय पर मैंने इसी प्रकार का एक प्रश्न भेजा था और आपके सचिवालय ने यह कह कर इससे अस्वीकार कर दिया कि यह सस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय का है जोकि राज्य सरकार के अधीन है। परन्तु श्री हरगोविन्द वर्मा का प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है। अत: मैं कहना चाहूंगा कि आपको सचिवालय में और आप के प्रश्न को स्वीकार करने के मामले में सभी सदस्यों को समान समझना चाहिये।

अब मैं मत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने 'पायोनीयर' में प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया है कि गिरि इस्टीट्यूट के निदेशक श्री वी० वी० सिंह जोकि कांग्रेसी संसद सदस्य भी हैं के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उस मामले में उन पर इस समय मुकद्दमा चल रहा है। यदि हां, तो क्या इस बारे में उनके पास कोई ब्यौरा है ?

---

*कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया
Not recorded

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : धोखाधड़ी के मामले में अपराधिक कार्यवाही चल रही है और मामला न्यायालय में है। परन्तु मेरे विचार से श्री वी०बी० सिंह राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और मई, 1977 से वह निदेशक भी नहीं हैं। एक नये निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है।

SHRI HUKAM DEO NARAIN YADAVA : This institute is not fully under the State Government. The Central Govt. have been giving lakhs cf rupees to it for research etc. and since last year enough has been reported against this institute about misappropriators. This institute has not been making proper use of the funds given to it. One particular person has been spending money for his own ends and for presonal interests of certain other individual.

I would therefore, like to know whether Govt. would institute a high level inquiry into the spending of grants and take action against the persons indulging in such misappropriation of funds ? I like government to take action in this respect.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : This organisation is registered under Societies Registration Act and a renowned pcwer like Shri D. P. Dhar was its Chairman Earlier Shri P. N. Haksar was its Chairman and Dr. Nagandar Singh vice-chancellor of the University and President of International Court of Justice was its member. We are taking action to hold inquiries whenever there is a complaind about malfunetioning I have just now told that an officer was sent from the ICSSR and he has already given his report while is being examined by the ICSSR.

SHRI RAM DHARI SHASTRI : In the 'Blitz' dated 7th January, 1978 it has been alleged that this Institute received grants of several lakh rupees in 1973. In 1977, there was no body in this Institute and no research work was done there. In 1977 it got a building on rent. Did the Ministry of Education receive such types of complaints against this organisation ? If it is so, would that hon. Minister stop the grants to this Institute forthwith and conduct an inquiring in its affairs ?

Just now Shri Subramaniam Swamy mentioned the name of Shri V.V. Singh against whom court proceedings were going on. Have the Govt. received a complaint against him to the effect that he has been a third class student but made himself the head of the University by preparing a forged mark-sheet showing him in the first class ? Would the Govt. order an inquiry forthwith in respect of grants worth Rs. 5 lakhs received by this Institute ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : Shri V.V. Singh who has been the Honorary Director, is not there from April, 1977 and in his place Shri T.S. Pakola, Professor of Economics All India Institute of Management Ahmedabad has been appointed as Director. Our organisation ICSSR had conducted an inquiry in respect of the grants but the complaints that were received did not prove to be true.

INSTALLATION OF THE STATUES OF LEADERS IN DELHI

*756. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of leaders whose statues are in Delhi;

(b) whether the statues of Dr. Ram Manohar Lohia and Dr. Shyama Prasad Mukherjee are not in Delhi:

(c) the names of the leaders whose statues are to be installed in future; and

(d) whether Government propose to instal statues of Dr. Ram Manohar Lohia and Dr. Shyama Prasad Mukherjee in the near future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : (a) In Delhi/New Delhi, there are 14 statues of National leaders, installed by the Delhi Municipal Corporation and various memorial committees.

(b) The statue of Dr. Ram Manohar Lohia has not so far been installed but a statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee has been installed outside Delhi Gate by Municipal Corporation Delhi.

(c) Government of India has permitted the memorial committees to instal the statues of S/Shri C. Rajagopalachari, K. Kamraj and Rafi Ahmed Kidwai at different sites in New Delhi on Government land. Government is also proposing to instal a statue of Gandhiji.

(d) As stated in part (b), the statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee has already been installed. As for Dr. Lohia, no agency has come up with any proposal to instal his statue and the Government has no such proposal under consideration.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Mr. Speaker, Sir, I do not agree with the hon. Minister on the answer given by him. Whereas in Delhi so many statues of foreigners still remain installed, no care has been taken to instal the statue of our great leader Dr. Ram Manohar Lohia. Government are still not finding a suitable place for installing his statue. The hon. Minister has stated that no agency has recommended for that. There is no question of any recommendation by any organisation; it is a matter of national significance and the Govt. should on endeavour on their own to instal the statues of national leaders like Dr. Ram Manohar Lohia. May I known whether the Govt. feel the necessity of installing a statue of Dr. Ram Manohar Lohia; if so, then what is the hitch in installing his statue ?

SHRI RAM KINKER : It is not the general policy of the Govt. to instal the statues of national leaders. In case some individual or memorial funds or voluntary organisations propose to instal any statue they apply for land for that purpose and the Government considers such a demand.

SHRI RAM VILAS PASWAN : A few days ago I had written to you under rule 377, in regard to Dr. Ram Mahonar Lohia, Dr. Mukherjee, Dr. Ambedkar etc. and you had admitted that. In that connection I had suggested the sites also saying that their statues could be installed on the record about in few out of the Parliament House. If the installation of the statue of a great leader is not sponsored by any agency for if a leader did not have any such agency, would the nation forget that leader? As regards the site I had suggested it to the hon. Minister in writing and you to had admitted under Rule 377. May I know whether the statue would be installed there?

SHRI RAM KINKER : I have already explained that it is not the policy of the Govt. to instal statues on their own. Govt. has not done this in any case.

If some Memorial Committee approaches for the land, the Govt. provides the land. The entire expenditure on the installation is borne by that Committee. As I have stated we have given approval to the installation of the statues of Shri Rajgopalachari, Shri Kamraj and Shri Rafi Ahmed Kidwai.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सूरतगढ़ और जेतसार राज्य फार्म

*742. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ और जेतसार राज्य फार्मों पर 1977–78 में कितनी धनराशि खर्च की गई ।

(ख) मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि का, जैसे कि कर्मचारियों पर खर्च, मशीनों की मरम्मत, उर्वरक और कीटनाशी औषधियां, बीज, कर आदि का ब्यौरा क्या है ,

(ग) उक्त अवधि में कितनी आय हुई, और

(घ) इन फार्मों को लाभप्रद फार्म बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, अतः वर्ष 1977–78 के व्यय के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) भारतीय राज्य फार्म निगम, कम उत्पादकता वाले बीजों के स्थान पर प्रति यूनिट अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करके फसल प्रतिमान में परिवर्तन करने, सिंचाई संबंधी सप्लाई में वृद्धि करने, भूमि को आकार देने एवं भूमि विकास करने तथा बेहतर प्रबंध तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से आदानों के व्यय में कमी लाने जैसे उपायों को अपनाकर इन फार्मों की अर्थ क्षमता को सुधारने के लिए कदम उठा रही है ।

विश्व डेरी कांग्रेस के लेखापरीक्षित लेखे

*743. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1974 में आयोजित विश्व डेरी कांग्रेस के लेखापरीक्षित लेखे और प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से डेरी उद्योग और व्यक्तियों से कांग्रेस के लिये कितनी धन-राशि एकत्र की गई, एकत्र की गई भारी धनराशि का वितरण कैसे किया गया तथा कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् कितनी धनराशि शेष बची थी ;

(ख) कांग्रेस समाप्त होने के पश्चात् धनराशि किन मदों पर खर्च की गई तथा व्यय के मुख्य शीर्ष क्या हैं तथा यदि इस समय कोई धनराशि शेष है तो वह कितनी है; और

(ग) क्या सरकार को इस कांग्रेस की धनराशि का दुरुपयोग करने या फिजूल खर्ची करने के बारे में शिकायतें मिली हैं तथा जांच की क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां। आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

1974 में हुए विश्व डेरी कांग्रेस के लिये एकत्रित राशि व उस पर किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण 31 दिसम्बर, 1974 तक की प्राप्तियां

(क) डेरी बोर्ड द्वारा किया गया योगदान	
	रु०
1. राज्य सरकारें	3,40,000.00
2. भारतीय डेरी निगम	50,000.00
3. राज्य डेरी निगम	1,45,211.00
4. डेरी सहकारी समितियां	3,30,901.00
5. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया योगदान	7,73,289.00
(ख) भारत सरकार का योगदान	5,52,218.00
(ग) कांग्रेस पंजीयन शुल्क	
1. कांग्रेस पंजीयन शुल्क	6,32,802.32
2. डेरी प्रवेश शुल्क	13,280.00
3. साथ खाने वाले व्यक्तियों के लिये शुल्क	1,04,725.24
4. अन्तर्राष्ट्रीय डेरी फेडरेशन पंजीयन शुल्क	1,27,236.20
(घ) प्रकाशनों की बिक्री	244.81
(ङ) अन्य प्राप्तियां	
1. महिलाओं का कार्यक्रम (अधिशेष)	12,517.95
2. विविध प्राप्तियां	9,941.99
3. ब्याज	25,572.67
योग	31,17,940.18

दिसम्बर, 1974 तक किया गया व्यय

1. प्रशासनिक व्यय	7,37,578
2. संपादकीय व तकनीकी व्यय	10,60,167
3. प्रदर्शनियां	39,588
4. विशिष्ट अतिथि वक्ताओं का दौरा व्यय	3,241
5. कांग्रेस स्थल व्यय	2,17,228

6. स्वागत व आतिथ्य	1,16,044
7. कांग्रेस समारोह	—
8. अन्तर्राष्ट्रीय डेरी फैडरेशन ब्रूसेल्स के लिये 10 प्रतिशत शुल्क	—
9. विविध व्यय	5,916
योग	21,79,762

31 दिसम्बर को उपलब्ध शेष राशि 9,38,178,18

31 दिसम्बर, 1974 के पश्चात् प्राप्तियां

1. कांग्रेस के पुस्तकों की बिक्री	44,748
2. विविध प्राप्तियां	6,628
3. ब्याज आय	55,293
4. कांग्रेस पंजीयन शुल्क	14,593
5. भारत सरकार से प्राप्त योगदान	6,04,500
6. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किए गए योगदान	1,36,872
योग	8,62,634

31 दिसम्बर, 1974 के पश्चात् व्यय

1. प्रशासनिक व्यय	5,61,232
2. संपादकीय व तकनीकी व्यय	4,86,721
3. प्रदर्शनियां	24,901
4. विशिष्ट अतिथि वक्ताओं का दौरा व्यय	37,657
5. कांग्रेस स्थल व्यय	70,097
6. स्वागत व आतिथ्य	78,315
7. कांग्रेस समारोह	—
8. अन्तर्राष्ट्रीय डेरी फेडरेशन ब्रुसेल्स को 10 प्रतिशत शुल्क	69,189
9. विविध (आकस्मिक व्यय)	10,078
योग	13,38,190

कुल प्राप्तियां	39,80,574.18
कुल व्यय	35,17,952.00
उपलब्ध शेष राशि	4,62,622.18

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए दिया जाने वाला चावल

*746. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली राज्य से ऐसी शिकायत मिली है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिये जो चावल दिया जाता है, वह घटिया किस्म का है और मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने कहा है कि वे ऐसे चावल को स्वीकार नहीं करेंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। सप्लाई किये गये चावल की क्वालिटी के बारे में हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार, दिल्ली प्रशासन तथा त्रिपुरा से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इन शिकायतों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

पश्चिमी बंगाल

प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है। उसके फलस्वरूप तथा आगे और शिकायतों से बचने के लिये उचित दर की दूकानों को खाद्यान्न देने से पहले स्टाक के संयुक्त निरीक्षण करने की व्यवस्था की गई है जिसमें राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों से बचने के लिये यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो चावल सप्लाई किया जाये वह उचित औसत किस्म का हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये राशन की दूकानों के निरीक्षण में कड़ाई कर दी है ताकि बेईमान लाईसेंसधारियों द्वारा घटिया किस्म का स्टाक मिलाया न जा सके। राशन के दूकानदारों से कहा गया है कि वे स्वयं भारतीय खाद्य निगम के डिपो में जाएं और स्टाक की क्वालिटी से संतुष्ट होने के बाद ही उसे वहां से उठाएं। यह पाया गया कि सामान्यतया यह शिकायत आई० आर०–8 (कच्चा चावल) की सप्लाई के बारे में है जिसे कम उपभोक्ता ही स्वीकार करते हैं।

सुपुर्दगी केन्द्रों तथा राशन की दूकानों पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण अब महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा।

उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने में सुविधा के लिये भारतीय खाद्य निगम के डिपो द्वारा दिये गये खाद्यान्नों के प्रतिनिधि नमूने राशन की दूकानों पर प्रदर्शित करने होते हैं।

दिल्ली प्रशासन

संयुक्त समिति, जिसमें खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं, ने प्राप्त शिकायतों की जांच की है। यह पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम जो चावल सप्लाई कर रहा है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सप्लाई किया गया चावल, भले ही दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है, उचित औसत किस्म का होता है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है । भारतीय खाद्य निगम के डिपो से दिये गये खाद्यान्नों के सीलबन्द नमूने उचित दर की दूकानों के दूकानदारों को दिये जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग का प्रवर्तन तथा सर्किल स्टाफ यह सुनिश्चित करने के लिये कड़ी निगरानी रखता है कि उचित दर की दूकानों द्वारा घटिया किस्म के खाद्यान्नों से अच्छे किस्म के खाद्यान्नों को बदला न जा सके। उचित दर की दूकानों को दिये गए खाद्यानों के स्टाक की कभी कभी जांच की जाती है और उनका भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये गये प्रतिनिधि नमूनों से मिलान किया जाता है। दिल्ली प्रशासन भी समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से अथवा भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त रूप से सामान्य नमूना सर्वेक्षण करता है ताकि उचित दर की दूकानों द्वारा बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की क्वालिटी बनाए रखने के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

त्रिपुरा सरकार

त्रिपुरा में लगभग 6,509 मीटरी टन घटिया चावल पड़े होने की शिकायत की गई है। एक दल, जिसमें खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के किस्म नियंत्रण अधिकारी शामिल हैं, ने इस मामले की जांच की है और उसने स्टाक को देने से पहले उसे फिर से ठीक करने की सिफारिश की है। राज्य को चावल के नये स्टाक भी भेजे जा रहे हैं।

मोटर नौकाओं का गरीब मछुओं पर कुप्रभाव

743. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली मोटर नौकाओं के चलने के कारण गरीब मछुओं को अपने जीवन निर्वाह के साधनों के लिये काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) गैर यंत्रीकृत क्लोम जाल वाली नावों से मछली पकड़ने वाले मछुओं ने यंत्रीकृत ट्रालों से मछली पकड़ने से हुई कुछ कठिनाईयों के बारे में शिकायत की है।

(ख) गुजरात सरकार ने कठिनाई से बचने के लिये पहले ही ट्रालर चलाने वालों को 30 फैदम से दूर मछली पकड़ने के लिये कहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने हाल ही में समस्त समुद्रवर्ती राज्यों को पृथक रूप से ये मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं कि वे जहां कहीं आवश्यक हो संशोधन के साथ मत्स्यन जलयानों की विभिन्न किस्मों के लिए अपने प्रचालन क्षेत्रों का सीमांकन करें। इन मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार गैर यंत्रीकृत पारंपरिक मत्सयन क्रापटों का 5 कि० मी० की सीमा तक संचालन करने का अनन्य अधिकार होना चाहिये। विभिन्न किस्मों की नावों के लिए मत्स्यन क्षेत्रों के सीमाँकन समाप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति ने एक ड्राफ्त रिपोर्ट के साथ-साथ एक ड्राफ्ट समुद्री मत्स्यन नियमन बिल तैयार किया है। अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात, यह रिपोर्ट समस्त समुद्रवर्ती राज्य सरकारों को उनके अनुमोदन के लिए परिचालित की जायेगी।

गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में समेकित पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनायें

*751. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में कितनी समेकित पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनायें चल रही हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या गढ़वाल डिवीजन के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गए कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कोई समिति बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में पौड़ी और टिहरी (नरेन्द्रनगर) में दो केन्द्रीय क्षेत्र को प्रायोगिक समन्वित पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दो पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं संतोषजनक कार्य कर रही हैं। इन परियोजनाओं में कार्य की प्रगति का लगातार पुनरीक्षण जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर, उपयुक्त निकायों जैसे ऐजेन्सी स्तरों पर शाषी परिषद् 'राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर संस्वीकृति समिति के माध्यम से किया जाता है।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम केवल दो जिलों के लिये ही प्रयोगात्मक आधार पर तैयार किया है जैसा कि उपर्युक्त (क) में कहा गया है।

(घ) ये केवल प्रायोगिक परियोजनाएं हैं और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

COMMUNITY TUBE-WELL FOR SMALL AND MARGINAL FARMERS IN M.P.

*753. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 473 on 19th December, 1977, regarding community tube-wells for small and marginal farmers and state the details of the area in Madhya Pradesh where the scheme of community tube-wells for small and marginal farmers is likely to be introduced ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : Construction of community Tubewells for small and marginal farmers is being taken up in Madhya Pradesh in the Small Farmers Development Agencies in the districts of Bilaspur, Durg and Rajanandgaon.

राष्ट्रीय प्रोफेसरों की नियुक्ति

*754. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये राष्ट्रीय प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना का इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

पूर्ण रोजगार के लिए गहन खंड विकास योजना

*755. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चयन किये गये खंडों में लोगों को 1978–79 के दौरान पूर्ण रोजगार देने की गहन खड विकास योजना आरम्भ करने के लिये निश्चित प्रस्ताव मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले खंडों की राज्यवार और जिला-वार कुल संख्या, महाराष्ट्र में चयन किये गये खंडों के नामों, प्रति खंड सहायता के वित्तीय स्तर, ऐसे खंडों के चयन के मानदंडों संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या खंडों का चयन करने के लिए मानदंड बनाने में राज्य सरकार से परामर्श किया गया था ;

(ग) क्या महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के बहुत से जिलों, जहां वर्षा कम होती है और अनिश्चित रहती है तथा जहां कृषि का स्तर भी बहुत नीचा है, को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ; और

(घ) क्या सरकार 1978–79 के दौरान एक राज्य में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र-केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाये जा चुके क्षेत्रों की तुलना में प्राथ-मिकता देते हुए इन क्षेत्रों के खंडों को शामिल करने पर विचार करेगी तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रहे तीन विशेष कार्यक्रमों अर्थात् लघु किसान विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास द्वारा फिलहाल अपने अन्तर्गत लाये गये लगभग 3,000 खंडों में से 2,000 खंडों में वर्ष 1978–79 से गहन तथा समन्वित ग्राम विकास का एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। राज्यवार सूची संलग्न है। महाराष्ट्र को 116 खंड आबंटित किए गए हैं, इन खंडों के जिलावार आबंटन के बारे में इसके बाद उल्लिखित कुछेक मापदंडों पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। लघु किसान विकास एजेंसी के अन्तर्गत शुरू किये गए खंडों के लिए 5.00 लाख रुपये, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत खंडों के लिए 4.00 लाख रुपये और कमांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत खंडों के लिए 5.00 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रति खण्ड सुलभ हो जाएगी। ये आबंटन इन खंडों में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय निधियों के वर्तमान स्तर के अतिरिक्त होंगे। खंडों के चयन के लिये राज्य सरकार को निम्नलिखित मापदंड सुझाये गए हैं ; अंतिम चयन के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाना है।

(1) लघु किसान विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत फिलहाल लाए गये प्रत्येक जिले के लिये प्रायः यथानुपात आधार पर खंड आवंटित करना तर्कसंगत होना चाहिए।

(2) 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले खंडों को पहले लिया जाना चाहिए।

(3) यदि आंकड़े उपलब्ध हों तो बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार के अधिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(4) तैयार किये गये विकास तथा संगठनात्मक ढांचे के लिये संभाव्यता।

(5) गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का कम उपभोज्य स्तर तथा बाहुल्य।

(6) कम कृषि उत्पादकता।

2000 खंडों के अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान गहन खण्ड स्तरीय आयोजना के लिये प्रति वर्ष 300 अन्य खंडों को शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1978–79 में इन 300 खण्डों के लिये प्रति खण्ड 2 लाख रुपये की राशि सुलभ की जायेगी। इन खण्डों का चयन करने के लिये मापदण्ड यह होगा।

(1) गहन विकास कार्यों के लिये शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित 2000 खण्ड देश में कुल खण्डों की संख्या के लगभग 40 प्रतिशत हैं। उन राज्यों, जहां 2,000 खण्डों को संविभाजित करते समय, 40 प्रतिशत खण्डों को नये कार्य-क्रमों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को 1978–79 के कोटा में अतिरिक्त 300 खण्डों में से अपेक्षित संख्या आवंटित की जाएगी ताकि कमी को पूरा किया जा सके तथा इसे 40 प्रतिशत के कार्य क्षेत्र तक लाया जा सके।

(2) देश में प्रत्येक जिले, जिसके पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, को छठी योजना के दौरान प्रति वर्ष एक खण्ड आवंटित किया जाएगा।

(3) इसके आगे प्रति वर्ष आवन्टन विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये किये जाएंगे कि कार्यक्रम में इस योजना अवधि के दौरान तथा अधिमानत यथाशीघ्र देश के उन सभी खण्डों को लाया जाता है जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है।

(4) शेष को राज्यों के बीच उनको ग्रामीण जन-संख्या आदि के आधार पर बांटा जाएगा।

(5) जहां तक राज्य सरकारों से परामर्श करने का संबंध है, कार्यक्रम तथा इसकी नीति को राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ क्षेत्रीय बैठकों तथा कार्यकारी ग्रुपों आदि में लगातार विचार विमर्श करने के पश्चात तैयार किया गया है।

(ग) जी नहीं। 13 में से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें 3 विशेष कार्यक्रमों में से कोई नहीं है।

(घ) चालू वर्ष से गहन विकास के लिये प्रति वर्ष 300 नए खण्ड शुरू किये जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले जिसमें फिलहाल कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, से कम से कम एक खण्ड शुरू किया जाएगा।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	खंडों की कुल संख्या	अन्तर्गत लाए गए खंडों की संख्या			इनके अन्तर्गत खंडों की वर्तमान संख्या के अनुपात में 2000 खंडों का वितरण			योग (5+6+7)
		क० क्षे० वि०	स० ग्र० क्षे० का०	ल० कि० वि० ए०	क० क्षे० वि०	स० ग्र० क्षे० का०	ल० कि० वि० ए०	
	1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	324	74	72	134	45	43	80	168
असम	134	7	—	58	4	—	35	39
बिहार	587	213	57	236	128	34	142	304
गुजरात	218	32	41	86	19	25	52	96
हरियाणा	87	22	12	32	13	7	10	39
हिमाचल प्रदेश	69	—	—	18	—	—	11	11
जम्मू तथा काश्मीर	75	4	12	46	3	7	28	38
कर्नाटक	175	34	42	66	20	25	40	85
केरल	144	17	—	58	10	—	35	45
मध्य प्रदेश	458	36	42	131	22	25	79	126
महाराष्ट्र	296	42	33	118	25	20	71	116
मणिपुर	26	1	—	7	1	—	4	5

	1	2	3	4	5	6	7	8
मेघालय	24	—	—	12	—	—	7	7
नागालैंड	21	—	—	21	—	—	13	13
उड़ीसा	314	50	25	115	30	15	69	114
पंजाब	117	—	—	76	—	—	46	46
राजस्थान	232	17	78	76	10	47	46	103
सिक्किम	—	—	—	4	—	—	2	2
तमिलनाडु	374	—	48	167	—	30	100	130
त्रिपुरा	17	—	—	12	—	—	7	7
उत्तर प्रदेश	876	320	39	191	193	23	115	331
पश्चिम बंगाल	335	103	34	133	62	21	80	163
केन्द्र शासित क्षेत्र								
अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	48	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	1	—	—	—	—	—	—	—
दादरा तथा नगर हवेली	1	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	5	—	—	5	—	—	3	3
गोवा, दमण तथा दीव	12	—	—	12	—	—	7	7
लक्षद्वीप	5	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	20	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	4	—	—	4	—	—	2	2
	5004	972	535	1818	585	322	1093	2000

सभी राज्यों को भेजा जाना है।

खाद्यान्न, चीनी आदि की प्रति व्यक्ति खपत

*757. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1953-1954 में खाद्यान्न, चीनी, दाल, घी, तेल, दूध और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी और इन वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपज अब कितनी है ; और

(ख) देश में इन वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) खाद्यान्नों आदि की प्रति व्यक्ति खपत का हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इन जिन्सों की खपत विभिन्न खाद्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य, आय स्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, खाने की आदतों, शहरीकरण की रफ्तार आदि जैसी कई एक बातों पर निर्भर करते हुए काफी हद तक लचीली होती है। तथापि, 1953–54 और 1975–76 के वर्षों के दौरान खाद्यान्न की विभिन्न मदों की प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धता निम्नलिखित थी :—

क्रम संख्या	खाद्यान्न की मद	प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनुमानित उपलब्धता ग्रामों में	
		1953–54	1975–76
1.	अनाज .	364.6	404.9
2.	दालें	59.8	51.8
3.	सब्जियां . . .	उपलब्ध नहीं	36.0
4.	रूट्स और ट्यूबरस	34.6	60.0
5.	दूध और दूध से बने पदार्थ	120.3	111.5
6.	वसा और तेल .	9.3	13.9
7.	चीनी और गुड़	28.2	55.6

कृषि और अन्य सहायक क्षेत्रों का विकास करने के लिये उच्च अग्रता दी जाती है किए गए उपायों में अधिक उत्पादन के लिये पर्याप्त आदानों और प्रोत्साहन की व्यवस्था करना, तकनीकी जानकारी का प्रसार करना, लाभकारी समर्थन मूल्य देना, आयात और निर्यात का विनियमन करना, बफर स्टाक तैयार करना आदि शामिल हैं। फिलहाल इन वस्तुओं में से कई एक वस्तुओं की उपलब्धता कुल मिलाकर काफी संतोषजनक है।

कृषि-सेवा केन्द्र के लिए ब्याज की अदायगी हेतु राजसहायता

*758. **श्री ए० अशोक राज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा स्वयं रोजगार योजना के अधीन कृषि उद्यमियों को इस आशय का कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि कृषि सेवा केन्द्र के लिये ब्याज की अदायगी हेतु राज सहायता पहला ऋण लेने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये ही उपलब्ध होगी और यह प्रत्येक ऋण पर तीन वर्ष के लिये नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उद्यमियों की ओर से उक्त स्पष्टीकरण के कारण उनको हुई कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार उनकी कठिनाइयों पर पुनः विचार करने तथा नये आदेश जारी करने का है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस योजना के अधीन कृषि सेवा उद्यमियों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की अदायगी हेतु राजसहायता पहला ऋण लेने की तारीख से तीन वर्ष के लिये मंजूर की जाती है। तदनुसार कृषि उद्यमी से प्राप्त एक अभ्यावेदन, जिसमें अनुरोध किया गया है कि 3 वर्ष की अवधि पिछले ऋण की तारीख से गिनी जानी चाहिये, मंजूर नहीं किया गया था और इस संबंध में उद्यमी को उचित सलाह दे दी गई थी। तथापि, चूंकि कृषि उद्यमियों की हाल ही की एक बैठक में इस मामले को पुनः उठाया गया था। अतः सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या ऋण की प्रत्येक किश्त पर 3 वर्ष की अवधि के लिये राजसहायता की मंजूरी दी जानी चाहिए।

विट्ठल भाई पटेल हाऊस में किराये की बकाया राशि

*759. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दलों को उनके कार्यालयों अथवा उनके कर्मचारियों के लिये दिये गये विट्ठलभाई पटेल हाऊस के 'सूट्स' और अन्य रिहायशी यूनिटों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दलों पर जिनमें जनता पार्टी में विलय होने वाले दल भी शामिल हैं, किराये की बड़ी राशि जमा हो गई है ;

(ग) उक्त आबंटनों संबंधी कसौटी अथवा नियम क्या हैं ; और

(घ) किराये की बकाया राशि वसूल करने और ऐसे एककों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जो समाप्त हुए दलों के नाम में आबंटित है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सामान्यतया, संसद में मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के स्टाफ को सरकारी रिहायशी वास, उनके स्टाफ की कुल संख्या के 33 1/3 प्र० श० तक दिया जाता है। तथापि, संसद में वे राजनैतिक पार्टियां जिनके सदस्यों की संख्या 50 से कम है लेकिन वे अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें विट्ठल भाई पटेल हाऊस में कमरों का एक सैट आबंटित किया जाता है। मांग पर, गैरजों और सर्वेन्ट क्वार्टरों का आबंटन भी किया जाता है बशर्ते कि वे उपलब्ध हों। कार्यालय वास के आवंटन के अनुरोध पर विचार गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(घ) अनधिकृत दखलकारों की बेदखली और किराया/हर्जाने की वसूली संबंधी कदम लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन उठाए जा रहे हैं।

विवरण

विभिन्न पार्टियों के दखल में उनके कार्यालय या उनके स्टाफ के लिये विट्ठल भाई पटेल हाऊस में सूटों तथा अन्य रिहायशी एककों का विवरण :—

क्रम सं०	सूट नं०/क्वार्टर नं०	क्षेत्र जहां आबंटित है	पार्टी का नाम	31-3-78 तक का बकाया
1	सूट नं० 1	वी० पी० हाऊस	बी० के० डी०	10,899.84
	एस०/क्वार्टर नं० 20	—वही—	—वही—	
	सूट नं० 2	—वही—	—वही—	
	एस०/क्वार्टर नं० 65	—वही—	—वही	
2.	सूट नं० 16 . .	—वही—	सोशलिस्ट पार्टी	21,242.02
	सूट नं० 17 . .	—वही—	—वही—	
	सूट नं० 104 . .	—वही—	—वही	
	सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 40			
3.	सूट नं० 310	—वही—	सोशलिस्ट पार्टी (लोहियावादी)	1,995.09
4.	सूट नं० 203	—वही—	स्वतन्त्र पार्टी	5,878.94
5.	सूट नं० 23 . .	—वही—	भारतीय जनसंघ	711.87
	एस०/क्वार्टर नं० 56 .	—वही—	—वही—	
	सूट नं० 24 . .	—वही—	—वही—	
6.	सूट नं० 109 .	वी० पी० हाऊस	कांग्रेस (ओ०)	2,086.13
	सूट नं० 219 .	—वही—	—वही—	
	एस० क्वार्टर नं० 44	—वही—	—वही—	
7.	सूट नं० 15	—वही—	डी० एम० के०	2,513.96
8.	सूट नं० 119	—वही—	सी० पी० आई०	140.58
	सूट नं० 201 ए०	—वही—	—वही—	146.01
	सूट नं० 309	—वही—	—वही—	170.39
9.	सूट नं० 14 .	—वही—	सी० पी० आई० एम०	2,281.21
10.	सूट नं० 507	—वही—	जनता पार्टी	1,888.62
11.	5, रायसीना रोड़ .	टाईप–8	ए० आई० सी० सी०	9,468.00
12.	104–वर्क चार्जड क्वार्टर सिमेटरी	पृथ्वी राज रोड (टी०–I)	ए० आई० सी० सी०	130.30

1	2	3	4
13. एस० II/598	आर० के० पुरम (टी०–I)	संसद में कांग्रेस पार्टी	शून्य
एस०IV/181 .	वही (टी०II)	वही	शून्य
एस०–IV/222 .	वही (वही)	वही	शून्य
एस०–IV/892 .	वही (वही)	वही	शून्य
15–डी०	राजा बाजार (टाईप–4)	वही	35.30
एस–IV/209	आर०के०पुरम (टाईप 2)	वही	शून्य
14. 9–डी०	फायर ब्रिगेड लेन (टी–5)	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी	216.40
15. 11–डी०	वही	वही	251.00
16. 1–बी० .	मौलाना आज़ाद रोड़ (टाईप–8)	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	2212.00
कुल .			62,567.69

निम्नलिखित के द्वारा पहले खाली किये गये वास के बारे में बकाया देय :—

(क) अविभाजित कांग्रेस पार्टी	26,052.50
(ख) सोशलिस्ट पार्टी	2,421.37
कुल जोड़	91,041.56

विवरण

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम
1.	दी दक्कन शुगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०, समालकोट, जिला पूर्वी गोदावरी।
2.	दी थानदावे कोआपरेटिव शूगरस लि०, पयाकारवापोटा, जिला विशाखापतनम।
3.	दी आन्ध्रा शुगर लि०, तनूकू, जिला गोदावरी।
4.	दी किरलामपुडी शुगर मिल्स लि०, पिथापेरम, जिला पूर्वी गोदावरी।
5.	वी० वी० शुगरस (दी जयपुर शुगर कम्पनी लि०), पो० आ० चागल्लू, जिला पश्चिमी गोदावरी।
6.	दी के० सी० पी० वूवरु, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश।
7.	दी चोदावरम कोआपरेटिव शुगरस लि०, चोदावरम, जिला विशाखापतनम।

क्रम संख्या	फैक्ट्री का नाम
8.	दी पालकोट कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सोसायटी लि०, पालकोट, जिला पश्चिमी गोदावरी।
9.	दी इतिकोप्पका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, इतिकोप्पका जिला विशाखापतनम।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि

6931. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विद्यमान चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मिलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों को उनके विस्तार के लिये दिये गये लाइसेंसों के बारे में बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

दादरा और नागर हवेली में उचित दर की दुकानें

6932. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर की दुकानों के माध्यम से दिये जाने वाले खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन दुकानों के माध्यम से वितरित होने वाली वस्तुओं में तेल दालें आदि आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही कब की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : दादरा तथा नागर हवेली प्रशासन ने सूचित किया है कि उचित मूल्य की दुकानों से फिलहाल चावल और गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : मौजूदा वितरण की प्रणाली के दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आवश्यक वस्तुओं जिनमें तेल, दालें आदि शामिल होंगी, के अधिक उत्पादन तथा वितरण की एक योजना सभी राज्य सरकारों को, भारत सरकार द्वारा उस पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्वउनके सुविचारित विचार जानने तथा सिफारिशें करने के लिये परिचालित की गई है।

मायापुरी, राजौरी गार्डन, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्य आय समूह के दोषपूर्ण फ्लैट

6933. **श्री मही लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मायापुरी (राजौरी गार्डन जी 8 क्षेत्र) के मध्य आय समूह के जिन फ्लैटों का आवंटियों ने कब्जा ले लिया या दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिकारियों ने कब्जे के 9 मास व्यतीत हो जाने के बाद भी उनके दोष दूर नहीं किये हैं और इन अधिकतर फ्लैटों का निर्माण अव्यवस्थित ढंग से हुआ है तथा उनमें पानी रिसने, प्लास्टर के उखड़ने, मल-निस्सारण व्यवस्था खराब होने, कमजोर एवं घटिया माल का उपयोग आदि जैसे दोष हैं;

(ख) क्या इन फ्लैटों को उचित ढंग से 'स्नोसेम' किये बिना ही निःसहाय आवंटियों को उनका कब्जा दिया गया और दिया जा रहा है और जिसके कारण ये नए फ्लैट भी जीर्ण एवं विरक्तिजनक दिखाई देते हैं;

(ग) क्या 'रेजीडेंट्स एसोसियेशन' ने सम्बद्ध कार्यकारी इंजीनियर को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अनेकों दोषों का उल्लेख किया गया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित स्थिति सही है तो उन दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जानी है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपयोग की गई सामग्री कुल मिलाकर कोटि की अपेक्षिताओं के अनुकूल है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार हैं। कार्य के एक भाग का कार्यपालक इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) द्वारा निरीक्षण किया गया है।

किसी अलाटी द्वारा मकान का कब्जा लिये जाने से पहले उसे मकान को देखने तथा कमियों की सूची देने के लिये काफी समय दिया जाता है। वास्तविक कब्जे/दखल से पहले ऐसी सभी कमियां दूर की जाती हैं।

ज्ञापन की उपयुक्त पावती तथा अनुपालन रिपोर्टें भेजी गई हैं। रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं तथा शिकायतों को शीघ्र दूर किया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी और रसायन शास्त्र विभाग में प्राध्यापकों की संख्या

6934. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक और रसायन शास्त्र विभाग में प्रोफेसरों/रीडरों/प्राध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात में कम है;

(ख) यदि हां, तो इन विभागों में प्रोफेसरों/रीडरों/प्राध्यापकों/ और छात्रों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है; और

(ग) ऐसे विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक और छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात निर्धारित किया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके भौतिकी और रसायन शास्त्र विभागों में, जो कि मुख्या रूप से अनुसंधान उन्मुख हैं और जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, शिक्षण कर्मचारियों की संख्या छात्रों की संख्या के असंगत नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विभागों के लिये भी तक कोई शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

6935. **श्री सूरज भान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि अनधिकृत निर्माणों की यही शर्तें रही तो राजधानी का क्षेत्र एक विशाल 'स्लम' (गन्दी बस्ती) बन जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अवांछनीय प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिसके कारण सरकार में जनता का विश्वास कम हो जाता है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) राजधानी में अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमण की समस्या को हल करने का हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय प्राधिकारियों को निरन्तर सतर्कता बरतने के लिये निदेश जारी कर दिये गये हैं। दिल्ली प्रशासन ने सरकारी भूमि पर सूचित अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों की स्थिति का जायज़ा लेने के लिये एक समिति की स्थापना की है। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस और दण्डनायकों की सहायता से निर्माणों को गिराने का अभियान आरम्भ करने के लिये समिति स्थानीय निकायों को निदेश जारी करती है। एक और समिति स्थापित की गई है जो दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को गिराने के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम का अनुमोदन करती है।

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्नाटक राज्य में सम्पन्न परियोजनाएं

6936. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्नाटक राज्य में कितनी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है; और

(ख) उस कार्य की प्रगति का ब्योरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दो परियोजनाएं।

(ख) 1. लगभग 7.48 लाख रु० की लागत का बंगलौर में न्यू गर्वमेंट इलेक्ट्रिक फैक्टरी के खंड में विस्तार करने के लिये रोटेटिंग मशीन डिवीजन का निर्माण। यह काम पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है।

2. विश्ववेसरई आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती के लिये फोर्ज शाप के आधार उपस्कर के लिये लगभग 76 लाख रु० के मूल्य का सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य। यह काम लगभग पूरा हो चुका है।

SYMPOSIUM ON VILLAGE DEVELOPMENT

6937. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) Whether a symposium on village development was held in Lok Bharati Institute, Sanosars in Bhavnagar district of Saurashtra in Gujarat on 9th and 10th March, 1978 and Minister of Agriculture and Irrigation was also present therein;

(b) If so, the nature of demand made to Government of India in this symposium ;

(c) The nature of demands to be sanctioned out of them indicating the time by which these demands would be sanctioned; and

(d) The number and categories of farmers and workers who participated in this symposium held at Sanosara ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir, but the Union Minister of Agriculture and Irrigation attended for a short while.

(b), (c) & (d) The required information is being collected and will be laid on the table of house as soon as possible.

गुजरात में कृषि और सिंचाई कार्यों के लिए धनराशि

6938. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने इस वर्ष कृषि और सिंचाई कार्यों के लिये अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि और सिंचाई कार्यों के लिये अधिक धनराशि देना स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक न होने के कारण गुजरात सरकार को धनराशि न उपलब्ध होने की वजह से तैयार की गई योजना में कटौती करनी पड़ेगी;

(घ) उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस वर्ष भी राज्य में मूंगफली के उत्पादन में पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ा है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : कृषि व सिंचाई सहित विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत राज्य योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सहायता द्वारा अनुपूरित राज्य सरकारों द्वारा अपने ही संसाधनों द्वारा किया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी एक विकास शीर्ष या योजना से संबंधित नहीं है। तथापि, कुछ चुनी हुई परियोजनाओं में के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिये, भारत सरकार अग्रिम योजना सहायता प्रदान करती रही है। 1977–78 के दौरान चुनी हुई मुख्य व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये गुजरात सरकार को अग्रिम योजना सहायता दी गई थी। 1978–79 के दौरान मुख्य व मध्यम परियोजनाओं के लिये अग्रिम योजना सहायता देने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) 1976–77 के समान ही 1977–78 के फसल वर्ष में भी, मूंगफली का उत्पादन 1975–76 के रिकार्ड उत्पादन की अपेक्षा कम होने की सूचना मिली है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में विश्वविद्यालय की स्थापना

6939. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और ;

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिये एक अलग विश्वविद्यालय की अभी तक आवश्यकता नहीं समझी गई है।

महाराष्ट्र में रतन गिरि और कोलाबा में सिंचाई परियोजनाएं

6940. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रतनगिरी और कोलाबा जिलों के क्षेत्रों की सिंचाई हेतु (1) बड़ी परियोजनाओं (2) मध्यम परियोजनाओं तथा (3) छोटी परियोजनाओं के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन दो जिलों में सिंचाई सुविधाओं के न होने के कारण बहुत सी भूमि में खेती नहीं हो पाती है और क्या केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई योजना के लिये क्षमता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके इन दो जिलों को गैर कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने का है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस समय कोलाबा जिले में एक बृहद, एक मध्यम और 23 लघु सिंचाई स्कीमें और रत्नागिरी जिले में एक मध्यम और 33 लघु सिंचाई स्कीमें निर्माणाधीन हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कोलाबा जिले में दो बृहद और 14 मध्यम सिंचाई स्कीमें तथा रत्नागिरी जिलेमें दो बृहद और 40 मध्यम सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बताया है कि 1978–79 में रत्नागिरी जिले में पांच मध्यम सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन जिलों में और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावहारिक सिंचाई स्कीमों का पता लगाने के लिये अन्वेषण और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड ने रत्नागिरि और तटवर्ती कोलाबा जिले में प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम हाथ में लिया है और अनुमान लगाया है कि इन जिलों में इस समय जितने भूगत जल का उपयोग किया जा रहा है, उसे हिसाब में लेने के बाद; रत्नागिरि जिले में 1502 मिलियन घन मीटर और कोलाबा जिले में 544 मिलियन घन मीटर भूगत जल साधन और आगे विकास के लिये उपलब्ध हैं।

नये चीनी कारखानों की स्थापना तथा वर्तमान क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन योजना

6941. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये चीनी कारखानों की स्थापना तथा वर्तमान क्षेत्र में विस्तार हेतु प्रोत्साहन योजना के विस्तार के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस बारे में अन्य ब्योरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

HISTORICAL FORT IN BAHADURPURA (NANDED)

†6942SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) Whether a historic fort exists in Bahadurpura village of Bunghar Taluka in District Nanded of Maharashtra State ;

(b) If so, the arrangement made for its maintenance ;

(c) Whether there is a public demand for repair and maintenance of this fort keeping in view its historical improtance; and

(d) If so, the nature of assistance being provided by the Government and if no assistance is given; the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER (a) Yes, Sir.

(b) The fort is being maintained by the Government of Maharashtra.

(c) The Central Government is not aware of any such public demand.

(d) Does not arise.

STARVATION DEATHS

4943 SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) The number of starvation deaths during the last three years;

(b) The State-wise break-up thereof; and

(c) The action being taken by Government of deal with such situation and the details of assistance and advice given to the States to deal with such situation ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) & (b) : No report of any starvation death during the last three years has so far been received from any state Government.

(c) Apart from the basic policy of the Government to increase agriculture production and generate rural employment, being implemented through various schemes, the State Govt. have been given margin money in accordance with the recommendations of the Sixth Finance Commission to deal with scarcity conditions. Besides, the present Government has been offiering foodgrains free of cost to the State Governments affected by natural calamities, for supplementing the state Government's programme of gratuitous relief to those who cannot be given employment in the affected areas. Another important scheme initiated recently is the Food for work scheme under which the Government of India makes foodgrains available free of cost to the the State Governments to be used for increasing the employment and for supplying gains to the workers at lower prices.

टेनिमेंटों में रहने वालों को उनकी बिक्री के बारे में मुकुन्दनगर, पुणे के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

6944. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1977 के पहले सप्ताह में उन्होंने मुकुन्दनगर, पुणे (महाराष्ट्र) स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बाढ़ग्रस्त बस्ती का दौरा किया था और इस बस्ती के चेयरमैन ने क्वार्टरों को उनमें रहने वाले कर्मचारियों को बेच देने के बारे में अपनी मांगों का एक ज्ञापन मंत्री महोदय को दिया था;

(ख) सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : बाढ़ ग्रस्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ से दिनांक 4-12-1977 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने क्वार्टरों की बिक्री की शर्तों में छूट देने के लिये अनुरोध किया है। पुणे में मुकुन्दनगर के क्वार्टर वास्तविक दखलकारों को बेचने का विशेष मामले के रूप में, निर्णय लिया गया था और उन क्वार्टरों की बिक्री का शर्तों पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है। बिक्री की शर्तों में छूट देना संभव नहीं है।

दिल्ली में नई कालोनियों में मूल सुविधाएं

6945. **श्री राज केशर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 25 मार्च, 1978 के 'नेशनल हेरल्ड' में 'एक्शन थ्रेट बाई न्यू कालोनीज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन नई कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क), (ख) तथा (ग) : जी, हां। सभी पुनर्वास कालोनियों में सड़क की रोशनी, पेय जल, सार्वजनिक शौचालयों, सड़कों और गलियों जैसी सामाजिक सुविधाएं पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। टैंटों में लगाए जा रहे स्कूलों को पक्के भवनों में बदला जा रहा है, और कुछ कालोनियों में भवन पहले ही बनाये जा चुके हैं, कई पुनर्वास कालोनियों में सामुदायिक औद्योगिक शैडों के निर्माण के लिये दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। मौजूदा झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कालोनियां दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

HINDI ADVISORY COMMITTEE, MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

6946. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) Whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry ; and

(b) If so, the name of Members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

THE MINISTER OF STATE OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) (a) Yes Sir,

(b) List of members of the Hindi Salahkar Samiti is enclosed. Two members were nominated on the recommendation of the Official Language Department. Their names are as under :—

(1) Shri Shambhu Nath Saxena,
Editor- ' NIRANJAN' -Daily
Newspaper, Gwalior.

(2) Shri Sudhakar Dwivedi.
Joint Secretary,
Department of Official Language
New Delhi.

List of the Members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Works, Housing, Supply and Rehabilitation,

1.	Minister (W. H. S. & R.)	Chairman
2.	State Minister (W. H. S. & R.)	Vice Chairman
3.	Secretary (Supply & Rehabilitation)	Member
4.	Secretary (Works & Housing)	Member
5.	Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India	Member
6.	Joint Secretary (Chairman of OLIC) Department of Supply..	Member
7.	Financial Adviser, Deptt. of Supply..	Member.
8.	Joint Secretary (Chairman of OLIC) Deptt. of Rehabilitation.	Membaer
9.	Joint Secretary (Admn.) Works & Housing.	Member
10.	Joint Secretary (Works) Works & Housing.	Member
11.	Joint Secretary (Finance) Works & Housing.	Member
12.	Director General, C. P. W. D.	Member
13.	Vice Chairman, D D. A.	Member
14.	Joint Secretary, Deptt. of O. L.	Member
15.	Director General, Supplies & Disposals	Member
16.	Chief Controller of Accounts, Deptt. of Supply.	Member
17.	Director, N. T. H. Calcutta.	Member
18.	Chief Settlement Commissioner, Deptt. of Rehabilitation.	Member
19.	Director, Depptt. of Supply.	Member Secretary
	Member of Parliament	
20.	Shri Raj Krishana Dann	Lok Sabha
21.	Shri Ram Deni Ram	Lok Sabha
22.	Shri Guna Nand Thakur	Rajya Sabha
23.	Shri Narendera Singh	Rajya Sabha

Representative of Organisations

24. Chairman of Kendriya Sachivalya Hindi Parishad. . . . Member
25. Dr. Vishwanath Iyyer, Head of Hindi Dep't. Cochin University. . Member
26. Smt. Sunti Devi Dhanwate, Dy. Chairman Rashtra Bhasha Parchar Samiti, Nagpur. . . . . Member
27. Sh. Shambhu Prasad Saxena, Editor. 'NIRANJAN' Gwaloir. . Member
28. Sh. Anand Prakash Singh, Co-Editor. 'SARIKA' Bombay. . . Member

TRADE REPRESENTATIVES

29. Sh. S. V. Todi, Bombay. . . . . Member
30. Sh. R. L. Maheshwari, Chairman, Indian Chamber of Commerce, Member

DEMOLITION OF UNAUTHORISED STRUCTURES IN DELHI

6947. SHRI UGRASEN
SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABLITATION be pleased to state :

(a) Whether unauthorised constructions have again come up at a place in Gali Kundewalan which was demolished in 1972. ;

(b) Whether the said unauthorised constructions have been raised by the persons who are not even owners of the land ;

(c) Whether a large number of complaints have been received by the concerned authorities about the said constructions and some Members of Parliament have also written to the Mayor and the Director of Vigilance in this regard but the constructions have not been demolished so far; and

(d) If so, the reasons for which the concerned officers are showing indifference and negligence in the matter of demolishing them and the time by which the same will be done ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The premises number in respect of which the question relates has not been given. However, in premises No. 770/VIII Gali Kundewalan where unathorised construction was demolished in March, 1973, fresh unathorised construction has been carried out.

(b) A stay order, in this case, has been obtained by one Shri Kanahaya Lal. As per the House Tax record, the owner's name is Shri Hari Ram .

(c) and (d) It is correct that complaints have been received in this case. Action under Sections 343 and 344 of the DMC Act has been initiated and the due process of law as regards service of notices etc. have been completed. Demolition was also attempted on 16th February, 1978 when the premises was found locked. Notice for lock-breaking as per law has been issued. The party however, obtained a stay order from the court on 10th March, 1978 Further action in this case will be taken after the case is decided by the Court.

गढ़ी सुरवाया जिला की मरम्मत के लिये मंजूर की गई राशि

6948. **श्री राघवजी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़ी सुरवाया, जिला शिवपुरी की विशेष मरम्मत के लिये 1976–77 में कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है;

(ग) क्या वसूल की जाने वाली सामग्री के वास्तविक संसाधनों की दूरी और क्रमशः राजों तथा पुरुष कुलियों को दी जाने वाली मंजूरी को देखते हुए सामग्री की दरें तथा मजदूरी खर्च मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दरों के समान है; और

(घ) सी० आर० चिनाई के निष्पादन की दर क्या है और यदि इस वस्तु को मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से विश्लेषित किया जाये तो इसका अन्तर कितना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) और (ख) : 1975–76 के दौरान गढ़ी सुरवाया, जिला शिवपुरी के लिये रु० 3,36,540 की धनराशि का एक विशेष मरम्मत अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया। इस अनुमानित व्यय में से 1976–77 में रु० 1,91,714.33 और 1977–78 में रु० 78,726.80 फरवरी, 1978 तक कुल रु० 2,70,441.13 खर्च किये गये।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा प्रेस प्रचार के बाद टेंडर की निम्नतम दरों पर सामान खरीदा गया। राजगीरों और पुरुष कुलियों को दी गई मजदूरी कलैक्टर की अनुमोदित मजदूरी की दरों पर आधारित है;

(घ) सी० आर० राजगीरी के काम में वास्तविक विभागीय कार्यान्वियन की दरें प्रति घन मीटर रु० 253.55 आती हैं। पुरातत्वीय संरक्षण का काम एक अत्याधिक विशेषज्ञता का विषय होने के कारण लोक निर्माण विभाग के कार्य से भिन्न है। प्राचीन स्मारकों की मरम्मतों के लिये अनुमानित व्यय वास्तविक कार्यान्वियन पर आधारित दरों का विश्लेषण करके तैयार किये जाते हैं। तदनुसार मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दरों की तालिका से इन दरों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

1978-79 मौसम (सीजन) के लिये वसूली तथा मूल्यों के बारे में मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों की बैठक

6949. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री रामधारी शास्त्री : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978–79 सीजन के लिये वसूली तथा मूल्यों के बारे में विचार विमर्श करने के लिये हाल ही में मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने रबी सीजन में गेहूं के लिये अधिक समर्थन मूल्य की मांग की है; और

(ग) बैठक की कार्यवाही तथा निष्कर्षों का ब्योरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख):जी हां

(ग) : इस संबंध ने कृषि तथा सिंचाई मंत्री ने लोक सभा में 12 अप्रैल, 1978 को एक वक्तव्य दे दिया है।

"हुडको" द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सहायता

6950. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हुडको' ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये विजय नगर, गाजियाबाद में मकान बनाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) हुडको ने विजय नगर गाजियाबाद में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये 500 मकानों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी। सभी 500 मकान मार्च, 1976 में पूरे हो गये । मकानों के ब्योरे इस प्रकार हैं :—

ब्योरे	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-I	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-II
प्लाट का क्षेत्र (वर्ग मी०)	38	38
कुरसी क्षेत्र (वर्ग मी०)	21	21
प्रति रिहायशी मकान की कुल लागत (जिस में भूमि की लागत शामिल है) (रुपये)	7115	9030
तत्काल बिक्री के आधार पर प्रति रिहायशी मकान का बिक्री मूल्य (रुपये)	6800	8725
किस्तों के आधार पर बेचने के लिये :—		
प्रथम किस्त (रुपये)	1360	1745
बाद की किस्त (अर्द्ध वार्षिक) (रुपये)	391.50	502.30
वसूली की अवधि (वर्ष)	10	10
निपटान की प्रणाली :—		
सीधी बिक्री के आधार पर	45	30
किस्तें	267	158
कुल	312	188

IRRIGATION SCHEMES SANCTIONED FOR GUJARAT

†6951. SHRI AMARSINH V. RATHAWAS. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) The number and names of new irrigation schemes sanctioned recently for Gujarat and the details thereof ;

(b) The amount sanctioned for each of the approved schemes ;

(c) The number of schemes, out of them , for Adivasi areas of Gujarat and the area of land, the hectares, to be irrigated there by; and

(d) The names of the schemes among those sanctioned for Gujarat which have been accorded priority and the reasons there for together with the details there of ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) Two major and two medium irrigation schemes of Gujarat have been approved by the Planning Commission since April, 1977. The details in respect of their cost benefits and outlays envissaged by the State Government in their Annual Plan 1978-79 , are given below:—

Name of the Scheme	Estimated cost (Rs. Lakhs)	Benefits ('000' ha.)	Outlay during 1978-79 (Rs. Lakhs)
MAJOR			
Karjan	3720 ·00	61 ·97	200 ·00
Heran	2526 ·00	36 ·42	150 ·00
MEDIUM			
Kalubahar	313 ·48	3 ·93	75 ·00
Kabutari	113 ·55	1 ·75	25 ·00

Of the above, Karjan, Heran and Kabutari would benefit tribal areas of the State.

(d) The Government of Gujarat have reported that highest priority is given by them to the schemes located in Adivasi areas, both in respect of planning and in their implementation. They have further reported that medium and minor irrigation schemes serving Tribal areas are covered under the fold of a separate Tribal Sub-Plan which draws funds from the respective principal sectors. The idea is to see that the funds earmarked for Tribal areas are not diverted for other areas. The State Government have, however, informed us that the Tribal Sub-Plan does not cover major projects in Tribal areas. The schemes which are reported to be on their way to completion are Uka andi Kadana.

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का संशोधन

6952. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन के बारे में 30 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रकाशकों, उद्योगों, पुस्तकालयों, राज्यों एवं व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको प्रस्ताव भेजे गये थे;

(ख) प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का वर्तमान गठन क्या हैं और उसके निर्देश पद क्या क्या हैं; और

(ग) संशोधनों के मसौदे को संसद् में पुरःस्थापन करने के लिये कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) **और** (ख) : सूचना देने वाले विवरण क्रमशः अनुबन्ध I और II में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 2111/78]

(ग) : संशोधन संबंधी प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किये जाने की आशा है। मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा और संसद में पेश किया जाएगा।

पीतमपुरा रिहायशी योजना, नई दिल्ली में निर्माण गतिविधियाँ

6953. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा रिहायशी योजना, दिल्ली में प्लाट धारियों ने अपने प्लाटों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां ट्रकों के लिये सड़कों का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है जिससे कि ट्रक इमारती सामान पहुंचाने के लिये आसानी से प्लाटों तक पहुंच सकें; यदि हां, तो सड़कों को सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार है चूंकि सड़कों के लिये 2 वर्ष पूर्व लगाए गए चिह्न नष्ट हो गये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां बिजली का भी कोई प्रबन्ध नहीं और उसके कारण अपने मकानों का निर्माण करने वाले लोगों को फर्श आदि को पालिश करने के लिये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; यदि हां, तो उन्हें बिजली के कम से कम अस्थाई कनेक्शन देने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। चरण–I तक सड़क का काम पूरा हो गया है सिवाय पाकेट के० और टी० के जहां केवल तारकोल बिछाने का काम पूरा हुआ है। चरण–II का कार्य के 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही आरम्भ किया जायेगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के पास आवश्यक धनराशि जमा कर दी है। इस संस्थान को आशा है कि चार पाकेटों में बिजली लगाने का कार्य एक वर्ष में पूरा हो जायेगा। इस संस्थान ने सूचित किया है कि चूंकि पीतमपूरा रिहायशी योजना क्षेत्र में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है इसलिये निर्माण कार्यों और अन्य प्रयोजनों के लिये अस्थाई कनेक्शन की मंजूरी देना तकनीकी तौर पर व्यवहार्य नहीं है। तथापि, उन प्लाटधारियों को कुछ अस्थाई कनेक्शनों की अनुमति दे दी गई है जिनके प्लाट एसी कालोनियों के समीप हैं जहां बिजली की व्यवस्था है। अस्थाई कनेक्शन विशिष्ट अनुरोध करने पर और सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर तथा तकनीकी व्यवहायरता के अनुसार दिये जाते हैं।

MUSTARD PRODUCTION

6954. SHRI SURENDRA JHA SUMAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the shortfall in mustard production in the country last year as against the requirement of edible oils;

(b) whether in view of the above shortage, the farmers have gone in for lagre scale cultivation of mustard to boost its production and the additional area of land brought under mustard cultivation this year as compared to that of last year and the extent of increase in the production thereof; and

(c) the impact thereof on market prices and how far the price trend has proved to be favourable?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The production of rapeseed mustard during last year i.e. 1976-77 was 15·62 lakh tonnes. Since no comprehensive and scentific survey of consumption pattern of edible oils has been conducted in the country, it is difficult to give a precise idea of the shortfall in mustard production against the requirement of edible oils.

(b) Sowings of rapeseed and mustard during 1977-78 were taken more or less under favourable weather conditions. Firm estimates of area and production will be available after the close of the agriculture year i.e. sometime in July-August, 1978. However, it is expected that both area and production will show improvement during 1977-78 as compared to 1976-77.

(c) The current prices of rapeseed and mustard have declined as compared to last year at all the important centres. At the end of March, 1978, the wholesale prices of rapeseed and mustard at Rs. 253/-Rohtak (sarson), Rs. 335/- at Kanpur (Yellow) and Rs. 290/- at Delhi (Laha) per quintal were lower by Rs. 47/-, Rs. 30/- and Rs. 30/- per quintal respectively as compared to the prices of the corserponding period last year at these centres. The index number of wholesale prices of rapeseed and mustard which stood at 211 at the end of March, 1977 declined to 189·5 at the end of March, 1978 showing a fall of 10·2%.

CENTRAL AID TO RAJASTHAN FOR DEVELOPMENT OF ROADS IN AREAS OF AGRICULTURAL PRODUCE MARKET

6955. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Rajasthan Government have asked for assistance from Government of India for the implementation of a master plan for the development of roads in area having agricultural produce markets;

(b) If so, the details thereof; and

(c) whether Government have taken a decision to provide assistance and if so, when and if not, the rasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Does not arise.

PROPOSALS FOR IRRIGATION SCHEME IN BETUL DISTRICT

*6956. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of proposals sent by Madhya Pradesh Government for irrigation schemes in Betul district;

(b) the names of these irrigation schemes;

(c) the expenditure to be incurred on these irrigation schemes; and

(d) whether Central Government have since accorded approval on the irrigation schemes of Betul distt. sent by the Government of Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d) Two medium schemes for Betul District were recived from the Government of Madhya Pradesh during the Fifth plan Period. Their names and estimated costs are given below:-

Name of Scheme	Estimated cost (Rs. Lakhs)
1. Bichhua-latia	244.20
2. Sonkhedi tank project	65.48

Sonkhedi Tank Project was approved by the Planning Commission in February, 1977. Clearance of Bichhua-Latia Project has not been yet finalised.

SUGAR ALLOTTED TO RAJASTHAN, UTTAR PRADESH. M. P., AND BIHAR FROM 1975-76 TO 1977-78

6957. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the quota of sugar allotted by the Centre to Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 for distribution in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): The monthly levy Sugar quotas are allotted to the State Governments on month to month basis and for the State as a whole. No separate quotas for urban and rural areas are allotted. The monthly sugar quotas allotted to Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar Governments during the sugar years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 (upto April 1978) are as under:-

Sugar Year (October-September)	Quantity of monthly quota (in tonnes)			
	Rajasthan	Uttar Pradesh	Madhya Pradesh	Bihar
1975-76				
1. Oct. 1975-Dec. 1975 .	10,219	28,581	13,833	18,240
2. Jan 1976- Sept. 1976 . .	8,520	28,433	13,833	18,240
1076-77				
3. Oct. 1976- Sept. 1977 .	8,520	28,433	13,833	18,240
1977-78				
4. Oct. and Nov. 1977 . . .	8,520	28,433	13,833	18,240
5. Dec. 1977-April 1978 . . .	12,757	41,761	20,825	26,929

2. Prior to Nobemver, 1977, the State Governments were fixing the Scale of distribution for levy sugar both for urban and rural areas having regard to the local conditions, dietary habits of the people etc. subject to the general guideline that no individual should get more than 1 kg. per month and no family less than 1 kg. per month. From December 1977, the State-wise quotas have been refixed on the basis of 425 grams of per capita availability for the projected population as on 1-4-1978 and the State Governments have been advised to treat urban and rural population in a similar manner for distribution of levy Sugar. Some of the State Governments Who have expressed the desire to continue the existing higher scale for sugar distribution in urban areas, have been advised to make arrangements for introducing similar scales for urban and rural population in a phased manner and at an early date.

सोवियत संघ द्वारा विकसित अधिक उपज वाले गेहूं की किस्म को भारत को देने का प्रस्ताव

6958. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने अधिक उपज वाली गेहूं की किस्म का विकास किया है और उसे बीज तैयार करने के परीक्षण के लिये भारत को देने का प्रस्ताव किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सोवियत संघ ने प्रजनन परीक्षणों के लिये अधिक उपज देने वाली किसी किस्म को देने का प्रस्ताव नहीं किया है।

उच्च शिक्षा का भारतीयकरण

6959. श्री जी० एम
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जीवन पद्धति इतिहास, संस्कृति और आवश्यकताओं का उच्च शिक्षा में समावेश कर उसका भारतीयकरण करने का है;

(ख) क्या सामाजिक आवश्यकताओं तथा रोजगार के अवसरों के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए दाखिले नियमित करने का भी सरकार का विचार है ; और

(ग) तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की आशा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क), (ख) और (ग) : अगली योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नीति में, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, विकास की संकल्पनाएं तथा प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक पद्धति इत्यादि जैसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करने के उद्देश्य से बुनियादी पाठ्यक्रमों का एक सैट शामिल करने हेतु अवर स्नातक पाठयक्रमों को पुनर्गठित करने की अभिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालयों में भीड़ को कम करने के लिये उच्च तर माध्यमिक स्तर पर कारगर व्यावसायीकरण, चयनात्मक दाखिले, कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर, अनौपचारिक माध्यमों के जरिए सुविधाओं का विस्तार इत्यादि के सुझाव भी इस नीति में दिए गए हैं। अगली योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले विस्तृत कार्यक्रम आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

पिछड़ी जातियों के छात्रों का दाखिला

6960. **श्री के० प्रधानी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसे निदेश जारी किए हैं कि पिछड़ी जातियों के ऐसे छात्र जिनकी सभी स्त्रोतों को मिलाकर पारिवारिक आय प्रति वर्ष 10,000 रुपए अथवा इस से कम है, वे व्यवसायिक संस्थानों तथा अन्य तकनीकी कालिजों और संस्थानों सहित ऐसे शिक्षा संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिलती हो, में दाखिला लेने के लिए विशेष व्यवहार पाने के हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विशेष व्यवहार के लिए विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

भूतपूर्व संसद सदस्यों के विरुद्ध मकान खाली कराने की कार्यवाही

6961. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री भूतपूर्व संसद् सदस्यों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के बारे में 27 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः भूतपूर्व संसद् सदस्यों के विरुद्ध मकान खाली कराने की कार्यवाही में और आगे कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अपने अनधिकृत कब्जे के दौरान प्रत्येक ने कितना-कितना किराया अदा किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) छः भूतपूर्व संसद् सदस्यों के वास में से, एक खाली करवा लिया गया है। उनमें से, एक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और उसे रोकादेश मिल गये हैं। सरकारी वास को शेष चार भूतपूर्व संसद् सदस्यों से खाली करवाने के प्रयास जारी हैं। प्रत्येक छः भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा दिये गये कराये का एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	भूतपूर्व संसद् सदस्य का नाम	देय राशि	अदा की गई राशि	शेष
1	2	3	4	5
	सर्वश्री	रुपये	रुपये	रुपये
1.	एस० एस० मोहपात्र	15,990.59	10,191.99	5,798.60
2.	एस० एम० बनर्जी	10,794.05	7,612.17	3,181.88
3.	शंकर वी० गिरि	13495.39	5,212.88	8,282.51
4.	जामवन्त धोते	16,882.21	शून्य	16,882.21
5.	कार्तिक ओरयन	13,948.47	शून्य	13948.47
6.	तुल मोहन राम	22,338.92	शून्य	22,338.92

GRANTS FOR CARRYING OUT REPAIRS OF TEMPLES, TANKS AND PONDS OF HISTORICAL IMPORTANCES

†6962. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state;

(a) whether Central Government give some grant to State Governments for carrying out repairs to temples, tanks, ponds of historical importance and her places worth seeing in order to protect them from destruction;

(b) if so, the amount of the grant received by Bihar Government during the last two years; and

(c) whether Bodh Gaya also received any grant from Central Government and if so the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. However, the Department of Tourism, Government of India have released to the State Government a sum of Rs. 19·54 lakhs for the acquisition of land measuring 21·56 acres around Bodh Gaya temple.

RESERVATION OF POSTS FOR HANDICAPPED

6963. SHRI Y. P. SHASTRI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Central Government have decided to reserve 8 per cent posts for the handicapped persons in Central Services;

(b) whether Central Government also propose to take a decision to reserve 3 percent First and Second Class posts for the handicapped persons and if so, when and if not, the reasons therefor; and

(c) whether Central Government would request State Governments for making such a reservation and if so, the time by whch it would be done?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Government have decided to reserve 3% of group 'C' and group 'D' posts for the handicapped.

(b) The Government proposes to watch the implementation of 3 percent reservation in groups 'C' and 'D' before considering further steps.

(c) State Governments have already been requested to reserve vacancies for the physically handicapped. While the matter is being pursued, the dae by which such reservations will be made will depend on the State Governments.

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता

6964. श्री के० लकप्पा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आमंत्रित किया है ;

(ख) क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाला और विवादस्पद संगठन है तथा एक अर्धसैनिक संगठन है ;

(ग) क्या प्रोढ़ साक्षरता कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को शामिल करना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आर्थिक सहायता देने और साम्प्रदायिक प्रचार को फैलाने में राज्य का संरक्षण देने के तुल्य नहीं होगा ;

(घ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां में है तो क्या वह प्रोढ़ साक्षरता कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को शामिल न करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) : सरकार ने 2 अक्तूबर, 1978 से एक व्यापक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय किया है, जिसमें 15—35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ की सारी निरक्षर जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। इतना बड़ा कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों को शामिल किए बिना सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। इसी कारण संसद् के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और व्यापार, उद्योग और नियोक्ताओं अध्यापकों, छात्रों, युवकों, मजदूर संघों और स्वेच्छिक एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत संगठनों को उनके राजनीतिक संबंधन का ध्यान किए बिना, इन बैठकों में आमंत्रित किया गया था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उनमें से एक था।

भाग लेने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर, उनके प्रस्तावों के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

6965. **श्री सौगत राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार को श्री ए० सी० गुहा की अध्यक्षता में गठित पश्चिम बंगाल म पुनर्वास कार्य संबंधी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या सरकार ने गुहा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान सरकार का विचार उन्हें क्रियान्वित करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) : जी, हां।

(ख) पुनर्विलोकन समिति ने कुल 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिनमें से श्री ए० सी० गुहा ने अध्यक्ष के रूप में 11 रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। इनमें से, 4 रिपोर्टें समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत की गई थीं क्योंकि उन रिपोर्टों का संबंध उस विभाग से था। पुनर्वास विभाग से संबंधित शेष 7 रिपोर्टें में से एक रिपोर्ट का संबंध पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को ऋणों की माफी और उस भूमि के लिए अधिकार तथा स्वामित्व प्रदान करने से था जो उनके कब्जे में थी। उसमें दी गई सिफारिशों अधिकांशत: भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं। टाइप ऋणों की माफी में उदारता बरतने और अधिकार तथा स्वामित्व प्रदान करने के बारे में वर्ष 1974 में पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए थे। श्री ए० सी० गुहा द्वारा प्रस्तुत की गई शेष 6 रिपोर्टें आवश्यक कार्यवाही के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दी गई थीं क्योंकि यह विचार किया गया था कि ऋणों की माफी और बिना लागत के भूमि के अधिकार तथा स्वामित्व प्रदान करने के बाद पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को शरणार्थी नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उन्हें राज्य की सामान्य जनता का ही अंग माना जाना

चाहिए। तथापि, जुलाई, 1975 में भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के संबंध में स्थापित किए गए कार्यकारी दल ने उन रिपोर्टों पर विचार किया था। इस संबंध में पहले व्यक्त किए गए मत का दल ने समर्थन किया और यह महसूस किया कि इस अवस्था में, मुर्गी पालन, मत्स्य, औद्योगिक सम्पदाएं, रेशम उत्पादन आदि जैसी योजनाओं पर, जिनके माध्यम से पुनर्वास प्रदान करने की पुर्नविलोकन समिति द्वारा सिफारिश की गई है, केवल विस्थापित व्यक्तियों के लाभ की दृष्टि से विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग प्रायः राज्य की सामान्य जन संख्या में घुल मिल गए हैं।

(ग) वर्तमान सरकार द्वारा इन रिपोर्टों के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

MANGO PRODUCTION AND EXPORT

6966. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the State-wise, break-up, of mango production for the past two yeras ;

(b) the schemes being contemplated by Government to increase mango production ; and

(c) the States where mango is cultivated in abundance at present and the policy laid down in regard to the export thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) No systematic survey has been made on the Statewise production of mango in the country. As such, the figures for the past two years are not available. However, ad-hoc estimates compiled by Indian Council of Agricultural Research in 1975 are as follows :

State	Production ('000 tonnes)
1	2
Andhra Pradesh	1694·3
Assam	25·2
Bihar	1153·6
Gujarat	220·1
Haryana	33·6
Karnataka	243·6
Kerala	486·7
Madhya Pradesh	201·4
Maharashtra	130·5
Orissa	559·3
Punjab	25.1
Tamil Nadu	371·2
Uttar Pradesh	2987.0
West Bengal	675·7
Others	117·5
TOTAL	8925·3

(b) During the V Five Year Plan a Centrally Sponsored Scheme of Package Programme on Mango was launched in the States of Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal with an outlay of Rs. 35·02 lakhs. The scheme provides for staff and laying out of demonstra-ions on proper agronomic practices and plant protection measures.

(c) The States where mango is cultivated in abundance are Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar and West Bengal. In terms of current policy, the exports of mangoes are allowed freely without any quantitative restriction. Shipment of mangoes is however, allowed only if :

(a) Irrevocable letter of credit has been opened by the foreign buver cover ing 100% of the F.O.B. value of the consignment ; or

(b) Advance payment has been received provided that

(i) The advance payment has been received againts a specific export order and covers 100% of the F.O.B. value of the consignment and

(ii) Advance payment has been received through an authorised dealer in foreign exchange.

CAPITAL IN STOCK OF FOODGRAINS

6967. DR. RAMJI SINGH :
SHRI YASHWANT BOROLE : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government capital worth about Rs. 2,000 crores is blocked in foodstocks ; and

(b) whether food stocks are likely to increase in the coming years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b) An investment of about Rs. 1930 crores (provisional) has been made on the stocks of food grains etc. held by Food Corporation of India as on 31st March, 1978. The investment made on the stocks of foodgrains is in pursuance of the decision to maintain a buffer stock of 12 million tonnes over and above the operational stocks ranging between 3·5 to 8·8 million tonnes of stocks on different dates in the year. The increase or decrease in the stocks of foodgrains will depend upon likely production and consumption trend in the years to come, which in themselves dependent upon a number of variable factors. It is, therefore, difficult to predict whether the stocks in the coming years will increase or decrease.

INCREASE IN SUGAR PRICE DUE TO LESS RELEASE OF LEVY SUGAR QUOTA

6968. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the price of Sugar has increased by Rs. 60 to Rs. 70 per quintal and the consumers are getting sugar at the increased rate as a result of Govern-

ment's decision to release less quota of levy sugar in the sugar market during the next two months i.e. April and May, 1978 ;

(b) whether the traders often take advantage of its uncertainty on the part of Government causing heavy economic burden on the consumers ; and

(c) if so, whether Government propose to review or streamline their levy sugar release system so that price of sugar does not increase in market suddenly and the consumers may not have to pay more ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) to (c) : The monthly release of levy sugar for allocation to the State Governments was stepped up from 2·05 lakh tonnes to 2·71 lakh tonnes for December, 1977 and since then it has been maintained at the said level. Thus, for the month of April, 1978, 2·71 lakh tonnes of levy sugar has already been released and for the next month of May the release of a similar quantity has been announced on 12-4-1978.

2. There are changes in the prices of sugar in open market on account of variety of reasons such as fluctuations in demand from time to time, availability of other sweetening agents viz. gur and khandsari, trend of production etc. In the important markets of Delhi, Kanpur, Calcutta, Bombay and Madras, the wholesale prices of sugar which were ruling in the range of Rs. 376/- to Rs. 395/- per quintal as the close of December, 1977 and which declined to the low level of Rs. 305/- to Rs. 348/- per quintal at the close of Feb. 1978, have again partially recovered and were ruling within the range of Rs. 330/- to Rs. 360/- per quintal as on 7-4-1978. These prices are lower by about Rs. 65/- to Rs. 70/- per quintal as compared to the prices prevailing on the same date last year.

3. The Govt. are maintaining a close watch on price trends and with a view to keep the prices in open market at reasonable levels, the releases of free sale sugar have also been stepped up. Thus, the quantum of free sale quotas released for the first eight months of the sugar year 1977-78 i.e. Oct., 1977 to May, 1978 is 8·90 lakh tonnes as against 7·95 lakh tonnes released for the corresponding period during 1976-77.

उड़ीसा में बालासौर में झींगा मछली पालन फार्म (प्रांन कल्चर फार्म)

6969. **श्री बैरागी जैना :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बालासौर जिले में इरचुडी में झींगा मछली पालन फार्म स्थापित करने की कोई योजना भेजी है :

(ख) उस योजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) : जी हां।

(ख) योजना की अनुमानित लागत 12,33,280 रुपये है।

(ग) भारत सरकार ने इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है और उड़ीसा के बालासौर जिले में इरचुड़ी में झींगा मछली पालन फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के लिए मंजूरी भेज दी है।

PROCUREMENT PRICE OF WHEAT AND RICE AND PRICES CHARGED FROM FAIR PRICE SHOPS

6970. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether information in tabular form will be given regarding Government's procurement price of wheat and rice and prices charged there for from Fair Price shops and the prices charged by Fair Price shops from consumers, year-wise during last three years ;

(b) amount of money which is spent on administration and the portion which is considered as profit of Government or of fair price shop or the one which forms the sales tax out of the amount of difference between Government's procurement price and consumer price ;

(c) amount of money spent by Government on storage of wheat and rice after their purchase and on taking them to consumers through fair price shops year-wise during last three years ;

(d) the amount of net profit or loss in this connection ; and

(e) if loss has been incurred, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) The procurement prices of wheat and rice during the last three years are indicated in the statement attached as Annexure I.

The ex-FCI depot issue price is uniform throughout the country. The issue price of wheat for the last three years is Rs. 125 per quintal and of rice as follows :

Coarse	Rs. 135/- per quintal
Medium	Rs. 150/- per quintal
Fine	Rs. 162/- per quintal
Super fine	Rs. 172/- per quintal

The State Government add their handling and transport charges, local taxes, retailer margins etc. to the ex-FCI depot issue price before the food grains are supplied to the consumers. These charges vary from State to State and in some cases even within the State. According to the information available with the Department, the consumer prices charged by the Fair Price Shop dealers ranged from Rs. 129 to Rs. 155 per quintal in the case of wheat and Rs. 139 to Rs. 185 per quintal in the case of rice.

(b) The amount of money spent on administration consists of :

(i) Administrative charges paid to the procuring agencies ;

(ii) Administrative charges of the Food Corporation of India ;

(iii) Administrative charges of the state Governments after issue from the Food Corporation of India depots.

As regards (i) and (ii), the position is as follows :—

Rs. per quintal.

Administrative charges paid to procuring agencies	1975-76	1976-77	1977-78(R. E.)
Wheat	1·10	1·06	1·04
Rice	0·43	0·56	0·34

Administrative charges of Food Corporation of India (same for Wheat and Rice).

1975-76	1976-77	1977-78(R. E.)
2·67	2·76	2·65

The position regarding the administrative charges levied by the State Governments during the last three years is not readily available and will be clollected and placed on the Table of the Sabha.

The administrative charges are paid to the procuring agencies and the F.C.I. on actual cost basis. The margin paid to the fair price shops differs from State to State and includes an element of profit. It is, however, not feasible to indicate the quantum of element of profit included therein.

Purchase tax/Sales tax is levied either at the procurement stage or at the stage of sale to the consumers and the rate varies from State to State. The information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The amount of money spent on storage on wheat and rice (including element of storage, interest and transit and storage losses) for operational and buffer stocks is indicated below :—

Rs. per quintal

	1975-76	1976-77	1977-78(R. E.)
(i) Operational stock.	6·55	6·69	7·36
(ii) Buffer stock	21·63	19·99	22·75

The amount spent on storage (after issue from F.C.I. depot) forms a part of the handling charges of the State Governments and it is not feasible to indicate the amount of money spent at ths stage on storage element as such.

(d) & (e) The economic cost of foodgrains is worked out on the basis of actual procurement price and procurement and distribution incidentals incurred

by the F.C.I. The difference between the economic cost and the issue price is re-imbursed as subsidy to the F.C.I. The whole transaction is at cost basis and therefore the question of profit or loss does not arise.

STATMENT

PROCUREMENT PRICES OF RICE AND WHEAT

RICE (Coarse Variety) (Rs. per quintal)

Sl. No.	Name of State	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5
1.	Andhar Pradesh	121 ·00	118 ·00	123 ·00
2.	Bihar	125 ·00	215 ·00	—
3.	Haryana	127 ·00	126 ·00	131 ·00
4.	Madhya Pradesh	120 ·00	121 ·00	125 ·00
5.	Karnataka	121 ·00	121 ·00	
6.	Orissa	127 ·00	—	—
7.	Punjab	127 ·00	126 ·00	130 ·00
8.	Rajasthan	—	122 ·73	—
9.	Uttar Pradesh	117 ·00	117 ·00	123 ·00
10.	West Bengal	119 ·00	119 ·00	—

WHEAT (All varieties)

(Rs. in quintal)

Name of the state	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
In all states	105.00	105.00	110.00	112.50

CENTRAL SCHOOLS

†6971. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the names of the place in the country as a whole where new schools were opened by Central Schools Organisation (Kendriya Vidyalaya Sangathan) during the last three years ; and

(b) the number of new schools proposed to be opened further by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) (a) 58 Schools were opened at the following places : Ramagundam, Dinjan, Duliajan, Lokra, Amjher, Barauni No. 2, Bokaro No. 2, Dhanbad, Ghatsila, HEC Ranchi No. 2, Meghahatuburu, Jharoda Kalan, Lawrence Road, Faridabad No. 2. Gurgaon, Pinjore, Palampur, Yol Cantt., Akhnoor, Bidar, Kudremukh, Sambra, Cochin No. 2, Bairagarh, Bilaspur, Dewas, Gwalior No. 2, Jabalpur No. 2, Mhow, Sarani, Singrauli, Bombay, Happy Valley, Khurda Road, Amritsar Cantt., Faridkot Cantt.. Grdaspur Cantt., Jullundur Cantt. No. 2, Patiala,

Fatehnagar, Jodhpur, Zawar Mines (Udaipur), Gangtok, Aruvankadu, Karaikundi, Ootacamund, Allahabad New Cantt., Bongaigaon, Bangalore, Dariba Mines, Jammu Cantt., No. 2, Hardwar, Armapur (Kanpur), Mathura Cantt., No. 2, Mughalsarai, Talbahat, Calcutta, Khaprail No. 2.

(b) According to the present approved policy of opening of new Kendriya Vidyalayas (Central Schools), the Kendriya Vidyalaya Sangathan can open six Kendriya Vidyalayas (Central Schools) per year—two in defence establishments and four in civil stations. A special quota of six additional Kendriya Vidyalayas (Central Schools) to be opened every year from 1973-74 onwards for a period of six years in defence establishments has also been approved.

The final decision regarding location of new schools to be opened during 1978-79 has not yet been taken.

राजस्थान में चारे की कमी

6972. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चारे की अत्यधिक कमी के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये विशेषकर राजस्थान में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राजस्थान के 19 जिलों में चारे की कमी की परिस्थितियों के बावजद झुनझुन के सिवाय सभी जिलों में चारे की उपलब्धि संतोषजनक होने की सूचना मिली है। झुनझुन जिले के लिये राज्य सरकार ने कलक्टर को 50,000 क्विंटल चारे की अधिप्राप्ति करने एवं इसे जिले के कमी वाले क्षेत्रों में पशुओं को सहाय्य दरों पर उपलब्ध कराने के लिये अधिकार प्रदान किया है। चारा सप्लाई करने के बारे में सहायता हेतु राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कोई अनरोध नहीं किया है।

चालू वर्ष के दौरान चारे की कमी से उत्पन्न स्थिति का सामना करधे के लिये किसी भी राज्य सरकार ने कोई विशेष अनुरोध नहीं किआ था।

सस्ती जनता पुस्तकें और कापियों (नोट बुक) के उत्पादन के लिय कागज का आबंटन

6973. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों के उपयोग के लिये सस्ती जनता पुस्तकें और कापियों (नोट बुक) के बनाने हेतु कागज के आवटन के लिये सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्त क्या है ;

(ख) वर्ष 1976 और वर्ष 1977 में इस प्रयोजन के लिये दिल्ली को आवंटित की गई कागज की मात्रा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी भी ये पुस्तकें और कापियां आसानी से उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 2750 रुपये प्रति टन की रियायती दर पर प्रति वर्ष 1.20 लाख टन सफेद मुद्रण कागज शैक्षणिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है और यह कागज राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं को ध्यान में रखते हुए आवंटित कागज को पाठ्यपुस्तक बोर्डों, अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माताओं, प्राइवेट प्रकाशनों आदि जैसे विभिन्न उपभोक्ताओं में वितरित कर देते हैं। इन मार्ग दर्शी रूप रेखाओं में अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्धारित है कि (क) अभ्यास पुस्तकों का मूल्य निर्धारित करने में कागज की रियायती दर दर्शायी जाए।

भारतीय चावल विकास परिषद का चावल उत्पादन कार्यक्रम

6974. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1978 में भारतीय चावल विकास परिषद् की एक बैठक में चावल उत्पादन के कार्यक्रम तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये भावी नीति का पुनर्विलोकन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिये गये निर्णय क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान चावल उत्पादन के लिये बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ

(ख) तथा (ग) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यह निश्चय किया गया कि प्रत्यक्ष बीजाई वाले क्षेत्रों में धान की पंक्ति में बुवाई के लिए साधारण व सुधारे हुए औजारों के प्रयोग, अधिकांश कृषकों द्वारा उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाने; नहर जल सप्लाई को समय पर छोड़े जाने; 'अजोला' जैसे नाइट्रोजन के जैव-स्रोतों को लोक प्रिय बनाने; स्थानिक मारी क्षेत्रों में कीटों और बीमारियों का नियन्त्रण; खरपतवार का नियन्त्रण; एवं भूमि सुधारों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

चावल की अधिक उपज देने वाली उपयुक्त किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, और आदानों की पर्याप्त व समय पर सप्लाई के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के चालू कार्यक्रमों को जैसे चावल के मिनीकिट प्रदर्शन; सामुदायिक नर्सरियां बनाना; फार्म श्रमिकों सहित विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषकों को प्रशिक्षण देना; सुधारे हुए कृषि औजारों को लोक प्रिय बनाना और रेडियो और टी० वी० सहित जन संचार के माध्यमों के जरिए संचना समर्थन देना जारी रखने के लिए सहमति दी गई।

गन्ना उत्पादकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

6975. **श्री मनोहर लाल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना बेचने, क्योंकि मिलों के गेट पर माल पहुंचने के बाद उनके द्वारा डिलीवरी लेने में दो तीन दिन लग जाते हैं, मिलों से भुगतान आदि लेने में विलम्ब आदि में अनुभव की गई विभिन्न कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ताकि गन्ना उत्पादकों को गन्ना बेचने में कोई कठिनाई न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रों पर गन्ने की आवश्यकता के बारे में गन्ना समितियों को सूचित करने के लिए चीनी मिलों में सामान्यतया एक व्यवस्था है और तद्नुसार, गन्ना समितियां सप्लाई की व्यवस्था करती हैं। जहां पर फैक्टी सीधे ही गन्ना उत्पादकों के साथ संबंध रखती है जहां फैक्ट्री के गन्ना से संबधित कर्मचारी गन्ना उत्पादकों को 'पर्चियां' बांटते हैं जिसमें तारीख तथा क्रय केन्द्र अथवा फैक्ट्री के दरवाजे पर जितनी मात्रा में गन्ने की आवश्यकता होती है उसे लिखा गया होता है। यदि गन्ना उत्पादक इस व्यवस्था के साथ सहयोग देते हैं और पर्चियों में लिखी मात्राओं से अधिक गन्ना नहीं लाते हैं और न ही बिना पारी के गन्ना लाते हैं तो उस हालत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह तो फैक्ट्री के हित में ही है कि कटाई होने/फैक्ट्री के दरवाजे पर आने के बाद गन्ने की यथा सम्भव शीघ्र पैराई हो जाए। कानून के अधीन, सुपुर्दगी के 14 दिन के अन्दर गन्ना उत्पादकों को अवश्य भुगतान कर देना चाहिए। अतः 14 दिन तक का विलम्ब आपत्तिजनक नहीं है। ऐसे प्रयत्न किए जाते है ताकि इस अवधि के अन्दर गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके लेकिन परिचालन संबंधी तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कभी कभी कुछ देरी हो सकती है। कार्य मौसम के अन्त में स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और उपचारी उपाय किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्री क्षेत्र में उपलब्ध सभी गन्ने की चालू मौसम में अथवा मानसून शुरु होने से पहले पैराई हो जाए, 30-4-1978 से आगे पैराई करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिवेट देने के बारे में शीघ्र ही घोषणा किये जाने की सम्भावना है।

"समर मूंग" कार्यक्रम

6976. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि आयुक्त ने राज्यों को "समर मूंग" कार्यक्रम को तेज करने के लिये लिखा था,

(ख) यदि हां, तो राज्यों ने उस पर कहां तक अमल किया है,

(ग) क्या 1977-78 में दालों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों का उत्तर अनुकूल है। विभिन्न राज्यों में समर मूंग के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	बोया जाने वाला क्षेत्र
	(लाख हैक्टार में)
बिहार	2.00
गुजरात .	0.28
मध्य प्रदेश	0.05
महाराष्ट्र . . .	0.25
राजस्थान .	0.20
उत्तर प्रदेश	3.00
तमिल नाडु	2.40
पश्चिम बंगाल	0.25

(ग) और (घ) 1977-78 के दौरान दालों के उत्पादन के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 में किसी समय उपलब्ध होने की संभावना है। अतः इस स्थिति में 1977-78 के दौरान दालों के उत्पादन में वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं है। तथापि, दालों के उत्पादन में 1976-77 की तुलना में वृद्धि होने की संभावना है।

F.C.I. GODOWNS IN RAJASTHAN

6977. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of godowns of Food Corporation of India in the Rajasthan State at present ;

(b) the total foodgrain store with the Food Corporation of India in Rajasthan State at present and the quantity of foodgrains out of it in godowns and the quantity of that lying in the open ;

(c) whether such reports have been received from Rajasthan State that foodgrains get damaged due to shortage of godowns there : and

(d) the number of godowns constructed in Rajasthan State during 1977-78 and the number of godowns proposed to be constructed in 1978-79 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) The Food Corporation of India has 33 owned and 112 hired godowns in the State.

(b) As on 31-3-1978, the food Corporation of India had total stocks of 14·11 lakh tonnes, of which 8·11 lakh tonnes were in godowns and 6·00 lakh tonnes under cover and plinths (AP).

(c) No such report of damage to F.C.I. foodgrains has been received.

(d) During 1977-78, the Food Corporation of India constructed 8 units within existing godown complexes and 34 godowns were built for Food Corporation of India by private parties on guaranteed occupation basis.

During 1978-79 the number of units proposed to be built is 12 by Food Corporation of India, 15 godowns for F.C.I. by private parties on guaranteed occupation basis and 2 godowns by Central Warehousing Corporation for F. C. I.

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में शिक्षा का माध्यम

6978. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों में शिक्षा का माध्यम क्या है, और

(ख) इंजीनियरी कालेजों में शिक्षा के माध्यम के मामले में सरकार की क्या नीति है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित, सभी इंजीनियरी कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में, उत्तरोत्तर सभी स्तरों पर शुरू किया जाय। तथापि, नये शिक्षा माध्यम प्रारम्भ करने से पहले, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री के संबंध में पर्याप्त तैयारी कर लेना वांछनीय समझा गया है। तकनीकी कार्मिकों की गतिशीलता तथा अच्छे रोजगारों इत्यादि की उपलब्धता के प्रश्न पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र में लागत लाभ अनुपात

6979. **बाबा साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र में लागत लाभ अनुपात में विशेष छूट देने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सामान्यतः ऐसी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है जिनका लाभ लागत अनुपात 1.5 : 1 अथवा इससे अधिक हो। सूखा प्रवण क्षेत्रों में 1 . 5 : 1 और 1 : 1 के बीच के अनुपात वाली परियोजनाएं भी अनुमोदित की जाती हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ADMISSION IN SCHOOL OF TOWN PLANNING AND ARCHITECTURE, DELHI

†6980. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the rules for admission in the School of Town Planning and Architecture, Delhi ;

(b) whether it is a fact that sons of big families and high officers only get admission in this School ; and

(c) the percentage of the students given admission during the last five years whose father's monthly income is less than Rs. 1000/- ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE TURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) A statement furnishing the rules of admission to the various courses in the School of Planning and Architecture, New Delhi is attached.

[Placed in Library—*See* No. L. T. 2112/78].

(b) Admission to all courses in the School is made only on merit and the income of parents of the candidates is no criterion for selection.

(c) The admission forms do not prescribe furnishing of information regarding income of parents and statistical data on the same is, therefore, not available.

मंत्रालय में ग्रंथालय

6981. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों, कार्यालयों और आयोगों में कितने ग्रंथालय चल रहे हैं ;

(ख) उन ग्रंथालयों में पुस्तकों की खरीद के लिये नियुक्त चयन समितियों का ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष चयन उन समितियों द्वारा खरीदी गई हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों का विषयवार ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या हिंदी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पर्याप्त संख्या में नहीं खरीदा जाता है और इन ग्रंथालयों में हिन्दी के प्रति उपेक्षा दिखाई जा रही है ; और

(घ) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के प्रति इस उपेक्षा को रोकने और उक्त चयन समितियों में हिन्दी अधिकारियों को शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रालय और इसके उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों के वर्ग

6982. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय और इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में प्रत्येक वर्ग के कुल कितने पद भरे गये और इन पदों में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों का विशेष हिस्सा कितना है और जनता शासन की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ग के कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों में कुल कितनी विभागीय पदोन्नतियां हुईं । कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और इन में से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को दिये गये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत की धरोहर (हेरीटेज) का संरक्षण और सुरक्षा

6983. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत की धरोहर की समग्र रूप से और उचित संरक्षण और सुरक्षा के लिय कोई योजना और नीति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1976 और 1977 में इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसकी कुल लागत क्या है और उक्त दो वर्षों के कुल बजट में तथा शिक्षा मंत्रालय के खर्चे में इस लागत की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 नामक एक अधिनियम बनाया है जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए स्मारकों का रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। इस रख रखाव में संरचनात्मक तथा रसायनिक दोनों प्रकार की मरम्मतें और सुरक्षा तथा देख रेख के प्रबन्ध भी सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में स्मारकों की मरम्मत तथा विकास कार्य के लिए भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण तथा स्मारकों के विकास कार्य की दो अलग-अलग योजनायें प्रारम्भ की गई।

(ग) वार्षिक रख-रखाव के अतिरिक्त 1976 में 614 स्मारकों और 1977 में 682 स्मारकों की विशेष मरम्मतें की गयीं।

(घ) 1976-77 में समस्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए बजट की कुल आबंटित धन राशि रु० 6,05,09,000 में से वार्षिक रख-रखाव और विशेष मरम्मतों पर कुल खर्च रु० 2,21,99,576 हुआ है जो कि कुल राशि का 36.69 प्रतिशत है। 1977-78 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए बजट आबंटित धन राशि रु० 6,79,99,000 में से रु० 2,12,33,000 की धन राशि स्मारकों के वार्षिक रख रखाव तथा विशेष मरम्मतों के लिए नियत की गई है।

उड़ीसा में पशु, मुर्गी पालन और सूअर पालन यूनिटों के लिए मंजूरी

6984. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले स्थानीय पशु, मुर्गी पालन और सुअर पालन समस्त यूनिटों का दर्जा बढ़ाने के लिये कोई विशेष अनुदान मंजूर किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) क्या उड़ीसा में वर्ष 1978-79 में विस्तार निदेशालय द्वारा एक केन्द्रीय पशु मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कुक्कुट तथा सुअर पालन एककों का दर्जा बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य को कोई विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने चिपलीमा, जिला सम्बलपुर में विदेशी पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए उड़ीसा राज्य को अनुदान स्वीकृत किया है। इस फार्म का उद्देश्य क्षेत्र में संकर प्रजनन।

स्थानीय पशुओं का दर्जा बढ़ाने के लिए बढ़िया नस्ल के विदेशी सांड़ों का उत्पादन करना है। इस परियोजना के लिए कुल 32 लाख रु० (29 लाख रु० सहायक अनुदान तथा 3 लाख रु० ऋण के रुप में) की रक़म स्वीकृत की गई है।

(ग) जी, नहीं । कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा वर्ष 1978-79 के दौरान उड़ीसा राज्य में कोई केन्द्रीय पशु मेला आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भोगल, जंगपुरा, दिल्ली में पट्टाधारियों द्वारा स्वयं ही पट्टे पर लिये गये प्लाटों का विभाजन

6985. **श्री बलबीर सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा-भोगल में भट्टे पर प्लाट कब दिये गये थे तथा प्लाटों का क्षेत्रफल क्या क्या है ;

(ख) क्या वह निर्माण नक्शों आदि की मंजूरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जाती है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं ;

(ग) उस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों में विभाजन/बंटवारे की अनुमति दी गई है तथा किन मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के विभाजन सम्बन्धी आदेशों का पालन किया गया है ;

(घ) कितने प्लाटों में नगर निगम के रिकार्डों में विभाजन की अनुमति दी गई है;

(ङ) क्या कम से कम 50 प्रतिशत प्लाटों का स्वयं मालिकों ने विभाजन किया हुआ है ;

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकारण को उस पर कोई आपत्ति है, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विभाजन के बारे में विभाजन/बंटवारे के कितने मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं जबकि 50 प्रतिशत प्लाट पहले ही विभाजित हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ये प्लाट वर्ष 1922-23 में पट्टे पर दिए गए थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार इन प्लाटों का क्षेत्रफल 108 वर्ग गज से 422 वर्ग गज तक भिन्न भिन्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 30 मामले ।

(घ) दिल्ली नगर निगम के मूल्यांकन और वसूली विभाग के रिकार्ड में सम्पत्ति कर के प्रयोजनों के लिए 105 प्लाटों का विभाजन किया जा चुका है ।

(ङ) ऐसे प्लाटों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, यह सच है कि कई पट्टाधारियों ने अपने प्लाटों का विभाजन कर लिया है ।

(च) प्राधिकरण के राजस्व रिकार्ड में ऐसे उप विभाजनों का उल्लेख नहीं किया जाता है सिवाए अभिरक्षक द्वारा बिक्री किए गए मामलों के ।

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि न्यायालय में ऐसा कोई मामला निलंबित नहीं है ।

त्रिपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना

6986. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पीतमपुरा, दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा मल सुविधाओं की व्यवस्था

6987. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकसित प्लाटों का कब्जा मई, 1976 में डी० डी० ए० द्वारा पीतमपुरा की नई कालौनी के आबंटितों को सौंप दिया गया था, क्योंकि जमीन की पूरी कीमत आबंटितयों से जनवरी-फरवरी, 1976 में पहले ही वसूल कर ली गई थी ;

(ख) क्या डी० डी० ए० अविकासित प्लाटों का कब्जा सौंपने की तारीख से आबंटितियों से किराया जमीन की वसूली कर रहा है ;

(ग) क्या डी० डी० ए० प्लाटों का पूरी तरह विकास होने अर्थात् पानी सीवर, बिजली, सड़कों पार्कों आदि मूल सुविधाओं की व्यवस्था होने की तारीख से किराया जमीन वसूल करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उस कालोनी में उक्त नागरिक सुविधायें किस निश्चित तारीख तक उपलब्ध कर दी जाएंगी : और

(ङ) क्या प्लाटों की कीमत का भुगतान होने की तारीख से कालोनी का विकास कार्य पूरा होने की तारीख तक की अवधि के लिए अविकसित प्लाटों के आबंटितियों द्वारा अदा की गई राशि के लिए डी० डी० ए० ब्याज का भुगतान करेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बक्त) : (क) अलाटियों से जनवरी/फरवरी 1976 में पूरी रकम वसूल नहीं की गई थी । तथापि, प्लाट पूर्ण विकास किए बगैर ही सौंप दिए गए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुआ है ।

(घ) कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती। तथापि, आवश्यक सुखसुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय आवास नीति

6988. **श्री के० ए० राजन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का कोई प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा **(ख)** एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास आयोग का गठन करने के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। यह फैसला किया गया है कि इस प्रस्ताव पर आगे विचार न किया जाये।

आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) ऐसे आवास कार्यक्रम बनाना जिनका उद्देश्य 20 वर्ष के अन्दर बकाया को खत्म करना तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मांग को पूरा करना तथा असुरक्षित मकानों को बदलना हो।

(ii) सरकारी धन का उपयोग कम आय वाले परिवारों के लिए सीमित करना ताकि इस क्षेत्र को दिए गए संसाधनों से रिहायशी मकान ज्यादा संख्या में बनाये जा सके।

(iii) गैर-सरकारी क्षेत्रों को बड़ी मात्रा में मकान बनाने लिए प्रोत्साहन देना।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्यों के बारे में डा० बोरलोग के विचार

6989. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डा० नार्मन बोरलोग यहां दो महीने की लम्बी यात्रा पर आए थे ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने सभी मुख्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्यों का समर्थन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) डा० नार्मन बोरलोग पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय गेंहू प्रजनन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत में फरवरी के तीसरे सप्ताह, 1978 में आये थे। उन्होंने भारत में लगभग एक मास बिताया जिसमें उन्होंने कुछ कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों का दौरा किया।

(ख) डा० बोरलोग में अपने उद्घाटन भाषण में, जो कि उन्होंने पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं प्रजनन संगोष्ठी में दिया, उसमें उन्होंने इस बात की वकालत की कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को युक्ति संगत मूल्य प्रदान किए जाएं।

(ग) किसानों को लाभकर कीमतों की अदायगी, सरकार की कृषि पण्यों के लिए मूल्य नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। कृषि उत्पादों के मूल्य सामान्यतया, सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं जो प्रापण समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय, उत्पादन को अधिपाधिक बढ़ाने के लिए विकसित प्रोद्योगिककी अपनाने पर उत्पादक को प्रोत्साहन मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान रखती है। विभिन्न पण्यों के मूल्य निर्धारित करते समय सरकार राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों का भी ध्यान रखनी है।

कनाट प्लेस में भूमिगत विपणन केन्द्र
(शापिंग काम्प्लेक्स)

6990. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत कनाट प्लेस में भूमिगत विपणन केन्द्र पूरा हो गया है और आवंटन के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जनपथ और पचकुइयां रोड के दुकानदारों को वहां पर ले जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिगत विपणन केन्द्र के लिये निर्धारित किया गया किराया इतना अधिक है कि जनपथ और पंचकुइयां रोड के दुकानदार वहां पर जाने के इच्छुक नहीं हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और जनपथ तथा पंचकुइयां रोड के इन दुकानदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को इन दुकानों का आवंटन करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, सिवाये खोमचे वाले तथा तिब्तियों के लिए निर्माण किए जा रहे स्टालों के।

(ख), (ग) तथा (घ) सरकार की नवीनतम नीति यह है कि वे दुकानदार (निम्नलिखित वर्गों में से) जो अपनी मौजूद दुकानों को छोड़ना चाहते हों और कनाट प्लेस के भूमिगत पणन केन्द्र में दुकान लेने के इच्छुक हों तो उन्हें आने की अनुमति दे दी जाए।

(i) पंचकुइयां रोड—98 (वे सभी जो नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में आते हैं)
(ii) जनपथ के स्टाल—71
(iii) तिब्तियों के स्टाल—24
(iv) कनाट सर्कस (यूसुफजई मार्कीट)—117

अन्य लोगों को जो ये दुकानें नहीं लेना चाहते, उसके लिए मजबूर न किया जाए, शेष दुकानों को टेन्डर द्वारा किराये पर दे दिया जाए। किराये का परिकलन पूंजी निवेश और अनुरक्षण की लागत को ध्यान में रखकर "बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर" किया गया है।

AGRO-SERVICE CENTRE

6991. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of AGRICULTURE AND Irrigation be pleased to state :

(a) the places where agro-service centres are set up and the rules in this regard ;

(b) whether a left out centre will be included in the scheme on demand in case other conditions are similar ;

(c) whether there are 247 such centres in Punjab whereas in Gujarat their number is only 100 and if so, the reason therefor and whether Punjab is ahead of Gujarat in the matter of agro-industries but is behind Gujarat in industrial estates ; and

(d) if so, the reasons for difference in the number of centres and the policy adopted for opening such centres ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (d) Government of India started the scheme of assisting unemployed entrepreneurs in setting up agro-service centres in December, 1971. Under this scheme, engineering graduates and diploma holders, graduates in agriculture and a certain category of ex-servicemen are eligible for financial and other assistance. In terms of the procedure laid down, the State Agro-Industries Corporations invite applications from eligible candidates, select those suitable, impart training to them and help them in securing bank finance. Under this scheme there is no restriction on any eligible entrepreneur setting up an agro-service centre at any place, based on his judgment of need and economic viability.

So far 264 and 102 such centres have been set up in Punjab and Gujarat respectively. However, there is no restriction under the scheme on the number of centres to be set up in any State. The total number of centres set up depends ultimately on the number of eligible candidates, their entrepreneurial ability, the opportunities for viable business in thier respective locations, the state of development of agriculture particularly with reference to the use of machines and requirements of agro-inputs. Any inter-State comparison based on the number of agro-service centres, agro-industries and industrial estates set up will not be valid.

Whether the benefits of the scheme can be extended to a centre not already covered will depend on whether it fulfills the conditios of the scheme.

सड़क विकास के लिए 'काम के लिए भोजन' (फूड फार वर्क) कार्यक्रम

6992. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम, जो केवल एक वर्ष के लिए था, और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) क्या सरकार सड़क विकास के लिए इस कार्यक्रम को अपनायेगी ताकि सभी गांवों को जिलों की मुख्य सड़कों से मिलाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केवल सड़क विकास के लिए ही योजना को निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है । सड़क निर्माण कार्यक्रमों के अलावा, स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाले किसी भी प्रकार के विकासात्मक कार्य योजना के अन्तर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के/उनके माता-पिता के सेवा-निवृत्ति होने पर आबंटित किए गए सरकारी क्वार्टर

6993. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत पांच कलैण्डर वर्षों के दौरान कुल कितने कर्मचारियों को उनके माता/पिता के सरकारी सेवा के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण बिना बारी के सरकारी क्वार्टर आवंटित किये गये; और

(ख) 1 जनवरी, 1978 को ऐसे आवंटन के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1142।

(ख) 100।

ENHANCED PRICE OF D.D.A. FLATS

6994. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state whether Government have appointed an enquiry group for conducting an impartial enquiry to justify the increase in the cost of construction which has doubled during the last ten years and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : Government have not appointed any enquiry group. The DDA however appointed a Committee to explore the possibility of reducing the cost of flats.

दिल्ली की बृहत् योजना सम्बन्धी समिति

6995. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के निवास के लिये अगली बृहत् योजना सम्बन्धी नीति पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति गठित हो गई है, और यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं; और यदि नहीं, तो यह समिति कब तक गठित कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसी कोई उच्च स्तरीय समिति नहीं बनाई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान तैयार करना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय

6996. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय पुस्तकालयों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये चलते फिरते तथा स्थायी पुस्तकालय खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) संविधान के अन्तर्गत, केन्द्रीय पुस्तकालयों अथवा संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय विकास महत्व के पुस्तकालयों को छोड़कर पुस्तकालय एक राज्य विषय है। तथापि, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालयों के समन्वित विकास के लिए उपाय किये गये हैं। ये केन्द्र और राज्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के भाग के रूप में होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के अनुरक्षण और विकास के अलावा, केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का एक स्वायत्तसंगठन राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, उनको पुस्तकें और पठन सामग्री मुहैया करता है तथा राज्य सरकारों की, पहले से स्थापित विभिन्न जिला, केन्द्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालयों के विस्तार के रूप में, गश्ती पुस्तकालय सेवाएं शुरू करने में सहायता करता है।

दिल्ली की पीतमपुरा और शालीमार बाग आवास योजनाएं

6997. **श्री ब्रह्म प्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की पीतमपुरा और शालीमार बाग आवास योजनाओं में निम्न तथा मध्यम आय वाले लोगों को प्लाट कब बेचे गये थे;

(ख) विभिन्न क्षेत्रफल के प्लाट किन-किन दरों पर बेचे गये थे ;

(ग) क्या आबंटितियों को उनके प्लाटों के कब्जे दिये जा चुके हैं, तथा उनके पट्टे पंजीकृत कर दिये गये है, यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या वहां पानी, सीवर, बिजली, सड़कों में प्रकाश-व्यवस्था, पार्कों आदि की सुविधायें प्रदान की गई हैं ताकि आवटिती वहां अपने मकानों का निर्माण आरम्भ कर सकें; और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो ये मूल सुविधायें सम्भवतः कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिसम्बर, 1975 से जनवरी, 76 के बीच तथा 22 मार्च, 1976 को।

(ख) दरें निम्नलिखित हैं :—

प्लाट	दर
36 वर्ग मीटर	72 रुपये प्रति वर्ग मीटर
70 वर्ग मीटर	84 रुपये प्रति वर्ग मीटर
84 वर्ग मीटर	96 रुपये प्रति वर्ग मीटर
126 वर्ग मीटर	120 रुपये प्रति वर्ग मीटर
167 वर्ग मीटर	150 रुपये प्रति वर्ग मीटर

(ग) शालीमार बाग रिहायशी योजना में 3200 प्लाट तथा पीतमपुरा रिहायशी योजना में 1980 प्लाट आबंटित किए गए थे। शालीमार बाग के 60 मामलों तथा पीतमपुरा के 55 मामलों के सिवाए सभी मामलों में कब्जा दिया जा चुका है। दिसम्बर, 1976 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान शालीमार बाग के 2925 प्लाटों तथा पीतमपुरा के 1800 प्लाटों के पट्टा-विलेखों का पंजीकरण किया गया था।

(घ) शालीमार बाग तथा पीतमपुरा रिहायशी योजनाओं के विकास की स्थिति के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शालीमार बाग के विकास के कार्य की स्थिति

1. **सड़कें**:—चरण I में सिवाय एच, एफ०, जे० के० एन० एन० तथा एस० (पश्चिम), ब्लाक बी० में जे० तथा एन० (पूर्वी) पाकेट में सड़कों के, ब्लाक ए तथा बी में सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। इन पाकेटों में निर्माण कार्य अन्य पाकेटों के साथ इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि मूलत: इन पाकेटों को ग्रुप हाउसिंग के लिये निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे प्लाटिड विकास में बदल दिया गया था। तथापि, इन सभी पाकेटों में सड़क निर्माण का कार्य हालही में दिया गया है और निधियों में उपलब्धता की शर्त पर जून 1978 तक पूरा हो जाएगा। चरण–II का कार्य 50 प्रतिशत प्लाटों के बन जाने के बाद ही केवल आरभ किया जाना है।

2. **जलपूर्ति** : सिवाय ए० एफ० जे० तथा के० (पश्चिमी) और जे० एच० (पूर्वी) पाकेटों के ब्लाक 'ए' तथा बी० में जलपूर्ति लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। ये पाकेट मूलत: ग्रुप हाउसिंग के लिये निर्धारित थे लेकिन बाद में इसे प्लाटिड विकास में बदल दिया गया था। एच० एफ० जे० के० पाकेटों में जल पूर्ति की लाइनें बिछाने का कार्य हाल ही में दिया गया है जबकि पाकेट एच० (पूर्वी) जे० (पश्चिमी) के लिये टेन्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं। काम के जून, 1978 तक पूरा किये जाने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम से पानी कुछ समय तक संभवत: उपलब्ध न हो अत: ब्लाक ए० में नलकूप और ब्लाक बी० में 4 नलकूप आबंटियों की तत्काल आवश्यकतायें पूरी करने के लिये लगाये गये हैं। शालीमार बाग क्षेत्र के लिये इन नलकपों से जल लगभग 2 मास की अवधि के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने डी०डी०ए० भूमिगत टक तथा जल की मुख्य नालियां डाल दी हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जलपूर्ति की योजना में सुधार कर दिया गया है, डी०डी०ए० ने भी भूमिगत तथा उपरि टैंकों का

निर्माण कर लिया है और जूंहि दिल्ली नगर निगम द्वारा मुख्य जल की नालियां डाल दी जायेंगी उनके साथ इसका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

3. **सीवर कार्य**: सिवाय गहरे सीवर लाइन के दो कनेक्शनों के ब्लाक ए० में आन्तरिक सीवर का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लाक बी० में, कार्य पूरा है सिवाय एच० एफ०ए०जे० ई० तथा जी० (पश्चिमी) पाकेटों के। पाकेट मूलतः ग्रुप हाऊसिंग के लिये थे और उन्हें प्लास्टिक विकास में बदल दिया गया था। पाकेटों के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है। कार्य के लगभग 6 मास में पूरे हो जाने की संभावना है। गहरी सीवर लाइन का कार्य लगभग 6 से 9 मास तक पूरा हो जाएगा। इस क्षेत्र का कार्य रिठाल संसाधन प्लाट द्वारा पूरा किया जाएगा। वह कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरा किया जाना है। डी०डी०ए० ने नलकूप पम्प हाऊस और आक्साइडेशन तलाब का निर्माण कर के मलजल के निपटान के स्वंय प्रबंध किये हैं।

4. **बिजली** : इस कार्य को दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान द्वारा किया जाना है। आवश्यक निधियां उन के पास जमा कर दी गई हैं और कार्य हाल ही में शुरू किया गया है। दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान ने इस कार्य को 6 मास में पूरा कर देने का आश्वासन दिया है।

5. **पार्क** :—इन्हें ब्लाक ए० में पहले ही विकसित किया जा चुका है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग द्वारा घास और पेड पौधे लगाने का आगे का कार्य किया जा रहा है। जहां तक ब्लाक बी० में पार्कों का संबंध है 3 पार्कों में ग्रिलों की बाढ़ लगाई जा चुकी है, आगे का काम इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ ग्रुप हाऊसिंग पाकेटों को प्लाटिड विकास में बदल दिया गया है। तथापि, इन्हें लगभग 21 मास में पूरा कर लिया जाएगा, जब इस क्षेत्र में कुछ मकान बन जायेंगे।

पीतमपुरा रिहायशी योजना के विकास कार्य की प्रगति की स्थिति

1. **पार्क** : इनका सीमांकन कर दिया गया है और पाकेट बी दक्षिणी तथा (एस) उत्तरी को छोड़कर सभी में लोहे के जंगले लगा दिए गए हैं। पाकेट 'बी' (दक्षिणी) के लिए निविदायें प्राप्त की गई हैं और उनकी जांच की जा रही है। 'एस' उत्तरी के लिए निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं। इसके पूर्व होने की संभवतः तारीख जून, 1978 है।

2. **सड़कें** :—फेज एक तक सिवाय पाकेट 'के' और 'टी' के सड़क का कार्य पूरा हो गया है और पाकेट 'के' और 'टी' में सड़क को केवल पक्का करने का ही कार्य हुआ है। फेज–II का कार्य तभी आरम्भ किया जाएगा जब 50 प्रतिशत प्लाटों में निर्माण कार्य हो जाएगा।

3. **जलपूर्ति** :—पानी के पाइप लाइनों को डालने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पाकेट डी०एम०के० (पूर्वी), यू०टी० (उत्तरी) तथा सी० एण्ड डी० (दक्षिणी) के सर्वप्रथम ग्रुप आवास के लिए उद्दिष्ट थे और बाद में उन्हें प्लाट वाले क्षेत्र में बदल दिया गया है, उसका कार्य डिजाइन, आकलन, बनाने, निविदा आमन्त्रित करने तथा आवंटन के विभिन्न चरणों में है और इस कार्य के सितम्बर, 1978 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम की सप्लाई लाइन नहीं है। नलकूपों द्वारा इसकी अन्तरिम व्यवस्था की जाएगी और कुछ में यह व्यवस्था हो गई है। एक ऊपरि टंकी का निर्माण किया जाना है।

4. **मल नालियां** :—मुख्य योजना का 70 प्रतिशत काम समाप्त हो गया है सिवाये ऐसे पाकेटों के काम को छोड़कर जो सर्वप्रथम ग्रुप हाउसिंग के लिए उद्दिट थे और बाद में उन्हें प्लाट के क्षेत्र में बदल दिया गया है। यह कार्य डिजाइन बनाने, प्राक्कलन तैयार करने, निविदा आमन्त्रित करने तथा आवंटन

के अलग अलग चरणों में है। मल नालियों की व्यवस्था के कार्य की जून, 1979 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

यह क्षेत्र के मल-जल का अन्तिम निपटान रिठाला मल शोधन संयंत्र के माध्यम से होगा जिस कार्य को दिल्ली नगर निगम ने अभी आरम्भ करना है। तब तक मल-जल के निपटान के लिये मलकूप और आक्सीकरण तालाब आदि बनाने का प्रस्ताव है जिसके डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

5. **सड़क बत्ती :**—इस कार्य को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा किया जाना है। आवश्यक निधियां उसके पास जमा कर दी गई है। दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने आश्वासन दिया है कि वह इस कार्य को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर देंगे।

वयस्क साक्षरता के लिए रूसी विशेषज्ञ

6998. **श्री सरत कार :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने वयस्क निरक्षरता मिटाने में सहायता करने हेतु अपनी "समूची विशेषज्ञता" देने तथा इस प्रयोजन हेतु भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए रूसी विशेषज्ञों को भारत भेजने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) रूस के उच्चतर तथा विशिष्ट मध्यमिक शिक्षा मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ हुए विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी जिक्र किया गया था कि भारत का प्रस्ताव बड़े पैमाने पर एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का है। रूसी मंत्री ने इस क्षेत्र में भारत के साथ अपने अनुभव के योगदान के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी, जिसका सरकार ने स्वागत किया।

"रैकेट एलेजेड इन एफ० सी० आई० व्हीट डिसपैचेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6999. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1978 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस में "रेकेट एलेजेड इन एफ० सी० आई० व्हीट डिसपेचेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली डिपो में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य" करने और दिल्ली में उचित दर की दुकानों और रोलर फ्लोर मिलों को धीमी गति से गेहूं की सप्लाई करके बाधा पहुंचाने के फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम ने ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिसकी दरें सबसे कम थीं, से निर्धारित कार्याविधि के अनुसार टेण्डर मंगवाकर और उसके साथ ठेका करने के बाद सडक के रास्ते गेहूं के संचलन का कार्य शुरू किया। दिल्ली में सुपुर्दगी के स्थान पर आधारित ये दरें 2.90 रुपये और 3.40 रुपये प्रति क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न थीं। क्योंकि ठेका देने के लगभग 8 दिन का समय लग गया इसलिए

दिल्ली की रोलर फ्लोर मिलों को इस बीच की अवधि के दौरान इस बात के लिए राजी किया गया कि वे दिल्ली में गेहूं के उत्पादों की सप्लाई बनाए रखने के लिए निकटवर्ती राज्यों से गेहूं उठाने के लिए स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ अपनी व्यवस्था करे जिसमें यह शर्त थी कि जो अतिरिक्त मार्ग भाड़ा लगेगा उसकी उन्हें प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त वित्त बिल विचाराधीन हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली वास्तविक प्रतिपूर्ति, सीधे ट्रक यूनियन को देय दरों से अधिक होने की संभावना नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में भारतीय खाद्य निगम के गेहूं के प्रेषणों में घोटाले का जो आरोप लगाया गया था वह निराधार था।

आवास ऋण की सीमा में वृद्धि

7000. **डा० बापू कालदाते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु दिये जाने वाले ऋण की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर प्रेषणों में 50,000 रुपये करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मध्यम-आय वर्ग आवास के लिये प्लान योजना के अन्तर्गत ऋण की सीमा 27,500 रुपये है, न कि 10,000 रुपये। दिल्ली प्रशासन को दिल्ली यूनीवर्सिटी टीचर्ज़ एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में ऋण की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ाने को कहा गया था।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय ऋण की सीमा बढ़ाई न जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी निधियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि निम्न आय के परिवारों के लिये उन के लिये नियत किये गये साधनों में अधिक से अधिक संख्या में मकान का निर्माण हो।

भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार सेवा

7001. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य भंडारण और प्रासेसिंग के लिए भारतीय खाद्य निगम की नई आरम्भ की गई सलाहकार सेवा के प्रति देश में तथा विदेश में अच्छी रुचि दिखाई गई है;

(ख) यदि हां, तो हमारी इस सलाहकार सेवा के प्रति कौन से देश रुचि दिखा रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सेवा को अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार प्रधान बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सलाहकार सेवा भारत के अन्दर तक सीमित है इसे उत्साहवर्धक प्रोत्साहन मिला है।

(ग) अब तक प्राप्त हुए कार्यों से बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पैदा नहीं होती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

IMPROVEMENT IN EDUCATION SYSTEM FOR DOING AWAY WITH SOCIAL, CULTURAL AND CASTE DISTINCTIONS

†7002. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL, WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether in order to do away with social, cultural and caste distinctions, Government are considering a scheme to improve the education system ; and

(b) if so, the work proposed to be done under the above scheme ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) and (b) : The Government is reviewing the entire National Policy with a view to develop an educational system which would eliminate social and caste distinctions.

बालकुंज संस्था, दिल्ली

7003. **डा० रामजी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित बालकुंज नामक संस्था की गतिविधियों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्था वास्तव में जन सेवा कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी उस संस्था को कोई सहायता दी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब सहायता देने का है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान अवकाश शिविरों, साहित्यक और मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सीधे कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी है परन्तु वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा इस संस्थान को 2000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक के छोटे अनदान दिये गये थे। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन ने बाल दिवस मनाने के लिये 1976-77 में 200 रुपये की एक छोटी सी धनराशि उन्हें दी है। वर्ष 1977-78 के दौरान कोई भी अनुदान नहीं दिया गया था क्योंकि संस्थान को कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया था।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने सीधे कोई भी वित्तीय **सहायता इस संस्थान** को नहीं दी है। दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का **विचार है कि अवकाश** शिविरों के लिए 1978-79 में 5000 रुपये का एक अनुदान इस **संस्थान को लिखित आश्वासन** पर दिया जाए कि वह अनुदान के नियमों का पालन करेगा।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए राज्यों को सहायता

7004. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए कोई सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए गुजरात राज्य को कितनी सहायता दी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में गुजरात में दी गई सहायता से कितने हाई स्कूल और अन्य स्कूल खोले गये ;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता दी गई और राज्य सरकार ने कितना अंशदान दिया और गुजरात राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार उसे कितने प्रतिशत धनराशि देनी थी ;

(ङ) क्या गुजरात सरकार को इस प्रयोजनार्थ दिये गये अनुदान व्ययगत हो गये हैं क्योंकि उनका उपयोग नहीं किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो कितनी धनराशि व्ययगत हो गई और इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए राज्यों को अलग से अनुदान तथा सहायता नहीं देती है। केन्द्रीय सहायता, सम्पूर्ण राज्य योजनाओं के लिए खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

पुरातत्व विभागों के स्मारकों के स्थलों पर अतिक्रमण

7005. श्री आर० के० महालगी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के स्मारकों से बहुत स्थलों पर विभिन्न राज्य सरकारों ने अतिक्रमण किया है ; यदि हां, तो कितने और किस प्रकार के और कितनी अवधि से तथा किन राज्य सरकारों ने अतिक्रमण किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा पुरातत्व निदेशालय ने इस तथ्य की ओर सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है और यदि हां, तो कब तथा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत सरकार का निकट भविष्य में इस अतिक्रमण के मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कालों में स्थल और स्मारकों संबंधी किये गए अतिक्रमण से संबंधित अब तक 28 मामले सूचीगत हैं। इनमें संरक्षित सीमाओं के अन्दर निर्माण, वैयक्तिक पक्षों को भू खण्डों का लीज या आबंटन, स्मारकों अथवा स्मारकों के भागों पर विद्यालय, कार्यालय आदि के लिये अधिग्रहण सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) : निरन्तर रूप से राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया जा रहा है। सतर्कता से अतिक्रमण के प्रत्येक मामले की जांच की जा रही है और अतिक्रमणों के हटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

NON-PAYMENT OF COMPENSATION TO FARMERS IN GANGANAGAR

7006. SHRI BEGA RAM CHAUHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the reasons for non-payment of compensation to all those farmers in the 10-mile Ganganagar (Rajasthan)border area who were shifted from there as per Government orders during Indo-Pak War in 1971 and whose crops were destroyed ;

(b) whether only 50 per cent of these farmers were paid compensation and whether Government propose to pay compensation to the remaining 50 per cent farmers also ; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor and whether a list thereof will be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE FOR WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) (a) & (b) Out of a total number of 12,431 cases, compensation in 11,562 cases amounting to Rs. 1,36,24,650 has already been paid. At present, only 869 cases involving compensation to the extent of Rs. 10,95,640 are under consideration.

(c) A statement showing the total number of cases in each tehsil is attached. The Government of Rajasthan propose to settle these cases, early.

Number of cases pending in each Tehsil for payment of compensation to Indian nationals whose crops were damaged during Indo-Pak Conflict, 1971.

S. No.	Name of tehsil	Balance amount to be distributed	
		No. of farmers	Amount
1.	Tehsil Ganganagar	741	Rs. 10,10,490/-
2.	Tehsil Karanpur	88	Rs. 59,070/-
3.	Tehsil Raisinghnagar	21	Rs. 11,050/-
4.	Tehsil Anoopgarh	19	Rs. 15,030/-
	Total	869	Rs. 10,95,640/-

कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण

7007. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सहकारी समितियों के कमजोर वर्गों के लिये उपभोग ऋण देने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर वर्गों को उपभोज्य ऋण जारी करने के बारे में मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किए हैं। ये मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्य सरकारों को भेजे गए हैं और उनकी प्रतियाँ सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित राज्य सहकारी बैंकों को भेजी गई हैं। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह अपेक्षा की गई है कि उपभोज्य ऋण पूर्णकालिक वेतनभोगी सचिवों वाली पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों/आदिवासी इलाकों मे गठित कृषकों सेवा सोसायटियों/बृहत आकार वाली बहुउद्देश्यीय सोसायटियों के माध्यम से वितरित किय जायेंगे।

आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पुनर्गठन का कार्यक्रम न्यूनधिक रूप में पूरा कर लिया गया है। कार्यक्रम ने कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में काफी प्रगति की है। उपर्युक्त राज्यों में से आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिनाडु तथा उत्तर प्रदेश ने सहकारी सोसायटियों को भी आवश्यक अनुदेश/मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने उपभोज्य ऋणों को जारी करने से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु किये जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशे करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

गोंद का उत्पादन और निर्यात

7008. **श्री उग्रसेन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत दो वर्षों में राज्यवार कितनी गोंद का उत्पादन हुआ है :

(ख) स्वदेश में गोंद की कितनी खपत होती है और कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है ; और

(ग) क्या आदिवासी लोगों ने आर्थिक जीवन को लाभ पहुंचाने के विचार से सरकार का विचार गोंद के उत्पादन को संगठित करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कीकर की गोंद कीकर की अनेक नस्लों से निकाली जाती है। वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान देश में गोंद का राज्यवार उत्पादन निम्नवत् है:—

उत्पादक राज्य	उत्पादन मीटरी टनों में 1975–76	1976–77
1. गुजरात	1.4	2.8
2. पंजाब	नगण्य	नगण्य
3. हरियाणा	16.0*	16.0*
4. राजस्थान	483.3	502.7**
5. मध्य प्रदेश	640.0	357.0
6. हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य
7. उत्तर प्रदेश	278.9†	323.4‡
कुल . . .	1419.6	1201.9

नगण्य—नाम मात्र,

* औसत वार्षिक उत्पादन

**वर्ष 1974-75 से संबंधित है

†वर्ष 1970–71 से संबंधित है

‡वर्ष 1972–73 से संबंधित है

(ख) देसी स्रोत से प्राप्त अधिकांश गोंद की खपत देश में ही होती है। 1975–76 और 1976–77 के दौरान अनुमानतः 38,700 रु० और 143,000 रु० के मूल्य के क्रमशः 6.1 तथा 10.9 मीटर टन गोंद निर्यात किए जाने की सूचना मिली है।

(ग) जी हां, आदिवासी लोगों के आर्थिक जीवन को लाभान्वित करने की दृष्टि से गोंद के एकत्रीकरण के लिये कुछ राज्यों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

गुजरात : गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड वर्ष 1977–78 के दौरान राजपीपला पर्व तथा बुलसर वन प्रभागों से गोंद के एकत्रीकरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश राज्य में 1969 से गोंद का राज्य व्यापार शुरू होने से आदिवासी संचयनकर्ताओं को उनके वर्षानुवर्ष लाभ के लिये उचित मजदूरी सुनिश्चित हुई है।

राजस्थान : आदिवासी क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में 1977–78 से नियमित रूप से गोंद एकत्रित की जा रही है।

VACATION OF JAISWAL BHAWAN

†7009. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the Banaras Hindu University has taken on rent the Jaiswal Bhawan for using it as hostels for the students and staff of the Sanskrit Department of the University ; and

(b) whether the court has held in its decision that the building (housing the said hostel) sould be vacated by the University ; if so, the reaction of Government thereto and the time by which it will be vacated and whether Government propose to purchase it at market rates ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में चीनी और खांडसारी कारखाने

7010. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों और खांडसारी कारखानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) राज्य में उन चीनी कारखानों और खांडसारी कारखानों की संख्या कितनी है, जिन्होंने गन्ना उत्पादकों को तयशुदा मूल्य दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में 1977–78 के चालू मौसम के दौरान 85 चीनी फैक्ट्रियों ने कार्य किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1976–77 के दौरान राज्य में 3600 खंडसारी यूनिटों ने कार्य किया था।

(ख) सारी 85 चीनी फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों को गन्ने के तयशुदा मूल्य का भुगतान कर रही हैं। खंडसारी यूनिटों के मामले में कोई तयशुदा मूल्य नहीं है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहां कुछ खंडसारी यूनिट गन्ने का कानून के अधीन अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बताया है कि चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित विभाग में कर्मचारियों की संख्या

7011. **श्री दुर्गा चन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में गणित के छात्रों की संख्या अध्यापकों की संख्या की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की संख्या की तुलना में प्रत्येक कालेज में गणित में बी० ए० (आनर्स) के प्रत्येक वर्ष में छात्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या गणित के अध्यापन के मामले में पूल व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

NATIONAL STATUS TO GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES

†7012. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have accorded a national status to the Giri Institute of Development Studies without carrying out inspection in this regard ;

(b) if not, whether Government have obtained information about this institute ; and

(c) if not, the reasons for giving it a national status ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No. Sir.

(b) A Visiting Committee appointed by Indian Council of Social Science Research in November, 1976 examined the work done by the Institute and its development plan.

(c) Does not arise.

PENALTY FOR REGULARISING THE UNAUTHORISED CONSTRUCTIONS

7013. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are allowing unauthorised constructions in Delhi, and

(b) if not, whether it is a fact that Government have reduced the penalty for regularising such constructions ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) (a) No, Sir.

(b) Municipal Corporation of Delhi has reduced the penalty for regularisation of unauthorised constructions, which came up before 31st December, 1977, if the same are otherwise as per building bye-laws/policy and zoning regulations of the Master Plan.

डेरी विकास के लिए विदेशी सहायता

7014. श्री अहमद एम० पटेल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में डेरी विकास के लिए दी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसे राज्यवार किस प्रकार बांटा गया, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1975-76 तथा वर्ष 1976-77 के दौरान डेरी विकास के लिए दी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा अनुबंध 1 के विवरण में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत प्राप्त किए गये स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयात को आपरेशन फ्लड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समान धनराशि का सृजन करने के लिए महाराष्ट्र (3,543 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 510 मीटरी टन बटर आयात), पश्चिम बंगाल (6,564 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 578 मीटरी टन बटर आयल) तमिलनाडु (5,697 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 1097 मीटरी टन बटर आयल), गुजरात (1,752 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 806 मीटरी टन बटर आयल) तथा दिल्ली (10,146 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्न तथा 2,219 मीटरी टन बटर आयल) की डेरियों में बेचा गया था। आस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की गयी उपहार सप्लाई को देशी स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के साथ मिला कर वाणिज्यिक कोटे के गंतर्गत विभिन्न डेरी संयंत्रों/फैक्टरियों को बेचा गया था। उपहार में प्राप्त स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण को बेचने से प्राप्त धनराशि देश में डेरी विकास कार्यक्रमों के उपयोग में लायी जाएगी।

विवरण

क्र०सं०	वर्ष	सहायता का रूप	स्रोत
1.	1975-76	(क) 26,861 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	विश्व खाद्य कार्यक्रम (संयुक्त राष्ट्र संघ)
		(ख) 7,165 मीटरी टन बटर आयल	,,
		(ग) 765 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	आस्ट्रेलिया
		(घ) 1,35,000 अमेरिकी डालर की नकद सहायता	फोर्ड फाउन्डेशन
		(ङ) मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा के 6 अधिकारियों को प्रशिक्षण	खाद्य एवं कृषि संगठन
		(च) 7 विशेषज्ञ	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
2.	1976-77	(क) 17,634 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	विश्व खाद्य कार्यक्रम (संयुक्त राष्ट्र संघ)
		(ख) 1,762 मीटरी टन बटर आयल	,,
		(ग) 2,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	यूरोपीय आर्थिक समुदाय
		(घ) त्रिपुरा पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के 3 अधिकारियों को प्रशिक्षण	खाद्य एवं कृषि संगठन
		(ङ) 7 विशेषज्ञ	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

3.	उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने निम्नलिखित राज्यों में समेकित डेरी विकास परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की है :—	
	1. कर्नाटक	39.84 लाख रुपए
	2. राजस्थान	228.3 लाख रुपए
	3. मध्यप्रदेश	16.29 लाख रुपए

MONEY DEMANDED BY GUJARAT UNDER WHEAT PROCUREMENT BONUS SCHEME

7015. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have requested the Central Government for grant of bonus to the tune of Rs. 70 lakhs under the Wheat Procurement Bonus Scheme ; and if so, the dates on which Government of Gujarat have made such demands and the nature of demands made ;

(b) whether the Central Government have given bonus of Rs. 70 lakhs to Government of Gujarat ; and if not, the reasons therefor ; and

(c) when bonus of Rs. 70 lakhs is likely to be given to Government of Gujarat ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) :(a), (b) & (c) :The Government of Gujarat had made a request in November, 1976 for payment of incentive bonus of Rs. 70 lakhs on notional contribution of wheat to the Central Pool. Reminders have also been received subsequently from time to time. The request is under consideration in consultation with the Ministry of Finance and a decision is likely to be taken shortly.

रत्नागिरि, महाराष्ट्र के तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

7016. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के क्षेत्रों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की मछली का निर्यात किया जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि रत्नागिरि जिले की तट रेखा पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला कोई भी जलयान नहीं चलाया जा रहा है,

(ग) क्या सरकार का विचार रत्नागिरि जिले में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने के लिए मछुआ सहकारी संमितियों के माध्यम से अगले वर्ष के अन्त तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान चालू करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

रत्नागिरि, महाराष्ट्र में आम के बाग लगाना

7017. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोंकण में जनता के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में बड़े पैमाने पर आम के बाग लगाने की योजना बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण कराने का है और यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि कोई योजना बनाई गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार कोंकण क्षेत्र में एक समेकित वृक्ष रोपण विकास परियोजना बनाने पर विचार कर रही है, जिस में आम के बाग लगाने पर अधिक बल दिया गया है।

(ख) अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सर्वेक्षण के पश्चात् परियोजना तैयार करने की कार्यवाही आरम्भ होगी तथा महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से के रूप में कोंकण विकास निगम लिमिटिड को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श प्रभार के रूप में अदायगी के लिए 28-3-78 को 20,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।

(ग) योजना का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान

7018. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए वर्ष-वार कितना अनुदान मंजूर किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान परिषद ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के लिए वर्ष वार कितना कितना अनुदान मंजूर किया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक शिक्षा संस्था के लिए वर्ष-वार कितना अनुदान मंजूर किया गया : और

(घ) परिषद ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी परियोजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :

(क) भारत सरकार द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत अनुदानों की राशि निम्नलिखित है :—

विवरण

वर्ष	राशि
1975-76 . . .	91,96,000
1976-77	93,75,000
1977-78	99,48,000

(ख) प्रत्येक राज्य की ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत अनुदान की राशि निम्नलिखित है :

क्र० सं०	राज्य का नाम	1975-76	1976-77	1977 78
1.	राजस्थान	49,875	—	5,000
2.	तमिलनाडु	51,830	—	—
3.	उत्तर प्रदेश	—	—	76,590
4.	पश्चिम बंगाल . .	—	15,461	—

(ग) हिमाचल प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत अनुदान की राशि निम्नलिखित है :

	1975-76	1976-77	1977-78
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला . . .	—	20,000	20,000

(घ) परिषद ने ग्रामीण गरीबी, विकास और आयोजन की समस्याओं से संबंधित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध की है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों पर पुनर्विचार

7019. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों अध्यापकों और कर्मचारियों के आन्दोलनों के सम्बन्ध में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के विरूद्ध गत दो वर्षों में संस्थित किये गये मामलों पर पुनर्विचार करने और उन्हें वापस लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है और इन मामलों पर पुनर्विचार करने अथवा उन्हें वापस लेने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र भूमि विकास बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली बकाया राशियां

7020. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भूमि विकास बैंक को जिस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह उसकी बढ़ती हुई बकाया राशि के बारे म है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 में 61 करोड़ रुपये की मांग की तुलना म बैंक 30 जून, 1977 तक केवल 21 करोड़ रुपये की राशि ही वसूल कर सका था ;

(ग) क्या बैंक के अध्यक्ष ने इस बारे में 28 सितम्बर, 1977 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) उक्त ज्ञापन में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) जी हां। महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक के अतिदेयों का प्रतिशत 1974-75 में 58.53 था जो 1975-76 में बढ़कर 60.50 हो गया है और इसके बाद 1976-77 म 63 प्रतिशत तक बढ़ गया था। 30 जून, 1977 को बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 5974 लाख रुपये की मांग के मुकाबले में वसूली 2210 लाख रुपये की थी।

(ग) व (घ) जी हां। ज्ञापन में दी गई बातों की जांच की जा रही है।

SETTING UP OF VIDYAPEETH IN MAHARASHTRA

†7021. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether proposals have been submitted by the Maharashtra Government to the Government as well as to the University Grants Commission for setting up new Vidyapeeths in the State of Maharashtra indicating the number of such Vidyapeeths ;

(b) the names of places where these are proposed to be set up ;

(c) the details of decision taken on these proposals by Government as well as by the University Grants Commission ; and

(d) if these proposals are unacceptable, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a), (b), (c) and (d). The University Grants Commission has no scheme under which assistance is provided for establishment of Vidyapeeths in any part of the country. The Government

of Maharashtra had during the Fifth Plan period made certain proposals for the development of a Sanskrit Vidyapeeth each at Poona and Bombay on the lines of the Kendriya Sanskrit Vidyapeeths, functioning under the auspices of the Rashtriya Sanskrit Sansthan. The Government was not, however, in favour of the Rashtriya Sanskrit Sansthan assuming the responsibility for establishing and maintaining new Kendriya Sanskrit Vidyapeeths in different States.

500TH BIRTH ANNIVERSARY OF SAINT POET SURDAS

†7022. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme for celebrating 500th birth anniversary of Saint poet Surdas ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken to celebrate anniversary on a large scale ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF [EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A Sur Panchshati Co-ordination Committee has been set up by the Government under the Chairmanship of the Minister of Education, Social Welfare and Culture. This Committee has formulated programmes for year-long celebrations of the 500th birth anniversary of Saint Poet Suradasa from May, 1978 to April, 1979.

It is proposed to inaugurate the celebrations by holding a Sur Samaroh in Delhi on May 12, 1978. The other major programmes planned for the celebrations relate to translation of selected verses of Suradasa into Indian languages/ English ; publication of an authoritative edited text of the Works of Suradasa, a biography of Suradasa and an album of paintings ; opening of a library wing on Suradasa in the Central Secretariat Library ; development of places associated with Suradasa ; holding of seminars, lectures in universities/colleges ; programmes on radio and television ; release of a commemorative stamp : organisation of cultural programmes like Ras leela.

The State Governments and Union Territories have been requested to organise appropriate programmes in their respective areas.

बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले व्यक्तियों को गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा

7023. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले व्यक्तियों को गैर-विधिवत अंशकालिक शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्व व्यापी बनाने से संबंधित कार्य दल की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक अंशकालीन शिक्षा के नमूने और अगली योजना अवधि के दौरान आर्यान्वित करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं। पढ़ाई छोड़ जाने वालों की समस्या मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा (कक्षाएं I——VIII) के स्तर से संबंधित हैं।

बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम

7024. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है, और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने अगले 5-7 वर्षो में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने का निर्णय किया हैं। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने की राज्य मास्टर योजनायें तैयार की जा रही हैं। राज्य योजनाओं में औपचारिक स्कूलों और अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा केन्द्रों में दाखिले के वर्षवार लक्ष्य, स्कूलों और केन्द्रों की संख्या व स्थान तथा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अन्य निवेशों को निर्दिष्ट किया जायेगा।

राज्य योजनाएं प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से संबंधित कार्य दल द्वारा सुझाए गए ढांचे के आधार पर होंगी। कार्य दल का अनुमान है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1983/85 तक गैर-दाखिला प्राप्त 452 लाख अतिरिक्त बच्चों को स्कूल पद्धति के अन्तर्गत लाना होगा। अगली योजना अवधि के लिए दाखिल न हुए अतिरिक्त बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य 320 लाख का है, जिसमें 220 लाख बच्चे कक्षा I—V में और 100 लाख बच्चे कक्षा VI———VIII में होंगे। गै-रऔपचारिक अंशकालिक शिक्षा में 160 लाख बच्चे शामिल किए जाएंगे जब कि शेष 160 लाख बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।

दाखिल न हुए बच्चों में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों जैसे समाज के कमज़ोर वर्गो के बच्चे हैं। दाखिल न होने वाले 74 प्रतिशत बच्चे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े आठ राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में हैं।

विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लक्षित वर्गो की आवश्यकतानुसार विशेष गैर-औपचारिक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

इन पिछड़े राज्यों के लिए केन्द्र की चिन्ता के प्रमाण के रूप में कार्य दल ने छठी योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना की सिफारिश की है। जिसके अन्तर्गत मुख्यतः आठ पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक अंशकालिक शैक्षिक कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा। 1978-79 के दौरान इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

पीतमपुरा आवास योजना, दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था

7025. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा आवास योजना, दिल्ली में पीने के पानी की लाइन बिछा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन इलाकों का ब्यौरा क्या है जिनमें काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) जिन लोगों ने प्लाटों पर मकान बनाने का काम आरम्भ कर दिया है उन्हें कब तक पानी के कनेक्शन देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) और (ग) जलपूर्ति के लिए लाइनें डालने का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। डी० एच० के० (पूर्वी), यू० टी० (उत्तरी) और सी० एण्ड डी० (दक्षिणी) पाकेटों जो पहले ग्रुप आवास के लिए निर्धारित किए गए थे और बाद में प्लाट वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए गए थे, में कार्य डिजाइन बनाने, प्राक्कलन, टेंडर देने और आबंटन करने के विभिन्न चरणों में है और इस कार्य के सितम्बर, 1978 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम की सप्लाई अभी उपलब्ध नहीं है। नलकूपों द्वारा अन्तरिम प्रबंध किए जायेंगे, इनमें कुछ नलकूप पहले ही लगा दिए गए हैं। एक उपरि टेंक का निर्माण भी किया जाना है।

पीतमपुरा रिहायशी आवास योजना दिल्ली में समूह आवास सहकारी समितियां

7026. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनमें से प्रत्येक समूह आवास सहकारी समिति के कितने सदस्य हैं जिन्हें पीतम पुरा रिहायशी योजना, दिल्ली में जमीन आबंटित की गई है,

(ख) क्या उपरोक्त समितियों में से किसी समिति ने इस बीच वहां पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, और

7—208LSS/78

(ग) अन्य समितियों द्वारा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाना है और क्या सरकार ने कोई समय सीमा नियत नहीं की है जिससे कि ये समितियों शीघ्रता से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सके और आवास समस्या कुछ सीमा तक हल हो सके?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) (क) विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं, जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है।

(ग) कतिपय निर्माण कार्य करने का निर्णय करना समितियों का काम हैं। इस सबंध में सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है किन्तु उनके साथ निष्पादित पट्टा बिलख की शर्तों के अनुसार उन्हें स्थायी विलेख निष्पादित करने की तारीख से 4 वर्ष के अन्दर फ्लैट का निर्माण पूर्ण करना अपेक्षित है।

वे ग्रुप आवास समितियां जिन्हें पीतमपुरा क्षेत्र में भूमि का आबंटन किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
1.	एस० पी० एल० एम्पलाइज सी० जी० एच० एस०	65
2.	झुलेलाल सिन्धु नगर सी० जी० एच० एस०	595
3.	अमीनाबाद सी० जी० एच० एस० . . .	102
4.	आई० डी० पी० एल० एम्पलाइज सी० जी० एच० एस०	70
5.	गढ़वाल सी० जी० एच० एस०	81
6.	एक जोत सी० जी० एच० एस० .	120
7.	डी० टी० सी० एम्पलाइज सी० जी० एच० एस०	100
8.	अजय सी० जी० एच० एस० .	57
9.	अपना घर सी० जी० एच० एस० . .	97
10.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम्पलाइज सी० जी० एच० एस०	105
11.	राजस्थानी भवन निर्माण समिति सी० जी० एच० एस० . .	375

टिप्पणी :—सदस्यता के आंकड़े दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन पर आधारित है।

HANDING OVER OF CHARGE BY OFFICERS OF NATIONAL CENTRE FOR BLIND, DEHRA DUN

7027. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Class I Officers working in the National Centre for the Blind, Dehra Dun and the name of the present Director and the class to which he belongs ;

(b) whether while proceeding on leave the Director ignoring class I officers hands over charge to a class II officers ; and

(c) if so, reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) There are three class I officers, including the Director Shri J. B. Aggarwal, in the National Centre for the Blind, Dehra Dun.

(b) and (c) Since Shri Aggarwal joined, he has not gone on long leave.

गोबर-गैस संयंत्र के लिए आवेदनपत्र

7029. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिये किसानों से अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) एसे संयत्र की अनुमानिन लागत कितनी है ; और

(ग) क्या एसे संयंत्र लगाने के लिये सरकार का कोई राज सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वियन एजेंसियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) गोबर गैस संयत्र की अनुमानित लागत 2 क्यूबिक मीटर आकार के सयंत्र के लिए 2,332 रु० से 140 क्यूबिक मीटर के आकार के सयंत्र के लिए 58,000 रु० तक भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) गोबर-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता छोटे संयंत्रों (2 और 3 क्यूबिक मीटर) के लिए छोटे व सीमान्त किसानों को पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत समस्त आकारों के संयंत्रों के लिए अन्य किसानों को 20 प्रतिशत सामुदायिक संयंत्रों के लिए 33 प्रतिशत और पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत है।

नगरों के विकास के लिए महानगर विकास निधि से वित्तीय सहायता दिया जाना

7030. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगरों के विकास के लिए महानगर विकास निधि से वित्तीय सहायता देती है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता दी गई और किन नगरों को दी गई,

(ग) क्या इस संबध में वित्तीय सहायता के अग्रेतर अनुरोध का कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) एक विवरण सलग्न है।

(ग) तथा (घ) चल रही परियोजनाओं की साल के साल प्रगति का मूल्यांकन तथा नई परियोजनाओं का मूल्य निर्धारण के आधार पर सहायता मंजूर की जाती है और दी जाती है

विवरण

महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का विवरण :

नगर/कस्बों का नाम एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)		
	1975-76	1976-77	1977-78
(1)	(2)	(3)	(4)
1. भोपाल . .	75	100	—
2. इन्दौर	75	110	—
3. लुधियाना .	75	150	104
4. कोचीन . . .	60	60	80
5. कानपुर (आई० यू० डी० पी०) .	61	107	—
कानपुर (आई०डी०ए० वाटर सप्लाई)	50	—	—
6. इलाहाबाद (आई० डी० ए० वाटर सप्लाई)	50	—	—
7. हैदराबाद (आई० यू० डी० पी०)	43	40	13
हैदराबाद (सिक्स प्वाईट फार्मूला)	60	151	358.38
8. विशाखापटनम् .	75	—	—
9. हल्दिया	50	80	—
10. अहमदाबाद	35	75	117
11. बंगलौर	—	30	170
12. लखनऊ	—	20	51
13. आसनसोल	—	10	—
14. रायपुर	—	10	39
15. जालन्धर	—	10	75
16. बड़ौदा	—	10	—
17. कलकत्ता . . .	600	750	1050
18. बम्बई	315	1100	484
19. मद्रास	265	112	284

(1)	(2)	(3)	(4)
20. उज्जैन .	—	—	95
21. ग्वालियर	—	—	15
22. जबलपुर	—	—	75
23. कोरबा	—	—	20
24. अमृतसर	—	—	100
25. पुणें	—	—	20
26. नागपुर .	—	—	20
27. कोल्हापुर	—	—	20
28. शोलापुर	—	—	48
29. कोयम्बतूर	—	—	146
30. मदुरई	—	—	32
कुल : . . .	1889	2925	3416.38

राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

7031. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई और इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई,

(ख) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, उनके लिए मंजूर की गई राशि से कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई तंत्र (मशीनरी) गठित किया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान वर्षवार, प्रत्येक राज्य के लिए कार्यक्रम हेतु कितनी राशि मंजूर की गई और उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि खर्च की और प्रत्येक वर्ष कितनी राशि व्ययगत हुई ; और

(घ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) (ग) व (घ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसे देखते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को कोई स्वीकृतियां नहीं दी गई हैं। उस अवधि के दौरान इस बारे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई धन-राशि से संबधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दादर और नागर हवेली से चावल की खरीद

7032. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली से धान/चावल खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितनी मात्रा में चावल खरीदा गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी तथा चक्की वाले (मिलर) बेईमानी करने में लगे हुए हैं और बढ़िया चावल में घटिया चावल मिला रहे हैं ; और

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये सरकार इस बारे में कोई जांच करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम केन्द्र शासित प्रदेश दादर तथा नागर हवेली में धान/चावल की वसूली का कार्य नहीं करता है।

(ख) से (घ) तक प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य कृषि फार्मों में कर्मचारी स्थिति

7033. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य फार्मों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं,

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1977 को प्रत्येक फार्म में कर्मचारियों संबंधी स्थिति का तथा आवश्यकता से अधिक माने गये कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) छटनी किये बिना कर्मचारियों की संख्या सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय राज्य फार्म निगम

7034. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के चेयरमैन और निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं,

(ख) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कितने समय से बोर्ड में हैं,

(ग) क्या राज्य फार्मों के कार्य निष्पादन में धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार का विचार बोर्ड में या अन्य प्रबंध अधिकारियों में परिवर्तन करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख)

क्र० सं०	नाम तथा ब्यौरा	पद	अर्हता	से
1.	श्रीमती अन्ना आर० मल्होत्रा, कृषि विभाग	अध्यक्ष	एम० ए० (अंग्रेजी साहित्य) आई० ए० एस०	28-3-78
2.	डा० जी० एस० कालकट कृषि विभाग	सदस्य	एम० एस० सी०, पी० एच० डी०	15-4-77
3.	श्री आर० के० रथ कृषि विभाग	सदस्य	एम० ए०, आई० ए० एस०	21-3-78
4.	श्री ए० एन० मुखोपाध्याय कृषि विभाग	सदस्य	बी० काम०, एस० ए० एस० तथा आई० ए० एंड ए० एस०	21-3-78
5.	श्री पी० जे० जकारिया कृषि विभाग	सदस्य	1. बी० एस० सी० (कृषि इन्जीनियरिंग) 2. एम० एस० सी० (कृषि इन्जीनियरिंग) पश्चिम वर्जिनिया (यू० एस० ए०)	21-3-78
6.	डा० डी० आर० भुम्बला भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	सदस्य	एम० एस० सी०, पी० एच० डी० (सस्य विज्ञान)	21-3-78
7.	श्री एस० एस० बल प्रबंध निदेशक, एन० एस० सी०, नई दिल्ली।	सदस्य	एम० एस० (सस्य विज्ञान)	21-3-78
8.	डा० ए० एस० संधु, महाप्रबंधक भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली।	सदस्य	पी० एच० डी० (सस्य विज्ञान)	21-3-78

(ग) जी नहीं, यह बोर्ड हाल ही में गठित किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्य फार्म निगम के प्रत्येक कार्य के साथ सम्बद्ध भूमि का क्षेत्रफल

7035. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ऐसा फार्म कितनी जमीन पर है जिसका प्रबन्ध भारतीय राज्य फार्म निगम लि० द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी भूमि को अब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कर दी गई है ; और

(ग) सम्पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और कब तक यह कार्य पूरा हो जायगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख)

30-6-77 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र हेक्टार

क्रम सं०	फार्म का नाम	कब्जे के अन्तर्गत क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र
1.	सूरतगढ़ जिसमें सरदारगढ़ भी शामिल है, (राजस्थान) .	11131	3644
2.	जैतसर (राजस्थान) . . .	5391	2911
3.	हिसार (हरियाणा)	2798	1215
4.	लधोवल (पंजाब)	1168	924
5.	रायनूर (कर्नाटक) .	2960	1490
6.	चेंगम (तमिलनाडु)	3906	445
7.	कन्नौर (केरल) . .	3060	115
8.	कोकिलाबाड़ी (असम)	1986	200
9.	बहाराइच (उत्तर प्रदेश)	2307	1052
10.	राय बरेली (उत्तर प्रदेश) . . .	190	120
11.	मिजोरम (2 यूनिटें)	523	18

(ग) विभिन्न केन्द्रीय राज्य फार्मों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने मई, 1976 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में फार्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जल-सप्लाई की मात्रा बढ़ाने के लिये विभिन्न उपायों की सिफारिश की है । भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से भी संबंध बनाए हुए है। निहित कार्य को देखते हुए सिंचाई योग्य समस्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने में काफी समय लगने की संभावना है ।

आपात स्थिति के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में सताये गये अध्यापक

7036. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें आपात स्थिति के दौरान अध्यापकों को विभिन्न तरीकों से सताया गया था ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने अध्यापकों को (1) बर्खास्त किया गया (2) निलम्बित किया गया और (3) स्थानांतरित किया गया ;

(ग) प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने अध्यापकों का वेतन नसबन्दी न कराने के लिये रोका गया ; और

(घ) उन अध्यापकों की विश्वविद्यालयवार संख्या कितनी है जिन्हें उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये बिना आज तक सेवा में बहाल कर दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उन विश्वविद्यालयों को जो राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए है अनुदान उपलब्ध करना है तथापि, न तो आयोग और न ही केन्द्रीय सरकार इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन तथा प्रबंध में कुछ कह सकती है। जून, 1977 के शुरू में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अध्यापकों कर्मचारियों और छात्रों की न्यायसंगतशिकायतों की जांच करें और उनको दूर करने के लिए तत्काल उपाय करें। तथापि, सरकार के पास उन अध्यापकों की संख्या के संबंध में जो आपातकाल के दौरान दण्डित किए गए थे, अत्याचार के स्वरूप और प्रत्येक मामले के कारण, से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्यापक को उतने समय तक के लिए निलम्बित माना गया था जितने समय तक वह भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबंद रखे गए थे और छूटने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में एक अध्यापक को निलम्बित किया गया था परन्तु जांच के बाद उन्हें निलम्बन की पूरी अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ फिर से नौकरी में बहाल कर दिया गया। आपात काल के दौरान राजनैतिक कारणों से किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई भी मामला किसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। नसबन्दी न कराने के कारण किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किसी भी अध्यापक का वेतन रोके जाने का भी कोई उदाहरण नहीं।

ग्रामीण निर्धनों के मकानों के लिए स्थान

7037. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण, और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे ग्रामीण परिवारों के नवीनतम आंकड़े क्या है जिनके पास मकान बनाने के लिए स्थान नहीं है,

(ख) राज्यवार कुल कितने परिवारों को आज तक मकान बनाने के लिए स्थान दिए गए हैं,

(ग) राज्यवार कितने परिवारों ने मकान बनाने के लिए दिए गए स्थानों का उपयोग किया है और सरकारी वित्तीय सहायता से मकान बनाये हैं,

(घ) मकान बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को, राज्यवार, औसतन कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ङ) क्या यह सच है कि जिन परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान दिए गए वे पर्याप्त सरकारी सहायता न मिलने के कारण अपने मकान नहीं बना सके।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ख) : एक विवरण अनुलग्नक I पर रखा है।

(ग) से (ङ) तक : योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य के आवास स्थल आवंटन करने की व्यवस्था है और आवंटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने साधनों से या ऐसी सहायता से जो उन्हें राज्य सरकारों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा सके, मकानों का निर्माण करें। कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य में क्षेत्र प्रशासन, योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास स्थलों पर मकानों का निर्माण करने के लिए, आवंटियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक टिप्पणी अनुलग्नक-II पर रखी है।

गन्ने की बकाया राशि की वसूली

7038. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री समर मुखर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री गन्ने की बकाया राशि के बारे में 13 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2572 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है, और

(ख) दोषी मिलों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) देश की विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों को 15-2-78 को गन्ने के बकायों का जो भुगतान करना है, वह धनराशि मौसम में खरीदे गए गन्ने का 24.2% बैठती है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप बकायों की धनराशि धीरे धीरे कम होती जा रही है और 28-2-78 को 21.2% और 15-3-78 को 20.1% थी। एक विवरण संलग्न है जिसमें गन्ने के बकायों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों का ब्यौरा दिया गया है। क्योंकि कुछ पग केवल हाल ही में उठाए गए हैं, इनका परिणाम कुछ समय बाद ही दिखाई देगा।

(ख) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकारें चूककर्ता फेक्ट्रियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाही करती हैं।

विवरण

गन्ने के मूल्य के बकायों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पग :—

(i) बकाया राशि को कम करने के लिए राज्य सरकारों से बराबर बातचीत की जाती है।

(ii) गन्ना (नियंत्रण) आदेश में 2-2-1978 से संशोधन कर दिया गया है जिसमें गन्ने के मूल्य का विलम्ब से भुगतान करने पर 15% की दर पर ब्याज देने की व्यवस्था की गई है।

(iii) गन्ना (नियंत्रण) आदेश में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का संबंधित गन्ना उत्पादको में से कोई भी वास्तविक दावेदार नहीं है, तो उसे राज्य की निधि में इस शर्त पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा कि राज्य सरकार उसका यथासम्भव गन्ने के विकास के लिये ही इस्तेमाल करेगी।

उपर्युक्त पगों के अलावा, सरकार द्वारा लिये गए निम्नलिखित निर्णय भी गन्ने के मूल्य के बकायों को समाप्त करने में सहायक होंगे :—

(i) लेवी चीनी का अखिल भारत आधार पर भारित औसत निकासी मूल्य 187.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाएगा। विभिन्न जोतों के लिये लागू मूल्य भी अधिसूचित किए गए हैं। ये मूल्य 1 मार्च, 1978 से लागू हुए हैं।

(ii) फैक्ट्रियों को 30 अप्रैल, 1978 के बाद भी देर तक पिराई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिये उत्पादन शुल्क में रिबेट दिया जाएगा ताकि इस वर्ष यथासंभव अधिकतम अतिरिक्त गन्ने के उत्पादन को खपाया जा सके। इस योजना के लिये ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। और उनकी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

(iii) 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। (वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन 1977—78 के लिये यही कोटा है) इससे चीनी फैक्ट्रियों को स्टाक को कम करने में मदद मिलेगी, अन्यथा उन्हें ये स्टाक अपने पास रखने पड़ते।

(iv) क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन होने से फैक्ट्रियों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक स्टाक रखना पड़ेगा, इसलिये फैक्ट्रियों की ऋण सीमा में उपयुक्त वृद्धि करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनकी अतिरिक्त ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

विकलांग कर्मचारियों को पारी बाहर सरकारी मकानों का आवंटन

7039. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकलांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सरकारी क्वार्टरों का आबंटन पारी बाहर देने की स्वीकृति दी जा रही है।

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन कर्मचारियों को पारी बाहर कितने क्वार्टरों का आबंटन किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन के मामले में स्वीकृति आदेश देने और वास्तविक रूप से आबंटन करने के बीच की अवधि काफी लम्बी होती है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इन कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, कुछ शर्तों के पूरा होने पर।

(ख) 26

(ग) क्वार्टर की मंजूरी तथा वास्तविक आबंटन के मध्य कुछ समय लग जाता है क्योंकि जिन लोगों को चिकित्सा आधार पर तदर्थ आबंटन की मंजूरी दी जाती है उनके लिये आबंटन के लिये रिक्तियों का 5% ही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सप्रू हाउस-ग्रंथालय द्वारा पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री

7040. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सप्रू हाउस ग्रन्थालय द्वारा पुरानी पत्र-पत्रिकाओं के निपटान की जांच के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति को उनमें भारी संख्या में मूल्यवान पुस्तके मिली हैं जिनमें से कुछ दुलर्भ पुस्तकें हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारतीय विश्व कार्य परिषद ने इस मामले की जांच करने के लिये एक उप समिति नियुक्त की है। तथापि, परिषद् को इनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान

7041. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा
श्री महेन्द्र सिंह संयांवाला : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को, विशेषकर उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो अपने जीवन का अधिकांश भाग देश की सेवा में गुजार चुके हैं, वर्तमान सरकारी आवास खाली कराने से पूर्व कोई वैकल्पिक आवास आबंटित करने का है; और

(ख) क्या इस मामले पर विचार करने के लिये कोई समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो इसकी रिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

अल्मोड़ा में ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्थान

7042. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला अल्मोड़ा में ऐतिहासिक महत्व के अनेक प्राचीन स्थान हैं ;

(ख) क्या इन ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है ताकि वहाँ पुरातत्वीय महत्व की वस्तुओं को खोद कर निकाला जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) जी हां।

लखिओड्यार में एक चित्रयुक्त शैलगृह के अतिरिक्त प्राचीन मंदिरों के अवशेष देवीधुरा, पिनाठ, सोमेश्वर, भींग, बिंतेश्वर, ग्वालदम और बागेश्वर में पाए गए हैं। अभी तक उत्खनन योग्य कोई महत्वपूर्ण टीले की जानकारी नहीं मिली है। फिर भी इस क्षेत्र के हर गांव का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।

FUNDS GIVEN FOR SEMINAR ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT BY GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, LUCKNOW

†7043. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be plased to state :

(a) whether the Giri Institute of Development Studies, Lucknow was given funds for Seminar on Agricultural Development during Emergency ; and

(b) if so, the amount thereof and when the Seminar was held and the expenditure incurred thereon ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) :(a) & (b). As part of the programme of promoting socio-economic research on topics having a bearing on plan formulation and implementation, the Planning Commission had agreed in January, 1976 to a grant-in-aid of Rs. 45,759·00 to the Giri Institute of Development Studies, Lucknow for its research project relating to strategy and techniques of regional planning for agricultural development. This involved preparation of research papers and discussion on the same in a Seminar, which was held on August 5 and 6, 1977. The expenditure incurred is reported by the Institute at Rs. 40,543·30 P.

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की समस्यायें

7044 **श्री समर गुह**
श्री श्रोम प्रकाश त्यागी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसर में विशेषतया केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालयों में छात्र श्रान्दोलन बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में ऐसे श्रान्दोलनों तथा दंगों के बारे में तथ्य क्या है; श्रौर

(ग) ऐसे छात्रों की समस्याश्रों से निबटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) श्रौर (ख) श्रापात स्थति को उठाने के बाद से विद्यार्थी, श्रच्छी परिवहन सुविधाश्रों की व्यवस्था, बसों, रेस्तरांश्रों सिनेमाओं में झगड़े श्रादि जैसे मामलों के श्रतिरिक्त परीक्षाश्रों के स्थगन, विद्यार्थी संघों की मान्यता, स्थानों के श्रारक्षण, कुलपति को हटाने श्रथवा उसको नियुक्ति करने श्रादि जैसे मामलों से सबंधित, श्रपनी शिकायतें प्रकट कर सकते हैं।

जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है पिछले तीन महिनों के दौरान श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय श्रौर दिल्ली विश्वविद्यालय में उपद्रव हुए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

यहां 23-24 जनवरी, 1978 को कुछ घटनाएं उस समय हुई जब एक छात्रावास में प्रबन्धकीय पदों पर कुछ विद्यार्थियों की नियुक्ति की घोषणा की गई छात्रों के एक दल ने लाठियों श्रौर चाकुश्रों श्रादि से दूसरे दल पर हमला किया, 12 छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया श्रौर उन्हें हस्पताल में दाखिल किया गया तथा मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई। इन घटनाश्रों में शामिल 28 छात्रों के नाम विश्वविद्यालय के हाजरी रजिस्टरों से काट दिये

गये और उनका परिसर में घुसना निषिध घोषित कर दिया गया। कुलपति ने इन घटनाओं के कारणों की जांच करने तथा उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव देने के लिए जांच समिति का भी गठन किया।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

फरवरी, 978 में, पूर्व-चिकित्सा परीक्षा में अंकों की रियायत देने की मांग के समर्थन में तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में सीटों के आरक्षण के लिए, यहां छात्र आन्दोलन हुए। यहां हिंसात्मक घटनाएं हुईं जिसके कारण पुलिस को हस्ताक्षेप करना पड़ा, विश्वविद्यालय में एक दिन के लिए पढ़ाई बंद की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय के रेक्टर ने 11 मार्च, 1978 से विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का एक कार्यालय आदेश जारी किया। मार्च, 1978 से विश्वविद्यालय चरणों में फिर खुलने लगा। 11 अप्रैल, 1978 को विश्वविद्यालय से तार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यार्थियों ने एकबार फिर से आन्दोलन शुरू कर दिया है और उन्होंने हिंसक कार्रवाईयां की हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय

मार्च, 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष तथा सचिव के नेतृत्व में छात्रों के एक वर्ग ने परीक्षाओं के स्थगन के लिए आन्दोलन शुरू किया। छात्रों ने हिंसक कार्रवाईयां कीं और कुलपति तथा विश्वविद्यालय के कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की पिटाई की। विश्वविद्यालय ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तथा उपद्रवों में शामिल तीन छात्रों को निलम्बित भी कर दिया। विश्वविद्यालय ने घटनाओं तथा तीन छात्रों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति भी नियुक्त कर दी है। विज्ञान की परीक्षाओं के अतिरिक्त 10—15 अप्रैल के बीच शुरू होने वाली, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की कुछ परीक्षाओं को 17 अप्रैल, 1978 तक स्थगित कर दिया गया।

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, छात्रों की उचित शिकायतों पर विचार करने तथा उन्हें तत्काल दूर करने हेतु कदम उठाने के लिए, मंचों की स्थापना करने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकारों को हाल ही में, इस प्रकार के मंचों के कार्य की निगरानी करने तथा छोटी समस्याएं जो बाद में बड़ी समस्याएं बन जाती हैं को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई को सुनश्चित करने हेतु समस्याओं का पूर्वानुमान करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन देने हेतु, राज्य स्तर तथा जिला स्तर की समितियां स्थापित करने की भी सलाह दी गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं से, विश्वविद्यालय परिसरों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श शुरू करने का भी प्रस्ताव है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी राज्य स्तर पर इसी प्रकार के कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

एच० यू० डी० सी० ओ० के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में बनाये गए मकान

7045. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से 1977 तक गत तीन वर्षों में एच० यू० डी० सी० ओ० के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवास के विकास के बारे में तथ्य क्या है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) विभिन्न वर्षों में इस विकास के आंकड़ों का ब्यौरा है तथा आवास संबंधी विकास किन-किन स्थानों पर किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हुडको स्वयं मकानों का निर्माण नहीं करता बल्कि देश भर की विभिन्न आवास अधिकरणों को आवास योजनाओं का वित्त पोषण करता है। हुडको ने केवल कलकत्ता में ही सीधे निर्माण कार्य किया है जहां पर निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग के 252 मकानों का निर्माण किया गया।

वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक हुडको की विभिन्न श्रेणियों के मकानों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण की मंजूरी इस प्रकार है :—

श्रेणी	1977-78	1976-77	1975-76
			(करोड़ रुपयों में)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	27.432	18.543	11.223
निम्न आय वर्ग	20.423	22.688	15.709
मध्यम आय वर्ग	19.995	17.541	17.384
उच्चतर आयवर्ग	6.952	2.914	5.282
किराया योजना	2.562	3.880	0.069
अन्य (वाणिज्यिक भवन, भवन निर्माण सामग्री, उद्योग आदि)	10.690	6.292	2.126
कुल . . .	88.054	71.858	51.793

(ख) 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऋण मंजूरी नीचे दी गई है।

1975-76 से 1977-78 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण
(31-3-78 तक)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण		
	1975-76	1976-77	1977-78
(1)	(2)	(3)	(4)
			(लाख रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	—	471.905	502.500
असम	—	—	59.470
बिहार . .	—	468.090	591.100

(1)	(2)	(3)	(4)
गुजरात .	466.53	848.957	623.061
हरियाणा . .	477.25	187.570	786.810
हिमाचल प्रदेश . .	79.40	17.940	14.170
जम्मू तथा कश्मीर . .	—	22.000	95.280
कर्नाटक .	122.35	934.250	805.930
केरल	—	44.740	1,115.66
मध्य प्रदेश .	585.72	319.320	207.660
महाराष्ट्र .	225.56	227.823	1,196.440
उडीसा	115.03	181.605	146.990
पंजाब	374.22	371.666	154.270
राजस्थान .	621.63	380.810	484.550
तमिलनाडु .	664.52	1,367.200	430.680
उत्तर प्रदेश .	843.65	704.20	915.730
पश्चिम बंगाल	453.395	396.45	391.970
संघ राज्य क्षेत्र			
चण्डीगढ़	—	217.36	125.960
दिल्ली .	150.010	—	157.110
गोवा, दमण तथा दीव .	—	8.57	—
पाण्डिचेरी	—	17.37	—
कुल . . .	5,179.265	7,185.826	8,805.341

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण

7046. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सदर निर्वाचन क्षेत्र में शास्त्री नगर तथा अन्य अनधिकृत कालोनियों का वास्तविक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक अनधिकृत कालोनी में प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रत्येक कालोनी में कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शास्त्री नगर का वास्तविक सर्वेक्षण किया जा

रहा है तथा निकट भविष्य में पूरा हो जाने की संभावना है। अनधिकृत कालोनियों की निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियां तैयार नहीं की गई हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 50 लाख रुपये धनराशि की व्यवस्था की गई है। विभिन्न अनधिकृत कालोनियों के लिए बजट व्यवस्था का नियतन नहीं किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों में होस्टल

7047. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कालेजों के और दिल्ली विश्वविद्यालय के होस्टलों में कुल कितने स्थान हैं ;

(ख) छात्रों और छात्राओं के लिए होस्टलों में कुल कितने स्थानों की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में होस्टलों में कितने स्थान बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) इस कमी को फिलहाल पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कालेज छात्रावासों में उपलब्ध स्थानों की संख्या 3,922 है जबकि विश्वविद्यालय छात्रावासों में 697 है।

(ख) से (च) विश्वविद्यालय और इसके समबद्ध कालेजों, दोनों में, छात्रावास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) लड़कों के लिए 200 कमरों के एक नए छात्रावास तथा संगीत संकाय के लिये 50 कमरों के छात्रावास तथा मुख्य परिसर में विद्यमान स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में और 100 कमरों के निर्माण के प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं और उनके विचाराधीन हैं।

(ii) विश्वविद्यालय परिसर में ही लड़कियों के लिए 200 कमरों के एक नये छात्रावास तथा विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के छात्रावास के लिए 100 और कमरों के निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जा रहे हैं।

(iii) विश्वविद्यालय ने उन 75 कमरों के उपयोग की अनुमति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज से अनुरोध किया है जो इस समय छात्रावास के उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(iv) विश्वविद्यालय ने छात्रावास के निर्माण के लिए श्री वेंकटेश्वर कालेज और आई० पी० कालेज के विद्यमान छात्रावास के कमरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव की सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से की है।

(v) छात्रावास के निर्माण के बारे में एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज का एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं।

निम्न आय वर्ग के लिए घोंडा आवास योजना का विकास

7048. **श्री मही लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिए घोंडा आवास योजना के विकास के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के आतारांकित प्रश्न सं० 4391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सड़कों के निर्माण, मल निकासी तथा जल सप्लाई लाईन बिछाने, बिजली की लाईनें तथा तार-खींचने के कार्यों को पूरा करने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त मदों के लिए निविदायें पहले ही मांगी जा चुकी हैं, स्वीकार कर ली गई हैं और ठेकेदारों को कार्य सौंपा जा चुका है;

(ग) क्या ब्लाक 'सी' में बहुत से मकान पहले ही बन चुके हैं और/अथवा निर्माणाधीन हैं;

(घ) क्या उन आवास योजनाओं में उदाहरणार्थ, पीतमपुरा, जिसकी घोषणा बहुत बाद में की गई थी, निर्माण कार्य घोंडा आवास योजना की तुलना में बहुत आगे है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) ये सभी सुविधायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख)-एक विवरण संलग्न है।

(ग) ब्लाक 'सी' में लगभग 100 मकान बन गए हैं।

(घ) पीतामपुरा रिहायशी योजना 1973-74 में आरम्भ की गई थी और घोंडा योजना 1975 में आरम्भ की गई थी।

(ङ) विकास कार्य के मार्च, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते सामग्री और निधियां उपलब्ध हो जाएं।

विवरण

घोंडा रिहायशी योजना के विकास की प्रगति इस प्रकार है :—

I. **सड़कें** : सी-1 से सी-4 तक के ब्लाकों में सभी सड़कों का कार्य पूरा हो गया है। सी-5 से सी-9 तक के ब्लाकों में, 9 मीटर और 13.5 मीटर वाली सड़कें पूरी हो गई हैं तथा 5 मीटर वाली सड़कों के कार्य के लिए ठेका दिया जा रहा है। सी-10 से सी-12 तक के ब्लाक में सड़क निर्माण के समस्त कार्य का ठेका दिया जा रहा है। ब्लाक-बी-1, बी-2 और बी-5 में 9 मीटर और 13.5 मीटर वाली सड़कों के लिए ठेका दिया जा रहा है। 18 मीटर और 24 मीटर की सभी सड़कों का निष्पादन किया जा रहा है।

II. **मल-जल नालियां** : सी-1 से सी-6 तक के ब्लाकों में गहरे सीवर की लाईनें बिछा दी गई हैं। शेष क्षेत्र के लिए डिजाइन दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है।

III. **जलपूर्ति** : 6 नलकूप खोदे जा चुके हैं। सी-2 से सी-4 ब्लाक तक वितरण की नालियां डाली जा चुकी हैं। सी-1 ब्लाक में वितरण लाईनें डालने का कार्य प्रगति पर है। दो सबमर्सीबल पम्प पहले ही लगाये जा चुके हैं और दो अन्य पम्प शीघ्र ही लगाये जाने वाले हैं।

Iv. **बिजली कार्य** :—दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान से ब्लाक 'सी' के लिए प्राक्कलन की प्रतीक्षा की जा रही है। ब्लाक बी में सब स्टेशन स्थल के अनधिकृत दखल के कारण प्राक्कलन तैयार नहीं किए जा सके। इउ क्षेत्र के लिए आयोजित 9 सब-स्टेशन स्थलों में से 3 सब-स्टेशनों के स्थल दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान को सौंपे जा चुके हैं।

कृषि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों को भेजे गए व्यक्ति

7049. **श्री मही लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को विदेशों में भेजा गया उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रशिक्षण के लिए भेजे गए व्यक्तियों को कृषि के क्षेत्र में क्या अनुभव प्राप्त था तथा उनका चयन करने का मानदंड क्या था और उन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशों से देशवार, कितने कृषि वैज्ञानिक कृषि में प्रशिक्षण देने के लिए भारत आए और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम किन स्थानों में आयोजित हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जायेगी।

Delegation Of Farmers To Countries Of Small Land Holdings

7050. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION will be pleased to state whether Government propose to send

delegations of farmers or their representatives to the Countries having small land holdings and higher per hectare yield than India ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : No, Sir.

Disposal Of Land By D.D.A. At Exorbitant Rates

7051. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority had purchased land in resettlement colonies at the rates of Rs. 5 per yard and is now disposing this land at the rate of Rs. 200 per yard without developing it;

(b) whether it is a fact that each of the Janata flats constructed by Delhi Development Authority covers an area of 25 square yards with a single room which costs Rs. 6350 i.e. cost of 25 square yards of land is Rs. 5,000 and cost of the room is Rs. 1360 when the facility of sewer, flush latrines and electricity has not been provided there; and

(c) if so, whether Government will take steps to provide houses to the people at reasonable cost by stopping such profiteering ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir. The land in resettlement colonies is developed into residential and commercial plots. The residential plots were allotted on licence fee, the maximum of which for a 25 sq. yd. plot is Rs. 8 per month, including Re. 1 as conservency charges. Only some commercial plots have been auctioned.

(b) The cost of the plot is only Rs. 1860/- and the cost of one room tenement is Rs. 4500/-. Civic amenities in the form of street lighting, roads, drinking water and latrines etc. have been provided in all the resettlement colonies.

(c) The houses are being allotted at the cost price, and there is no profiteering.

Arrangement Of Milk Supply In Resttlement Colonies In Delhi

7052. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Delhi Milk Scheme has not made any arrangements for supply of milk in the resettlement colonies of the Capital such as Kalyanpuri, Nandnagari, New Seemapuri etc. which are predominantly inhabited by poor people; and

(b) whether Government propose to make early arrangements for issuing new milk tokens or supply milk on the basis of ration cards in these colonies and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) w.e.f. 15-4-77, D.M.S. has made arrangements for the supply of Toned Milk to 18 resettlement colonies including Nandnagari. However, no arrangements have been made for the supply of milk by the D.M.S. to the resettlement colonies at Kalyanpuri and New Seemapuri.

(b) No Sir; the Delhi Milk Scheme has already started distributing about 3.75 lakh litres of milk per day which is its optimum capacity and there is, at present, no scope for increased handling.

But the Mother Dairy will shortly be starting milk booths in the resettlement colonies in trans-Jamuna area at Khichripur, Trilokpuri, Nandnagari and Gokulpuri.

Preservation Of Potatoes And Onions

7053. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to adopt new process to preserve potatoes and onions from getting rotten with a view to check the loss to the tune of crores of rupees caused every year during the rainy reason on this account: and

(b) whether Government propose to make arrangements so that small farmers can take loans from banks and get their potatoes and onions deposited in cold storages through banks so as to enable them to get more profit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) For the preservation of potatoes at present, the use of cold stores is adopted. Apart from storing potatoes in the cold stores, experiments are being conducted by the Department of Horticulture of Uttar Pradesh for storage of potatoes in air cool stores in the hilly areas. Experiments are also being conducted by the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay for the storage of potatoes and onions. This is, however, at an experimental stage only.

(b) The Banks can offer credit facilities to the farmers against the stock kept in authorised cold stores, even now. The Government are encouraging the establishment of more cold storages.

Appointment To Primary School Teachers In Uttar Pardesh

†7054. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Central Government have made an enquiry from Uttar Pradesh about the causes of not yet giving appointment to many thousand Primary Teachers trained during the period from 1971 to 1977 in the State so as to check the increasing discontentment among them; and

(b) whether keeping in view the development of Uttar Pradesh, Central Government would provide additional funds to the State Government for opening new Primary Schools in big villages there and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) on an enquiry made from the Government of Uttar Pradesh, it is learnt that the total number of unemployed trained teachers eligible for appointment to primary schools is presently about 53,000. During 1977-78 sanction was accorded by the State Government to recruit 10,900 primary school teachers on the basis of teacher pupil ratio 1 : 40 and an additional teacher for students beyond 40; besides for

3,162 single teacher primary schools and 612 junior high schools opened during 1977-78 resulted in an employment of an additional 5,122 primary school teachers. During 1978-79 the State Government proposes to open 2,170 single-teacher primary schools and 1,020 junior high schools resulting in an employment of additional 7,270 primary school teachers. Further about 6,000 teachers are likely to be employed from July 1978 against the vacancies likely to be available due to retirement/resignation of the existing teachers. The measures taken by the State Government to lessen the gravity of the situation have been mainly :

(i) lifting of the total ban on recruitment of teachers which was in force from 1974-75 to 1976-77, in the year 1977-78, and

(ii) reducing the annual turn-over of B.T.C. trained teachers by closing all private training institutions and strengthening the training course and doubling the period of training.

(b) The Government have decided to universalise Elementary Education for all children of the age-group 6—14 in another 7 years' time. In Uttar Pradesh to achieve universalisation, 67 lakhs of additional non-enrolled children will require to be brought under the school system. The programme will be implemented through formal schools as well as non-formal part-time education. In this context Uttar Pradesh Government will receive adequate funds under Plan—both in the State and Central Sectors—for various programmes of universalisation including additional teachers.

शिक्षा निदेशक दिल्ली को दी गई शक्तियां

7055. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम अथवा नियम 1973 के किसी नियम में शिक्षा निदेशक, दिल्ली को, जो एक कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील में प्रतिवादी है, यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी विद्यालय की प्रबंध समिति को, जो स्वयं भी प्रतिवादी है, दिल्ली विद्यालय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द करके नए सिरे से जांच करने की अनुमति दे सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक, दिल्ली ने दिल्ली में एक सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धक को इस आशय के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन से स्थिति का पता लगाया जा रहा है और तथ्य सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

खाद्यान्न भण्डारण पर लगी धनराशि

7056. **श्री जी० एन० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मार्च, 1978 तक खाद्यान्न की मात्रा क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार देश में खाद्यान्न के भण्डारण के लिए कितनी धनराशि लगी हुई है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 31 मार्च, 1978 तक किन बैंक आदि एजेंसियों से ऋण प्राप्त किया गया; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार रबी की आगामी गेहूं की फसल के लिये जिसके आगामी तीन महीनों में उठने की सम्भावना है, नये ऋण लेने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मार्च, 1978 को खाद्यान्नों की मात्रा 137.24 लाख मीटरी टन (अस्थायी) थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के अन्त में भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों का मूल्य इस प्रकार था:—

	रु० करोड़
31-3-76	1390.68
31-3-77 .	2184.69
31-3-78 (अस्थायी) . . .	1888.93

(ग) खाद्यान्नों के स्डाक पर धन लगाने के लिए निगम द्वारा अपेक्षित धनराशि मुख्यतया बैंकिंग सैक्टर से प्राप्त की जाती है। निगम ने अपने बफर स्टाक के लिए भारत सरकार से भी ऋण और इक्विटी प्राप्त की है। कंसोर्शियम आफ बैंक जिसका नेता भारत का स्टेट बैंक है, द्वारा बैंक ओवर डाफ्ट दिया जाता है।

(घ) जी नहीं।

संस्कृत का विकास

7057. **श्री जी० एस० बनतवाल**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संस्कृत के विकास के लिये छठी योजना इस बीच मंजूर करदी है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये छठी योजना में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) पत्राचार पाठ्यक्रमों, मातृभाषा के साथ-साथ संस्कृत के पाठन के लिए संयोजित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा अनुसंधान विकास आदि के बारे में योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना की मुख्य रुपरेखाएं तैयार की जा रही हैं।

रबी की फसल के लिए वसूली योजना

7058. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री रामानन्द तिवारी
: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी 6 महीनों के दौरान देश के गेहूं उत्पादक राज्यों के किसानों से रबी की फसल की वसूली योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :(क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान कृषि तथा सिंचाई मंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 1978 को सदन में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें 1978-79 के रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं के बारे में वसूली योजना का ब्यौरा दिया गया है।

उड़ीसा के लिए मोटा अनाज

7059. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य में जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जनता के लिए मोटे किस्म के अनाज की मूल आवश्यकता पूरी करने हेतु ऐसे खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य के आदिवासी लोगों में उनके लिये उपलब्ध माइलो के अपर्याप्त स्टाक के कारण व्याप्त असंतोष की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इन लोगों के लिये राज्य को मोटे अनाजों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में मोटे अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

हैं। उड़ीसा सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उड़ीसा में जनजाति के लोग माइलो का इस्तेमाल करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान

7060. **श्री के० प्रधानी**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नई 'मास्टर प्लान' तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Dam Over Falgun River, Bihar

7061. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Falgun river in Bihar becomes dry during the summer season;

(b) if so, whether Government have under consideration a scheme to construct dam on this river so that water is available there throughout the year; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) River Falgun is known as Lilajan in its upper reaches. It originates from hilly areas of District Hazaribagh and is a rain fed river, and gets completely dry in summer.

(b) & (c) The Government of Bihar have submitted for technical examination in Central Water Commission the 'Lilajan Reservoir Scheme' which envisages construction of two earth dams, one across river Lilajan near village Sinduari and the other across river Jam near village Jori in Hazaribagh district of Bihar. The project is estimated to cost Rs. 19·85 crores and would irrigate an area of 36,915 hectares annually in the Districts of Gaya and Hazaribagh.

Alleged Charges Against Officers In Rashtriya Sanskrit Sansthan

†7062. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the Education Ministry had received complaints against officers in the Rashtriya Sanskrit Sansthan; and

(b) if so, nature of the complaints, and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI): (a) Yes, Sir.

(b) Generally the complaints referred to alleged administrative and financial irregularities and acceptance of illegal gratification. Whereas some of the allegations have been found baseless, a few are under investigation by appropriate authorities. Besides, departmental action on complaints of minor administrative nature has already been taken.

IMPLEMENTATION OF RULES FRMED UNDER OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1963

7063. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the provisions of section 3 (3) of the rules framed under Official Language Act, 1963 are being fully implemented in his Ministry;

(b) if so, the number of general orders, circulars, notices tenders permits issued during the last six months of 1977 and the number thereof issued in Hindi alongwith English; and

(c) if the said section is not being implemented fully, the reasons therefor and the steps taken for its implementation ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b) & (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

PUBLICATIONS, NEWSPAPER AND PERIODICALS BROUGHT OUT BY THE MINISTRY

7064. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the names of publications and newspapers and periodicals brought out by his Ministry/Department in 1977;

(b) the number of publications and newspapers and magazines out of them, brought out in Hindi also and the reasons for not bringing out the rest of them in Hindi;

(c) whether Government propose to bring out all such publications and newspapers and magazines in Hindi which are brought out in English at present; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATIOH, SOCIAL WELFARE & CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b), (c) & (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

HOUSING ASSISTANCE TO UTTAR PRADESH

7065. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total amount allocated for housing scheme of Uttar Pradesh in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 respectively;

(b) whether separate allocations have been earmarked for the urban and the rural areas of the States; and

(c) if so, the full details in this regard ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) to (c) The Central financial assistance for all State Sector programmes including 'housing' is released to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The State Governments are free to earmark funds for various State sector programmes according to their requirements and priorities. During the last three years viz. 1975-76, 1976-77 and 1977-78, the plan outlay on housing including rural housing for the Government of Uttar Pradesh was Rs. 654 lakhs, 1372 lakhs and 1419 lakhs respectively.

The Housing and Urban Development Corporation sanctioned loans of Rs. 8·44 crores, Rs. 7·04 crores and Rs. 9·16 crores for the year 1975-76, 1976-77 and 1977-78 respectively to the various housing agencies in the State of Uttar Pradesh.

PRODUCTION OF TOBACCO

7066. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the production of various varieties of tobacco in various States in the country during 1976-77 and 1977-78; and

(b) the total quantity of tobacco exported and the amount of foreign exchange earned thereby ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) A statement is enclosed indicating production of tobacco according to varieties in major producing States during 1976-77. Similar information for 1977-78 will become available from State Governments after the close of the agriculture year, i.e. some time in July-August, 1978.

(b) Tobacco exports amounted to 80·1 thousand tonnes valued at Rs. 96·6 crores during 1976-77 and 71·2 thousand tonnes valued at Rs. 105·4 crores during the first eleven months of 1977-78.

STATEMENT

('000 tonnes)

STATE	Nicotiana Rustica	Nicotiana Tobacum		Total
		Virginia	Others	
Andhra Pradesh	—	91 ·7	41 ·8	133 ·5
Bihar	7 ·2	—	5 ·8	13 ·00
Gujarat	—	—	164 ·6	164 ·6
Karnataka	0 ·7	2 ·4	23 ·6	26 ·7
Orissa	—	—	9 ·7	9 ·7
Maharashtra	—	0 ·2	6 ·5	6 ·7
Rajasthan	—	—	5 ·4	5 ·4
Tamil Nadu	—	—	19 ·8	19 ·8
Uttar Pradesh	7 ·6	—	2 ·6	10 ·2
West Bengal . . .	12 ·4	0 ·1	2 ·5	15 ·0
All-India	28 ·4	94 ·4	291 ·4	414 ·2

SPECIAL ARCHIVE FOR PRESERVATION OF ANCIENT HISTORICAL MATERIAL

†7067. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to make any special archive for the preservation of ancient historical material ;

(b) if so, the location thereof; and

(c) the total expenditure to be incurred on construction thereof and the time by which it is likely to be ready ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDERA CHUNDER) : (a) No, Sir. There is no proposal for setting up a special archive of this type.

(b) & (c) Does not arise.

HOUSES FOR THE POOR

7068. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA }
SHRI SARAT KAR : } :Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the funds allocated to various States for construction of houses for the poor during 1976-77 and 1977-78 ; and

(b) the total number of houses built in Uttar Pradesh under the above scheme ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The Central finan-

cial assistance for all State Sector programmes including housing is released to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector programmes according to their requirements and priorities. During the last two years (1976-77 and 1977-78), the total plan outlay on housing for various States was Rs. 235·15 crores.

In addition to this, the Ministry of Works and Housing allocated a loan of Rs. 3,925 lakhs as L.I.C. loan to the various State Governments during this period for implementation of the various social housing schemes.

The Housing and Urban Development Corporation sanctioned loans aggregating Rs. 8,908·63 lakhs to the various housing agencies in the States during the same period for construction of houses, for families with monthly income not exceeding Rs. 600.

(b) 58,549 houses have so far been built in Uttar Pradesh under the various housing schemes. Besides this, 12,12,014 families have been allotted house-sites in rural areas. Apart from this, the Cooperative Housing Societies also constructed houses during this period.

MEMORANDUM FROM U. P. GUR AND KHANDSARI MERCHANTS FEDERATION, MUZAFFARNAGAR

7069. SHRI DHARMASINBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Gur and Khandasari Merchants Federation, New Mandi, Muzaffarnagar has submitted a memorandum to the Government, containing 9 demands in connection with the serious economic crisis in the sugarcane producing areas, sugarcane and gur producers suffering heavy losses, closure of Khandsari crushers and sugar mills and payment of reasonable prices of sugarcane to the farmers and if so, the nature of these demands;

(b) the immediate urgent and effective steps taken by Government in regard to these 9 demands; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken by Government to safeguard the interest of sugarcane growers and Khandsari manufacturers and when the proposed action will be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PARTAP SINGH) : (a) Yes, Sir. The demands are given in the attached Statement-I.

(b) & (c) The measures taken by the Government in view of the situation created by a bumper crop of sugarcane and falling prices of all sweetening agents are given, in the attached Statement-II.

[*Placed in Library. See No. L.T.* 2114/78]

महाराष्ट्र में पीने का पानी

7070. **श्री आर० के० महालगी**
श्री बापू साहिब परूलेकर } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में (जिलावार) ऐसे कितने गाँव है जहाँ मार्च, 1978 तक पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं था,

(ख) उन गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी; और ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना महाराष्ट्र सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विभिन्न राज्यों में (महाराष्ट्र सहित) ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था में तीव्रता लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल मुहैय्या करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए 1977-78 में एक केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम में यह विचार करना है कि लगभग 6-7 वर्षों में देश के सभी समस्याग्रस्त गांवों को इसके अन्तर्गत लाया जाए।

SUPPLY OF INFERIOR QUALITY OF WHEAT IN M. P. BY F.C.I.

7071. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the wheat being supplied at certain places in Madhya Pradesh and Rajasthan by the Food Corporation of India godowns is of very inferior quality and rotten one ;

(b) whether the Madhya Pradesh, authorities refused to receive such wheat but even then the same wheat is being supplied to them;

(c) whether the State Government have also apprised the Central Government about this; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b) No, Sir. Only stocks conforming to the Standards laid down by Government are issued to Fair Price Shops for public distribution.

(c) : No, Sir.

(d): Does not arise.

PROPOSAL FOR APPOINTMENT OF SUGARCANE PRICE COMMISSION

7072. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a separate "Sugarcane Price Commission" for the fixation of prices of sugarcane every year;

(b) whether it is a fact that the attitude of the Committee or Commission appointed for the purpose at present has been unfavourable to sugarcane growers and a demand has been made for appointing another committee or commission in its place which may look after the interests of farmers;

(c) whether there is need for making suitable amendment in the Sugarcane Purchase Act; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) : No, Sir.

(b): The attitude of the Agricultural Prices Commission has not been unfavourable to sugarcane growers. Recently, a Private Members Bill has been introduced in the Lok Sabha providing for appointment of a separate corporation for fixing sugarcane prices.

(c) No Act by the name of "Sugarcane Purchase Act" has been enacted by the Central Government. However, sugarcane price fixation is governed by the Sugarcane (Control) Order 1966. No amendment to that order is under consideration at present.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

कृषि सहायक वस्तुओं (इनपुट्स) के मूल्य

7973. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1976 से जनवरी, 1977 तथा अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 के बीच कीटनाशियों, उर्वरकों तथा अन्य कृषि सहायक वस्तुओं (इनपुट्स) के मूल्य क्या थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि में किसानों को कीटनाशियों, उर्वरकों तथा अन्य कृषि सहायक वस्तुओं के बारे में क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अप्रैल, 1976 से जनवरी, 1977 तथा अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान कीटनाशियों, बीजों और उर्वरकों के मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कीटनाशियों, बीजों तथा उर्वरकों के संबंध में किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:—

1. कीटनाशक/रोगनाशक दवाईयां

किसानों को कीटनाशक /रोगनाशक दवाइयां उचित लागत के अनुसार 2 प्रकार के उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए (1) सम्भाव्यता के अनुसार उचित राज सहायताएं दी गई।

उदाहरणार्थ रोगों के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्थानिक महामारी क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत मतही तथा हवाई छिड़काव कार्यों की लागत पर 7.50 रु० और 17.50 रु० प्रति हैक्टयर की दर मे राज महायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त स्थानिक क्षेत्रों की मुख्य योजना की एक उप योजना के अंतर्गत मरकार रोगनाशक दवाइयों की लागत के लिए 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय महायता और राष्ट्रीय महत्व के पांच रोगों के नियंत्रण के लिए 7.50 रु० प्रति हैक्टयर की दर से राज सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सरकार खरपतवार नाशकों और मतही कार्यों की लागत के लिए 7.50 रु० प्रति हैक्टर की दर से राज सहायता दे रही है। (2) दूसरे, मरकारी प्रेरणा के परिणामस्वरूप कीटनाशक उद्योग अनेक कीटनाशक दवाइयां के विषय में 2 प्रतिशत मे 12 प्रतिशत तक मूल्य कम करने के लिए सहमत हो गया है।

2. केवल एक एजेंसी द्वारा वितरण के एकाधिकार को समाप्त करने की दृष्टि राज्यों में विनिमार्ग यूनिटों के जरिए विनिर्माण तथा बिक्री हेतु राज्य सरकार को तकनीकी ग्रेड की कीटनाशक दवाइयों के 50 प्रतिशत भाग को आवंटित करने, योजना चालू करने किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

2. बीज :

1. मरकार गहन कपास जिला कार्यक्रम, दलहन विकास कार्यक्रम और तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को राज महायता दे रही है।

2. जैसा कि विवरण में बताया गया है कुछ किस्मों के बीज के मूल्य कम कर गये हैं।

3. सरकार ने राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को समय पर बीजों की सप्लाई करना है।

3. उर्वरक :

1. (क) सम्भावना के अनुसार कीमतों में कमी करके (ख) कृषकों को राज सहायता प्रदान करे और (ग) आवश्यकतानुसार कस्टम डियूटी। एक्साइज डियूटी में कमी करके कृषकों को उपयुक्त मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

2. खुदरा बिक्री केन्द्रों व भण्डारण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए ताकि कृषकों को अपने निकट के स्थानों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें।

3 देशी उत्पादन में कमी होने तथा माँग के एकदम बढ जाने के कारण उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए बफर स्टाक की प्रणाली शुरू की जा रही है।

विवरण

(1) अप्रैल, 1976 से जनवरी 1977 और अप्रैल 1977 से जनवरी 1978 की अवधि के दौरान कीटनाशी

उत्पाद का नाम	कीटनाशी दवाइयां अप्रैल 1976 से जनवरी 1977 तक की कीमतें।	कीटनाशी दवाइयां अप्रैल 1977 से जनवरी 1978 तक की कीमतें।
	(रु०)	(रू०)
1. बी० एच० सी० टैक्निकल	5500 मी० टन	3700 मी० टन
2. मालाथियोन टेक्निकल . .	28000 मी० टन	26000 मी० टन
3. डी० डी० टी० टेक्निकल	12920 मी० टन	11930 मी० टन
4. डी० डी० वी० पी० टेक्निकल .	90000 मी० टन	85000 मी० टन
5. कापर ग्राक्सीक्लोराइट टेक्निकल	24000 मी० टन	20000 मी० टन
6. अलूमिनियम फास्फाइड टेक्निकल	90000 मी० टन	72000 मी० टन
2. 4-डी टेक्निकल . .	24000 मी० टन	20000 मी० टन
8. ग्रण्डेसल्फन (35 प्रतिशत ई० सी०) .	70 लिटर	60 लिटर
9 बी० एच० सी० (50 प्रतिशत डब्ल्यू डी०पी०)	4600 मी०टन	3600 मी० टन
10. डी० डी० टी० (50 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी०)	10000 मी० टन	9500 मी० टन
11. मोग्रोक्रीटोफास .	146 लिटर	146 लिटर
12. कार्बोफरम . . .	13600 मी० टन	13600 मी० टन
13. फोनफेंट (50 प्रतिशत ई० सी०) .	60 लिटर	60 लिटर
14. फोरेट (10 प्रतिशत ग्रेमूल्स) .	63 किलोग्राम	63 किलोग्राम
15. फोसेलोन (35 प्रतिशत) .	86 लिटर	66 लिटर
बीज		
मक्का :		
(क) सी० एस०-2, डी०-टार्च ग्रौर डीकोन	400 क्विंटल	400 क्विंटल
(ख) सी०-4, सी०-5 तथा हिम-123 .	425 क्विंटल	425 क्विंटल
(ग) विजय मिश्रिम . .	380 क्विंटल	380 क्विंटल
चरी :		
(क) सी०एस० एच० 1 . .	730 क्विंटल	730 क्विंटल
(ख) सी० एस० एच०-5 तथा सी० एस० एच०-6	955 क्विंटल	885 किवंटल
बाजरा :		
समस्त किस्में	955 क्विंटल	650 क्विंटल
गेंहू : समस्त किस्में . . .	240 से 225 क्विंटश	225 से 265 क्विंटल

धान :

(क) मोटी और मध्यम दर्जे की मोटी किस्में	180 से 200 क्विंटल	168 से 180 क्विंटल
(ख) श्रेष्ठ तथा मध्यम दर्जे की अच्छी किस्में	200 से 220 क्विंटल	190 से 216 क्विंटल

विवरण

(रु० प्रति मीटर टन)

उर्वरक का नाम	अप्रैल, 1976-जनवरी 1977 के दौरान मूल्य		अप्रैल 1977-जजनवरी 1977 के दौरान मूल्य	
	आयातित	**देशी**	**आयातित**	**देशी**
यूरिया 46 प्रतिशत एन	1750†	1750†	†1650 (12-10-77 से 1550)	†1650 (12-10-77 से 1550)
अमोनियम सल्फेट 100 कि० ग्रा० का पैकिंग	925†	925†	925	†925
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट				
25 प्रतिशत एन	—	†1015	—	†1015
26 प्रतिशत एन	†1060	—	†1060	—
डाइ-अमोनियम फास्फेट	2600 (20-4-76 से 2210)	2210	2210	2210
म्यूरिएण्ट आफ पौटाश (100 कि० ग्रा० का पैकिंग)				
अमो०-नाइट्रो फास्फेट	900	—	795	—
20-20-0	1660	एफ० ए० सी० टी० 2150	1590	1845 (एफ० ए० सी० 1760
		एफ०सी० आई 1950		एफ० सी० आई०
24-24-0	2295 (20-4-1976 से 2270)	आई० एफ० एफ० सी० ओ० एम० 2270	2045	2080 आई० एफ० एफ० सी० ओ०
		एफ० एल० 2330		1950 एम० एफ० एल०

एन० पी० के०				
15-15-15	1645 (20-4-76 1570)		1520	1520
17-17-17	2125 (20-4-76 से 1970)	1970	1810	1810
14-28-14	2020	2920	1855	2045
सिंगल सुपरफास्फेट	--	492 से 686 (18-10-76 से)	--	496 से 662 (11-4-76 से) 475 से 676 (1-12-77)

†मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 के अन्तर्गत सांविधिक रूप से निर्धारित किये गये हैं।

राजस्थान में बाढ़ नियंत्रण योजना

7074. **श्री एस० एस० सामानी :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में 15.30 करोड़ रुपये की नियंत्रण योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि राज्य में कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर सूखा की परिस्थितियां निरन्तर विद्यमान रहती है और जिनको हर 2 वर्षों के पश्चात बाढ़ के प्रकोप का समाना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का व्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में बाढ़-नियंत्रण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया है जिस पर 27.94 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और जिम पर मार्च, 1978 तक 9.33 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

(ख) माननीय सदस्य का संकेत संभवत: राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों में स्थित क्षेत्रों से है जिनमें सूखा भी पड़ता है और बाढ़ भी आती है जैसे भरतपुर जिला और दूर-दूर बिखरे अन्य छोटे-छोटे क्षेत्र।

(ग) बाढ़-नियंत्रण और सिचाई राज्य क्षेत्र का भाग है और इसलिए बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई स्कीमों को शुरू करने, उनको आयोजन और क्रियान्वयन तथा वित्त पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन 1977-78 में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को 7.97 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी जो बाढ़ के कारण व्यय में हुई बृद्धि को

पूरा करने के लिए थी। इसमें से 270 करोड़ रुपये की राशि बाढ़-नियंत्रण स्कीमों के लिए निर्धारित थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपये में)
1. भरतपुर जिला	
(i) बाणगंगा नदी के जलाशय के रेगुलेटरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए।	30.00
(ii) रुपारेल के जलाशयों के रेगुलेटरों की क्षमता में बृद्धि करने के लिए;	20.00
(iii) ह्रोम नहर का नवीकरण और पुर्ननिमार्ण	10.00
(iv) रणजीत नगर के सामने भरतपुर जिले के पश्चिम में बाढ़ जल के लिए नाले का निर्माण जो जल-प्रवाह को आउट फाल नाले तक ले जाए।	25.00
(v) आउट फाल ड्रेन के निर्माण में तेजी लाना	50.00
2. सम्पर्क और पहाड़ी कमान नाले में इनलेटों की व्यवस्था	15.00
3. निचले क्षेत्रों मे बाढ़ के जल को कमान पहाड़ी ड्रेन में पम्प करने के लिए स्थायी व्यवस्था करने के लिए पम्प हाउस और पम्प-सैटों की व्यवस्था।	20.00
4. बाणगंगा नदी की असुरक्षित पहुंचों में तटबंधों की व्यवस्था करना, उनकी मरम्मत करना, उन्हें ऊंचा उठाना और सुदृढ़ बनाना।	100.00
जोड़	270.00

इसके अलावा राज्य की विभिन्न सिंचाई स्कीमों के काम में तेजी लाने के लिए 5 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता निर्धारित की गई थी।

CONSTRUCTION DIFFICULTIES IN RESETTLEMENT COLONIES

7075. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the residents of resettlement colonies are in a fix to decide whether they should first construct their houses on the plots allotted to them in Delhi or get their ration cards issued first because ration card is required to be shown at the time of getting loan from banks;

(b) whether ration card is issued to a person having a permanent residence as per the terms and conditions laid down in this regard and in these circumstances neither a house can be constructed nor a ration card obtained; and

(c) if so, the solution found out by Government of this problem ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) & (b) : The Commissioner, Food and Supplies, Delhi Administration has reported that any

person permanently residing or intending so to do in the Union Territory of Delhi and who desires to have a household food card issued can apply for it. The food card is issued only when applicant is found residing at the given address irrespective of the fact whether the structure on the land is permanent or temporary. Homeless cards for a period not exceeding three months at a time are issued to persons who have no fixed or identifiable place of dwelling.

(c): Does not arise.

वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध

7076. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य पशुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में आदेश जारी किये हैं।

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इन आदेशों का पालन किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चीते के चमड़े के व्यापार पर भी रोक लगाने के लिए नियम बनाने का है जिससे शिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) चीते की अथवा इससे बनाई गई किसी वस्तु, इससे प्राप्त कोई ट्राफी, अपरिष्कृत ट्राफी अथवा मांस की बिक्री अथवा बिक्री की पेशकश को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 43 के अन्तर्गत सख्ती से नियमित किया जाता है। तेंदुआ या चीते को इस अधिनियम की अनुसूची एक में शामिल किए जाने के फलस्वरूप इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए योजना

7077 : **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के लिये व्यक्तिगत पदोन्नति की कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और योजना कब से आरम्भ की गई है;

(ग) सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय में तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालययों में इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है और योजना कब तक लागू कर दी जायेगी, और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं तथापि, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कार्यकारी परिषद् ने 27 अक्तूबर, 1977 को हुई

अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि व्यक्तिगत पदोन्नति योजना, जो 1974 से आगे बन्द कर दी गई थी, के अन्तर्गत विधिवत् गठित चयन समितियों द्वारा पदोन्नति के लिए पहले ही सिफारिश किए किए जा चुके अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए 24 जनवरी, 1977 से शुरू होने वाले विश्वविद्यालय के हीरक जंयती समारोह के उपलक्ष्य में व्यक्तिगत पदोन्नति का लाभ दे दिया जाये।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने भी फरवरी, 1978 में इस आशय का एक संकल्प पारित किया कि अध्यापन स्टाफ के उन सभी सदस्यों को, जिन्हें 1973-74 में व्यक्तिगत पदोन्नतियों के लिए चयन समितियों द्वारा पात्र समक्षा गया था तथा जिन्हें प्रथम 5% चयनों के उच्च पदों पर समायोजित नहीं किया गया था, प्रत्येक मामले में कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति के बाद उसी तरह अगले उच्च पदों पर समायोजित किया जाए जिस प्रकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यक्तिगत पदोन्नति योजना जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया गया था, 1972 में केवल एक वर्ष के लिए कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई थी तथा इसके बाद इसे वापिस ले लिया गया था। तथापि, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने 1973 के दौरान भी इसे जारी रखा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर आपत्ति की गई। आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्णय पर गंभीर आपत्ति की है तथा यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए व्यक्तिगत पदोन्नति की एक योजना की सिफारिश की थी। यह सिफारिश अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं हुई है।

छटी योजना में मोटे अनाज का उत्पादन

7078. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की छटी योजना में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) चालू योजना के अन्तर्गत देश में निम्नलिखित तरीकों के जरिए मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है:—(क) ज्वार, बाजरा तथा मक्का की अधिक उपज देने वाली किस्मों / संकर किस्मों के अन्तर्गत 50 लाख हैक्टार तक की वृद्धि करना; (ख) मृदा एवं नमी का संरक्षण करना तथा अन्य बारानी खेती की तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना; तथा (ग) विशेषकर ज्वार के मामले में, जहां कीटों को बढ़ने से रोकने के लिए कम से कम

संभव समय में वृहत सुसंहत क्षेत्रों में एक ही प्रकार की परिपक्वन की अवधि वाली अधिक उपज देने वाली/संकर किस्मों की खेती करने की आवश्यकता होती है; आवश्यकतानुसार कीट-नाशी व्यवस्था करना।

मूंगफली के बीज विकास करने संबंधी कार्यक्रम

7079. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 20 मार्च, 1978 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसके अनुसार भारतीय तेल तथा तेल उत्पाद निर्यातकर्ता संघ द्वारा प्रारम्भ किया गया मूंगफली के बीज का विकास करने संबंधी कार्यक्रम का धन की कमी के कारण खतरे में पड़ जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

चीनी मिलों का प्रबन्ध

7080. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी चीनी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है जिन्होंने चालू वर्ष के में गन्ना उत्पादकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया तथा ऐसी मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गन्ना उत्पादकों के प्रति चीनी मिलों के दायित्वों को पूरा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) उन गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए जिनको चीनी फैक्ट्रियों ने उनके बकायों का भुगतान नहीं किया है, हाल ही में 2-2-1978 को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया था जिसमे यह व्यवस्था है कि यदि 14 दिनों की सांविधिक अवधि के बाद विलम्ब से भुगतान किया जाता है, तब 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा और यह भी व्यवस्था है कि गन्ना उत्पादकों के सभी बकायों को जिला के कलक्टर के पास चीनी वर्ष के अन्त तक जमा करवा दिया जाएगा, जोकि उत्पादकों को भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। उन चीनी मिलों, जो गन्ना उत्पादकों के प्रति अपने दायित्व निभाने में असमर्थ रही हों और अन्य कारणों से, के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने संबंधी प्रस्तावों राज्य सरकारों द्वारा

भेजे जाते हैं और उन पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। चालू मौसम में, आन्ध्र प्रदेश के एक यूनिट को अपने हाथ में लिया गया था क्योंकि वह बन्द पड़ा था और गन्ने के बकायों की राशि भी बहुत अधिक थी।

(ग) गन्ने की खरीद और पूर्ति के बारे में गन्ना उत्पादकों के बकायों की वसूली सामान्यतया राज्य के कानूनों द्वारा की जाती है, जिनमें गन्ने के बकायों को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से समय समय पर उच्चतम स्तर पर ऐसे बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की कृषि उत्पादन के बारे में सिफारिश

7081. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि में सुधार एवं आधुनिकीकरण करने तथा कृषि उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई लगभग 2400 सिफारिशों में से सरकार ने पहले ही लगभग 1200 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। केवल आठ सिफारिशों को, जिनका कृषि जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करने से सीधा संबंध नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया है। शेष सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दिए गए लाइसेंस और ठेके

7082. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय तथा सार्वजनिक उपक्रमों सहित मंत्रालय से सम्बद्ध तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये हैं और जनता शासनकाल की सम्पूर्ण अवधि में प्रत्येक श्रेणी के ऐसे ठेकों/लाइसेंसों में से यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को कोई भाग दिया गया है तो वह क्या हैं और यदि नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दादरा और नागर हवेली में भारतीय खाद्य निगम को घाटा

7083. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क भारतीय खाद्य निगम की दादरा और नागर हवेली यूनिट को गत कई वर्षों से भारी वित्तीय घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितना घाटा हुआ है,

(ग) क्या इसकी जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस घाटे के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। दादरा तथा नागर हवेली में भारतीय खाद्य निगम की कोई यूनिट नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक जूनियर इंजीनियरों द्वारा काम बन्द किया जाना

7084. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक जूनियर इंजीनियरों ने सरकारी भवनों का डिजाइन कार्य करना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप देश पर्यन्त सरकारी निर्माण कार्य ठप्प हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या का किस प्रकार समाधान कर रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों ने डिजाइन का कार्य करना बन्दर कर दिया है। किन्तु इसके कारण सारे देश में सरकारी कामकाज ठप्प नहीं हुआ है।

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डिजाइन कार्य करवाने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं।

वन रोपण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की क्रियान्विति

7085. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश भर में वन रोपण कार्यक्रम और परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समन्वित तथा संयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है;

(ग) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में इस सम्बन्ध में क्या ठोस उपाय किये गये हैं; और

(घ) उन पर कितनी धन राशि खर्च हुई तथा उसके अब तक क्या ठोस परिणाम निकले हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित देश भर में वन रोपण कार्यक्रमों और परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार और

राज्य सरकारों के समन्वित संयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाता है। यद्यपि, वन रोपण कार्यों के लिए केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जा रही है, लेकिन योजनाओं का संचालन/क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा वन विकास निगमों द्वारा किया जा रहा है।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नही नहीं होता।

पत्रिकायें

7086. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय अंग्रेजी/हिन्दी/ अन्य भाषाओं में एक अथवा अधिक पत्रिकायें प्रकाशित करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी पूर्ण तथ्य क्या है और वे किन किन वर्षों में प्रारम्भ की गई, उनका प्रकाशन कितनी अवधि के बाद होता है, वार्षिक शुल्क कितना है और कुल कितनी प्रतियों का मुद्रण किया जाता है आदि आदि;

(ग) इन में से कितनी प्रतियों का निशुल्क वितरण किया जाता है और किन-किन व्यक्तियों को निःशुल्क प्रतियाँ भेजी जाती हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त पत्रिकाओं की वास्तविक शुद्ध बिक्री कुल कितनी हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बनासकांठा में पाकिस्तान से आये शरणार्थी

7087. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बनासकांठा और अन्य जिलों में पाकिस्तान से आये शरणार्थी रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन शरणार्थियों का पुनर्वास उचित और स्थायी आधार पर किया गया है और यदि हां, तो कैसे ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन व्यक्तियों को स्थायी पुनर्वास लाभ देने का अब सरकार ने निर्णय ले लिया है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

31-12-1977 को गुजरात राज्य में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	शिविर का नाम	शिविरों में इस समय रह रहे व्यक्तियों की संख्या					शिविरों से अन्यत्र रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या				
		परिवारों की संख्या	पुरुष	महिलाएं	बच्चे	योग	परिवारों की संख्या	पुरुष	महिलाएं	बच्चे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कच्छ	1. शिवलश	259	655	465	223	1343	—	—	—	—	—
	2. कंकावती	184	327	224	253	804	—	—	—	—	—
	3. जूश	252	606	463	200	1269	—	—	—	—	—
	4. निरोना	170	320	217	263	800	—	—	—	—	—
	5. मतानोमच	73	188	122	55	365	—	—	—	—	—
	योग 5 शिविर	938	2096	1491	994	4581	63	149	171	61	381
बनासकांठा	1. धरड़	427	932	820	501	2253	—	—	—	—	—
	2. सुईगाभ	209	493	396	314	1203	—	—	—	—	—
		636	1425	1216	815	3456	181	398	305	139	842

शिविरों पर आरम्भ से लेकर अब तक किया गया कुल व्यय—31-3-1978 तक 233.50 लाख रुपये।

APPOINTMENT OF TEACHERS THROUGH EXAMINATIONS

†7088. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has decided to appoint teachers through examinations; and

(b) if so, whether Government propose to suggest to all the States to appoint teachers through examinations with a view to raise their standard in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE : (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना

7089. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने यह घोषणा करने के बाद भी कि 31 दिसम्बर, 1977 के बाद दूध टोकन जारी नहीं किये जायेंगे क्योंकि दिल्ली दुग्ध योजना में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है, जनता को दूध के टोकन जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1977 के बाद आज तक कुल कितने दूध के टोकन जारी किये गये हैं ;

(ग) उपर्युक्त जिन व्यक्तियों को समन जारी किये गये हैं उनमें से कितने दिल्ली प्रशासन (अधिकारी और स्टाफ) के हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना क्षय, कैंसर, अल्सर आदि तक के रोगियों को भी दूध का टोकन जारी करने के लिये आवेदन स्वीकार नहीं कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने 1-1-1978 से 6-4-1978 तक की अवधि के दौरान 855 आवेदकों को उदारता के आधार पर दुग्ध टोकन जारी किए।

(ग) चूंकि दिल्ली दुग्ध योजना राशन कार्डों में आवेदकों की पहचान की जांच करने के पश्चात ही दुग्ध टोकन जारी करती है, अतः दिल्ली दुग्ध योजना घर के पते के अनुसार रिकार्ड रखती है, न कि कार्यालय के पत्ते के अनुसार। इसे दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन से संबंधित उन आवेदकों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है, जिन्हें 1-1-1978 से 6-4-1978 के दौरान दुग्ध टोकन जारी किए गए हैं।

(घ) यह ठीक नहीं है कि दिल्ली दुग्ध योजना टी० बी०, कैंसर, अल्सर आदि के मरीजों को स्वास्थ्य के आधार पर दुग्ध टोकन जारी करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं करती है।

माडर्न बेकरीज लिमिटेड, मद्रास में कार्य का बन्द होना

7090. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित सरकारी स्वामित्व वाली माडर्न बेकरीज लिमिटेड में निरन्तर श्रमिक अशान्ति के कारण काम बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और प्रबन्धकों ने उन पर शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए आज तक क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) सरकार ने हड़ताल को शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त करवाने और बेकरी के यूनिट को चालू करवाने के लिये क्या प्रयास किए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। मद्रास के यूनिट ने 11-3-1978 के अपराह्न को अपने कार्यों को बन्द कर दिया था और 18-3-78 को उन्हें फिर शुरू किया था।

(ख) और (ग) मांगें इस प्रकार थीं :—

1. गैरहाजिरों की जगह अमानी मजदूर रखना बन्दर करना।

2. गैरहाजिरी को पूरा करने के लिये नियमित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना।

इस मामले का फैसला करने के लिये ऐसे श्रम प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, फैसला बहुत जल्द हो गया और उत्पादन 18-3-1978 से प्रारम्भ कर दिया गया था। यह यूनिट अब सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

प्रौढ़ साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्वंय सेवा संघ अथवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की सहायता लेने पर आपत्ति

7091. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने 15-35 आयु वर्ग के अशिक्षितों को शिक्षा देने की अपनी योजना में सहायता देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता आमंत्रित, मांगी अथवा स्वीकार की है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री को सरकार के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में उपर्युक्त उल्लिखित राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ अथवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की अन्तर्ग्रस्ता पर आपत्ति करने वाले कोई आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजनैतिक दलों सहित समाज के सभी वर्गों तथा सभी संगठनों का समर्थन आवश्यक होगा और इसी संदर्भ में उनमें, जिन्हें विचार-विमर्श में भाग लेने

के लिए आमंत्रित किया गया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ भी थे।

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए सरकार का विचार है कि कोई दल जिस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा है, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में भाग ले सकता है।

कृषि अनुसन्धान सेवा के गठन के बारे में अभ्यावेदन

7092. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसंधान सेवा के गठन के बारे म सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए नई कार्मिक नीति अपनाये जाने के फलस्वरूप, कृषि अनुसंधान सेवा, जो कि 1-10-1975 से लागू हुई थी, के विषय में समय समय पर अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभिवेदन मुख्यत: निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं।

(i) इस सेवा के लिए भर्ती करने वाली एजेंसी में परिवर्तन।

(ii) विज्ञानियों के कैरियर में उन्नति के लिए किये जाने वाले मूल्यांकन और इस सेवा में सीधी भर्ती के प्रतिमानों में संशोधन।

(iii) सेवा नियमों के लागू करने में उत्पन्न हुई कुछ असंगतियों को दूर करना।

(ख) इन अभिवेदनों पर की गई कार्यवाही नीचे क्रमानुसार दर्शायी गई है :—

(i) एक प्रस्ताव रखा गया था कि कृयि अनुसंधान सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव की संघ लोक सेवा आयोग और संबधित सरकारी विभागों से परामर्श करके विस्तृत रूप से जांच की गयी तथा यह पाया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो कि एक स्वायत्तशासी पंजीकृत सोसायटी है, अत: संघ लोक सेवा आयोग इसके लिए भर्ती को प्राधिकृत नहीं है। इस लिए कृषि अनुसंधान सेवा में भर्ती का काम एक विशेष रूप से संघठित किये गये, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल को सौंपी गई जिसका अध्यक्ष एक पूर्णकालिक वरिष्ठ कृषि विज्ञानी है जो परिषद् के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। यह मण्डल, संघ लोक सेवा आयोग की प्रणाली पर स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है।

(ii) कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल एक स्वतन्त्र एजेंसी होने के नाते कृषि अनुसंधान सेवा में भर्ती और चयन के मामलों में अपने ही प्रतिमानों को अपनाता है। फिर भी, जब कभी इन प्रतिमानों में सुधार से संबंधित कोई भी सुझाव आते

हैं तो उन्हें मण्डल के सामने ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए जो आवश्यक समझी जाये, पेश किया जाता है।

(iii) परिषद् को दिये गये अभिवेदनों में सेवा के नियमों को लागू करने से संबंधित कुछ असंगतियां बताई गई। इन असंगतियों की, कृषि अनुसंधान सेवा के लिए बनाई गई स्थायी सलाहकार समिति की सलाह के बाद जाँच पड़ताल की गई और जहां तक उपयुक्त लगा, उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

तकनीकी सहायक (सांख्यिकी) के पद को कृषि अनुसंधान सेवा में सम्मिलित करना

7093. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के स्नातक तकनीकी (सांख्यिकी) सहायकों ने हाल ही में गठित कृषि अनुसंधान सेवा में उनको सम्मिलित न किये जाने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या सेवा का गठन करने के समय सभी उक्त तकनीकी सहायकों को सेवा में नहीं लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं जब कि मूल नियमों के अन्तर्गत सभी वर्तमान कर्मचारियों के हितों को संरक्षण जरूरी है ;

(घ) क्या उक्त तकनीकी सहायकों ने प्रवर कम्प्यूटरों सहित कनिष्ठ व्यक्तियों को प्रवर पदों पर पदोन्नति देने का भी विरोध किया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उन्हें उन्नति के कोई अवसर प्रदान किय जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री है सिवाय कृषि इंजीनियरी के क्षेत्र के जिस में कम से कम योग्यता इंजीनियरी स्नातक (बी० ई०) या तकनीकी स्नातक (बी० टेक०) है। तदानुसार जो तकनीकी सहायक ये योग्यताएं रखते थे उन पर अन्य योग्य व्यक्तियों के साथ उक्त सेवा में प्रवेश के लिए विचार किया गया। जिन व्यक्तियों की योग्यताएं कम थी और वे इसके लिए अयोग्य थे उन पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया गया।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) और (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्मिक प्रणाली के पुनर्गठन के फलस्वरूप जो वरिष्ठ संगणक पहले रु० 425—600 के वेतनमान में थे उन्हें अब तकनीकी सहायकों के बराबर वेतनमान यानी रु० 425—700 दिया गया है जो वरिष्ठ संगणक स्नात-

कोत्तर है उन पर भी कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश के लिए विचार किया जा रहा है। चूंकि कृषि अनुसंधान तकनीकी सेवाओं से भिन्न, इसलिए वरिष्ठ संगणकों के कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश से तकनीकी सहायकों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कृषि अनुसंधान सेवा के 1-10-75 से लागू होने के बाद जिन विज्ञानी और तकनीकी कर्मचारियों के पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं उन्हें स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के लिए सुविधाएं, जैसे कि अध्ययन के लिए छुट्टियां आदि दी जा रही हैं। उन्हें कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती करने के मामले में सहायता दी जा रही है।

मिथिला विश्वविद्यालय को नियंत्रण में लेना

7094. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के मिथिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व-विद्यालय में परिवर्तित कर अपने नियंत्रण में लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिला मुख्यालय में केन्द्रीय हाई स्कूल और केन्द्रीय कालेज स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

DRINKING WATER IN RURAL AREAS

7095. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a serious problem of pure drinking water in most of the villages in the country;

(b) if so, the steps being taken in various States by Central Government and State Governments to solve this problem ;

(c) the contribution of U.N.I.C.E.F. in solving this problem and the number of villages together with the number of handpumps provided by them in 1976-77 and 1977-78;

(d) the number of pumps out of the said pumps provided by U.N.I.C.E.F. which have so far been installed thereby; and

(e) the number of pumps so far installed by U.N.I.C.E.F. in Madhya Pradesh and the number of villages benefited thereby ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes. Sir.

(b) The schemes for provision of safe drinking water to problem villages are taken up by the State Governments under the Minimum Needs Programme.

In addition the Government of India released Rs. 38·20 crores during 1977-78, as grant-in-aid assistance under the Centrally Sponsord Accelerated Rural Water Supply Programme for implementation of the schemes of providing safe drinking water in problem villages.

(c) & (d) UNICEF is contributing drilling rigs, spare parts, accessories etc. to drill bores in the hard rock areas and the boulder regions. 50 hand-pumps and 3500 pumpheads during 1976-77 and 950 handpumps and 8000 pumpheads during 1977-78 were supplied by the UNICEF. These have been installed.

(e) 200 handpumps and 2,200 pumpheads have been supplied by UNICEF to Madhya Pradesh for installation in the 2400 successful bores in problem villages.

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चीनी के कारखाने की स्थापना

7096. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में शीघ्र ही चीनी का एक कारखाना स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जोरदार सिफारिश की थी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

IRRIGATION SCHEMES IN GUJARAT

†7097. SHRI AMARSINGH V. RATHAWA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number and names of major and medium irrgation schemes undertaken in Gujarat State with the Central assistance during the last three years;

(b) the number of schemes, out of them, work on which is in progress and the expenditure incurred and to be incurred on each of these schemes; and

(c) the number of schemes, plan assessments of which have not been made and the time by which these are likely to be completed ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No irrigation scheme is being financed by the Centre as irrigation is a State subject and irrigation projects are formulated, implemented and financed by the State Governments themselves. Central assistance to the States is given in the form of block loans and grants, which is not related to any individual sector of development or specific scheme. However, with a view to accelerating the progress of works on certain selected irrigation projects, an advance Plan assistance of Rs. 7.30 crores, Rs. 3 crores and Rs. 18·25 crores was given to the Gujarat State during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 respectively.

(b) Does not arise.

(c) In the Annual Plan of Gujarat for 1978-79, provision has been made for the following :—

	Major	Medium	Moder-nisation
(i) Pre-Fifth Plan on going projects	8	20	—
(ii) V Plan New Projects—			
(a) approved	2	8	—
(b) Unapproved	6	22	3

All the pre-Fifth Plan major and medium projects and a large number of new medium projects are likely to be completed during the Five Year Plan—1978-83.

चीनी उत्पादन पर आने वाली लागत को कम करना

7098. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चीनी उद्योग से कहा है कि वह उत्पादन लागत में कमी करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयास करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन की 44वीं वार्षिक साधारण बैठक, जोकि 2 दिसम्बर, 1977 को हुई थी, के अवसर पर अपने भाषण में कृषि तथा सिंचाई मंत्री ने चीनी उद्योग से आग्रह किया कि चीनी की उत्पादन लागत कम करने के तौर तरीके ढूंढें जाएं । फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने के विकास पर भी जोर दिया गया था।

(ख) उद्योग तथा एसोसियेशन से कोई उत्तर या विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

बेघरों को मकान

7099. **श्री सूरजभान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि बेघर निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर भूमि देकर रिहायशी मकान उपलब्ध कराए जाएं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977—78 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में एक कमरे के कितने छोटे मकान बनाए गए तथा जरूरतमन्द लोगों को दिये गये; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो क्या सरकार का विचार आवासों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजनाएं तैयार करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास राज्य का विषय है । तथापि सरकार को पिछले बकाया के बारे में मालूम है। मकानों की संख्या बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1977–78 के दौरान एक कमरे वाले 2028 टेंनमेंट आवंटित किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के कालेजों में अध्यापक के रिक्त पद

7100. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में अध्यापकों के 550 पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरे जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) ऐसे स्थानों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ALLEGED COMPLAINTS REGARDING WORKING OF FCI

7101. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints are being received from different parts of the country regarding the working of Food Corporation of India and this Corporation is becoming a losing concern because there is no check on the upkeep of foodgrains;

(b) if so, the main basis of such complaints and the reasons for the loss;

(c) the measures to protect foodgrains lying in the open and thus being contaminated due to lack of storage facilities in many places; and

(d) the total expenditure and income of the Corporation during the year 1976-77 and upto December, 1977 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) to (c) While there have been some complaints about the working of the Corporation, it is not correct to say that the Corporation is becoming a losing concern and that there are no checks on the upkeep of foodgrains. The Corporation has adopted

a number of measures to protect the foodgrains and these are indicated in the attached statement.

The FCI undertakes the purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains on Government's behalf. The procurement and the issue prices are both fixed by the Government and the difference between the economic cost and issue price of foodgrains is reimbursed to the corporation in the form of subsidy. However, in the small commercial operations undertaken by the Corporation, it has made some marginal profit.

(d): The total expenditure incurred by the Corporation on the purchases and other expenses during the year 1976-77 was Rs. 3007·37 crores. After taking into consideration the sales realisation and the subsidy reimbursed by the Government of India, the Corporation earned a small profit of Rs. 2·09 on its marginal commercial operations. Similarly the purchases and other expenses for 1977-78 are estimated at Rs. 2395·25 crores and the profit at Rs. 1·99 crores on the same basis.

STATEMENT

MEASURES TAKEN TO PROTECT THE FOODGRAINS IN STORAGE AS REPORTED BY FOOD CORPORATION OF INDIA

The Food Corporation of India stores foodgrains on scientific lines in godowns owned by it or hired from State Governments, Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporation, private parties and CAP storage. Modern methods of pest control are adopted and grains are inspected at least once a month and treated with presticides whenever insect infestation is noticed,. Reconditioning operations are immediately undertaken if demage to stock is noticed which may be due to natural causes or due to leakage of rain water.

The stocks stored in the open are being preserved properly and the question of contamination does not arise. The following steps are taken to protect the foodgrains stored in the opens :—

(i) Stocks are stored on wooden crates and covered with specially fabricated water-proof polythene covers.

(ii) Nylon ropes have been provided for proper lashing of polythene covers to prevent damage to covers by blowing during storms.

(iii) Monofilament nets and cover-tops have also been provided in major CAP complexes for additional protection to grains from vagaries of weather.

(iv) Periodical replacement of polythene covers is being made to ensure that best protection to Grains is always provided.

(v) Aeration of stocks in the open during clear weather is meticulouly done to maintain the health of grains.

(vi) Extraordinary attention is paid to regularly inspect, treat and preserve the stocks in the open. Large quantities, even after nearly two years in open storage, are in good condition.

दिल्ली में अनिवासी भारतीयों को प्लाटों का आबंटन

7102. **श्री के० रामर्मूति :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को रिहायशी मकान बनाने के लिये दिल्ली में प्लाट आवंटित करने की योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को महरौली बदरपुर क्षेत्र में प्रत्येक 400 वर्ग गज (334.45.2 वर्गमीटर) के लगभग 260 प्लाटों का विकास करने के बाद 200.00 रुपये प्रति वर्गगज (239.20 रु० प्रति वर्गमीटर) प्रीमियम तथा प्रीमियम का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक भूमि किराये के रूप में आबंटन के लिये उपलब्ध हो जायेंगे। भूमि की कीमत तथा निर्माण की लागत को विदेशी मुद्रा में देना होगा । भारतीय विदेश सेवा के सदस्यों को छोड़कर विदेशों में रह रहे सभी अनिवासी भारतीय प्लाट के आबंटन के पात्र हैं बशर्ते उनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम जैसे कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत परिभाषित है, दिल्ली/नई दिल्ली में कोई मकान/फ्लैट/प्लाट न हो । ऐसे व्यक्ति जो किसी ठेकेदार का प्रबन्ध नहीं कर पाते, उनके लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डिजाइन बनाने तथा निर्माण कार्य "डिपाजिट बेसिस" पर कर सकता है। इस योजना का पूर्ण विवरण एक विवरणिका में दिया गया है जो 10 रुपये देकर भूमि तथा विकास कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30-4-1978 है।

(ग) विवरणिका की 3000 प्रतियां या तो दिल्ली में बिक चुकी हैं अथवा बिक्री के लिये विदेशों में भारतीय मिशन में भेजी जा चुकी हैं। 25 आवेदन धरोहर राशि के साथ प्राप्त हो गये हैं।

BUNGLOWS OF UNION MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT

7103. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the total area under each type of Bungalows constructed for the Members of Parliament and ministers and to whom the income from land or trees in the premises thereof accrues ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : The total garden area in respect of each type of bungalows occupied by Ministers and M.Ps. is given in the Annexure.

The produce from kitchen gardens and fruit trees is utilised by the occupant of the respective bungalow. The income accruing from auction of machine cut grass and the wood of the trees in the premises of each bunglow is credited to the Central Government Revenue.

SATEMENT

Statement showing total Garden area of each type of Bungalow occupied by Ministers and Members of Parliament

Union Ministers

Sl. No.	Type	Nos. of Bungalows	Garden Area
1.	VIII	42	82.76 Acres
2.	VI	3	0·64 Acres
		45 Nos.	83·40 Acres

Members of Parliament

Sl. No.	Type	Nos. of Bungalows	Garden Area
1.	VIII	40	62·26 Acres
2.	VII	57	29·83 Acres
3.	VI	61	27·89 Acres
4.	V	5	1·07 Acres
		163 Nos.	121·05 Acres

चीड़ के पौधे लगाने के लिये विश्व बैंक से सहायता

7104. **श्री बसन्त साठे**
श्री शरद यादव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उस गहन वनरोपण नामक परियोजना का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 200–500 करोड़ रुपये की लागत से लाखों चीड़ के पौधे लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का महत्वपूर्ण ब्योरा क्या है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आलोचना का पता है जिसमें यह कहा गया है कि इससे विनाश होगा तथा यह सरकार के हित में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 200–500 करोड़ रुपयों की लागत से कई लाख चीड़ के पौधे लगाने की व्यवस्था की गई हो। तथापि, विश्व बैंक ने मूल्यांकन करके मध्य प्रदेश वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना, बस्तर जिला के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 40 लाख अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया। प्रायोगिक आधार पर उष्ण कटिबंधीय चीड़ का पौध रोपण करना परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से एक है।

(ख) पहले से ही कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक परियोजना 1 अप्रैल, 1976 से शुरू होने वाली, पांच वर्ष की अवधि की मुख्यतया अनुसंधान और विकास की एक योजना है। इस योजना के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:—

(1) बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम की तकनीक तैयार करने हेतु शीघ्र उगने वाले पौध, विशेषतया उष्ण कटिबंधीनय प्रदेशों के चीड़ के पौधों के संबंध में अनुसंधान

परीक्षण तथा मार्गदर्शी पौद्यरोपण करना। पांच वर्षों में कुल 3200 हेक्टार क्षेत्र में पौद्यरोपण किया जाएगा तथा इसका मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कम उपयोगी वनों को लम्बे रेशे वाली गूदेदार लकड़ी के मानव-निर्मित वनों में परिवर्तित करने से लुगदी तथा कागज उद्योग के लिये लम्बे रेशे वाली गदेदार सामग्री के उत्पादन में ग्रात्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती है ग्रथवा नहीं।

(2) वन पर ग्राधारित उद्योगों, जिन्हें जगदलपुर, बरसूर तथा पश्चिमी बस्तर के स्रवण क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके, के संस्थान, ग्राकार ग्रौर ढांचे के निर्धारण के लिये एक ग्राधार प्रदान करने की संभावना के संबंध में व्यापक ग्रध्ययन करना।

(3) संभाव्यता संबंधी ग्रध्ययन में दिये गये सुझाव के ग्रनुसार वन पर ग्राधारित उद्योगों के लिये ग्रावश्यक वन संबंधी कच्चे माल की व्यवस्था करने तथा बड़ी मात्रा में उसकी सप्लाई करने के लिये उपयुक्त पद्धतियों का विकास करने के लिये मार्गदर्शी काष्ठ निष्कासनी प्रशिक्षण एकक ।

(4) जनजातियों का भावी वन कार्यों तथा वन उद्योगों के साथ जो इस क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे, एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये योजनाएं तैयार करने के लिये जनजातियों का ग्रध्ययन।

(ग) सरकार को ऊष्णकटिबंधीय पौध लगाने के संबंध में किसी प्रकार की विशेष ग्रालोचना की जानकारी नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है कि 3200 हैक्टार क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चीड़ के पौध लगाए जाएंगे, जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कुल वन क्षेत्र का जहां ये पौध लगाये जाने हैं, केवल 0.0014 प्रतिशत है। यह कहना ठीक नहीं है कि उष्णकटिबंधीय चीड़ के पौध लगाने से विनाश होगा ग्रौर यह सरकार के हित में नहीं है। वास्तव में उष्णकिटबंधीय चीड़ से लम्बे रेशे वाला कच्चा माल प्राप्त होता है, जो कागज की कुछ किस्में जिनकी देश में बहुत कम सप्लाई होती है, तैयार करने के लिये ग्रत्याधिक उपयोगी हैं। यह किस्म केवल ऐसे क्षेत्र में लगाई जाती है जहां विद्यमान वन बहुत कम उपयोगी हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

SITE OF JANATA COFFEE HOUSE CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI

7105. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased state :

(a) Whether a site has been selected for the construction of a Janata Coffee House in the Connaught Place, New Delhi, and if so, the details in this regard;

(b) the action being taken by Government to construct it soon keeping in view the need of the common man; and

(c) the time by which it will be ready ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

राउज एवेन्यू नई दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत

7106. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राउज एवेन्यू, (दीन दयाल उपाध्याय मार्ग), नई दिल्ली में दफ्तरी टाइप क्वार्टरों की छतें सीली हुई हैं तथा उनका स्थान-स्थान पर पलस्तर टूटा हुआ है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय इन क्वार्टरों की छतों पर अच्छी तरह पलस्तर करने और मरम्मत करने के लिये स्थानीय निवासियों से अनुरोध की कोई परवाह नहीं करता;

(ग) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु में इन क्वार्टरों की छतें चूती हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालय की ओर से इस कठिनाई को दूर करने का तुरन्त प्रयत्न नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कुछ स्थानों में छतों का पलस्तर नीचे गिर गया है और वर्षा ऋत में कुछ छतों में सील भी आ जाती है।

(ख) सीमित निधियों के भीतर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय छतों पर पलस्तर करने और अन्य मरम्मत कार्यों के लिये निवासियों के अनुरोध पर सदा ध्यान देता है।

(ग) छतों के चूने की शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

(घ) बहुत से पुराने मकान हैं और आवश्यक मरम्मत के पश्चात् विभाग उन्हें अच्छे ढंग से रख रहा है। विशेष मरम्मत के रूप में कुछ छतों की तारकोल से पुताई की जाने की संभावना है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में क्लैरिकल कैडर के कर्मचारियों की कठिनाइयां

7107. **श्री मही लाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में क्लैरिकल कैडर के कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में 29 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक क्षेत्र में क्लर्कों के अतिरिक्त पद बनाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्लान योजनाओं के अंतर्गत बहुत से नये तकनीकी पद पाए गए हैं जब कि अनुसचिवीय पक्ष की केवल इस आधार पर उपेक्षा की गई है कि अनुसचिवीय पदों के बनाने पर प्रतिबंध है तथा तकनीकी कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य पर लगाया गया है;

(ग) क्या तकनीकी कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक कार्य कराना उनकी तकनीकी क्षमता का दुरुपयोग नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशासनिक कार्य (हाउस कीपिंग जाब्स) करने के लिये, जिसे इस समय तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, अतिरिक्त क्लर्कों की भर्ती के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) : नवम्बर, 1971 से आज तक की अवधि के दौरान प्रशासनिक पक्ष के लिये 12 अतिरिक्त लिपिकीय पद संस्वीकृत किए गए हैं। तकनीकी पदों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर प्रशासनिक पक्ष के स्टाफ की संख्या बढ़ाने के एक प्रस्ताव का कार्य अध्ययन द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। यह मूल्यांकन होने तक, आयोजना जैसा कुछ महत्वपूर्ण प्रशासन कार्य तकनीकी स्टाफ को सौंप दिया गया है। तथापि, उनको कोई गृहव्यवस्था कार्य नहीं सौंपा गया है।

ASSISTANCE TO MARATHWADA UNIVERSITY

†7108. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the amount and nature of assistance sought by Marathwada University in Aurangabad in Maharashtra State from the University Grants Commission during the last two years;

(b) the amount of assistance given by the University Grants Commission to it; and

(c) the conditions imposed while giving this assistance ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b) and (c) : According to the information furnished by the University Grants Commission, development programmes involving an assistance of Rs. 84·00 lakhs were approved for the Fifth Plan period for the Marathwada University. In addition, the University has, during the last two years, sought assistance involving Rs. 47·10 lakhs for purchase of additional equipment (Rs 13·60 lakhs), construction of buildings (Rs. 18·65 lakhs) swimming pool (Rs. 13·40 lakhs), library, books, etc. (Rs. 1·45 lakhs) and 2 posts of Reader, 8 posts of Lecturers and staff for a Museum of Historical materials.

The Commission has approved proposals involving an additional grant of Rs. 16·00 lakhs for purchase of equipment (Rs. 7·10 lakhs), buildings (Rs. 4·50 lakhs), library, books, etc. (Rs. 1·45 lakhs) and all the staff proposed by the University. The assistance available from the Commission is 50% of the cost of building and 75% of the salaries of Lecturers. Against this additional grant

the University has so far sought only Rs. 50,000/- for purchase of equipment which has been released. Proposals for assistance to the Postgraduate Centre at Nanded and the provision of a canteen in the University are at present under consideration of the Commission.

MEMORIAL TO SHIVAJI IN AGRA FORT

†7109. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the arrangements made for the preservation of the room in Agra fort in which Chhatrapati Shivaji was imprisoned;

(b) whether it is a fact that no mark of the Place is available now and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have a proposal under their consideration for constructing a memorial of Shivaji Maharaj is in this Fort and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDER CHUNDER) : (a) and (b) According to available historical evidence Chhatrapati Shivaji was not lodged in the Agra Fort but in the custody of Kumar Ram Singh in a house outside the city walls of Agra, the exact location of which remains uncertain.

(c) No, Sir.

त्रिपुरा में भंडारण क्षमता

7110. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अनाज के लिये भण्डारण की क्षमता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कुल कितनी भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है, और वहां खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा सरकार तथा गैर सरकारी गोदामों के पास इसमें से कितनी क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) कमी वाले मौसम में मांग पूरी करने के लिये एक लाख मीट्रिक टन का सुरक्षित भण्डार रखने की क्षमता सहित सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त और वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक कुल भण्डारण क्षमता बनाने का प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ग): त्रिपुरा में अनाजों के लिये उपयुक्त भण्डारण क्षमता की कोई गम्भीर कमी नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित जो उपाय किये जा रहे हैं, उनमें 3340 टन की तैयार क्षमता का निर्माण करना, गारंटीबद्ध योजना के अन्तर्गत प्राईवेट पार्टियों द्वारा 6670 टन की क्षमता का निर्माण करना और 10,000 टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव शामिल है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और त्रिपुरा सरकार के पास अपनी उपलब्ध भण्डारण क्षमता क्रमश: 2,500 मीटरी टन और 34,271 मीटरी टन है। इसके अतिरिक्त भारतीय, खाद्य निगम ने प्राईवेट पार्टियों से 10,300 मीटरी टन क्षमता किराये पर ली है।

'काम के लिये भोजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत त्रिपुरा को चावल

7111. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'काम के लिये भोजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत त्रिपुरा सरकार को प्रति वर्ष कितना चावल दिया जाएगा। जिसका योजना आयोग ने अनुमोदन किया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कितने चावल का आवंटन किया है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धानु प्रताप सिंह) : (क) त्रिपुरा की राज्य सरकार ने कार्य के लिये भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7636 मीटरी टन गेहूं तथा 5091 मीटरी टन उबले हुए चावल के आवंटन के लिये अनुरोध किया था।

(ख) चावल की कोई भी मात्रा आवंटित नहीं की जा सकी क्योंकि वर्तमान स्वरूप की योजना केवल गेहूं और माइलो का आवंटन ही सुलभ करती है।

पंजाब में चीनी मिल की स्थापना

7112. **श्री भगत राम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है;

(ख) नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है; और पंजाब सरकार के प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जायेगी; और

(ग) चीनी की फालतू क्षमता के प्रयोग के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) योजनावधि 1978–83 के दौरान चीनी उद्योग में नई क्षमता के लिये लाइसेंस देने की केन्द्रीय सरकार की नीति अभी भी विचाराधीन है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव का फैसला इस नीति पर निर्भर करेगा।

(ग) : फालतू चीनी का उपयोग करने के लिये निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

(1) 1978 के लिये चीनी के निर्यात कोटे की वस्तुत: अनुमति दे दी गई है;

(2) दिसम्बर, 1977 से लेवी चीनी की मासिक निर्मुक्ति 2.05 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.71 लाख मीटरी टन कर दी गई है।

(3) खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है ताकि खुली बिक्री की चीनी सस्ते दामों पर सुलभ की जा सके जिससे इसकी खपत में वृद्धि हो।

CLEARANCE OF SEWAGE WATER IN DELHI

7113. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is correct that Government have arrangements for the clearing of only 60 per cent of the sewage water in Delhi and the remaining 40 per cent of sewage water is posing a menace for the citizens of Delhi; and

(b) if so, the arrangements being made by Government to save the people of Delhi from the threat of water pollution ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKENDER BAKHT) : (a) As against 225 mgd. of water being supplied daily in Delhi, the existing Sewage Treatment Plants are treating 118mgd. of sewage per day. The balance is discharged into the river Yamuna. It cannot be said that the discharge of untreated sewage is causing menace to the citizens of Delhi, because the water supplied for domestic purposes is taken upstream and receives complete treatment.

(b) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal undertaking has initiated necessary measures to check the flow of untreated sewage into the river.

महाराष्ट्र द्वारा पेश की गई विचाराधीन सिंचाई परियोजनायें

7114. **श्री बसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश की गई अनेक सिंचाई परियोजनाएं काफी समय से केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति के लिये विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन योजनाओं को उक्त उद्योग ने अभी स्वीकृति नहीं दी है उनका परियोजनावार ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किये गये इन सिंचाई प्रस्तावों को शीघ्र ही अनुमति देने के लिये परियोजनावार क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है और उनके फलस्वरूप कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन होगा तथा वर्ष 1978–79 के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने 9 नई बृहद और 11 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को भेजी है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीमों में से 5 बृहद् और 2 मध्यम स्कीमों पर केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं और राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा है। शेष 11 बृहद और 9 मध्यम स्कीमें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे टिप्पणियों के उत्तर शीघ्र भेजें और उन पर कार्रवाई शीघ्र करें और अपने अधिकारियों को विचार-विमर्श के लिये भेजें ताकि उक्त स्कीमों को शीघ्र मंजूरी दी जा सके।

(घ) : सिंचाई स्कीमों की वित्त-व्यवस्था केन्द्र द्वारा नहीं की जाती क्योंकि सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और उनका कार्यान्वियन और वित्त पोषण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसका विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा विशेष स्कीम से संबंध नहीं होता।

वर्ष 1977–78 के दौरान राज्य की बृहद् और मध्यम स्कीमों पर 120 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था जिनसे 1.35 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता सृजित होने की आशा थी। वर्ष 1978–79 के लिये बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 111.9 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित व्यय (लाख रुपये)	लाभ (1000 हैक्टेयर)
बृहद			
1.	बवनथाडी (मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से)	2347.36	50.926
2.	नान्दूर मधमेश्वर	3626.51	37.65
3.	लोअर तीरना	2003.36	21.57
4.	लोअर गोदावरी	2515.00	89.50
5.	कोलेगांव पर सिना	1485.96	16.83
6.	अपर तापी चरण-दो (मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से)	8793.00	106.54
7.	वरणा परियोजना	8197.00	85.39
8.	तिल्लारी सिंचाई (गोवा प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से)	4787.13	36.87
9.	गिरना परियोजना की नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	372.59	8.141
मध्यम			
1.	कालीमाटी टीला	112.291	2.80
2.	वाडीवाले	330.11	5.83
3.	निवरा	188.38	3.46
4.	कल्याण परियोजना	176.984	2.02
5.	कुमारी नाल्ला	73.835	1.353
6.	चिकुत्रा परियोजना	428.49	4.696
7.	कसारी परियोजना	615.18	9.458
8.	काडवी परियोजना	347.30	9.219
9.	मोरना सिंचाई परियोजना	176.85	1.659
10.	कालू सिंचाई परियोजना	276.26	3.077
11.	अजरी सिंचाई परियोजिना	284.69	3.981

स्कूल स्तर पर शिक्षा वर्ष के समय तथा अवधि निर्धारण में एकरुपता

7115. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल स्तर पर शिक्षा-वर्ष के समय तथा अवधि निर्धारण के बारे में इस समय कोई एकरूपता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी स्कूलों में शिक्षा वर्ष के आरंभ तथा समाप्त होने के बारे में एकरूपता लाने का है ताकि अपने बच्चों के प्रवेश आदि करने में अभि-भावकों को परेशानी न हो; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) : जी हां। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र शैक्षणिक वर्ष का समय तथा अवधि, वहां की जरूरतों तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार तय करते हैं।

(ग) और (घ) : जी नहीं। ईश्वरभाई पटेल समिति, जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई थी, ने भी यह सिफारिश की है कि क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कोई कठोर शैक्षणिक वर्ष निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल सत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनु-सार निर्धारित किये जाने चाहिएं।

Non-supply to Milo Ratlam and Jhabua Distt.

7116. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that due to drought and failure of crops at many places in Selana Tehsil of Ratlam district and Jhabua district of Madhya Pradesh, the production of maize is almost nil which is the main food of the Adivasis;

(*b*) whether it is also a fact that the Adivasis of these places have accepted to take 'milo' in place of maize but that is also not available due to which starvation like situation is prevailing there;

(*c*) whether it is also fact that the Food Corporation of the concerned area was approached to supply milo for Adivasis of these places but they have also refused to supply the milo; and

(*d*) if so, the reasons for not supplying milo by the F. C. I. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (*a*) The Government of Madhya Pradesh have informed tnat due to erratic rainfall in Selana Tehsil in Ratlam Distt. and excessive rainfall in Jhabua District, production of maize was adversely affected.

(*b*), (*c*) & (*d*) : The Madhya Pradesh Govt. have intimated that milo is acceptable to the Adivasis, as a substitute for maize. The stocks of imported milo in the Central Pool have been almost exhausted and there have been no imports since. The small quantities of milo available with the Food Corporation of India in their depots in Madhya Pradesh have been issued or are being issued to the State Govt. to meet their urgent requirements for issue in the affected areas of Jhabua and Ratlam Districts. A quantity of 500 tonnes of the available milo in the FCI depots in Maharashtra, has also been allotted to the Govt. of Madhya Pradesh and instructions have been issued for the movement of the stock to Madhya Pradesh. The State Govt. havs also been informed that additional quantities of wheat could be allotted to them, in lieu of milo, if the State Govt. so desire.

Rice, Wheat and Sugar to West Bengal

7117. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 368 on the 12th December, 1977 regarding rice, wheat and sugar to West Bengal and State:

(*a*) the quantity of rice, wheat and sugar demanded by Government of West Bengal during 1976-77 and 1977-78 and the quantity thereof allotted by the Central Government; and

(*b*) the quantity of rice and wheat out of the quota allotted for 1976-77, which was unfit for human consumption and the quantity of these commodities proposed to be supplied by Government during 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (*a*) : The position regarding demand and allotment of rice and wheat in respect of West Bengal is as under:—

(*In lakh tonnes*)

Year	Demand		Allotment	
	Rice	Wheat	Rice	Wheat
1976-77	5·8	18·7	4·2	18·7
1977-78	9·1	21·0	8·7	21·0

The quantity of levy sugar allotted to the Govt. of West Bengal is as under:—

	(*In lakh tonnes*)
1976-77	2·28*
1977-78	2·47*

*Including allotments for pharmaceuticals, B.S.F. and C. R.P.

Allotment of levy sugar has been made from December, 1977 onwards at the monthly quota of 21,994 tonnes (excluding the requirements of pharmaceuticals, B.S.F. and C.R.P.) fixed on the basis of per capita availability of 425 grams for the projected population as on 1-4-1978. The West Bengal Government had asked for a monthly allotment of 28,225 tonnes of levy sugar (excluding requirements of Pharmaceuticals, B·S.F. and C.R.P.). The basis adopted for fixing the levy sugar quota for the State Government has been explained to them and the State Govt. has been informed that no increase in the monthly quota of levy sugar is possible.

(*b*) : No stocks of rice and wheat unfit for human consumption have been issued to the State Government against allocations for 1976-77. During 1977-78, a quantity of 5·62 lakh tonnes of rice and 11·95 lakh tonnes of wheat was drawn by the State Government against the allocations made to them.

पश्चिमी-बंगाल की सरकार द्वारा धान तथा चावल के लाने-ले-जाने पर लगी रोक को हटाये जाने का विरोध

7118. श्री समर गुह : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने धान तथा चावल के लाने ले जाने पर राज्यवार तथा जिलावार लगी रोक को हटाने का विरोध किया है;

(ख) क्या ऐसी रोक को हटाने के बाद राज्य को कोई कठिनाई हुई है जिसके लिये उसकी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई शिकायत की है; और यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रोक को हटा देने से खाद्य के मूल्य अथवा उसकी सप्लाई तथा राशन की दुकानों से खाद्य के वितरण पर कोई प्रभाव पड़ा है; और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य के लिये खाद्य की अतिरिक्त सप्लाई करने के लिये कहा है; और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) : पश्चिमी बंगाल सरकार ने आरम्भ में धान और चावल के संचलन पर प्रतिबन्ध उठाने के निर्णय पर मुख्यतया इस आंधार पर फिर से विचार करने के लिये कहा था कि

11—208LSS/78

राज्य में धान/चावल की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अन्य राज्यों को धान और चावल का भारी संचलन होने के कारण खुले बाजार में चावल के मूल्य बढ़ जायेंगे। राज्य सरकार को देशभर में चावल/धान के अबाध संचालन की अनुमति देने की नई नीति के आधारभूत तत्व स्पष्ट किये गये थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिये यथाआवश्यक सहायता करेगी। इसके बाद, राज्य सरकार ने किसी विशिष्ट कठिनाई का उल्लेख नहीं किया है। पश्चिमी बंगाल में चावल की वसूली, यदि कोई हुई है, पिछले साल से अधिक है। 13 अप्रैल, 1978 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1,80,190 मीटरी टन चावल की वसूली हुई है जबकि 1976-77 के पिछले खरीफ विपणन मौसम की उसी अवधि तक 1,40,318 मीटरी टन चावल की वसूली हुई थी। इस वर्ष विभिन्न किस्मों के चावल के मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में सामान्यतया कम हैं। अन्य राज्यों से चावल का संचलन होने से पहले की अपेक्षा अब उपलब्धता की स्थिति बहुत अच्छी है। चावल/धान के संचलन से प्रतिबन्ध उठाने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानों से चावल के वितरण पर असर नहीं पड़ा है।

(घ) पश्चिमी बंगाल को सितम्बर, 1977 से नियमित रूप से प्रतिमास 80,000 मीटरी टन चावल का आवंटन किया जा रहा है। राज्य सरकार से चावल की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन करने के लिये अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

PROPAGATION AND SPREAD OF EDUCATION IN BASTAR DISTT. OF M.P.

*7119. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(*a*) whether Bastar District in Madhya Pradesh is educationally backward and it is the main cause of unemployment and backwardness there;

(*b*) if so, whether any scheme has been formulated by Government for the propagation and spread of Education there;

(*c*) if so, the salient features of the scheme and whether Government consider the necessity of science, engineering and agriculture colleges, therefor removing the backwardness if this area; and

(*d*) if so, the action proposed to be taken in this regard, and if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (*a*) According to the Planning Commission Bastar District has been declared as backward.

(b) Yes, Sir.

(*c*) and (*d*) : The salient features of the Central Schemes are as follows:—

1. HIGHER EDUCATION

Assistance is being provided to the Colleges for their development through the University Grants Commission.

2. POST GRADUATE EDUCATION

Under the 5th Five Year Plan the following assistance has be en approved for the development of Govt. College, Jagdalpur (Distt. Bastar).

Scheme	Amount approved	Commission's shase
1. Lab. equipment	1,00,000	1,00,000
2. Library books	1,30,000	1,30,000
3. Animal Home	27,574	27,574
4. Harbarium	30,000	30,000

An amount of Rs. 10,000 (Rs. 7,500 as University Grants Commission's share) has also been approved for the establishment of Book Bank.

3. INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES

Under this experimental project, a scheme for health and nutrition, education is provided to women in the age group 15-44 years in Tokapal Block in Bastar District.

4. FUNCTIONAL LITERACY SCHEME

Education to adult women in the age group 15-45 years is provided in the fields of child-care, health, nutrition, enviornmental sanitation, village crafts etc.

5. SCHEME OF CONDENSED COURSE OF EDUCATION FOR ADULT WOMEN

The scheme was extended to Bastar Distt. of Madhya Pradesh by the Central Social Welfare Board, New Delhi in the year 1975 to Zila Mahila Mandal, Jagdalpur for enabling women of the age-group 18–30 years to acquire the minimum educational qualifications required for employment or further Training. 25 women were accordingly prepared for Higher Secondary Examination. A grant of Rs. 25,150 was sanctioned to the institution to cover expenditure on stipends, teachers salaries, educational equipment contingencies and rent of accommodation.

6. AGRICULTURE COLLEGES

Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya has a well-established campus at Raipur to serve the neighbhbouring district of Bastar for agricultural training. A second agricultural college in the same agro-climatic region is not justifiable.

7. ENGINEERING AND SCIENCE COLLEGES.

In view of the fact that the present technical manpower supply is adequate for the next dacade, there is no such proposal pending for expansion of technical education facilities in the area. The primary responsibility of spreading education in the district is that of the State Government.

राजस्थान में शुष्क नदी के भूमिगत जल का उपयोग

7120. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह से चित्र लेकर जांच करने से यह पता चला है कि राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त नदी मार्गो वाले वर्तमान शुष्क तलों के नीचे अभी भी पानी का बहाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोधपुर में आयोजित रेगिस्तान अनुसंधान तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में कुछ विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र के अनुसार शुष्क नदी तलों के नीचे जो भूमिगत जल का उपयोग करने के लिये संभावित क्षेत्र माने जाते हैं पानी के बहाव के संकेत मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में राजस्थान राज्य की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस क्षेत्र के हवाई चित्रों द्वारा पुराने मार्गों के अनेक अवशेषों का पता चला है।

(ख) केन्द्रीय मरूक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में मरुक्षेत्र विकास पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, इस पहलू पर, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन के विज्ञानियों द्वारा प्रलेख प्रस्तुत किया गया। इस प्रलेख में जमीन के अन्दर दबे पड़े हुए उन (जल) मार्गों के, जो कि भूमिगत जल को निकालने के संभावित क्षेत्र बन सकते हैं, मानचित्र बनाने के प्रयोजन के लिये उपग्रह के चित्रों की व्याख्या की गई है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मल्टी बैंड लैण्डसेट चित्रावली भूमिगत जल का सारे रूप में दृश्य प्राप्त करने के लिये एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है इसके अतिरिक्त, चित्रावली व्याख्याकारी और आर्द्रता विज्ञानियों के बीच पुर्नानिवेशन प्रक्रिया के माध्यम से पारस्परिक सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय मरुक्षेत्रों में भूमिगत जल का पता लगाने में तत्कालिक परिणाम दे सकते हैं।

(ग) इस पहलू पर अनुसंधान केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोभधपुर में प्रगति पर है।

केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का इस पहलू पर अगली योजना में परि-चालन परियोज्ना चलाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में कृषि ऋण संस्थाओं का पुनर्गठन

7121. **श्री एस० एस० सोयानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कृषि ऋण संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रिया का पुनर्गठन करने के लिये रिजर्व बैंक के एक विशेषज्ञ दल को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) व (ख): राजस्थान में अब कृषि ऋण संस्थाओं के प्रतिमान और कार्यप्रणाली को पुनर्गठित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ दल से न तो राजस्थान की राज्य सरकार और ना ही भारत सरकार ने अनुरोध किया है। तथापि भारत सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान में चार वर्ष पहले कृषि ऋण संस्थाओं के बारे में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल ने मुख्यत: अल्पकालीन कृषि उत्पादन ऋण तथा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण से संबंधित सहकारी ऋण ढांचे पर विचार किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट को अप्रैल, 1975 में अंतिम रूप दे दिया था। सहकारी सोसायटियों से संबंधित सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अध्ययन दल की रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

बिहार में उत्पादित उर्वरकों का वितरण

7122. **श्री ईश्वर चौधरी:** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में उर्वरक संयंत्रों में उत्पादित उर्वरकों का वितरण उसी राज्य में किया जा रहा अथवा अन्य राज्यों को भी भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 में अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में उर्वरक भेजा गया?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) बिहार राज्य में उत्पादन किये गये उर्वरकों का वितरण बिहार में तथा दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है। इसी प्रकार, दूसरे राज्यों में उर्वरक संयंत्रो, द्वारा उत्पादित उर्वरकों का वितरण भी बिहार में किया जाता है।

(ख) 1976–77 के दौरान बिहार में स्थित उर्वरक संयंत्रों से बिहार के अलावा अन्य राज्यों को आवंटित किये गये उर्वरकों की मात्रा 'एन' की 37365 मीटरी टन थी। बिहार में पी$_2$ ओ$_5$ की उत्पादन की तमाम मात्रा राज्य में ही वितरति कर दी गई थी।

किसानों की प्रति व्यक्ति आय

7123. **श्री अघन सिंह ठाकुर:** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि के बावजूद किसानों की प्रति व्यक्ति आय कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) : कृषकों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जिनसे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। ये कार्यक्रम फसल के क्षेत्रों में विस्तार करने, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने तथा फसलों की उपज में सुधार करने से संबंधित हैं। फसलों की उपज में सुधार करने के लिये सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनमें कृषकों के लिये प्रमाणित बीज, उर्वरक, कृमिनाशी दवाएं और उन्नत फार्म मशीनरी एवं उपस्कर जैसे आदानों की अधिक व्यवस्था करना, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाना, संस्थागत ऋणों की सप्लाई में वृद्धि करना तथा समस्यामूलक अनुसंधान को तेज करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनके कृषि-उत्पाद के लिये उन्हें लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करके अधिक उत्पादन करने तथा विभिन्न आदानों पर राज-सहायता देने के माध्यम से प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक और डिप्लोमा जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति

7124. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियम पुस्तिका (मेनुअल) के अनुसार स्नातक और डिप्लोमा जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिये पात्रता अवधि क्या है;

(ख) क्या सरकार स्नातक तथा डिप्लोमा जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के बारे में उक्त नियम पुस्तिका के उपबन्धों का पालन करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपने बनाए हुए विनियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कनिष्ठ इंजीनियरों का सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्रता अवधि स्नातकों के मामले में पांच वर्ष की सेवा अवधि तथा डिप्लोमाधारियों के मामले में 10 वर्ष है।

(ख) योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर 50 प्रतिशत रिक्तियां स्नातक तथा डिप्लोमाधारियों को पदोन्नत कर भरी जानी हैं। इसके लिये भाग (क) में उल्लिखित मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है किन्तु शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां, जिन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरा जाना है, के लिये 4 वर्ष की सेवा अवधि विधिवत् अधिसूचित नियम द्वारा न्यूनतम पात्रता अवधि निर्धारित की गई है।

(ग) प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित नियम मैनुअल के उपबन्धों का अतिक्रमण करते हैं जिनका तात्पर्य अन्यथा बिना प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य रूप से पदोन्नति था; दूसरी वाली स्थिति के लिये अपेक्षाकृत निम्न पात्रता मानदण्ड नियत किया गया है ताकि अपेक्षाकृत जूनियर व्यक्ति भी इस परीक्षा में पास हों और उनकी पदोन्नति हो।

जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम दरों पर गृह निर्माण ऋण दिया जाता

7125. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को गृह निर्माण ऋण उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ग में गृह निर्माण का कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यम आय वर्ग के लोगों को कम ब्याज पर गृह निर्माण ऋण देने के लिये जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत वैंकों को परामर्श देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली संसाधनों का विदोहन

7126. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समुद्र में तट-दूर "इकोनामिक जोन" में मछली संसाधनों के विदोहन तथा आंतरिक जल संसाधनों का विकास करने की वृहद योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी दल ने संसाधनों, उनके उपयोग, उनकी रोजगार दर्सयिनी क्षमता और विदेशी मुद्रा के आय के बारे में क्या सुझाव दिये हैं;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक से इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध होने वाली सहायता की संभावना का पता लगाया है और यदि हां, तो इससे संबंधित विशेष परियोजनाएं और योजनाएं क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में देश में समुद्र से और आन्तरिक जल संसाधनों से मछली का कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ और इसमें से कितने उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ङ) देश के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और समुद्रजन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ।

(ख) कार्यकारी ग्रुप के सुझाव अंतरिम प्रकार के हैं, तथा उन्हें संशोधित एवं अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी हां। गुजरात में एक समेकित समुद्र मात्स्यकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के लिये एक समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना भी विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है तथा इस संबंध में वाशिंगटन में भी बातचीत चल रही है। केरल के लिये एक अन्य परियोजना अर्थात् गहन समुद्र मात्स्य की परियोजना भी है, जिस पर प्रथम चरण में विचार किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरा निम्नवत् है :—

वर्ष	मछली उत्पादन (हजार मीटरी टनों में)			निर्यात	
	समुद्री	अन्तर्देशीय	कुल	मात्रा (मीटरी टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1974–75	1472	783	2255	45099	68.4
1975–76	1478	850	2328	54463	124.5
1976–77	1525	875	2400	66750	189.1

(ङ) उपभोक्ताओं की मांग व सप्लाई के बीच के अन्तर को दूर करने के लिये समुद्री तथा अंतर्देशीय दोनों प्रकार के जल में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से प्रमुख उत्पादन केन्द्रों को अन्तर्वर्ती विपणन स्थलों से जोड़ने वाली एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

शिक्षा संस्थाओं में नये छात्रों को परेशान करना (रैंगिंग)

7127. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में नये विद्यार्थियों को परेशान करने (रैंगिंग) की खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं;

(ख) क्या सरकारी आदेशों के द्वारा 'रैंगिंग' पर रोक लगा दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में 'रैंगिंग' की प्रवृत्ति को पुनः उभरने से रोकने के लिये वर्तमान सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) : जुलाई-अगस्त, 1975 में, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के निदेशकों, तथा अन्य संस्थाओं के प्रमुखों से यह अनुरोध किया गया था कि वे नये छात्रों को परेशान करने (रैगिंग) की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दें और जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये। राज्य सरकारों से भी इसी तरह की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इन अनुदेशों को वापस नहीं लिया गया है। आशा की जाती है जब कभी 'रैगिंग' की कोई घटना उन के ध्यान में आएगी तो विभिन्न संस्थाओं के प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे।

पश्चिमी समुद्र तट पर मत्स्य पालन का विकास

7128. **श्री बसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पश्चिमी समुद्र तट पर मत्स्य पालन का विकास करने के लिये एक वृहत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है, इसके लिये वर्षवार क्या प्रोत्साहन देने का विचार है, महाराष्ट्र वित्तीय और भौतिक/उत्पादन लक्ष्यों का चरणवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी एजेंसियों ने इस योजना के लिये कोई तकनीकी वित्तीय सहयोग देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश के दोनों समुद्री तटों पर मात्स्यकी के विकास के विभिन्न योजना कार्यक्रम इस कार्य के लिये गठित कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) महाराष्ट्र के क्षेत्रों का ब्योरा अभी तैयार नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) : इस समय गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से एक समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। नार्वे अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड में मात्स्यकी सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण पोतों का निर्माण कार्य चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से कोचीन में भारत के दक्षिणी-पश्चिमी समुद्री तट के गहन समुद्री मात्स्यकी संसाधनों से संबंधित अन्वेषण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। अन्य विकास कार्यक्रमों में, जिनमें द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संगठनों से तकनीकी/आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, के संबंध में संबद्ध एजेन्सियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं का अध्यापन

7129. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं तथा कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये गत तीन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों को, वर्षवार और विश्वविद्यालयवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों के विदेशी भाषा विभागों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) **:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विदेशी भाषाएं पढ़ाने के लिये विश्वविद्यालयों की सहायता करता आ रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 59 विश्वविद्यालयों और 4 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं में विदेशी भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था है। इन विश्वविद्यालयों के नाम, पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषाएं और आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत में विदेशी भाषाओं के शिक्षण को और विकसित करने के लिये सर्वोत्तम तरीके क्या हैं इस संबंध में विचार करने के लिये आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों पर आयोग ने कुछेक चुने हुए विश्वविद्यालयों में फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषाओं के एक एक प्रवक्ता का खर्च उठाने का निर्णय किया है। आयोग का विशेषज्ञ समितियों की सहायता से इस संबंध में भी विचार करने का प्रस्ताव है कि अगली योजना अवधि के दौरान विदेशी भाषाओं के शिक्षण और अनुसंधान को विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों को कैसी और किस स्तर की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 2115/76]।

कलाड़ी में केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय

7130. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाड़ी (केरल) में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने और इस गांव को तीर्थयात्रा नगर बनाने का अनुरोध-वाला एक ज्ञापन श्री राम कृष्णन् अद्वैत आश्रम आफ कलाड़ी (केरल) ने प्रधान मंत्री को उस समय दिया था जब वह सितम्बर, 1977 में वहां गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में अन्य क्या-क्या अनुरोध किये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या निकट भविष्य में इस मामले में की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृतिक मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां

(ख) अन्य अनुरोध ब्रह्मानन्दोद्यम उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक और जूनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों के लिये निधियों के प्रावधान से संबंधित हैं ?

(ग) कलाड़ी में एक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करना संभव नहीं है । अन्य अनुरोध राज्य सरकार को यथोचित कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
Re. Motions for Adjournment

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनेक स्थानों के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैंने उन्हें अस्वीकृत कर दिया है, परन्तु मैं नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं । श्री स्टीफन ने जो सूचना दी है वह किसी एक राज्य के बारे में नहीं है परन्तु आप उस चर्चा में अन्य विषयों को शामिल कर सकते हैं । मैं कार्य मंत्रणा समिति से बात करके इसके लिये समय निकालूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये, मैं संभव होगा तो आज ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा । मैं इसके लिये इसी सप्ताह में समय निकालूंगा । मैं नियम 377 के अन्तर्गत कल बवंडर पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बताइये कि किस नियम को तोड़ा गया ।

श्री सी० के० चन्द्रधन : आपके विनिर्णय पर ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर आप व्यवधान का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)**

श्री सी० के० चन्द्रधन : नियम 58 स्थगन प्रस्ताव के बारे में है । हम किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं आपको कानून तथा व्यवस्था के बारे में बोलने का अवसर दे रहा हूं ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री वयालार रवि (चिरमीकील) : नियम 58 में यह स्पष्ट है कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता का ग्राधार क्या होना चाहिये। जब हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तब हम यह समझते हैं कि ऐसे कुछ ग्रावश्यक मामले हैं जो सरकार के ध्यान में लाये जाने चाहिये। हम मानते हैं कि कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है परन्तु प्रश्न पुलिस ग्रौर सरकार के दृष्टिकोण का है । ग्राप इस पर विचार करिये।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी ग्रनुमति दे दी है ।

वयालार रवि : यह कानून तथा व्यवस्था के बारे में है, मैं ग्रपना मतभेद प्रकट करने के प्रत्येक नागरिक के लोकतंत्री ग्रधिकार के बारे में बोलना चाहता हूं। उन्हें गोली से मार डाला गया है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : यह दो स्तरों पर ग्रायेगी। पहला, हम समूचे भारत में कानून तथा व्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं । दूसरा गृह मंत्रालय की मांगें ग्रभी ग्रानी है।

(व्यवधान)

निदेश के ग्रनुसार ही काम किया गया है । इसमें कोई मनमानी नहीं की गई है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रस्ताव हैं ग्रौर उन सब पर एक साथ चर्चा करना ठीक रहेगा क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित हैं । ग्रापने कहा है कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है इसलिये एक ही घटना पर चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा ग्रपितु इसके लिए सब विषयों पर एक साथ चर्चा करनी होगी।

(व्यवधान)**

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप बताइए किस नियम को भंग किया गया है।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

Re. Points of Order

SHRIMATI CHANDRAVATI (Bhiwani) : I have a point of order to raise Law and Order is a State subject.

ग्रध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नियम क्या है? ग्राप केवल नियम के ग्रन्तर्गत ही कह सकते हैं । ग्रापको ग्रनुमति नहीं दी जायेगी इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्र से भारी मात्रा में ग्रनुदान मिलता है। यह केवल कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। परन्तु सभा के लिये भी यह चिन्ता का विषय है कि केन्द्रीय कोष से धन का वितरण किस प्रकार हो रहा है । ग्राज केन्द्र जिनको धन दे रहा है वहां का सारा काम ठप्प पड़ गया है । पुलिस ने ग्रत्याचार का जो सिलसिला चलाया है वह दिल्ली में स्थित कुछ लोगों के इशारे पर हो रहा है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया
Not recorded.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि यह केन्द्र का विषय है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह केवल कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। निश्चय ही यह अंशत: कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है परन्तु इसमें अन्य बातें भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिये जाने से ही कोई विषय केन्द्रीय विषय नहीं बन जाता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) **:** मैं नियम 376 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (क), (ख), (ग) (घ), (ङ) के अन्तर्गत और नियम 377 तथा नियम 56, 57 और 58 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। जब भी हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं हमसे नियम के बारे में पूछा जाता है। स्पष्टत: हम नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप पूछते हैं कि "कौन सा नियम भंग किया गया है!" मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी हमसे पूछते हैं कि हमें वह नियम बताना चाहिये जो भंग किया गया है। आप नियम 376 (1) को देखें। यदि मैं सदस्य के नाते समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में कोई विशेष विषय आता है तो मैं 376 (1) के अन्तर्गत प्रश्न कर सकता हूं।

दूसरा, अनेक बातें या घटनाएं अचानक होती हैं और उन पर चर्चा होती है, जो किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आती है। हम निश्चय ही जानते हैं कि अनेक नियम तोड़े जाते हैं और चर्चा की आवश्यकता होती है। मुझे नियम पुस्तक में ऐसा कोई नियम नहीं मिला है जिसमें लिखा है कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदस्य को बैठ जाने के लिये कहे।

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : यह सब जानते हैं कि जो सदस्य यदि शीघ्र कुछ बोलना चाहते हैं, वह व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। यह एक आम बात है। क्या अध्यक्ष इसके लिए सबको अनुमति देगा? यदि अध्यक्ष ऐसा करता है तो केवल व्यवस्था का प्रश्न ही रह जायेंगे। आपका कहना है कि जब यह अध्यक्ष के संज्ञान में है तो उसे प्रश्न करने की अनुमति देनी चाहिये। जब वह प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता है तो वह उसके सज्ञान में नहीं हो सकता है। हम अध्यक्ष महोदय के निर्णय को मानने के लिये बाध्य हैं। मुझे लगता है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसरा) **:** मेरे विचार में पीठासीन अधिकारी का यह पूछना नियमानुसार है कि किस नियम का उल्लघन किया गया है। परन्तु पीठासीन अधिकारी को भी यह

**कार्यवाही वृत्तॉत में सम्मिलित नहीं किया गया
Not recorded

बताना पड़ेगा कि वह ऐसा कतिपय नियमों के अन्तर्गत कर रहा है । पीठासीन अधिकारी भी नियमों से परे नहीं है ताकि पीठासीन अधिकारी के किसी विनिर्णय को सभा के प्रक्रिया नियम के आधार पर चुनौती दी जा सके । यदि पीठासीन अधिकारी सदस्य से यह नहीं पूछ सकता है कि किस नियम का उल्लघंन हुआ है तो निश्चय ही सदस्य नियमों से बाहर चला जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरा नियम 376 (1) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है । इसके अनुसार यह नियमों के निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होना चाहिये । परन्तु पैरा 2 के अनुसार कोई सदस्य कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में व्यवस्था का ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जो सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य-विन्यास के सम्बन्ध में हो । प्रश्न काल समाप्त हो चुका है और सभा पटल पर पत्र रखने का कार्य आरम्भ होगा । हम व्यवस्था का प्रश्न ठीक उठा रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्री··············।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप इस बहाने दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं विपक्ष की ओर से यह कहना चाहता हू कि ····

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहे है तो इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको सम्मिलित न किया जाये ।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur) : The Hon. Prime Minister has said that 95 percent points of order raised here do not have any relevance. But there is some technical point in it,. For this all parties should be consulted and a consensus be formed. Point of order is based not only on rule, but on procedure, conventions and certain other points also. So a way out should be formed out.

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : नियम 376 के उप नियम (1) में लिखा है कि सभा के कार्य के किसी नियम के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के किसी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उंठाया जा सकता है । यदि कोई सदस्य नियम के विपरीत जाता है तो अन्य सदस्य यह कह सकता है कि उस नियम को लागू किया जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं आपका ध्यान नियम 389 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्वित से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किए जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे और हमें इन निदेशों को मानना पड़ता है ।

**कार्यवाहीं वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded

श्री राम जेठमलानी (बम्बई और पश्चिम) : श्री मावलंकर ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उसका विरोध करता हूँ। उन्होंने नियम 376 (1) का उल्लेख किया है। उनके विचार में कोई मामला अध्यक्ष के संज्ञान में आने से ही शर्तों को पूरा करता है । यह गलत है। अध्यक्ष पूछ सकता है कि किस नियम का उल्लघंन हुआ है।

श्री के० गोपाल (करुर) : जहां तक मैं समझता हूँ श्री मावलंकर ने आपके अधिकार को चुनौती नहीं दी है, इस सभा में परिपाटी और परम्परा जैसी कुछ बाते हैं। मैं मानता हूं कि सभा में अनुशासन रखा जाना चाहिये परन्तु अपवादस्वरूप मामलों में परम्परा का सहारा लिया जाना चाहिये जैसा कि पहले यहां हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 376 के उप नियम (1) के अनुसार दो बातें उठती हैं। पहला, यह किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद , जिससे सभा का कार्य विनियमित होता है, से संबंधित होना चाहिये और दूसरा, उठाया गया प्रश्न अध्यक्ष के संज्ञान में हो । प्रश्न यह है कि जैसे ही मामला उठाया जाता है तो क्या यह नियम के उल्लंघन से संबंधित है और क्या अध्यक्ष के संज्ञान में आता है। फिर यह पहिले दिए गए अध्यक्ष के निदेश से विनियमित होता है। उसने यह प्रक्रिया निर्धारित की थी कि व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सदस्य को उस विशिष्ट नियम का उल्लेख करना चाहिये जिसका उल्लंघन किया गया हो। मैं भी इसी निदेश का पालन कर रहा हूं। यह निदेश पूर्णतया नियमों के अन्तर्गत आता है । नियम 376 के अन्तर्गत अन्य उपबन्ध भी और रोक गाते हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति, न होने पर व्यवस्था के प्रश्न पर केवल अव्यवस्था ही फैलायी जाती है । मैं सभा के लाभ के लिये ही नियम का पालन कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि मेरा ज्ञान आप से अधिक नहीं है परन्तु मेरा विनिर्णय अन्तिम होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ? गृह मंत्री ....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये,।

(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इस बारे में आपका कहना ठीक है। मेरा यह कहना है कि किसी भी नियम में अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार नहीं दिया गया है कि "कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय : नियम में यह दिया गया है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कह सकता है । जब आप अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोलते हैं तब मैं अपने अधिकार का प्रयोग करता हूँ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कोई शब्द या कथन यदि असंसदीय है तब आप उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं करने को कह सकते हैं। परन्तु आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ मैं कहूंगा वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री वयालार रवि : मैं आपके अधिकार को चुनौती देना नहीं चाहता । हमें आपकी अनुमति से ही सभा में सब कुछ बोलने का अधिकार है । जब हम कोई प्रस्ताव उठाते हैं तो यह निर्णय आपको करना होता है कि क्या यह प्रस्ताव सुसंगत है अथवा नहीं । यदि आप नियम 350 का कठोरता से पालन करते हैं तो हमें कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इससे सभा को चाहे लाभ हो या नहीं परन्तु इस शासक दल को लाभ पहुंच सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) **:** अनुच्छेद 355 के अनुसार यह केन्द्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव के समय सहायता करे और वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य संविधान के उपबन्धों के अनुसार चले। इसलिये विपक्ष के सदस्य यह आवाज उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था असफल हो गई है · · **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री के० लकप्पा : जब सदस्य को संविधान के उपबन्ध का उल्लेख करने की अनुमति दी गई है तो क्या वह अपनी बात नहीं कह सकता है। वहां संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से भी हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है । सूचना मिलने पर मैं इस पर विचार करूंगा । किसी भी सदस्य ने यह सूचना नहीं दी है कि वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति भंग हो गई है और वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखें गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड वादोदरा का 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और पशु कल्याण बोर्ड मद्रास के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण :

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, वादोदरा के 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 2101/78**]

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं दिया गया ।
Not recorded

(2) (एक) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत, पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 2102/78]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे और विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखे जाने का कारण बताने वाला विवरण :

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) (क) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2103/78]

(2) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2104/78]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) चीनी (1977-78 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1977 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 767(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (1977-78 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 155 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा० सां० नि० 178 (ङ) जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 767 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखियं संख्या एल० टी 2105/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : चीनी (1977-78 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण आदेश, 22 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । सभा की बैठक 19 फरवरी से हो रही है । दो महीने के पश्चात भी इसका प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं। इस बारे में आप सरकार को सावधान भी कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझे दुख है । मैं इस बारे में जांच करूंगा और आपको सूचित करूंगा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषधीय और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 368 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2106/78]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक -एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 225(ङ) और 226(ङ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 78–सी यू एस० IV जो दिनांक 10 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 226(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2107/78]

अध्यक्ष महोदय : अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विचार किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री बीजू पटनायक को इंटरनेशनल डायेमिक्स और प्लूटोनियम बाक्सों के बारे में पूरी जानकारी है। उन्हें सभा को जानकारी देने के लिये कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं दे सकता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नन्दा देवी पर सी० आई० ए० द्वारा आण्विक उपकरण को लगाये जाने का समाचार

SHRI DALPAT SINGH PARASTE ((Shahdol) : Sir, I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a Statement thereon:—

> "The reports that CIA had planted plutonium fired nuclear devices in the Nanda Devi to track Chinese Nuclear explosions and Government is reaction thereto."

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : नंदादेवी शिखर पर नाभिकीय ऊर्जा युक्त एक शक्ति-संकुल को खोजने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर हमारे यहां के अखबारों में छपी खबरों के कारण माननीय सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। इस प्रयत्न की असफलता से यह आशंका पैदा हो गयी है कि इससे हमारी पवित्र नदी गंगा का जल कहीं दूषित न हो जाय। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पर्यावरण को और हमारे लोगों को इससे जो खतरे की संभावना है उसके प्रति माननीय सदस्यों और जनता की तरह हम भी चिन्तित हैं।

सदन को यह ज्ञात है कि जैसे ही इन रिपोर्टों की ओर हमारा ध्यान गया, हमने अमरीकी प्राधिकारियों से अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की और उसके बाद नई दिल्ली में तथा वाशिंगटन में हम निरन्तर उनसे संपर्क बनाए रहे हैं। स्वयं अपनी ओर से भी हमने पिछले कुछ दिनों में यथा शक्ति पूरी जांच पड़ताल करके अधिक से अधिक विवरण प्राप्त करने की कोशिश की है। उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उस समय दूर और पास में होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियों के संदर्भ में भारत सरकार ने और संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार ने उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया था कि नाभिकीय शक्तिसंकुल सहित एक दूरस्थ संबंधी युक्ति नंदादेवी के उच्चतम शिखर के पास किसी स्थान पर प्रक्षेपणास्त्र संबंधी घटनाओं की जानकारी हासिल करने के लिये स्थापित की जाए। तदनुसार भारतीय पर्वतारोहियों का एक दल नंदादेवी पर गया और उसके बाद भारत तथा अमरीकी पर्वतारोहियों का एक संयुक्त दल आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ इस युक्ति को स्थापित करने के लिये 25,000 फुट की ऊंचाई पर गया।

यह पर्वतारोही दल जब शिखर के करीब पहुंच रहा था उस समय एक बर्फानी तूफान में फंस गया, जिसके कारण पहाड़ पर और ऊपर चढ़ना असंभव हो गया और दल के लिये घातक संकट उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप उसे मजबूर होकर 23,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीचे के शिखर पर लौटना पड़ा। बहुत ही मजबूरी में अत्यन्त कष्टप्रद और श्रम साध्य परिस्थितियों में इस प्रकार उतरते हुए उन्हें इस शक्ति संकुल को सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखना पड़ा। सर्दियों का मौसम आ जाने की वजह से इस युक्ति को पुनः ढूंढ कर निकाल लेना उस समय संभव नहीं था और इसलिये यह कार्य स्थगित करना पड़ा। अगले मौसम में, यानी, मई, 1966 में इस युक्ति को प्राप्त कर स्थापित करने के उद्देश्य से पुनः पर्वतारोहण किया गया लेकिन इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद पर्वतारोही दल को यह ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र के आस-पास भारी हिम-स्खलन हुआ है और इसके कारण युक्ति का पता नहीं लगाया जा सका। अतिसंवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से भूमि पर और हवाई जहाज से इस शक्ति-संकुल को ढूंढने का हर संभव प्रयत्न किया गया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इन तमाम प्रयत्नों के बाद हमारे विशेषज्ञ, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर यह शक्ति-संकुल टूट गया होता तो इन उपायों से उसका पता लग जाता इसलिये यह संभव है कि यह युक्ति हिमस्खलन के साथ बहकर कहीं आस-पास की किसी गहरी हिम दरार में नीचे जा गिरी हो और वहां दब गई हो। इसके बाद हर वर्ष जमीन पर और हैलीकॉप्टर के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में इसकी तलाश जारी रही और यह तलाश 1968 तक की जाती रही। लेकिन यह उपकरण इन वैज्ञानिक साधनों से भी न तो दिखाई दिया और न ही इसका पता लगा।

इसी प्रकार सन् 1970 तक पानी के नमूने लिये जाते रहे और कुछ वर्ष तक उन पर बराबर निगाह रखी गई, लेकिन कहीं किसी प्रकार के दूषण का पता नहीं चला।

1967 में इस क्षेत्र में एक नई युक्ति ले जायी गई और निकटवर्ती एक शिखर पर उसे स्थापित कर दिया गया। कुछ समय तक यह युक्ति सामान्य रूप से कार्य करती रही लेकिन बाद में, 1968 में उसे निकाल लिया गया और संयुक्त राज्य अमरीका को वापस लौटा दिया गया। जैसा कि मैंने कहा है स्पष्टतः यह काम प्रमुख रूप से भारतीय कार्मिकों ने किया था लेकिन यह संयुक्त तत्वावधान में किया था और यह तत्कालीन भारतीय सरकार के उच्चतम राजनीतिक स्तर की जानकारी में था तथा उसके अनुमोदन से किया गया था।

कुछ दिन पहले अखबारों में इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद हमने उपलब्ध अभिलेखों से तथा संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार और इस योजना से सम्बद्ध भारतीय विभागों से परामर्श करके इन पर्वतारोहणों के सम्बन्ध में संगत विवरण और पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की है।

हमने इस युक्ति के बारे में यथासंभव अधिक-से-अधिक तकनीकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी और इस पर प्रकाशित सामग्री के अनुसार यह युक्ति एक ऐसी शक्तिशाली है जोकि 2-3 पाउण्ड प्लूटोनियम -238 मेटल एलाय से अर्जित है, जो ऐसे कई दोहरे खोलों में रखा हुआ है जिनसे वह रिस नहीं सकता। इस प्लूटोनियम को धारण करने वाले अन्दर के खोल 20 मि० मी० मोटे टेनटेलम के बने हैं, जोकि एक

दूरगलनीय धातु है। टैनटेलम का पहला काम तो यह है कि वह प्लूटोनियम ईंधन की संक्षारक क्रिया को रोके। इसके बाहर के खोले निकल एलॉय के बने हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं और उसमें तापमान के उतार-चढ़ाव सहने की शक्ति होती है। ये खोल ग्रेफाइट के एक ऊष्मा ब्लाक में बन्द हैं और ये ब्लाक स्वयं तापविद्युतीय मोडुल्स के साथ बेलनाकार एल्यूमिनियम के ढांचों में बन्द है जिसका व्यास 14 ईंच और ऊंचाई 13 ईंच है। इस समूची युक्ति का कुल भार 38 पाउण्ड है।

इन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था जिनमें इस काम को करने वालों के लिये और सामान्य जनता के लिये सम्भावित खतरों से सुरक्षा भी शामिल है और इससे निष्कर्ष यह निकला कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका ने जो परीक्षण किए हैं उनसे यह पता चलता है कि अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जबकि यह समूचा ईंधन अनायास पानी में खुल जाने की स्थिति में पानी के दूषित होने की अगर कोई संभावना है भी तो इतनी नहीं कि वह असुरक्षा की सीमा तक पहुंच जाए। हम समझते हैं कि ऐसी असंभावित स्थिति आ जाने पर भी 5,000 गैलन पानी प्रतिदिन का बहाव स्वयं ही पानी में घुली सामग्री को इतना पतला कर देगा कि उससे पीने के पानी पर उसका कोई असर नहीं रह जाएगा। वैज्ञानिकों का यह भी विश्वास है कि इसके अचानक खुल जाने की वजाह से वायुदूषण का खतरा भी बहुत कम है। संक्षेप में उनका दावा यह है कि इसके डिज़ाइन की बारीकियां और इसकी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि इसके टूट जाने और इसके परिणामस्वरूप जल और पर्यावरण के दूषण सम्बन्धी संकटों से बचने के लिये इसमें अधिकतम संभव सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है।

इसके डिज़ाइन में सुरक्षा की व्यवस्था और भौतिक और वैज्ञानिक तरीके से की गई खोज के परिणामों के बावजूद अब चूंकि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, इसलिये हम हर ओर से अपने को आश्वस्त करने के उद्देश्य से इस दिशा में नये सिरे से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस समस्या के अध्ययन औंर आकलन के लिये वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त करना चाहते हैं। यह समिति सभी संभव विशेषज्ञ सलाह की सहायता से ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करेगी जो पर्यावरण को और जनता को किसी भावी संकट से बचाने के लिये आवश्यक समझे जाएं। हमने ऊपरी क्षेत्रों में पानी के ताजे नमूने हासिल करवाने के लिये तत्काल कार्रवाई की है।

जैसा कि मैंने बताया, हम अमरीकी सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें उस समय तकनीकी विवरण, वैज्ञानिक सहयोग और उन्नत उपकरण दिए जबकि 1966 की गर्मियों में इस लापता शक्तिसंकुल की तलाश का काम किया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि चिन्ता, आशंका और अवसाद के उन दिनों में हम किस विकट स्थिति में थे। भारत में उच्चतम स्तर पर सम्बद्ध प्राधिकारियों विभिन्न खतरों और संकटों को पहचानने के लिये बहुत सावधानी से स्थिति का मूल्यांकन किया तथा कुछ कारगर युक्तियां अपनाने की बात सोचते हुए उन उपायों को क्रियान्वित करने का निश्चय किया जिनकी रूपरेखा मैंने अभी आपके समक्ष उपस्थित की है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि जहां तक आदमी

के बस की वात थी. इन संकटों से बचने के लिये हर तरह की कोशिश की गई थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि भविष्य के रास्ते में प्रकृति ने हस्तक्षेप कर दिया और अब हम यह देख रहे हैं कि यह निरन्तर भय और चिन्ता का एक कारण बन गया है।

वहरहाल, जहां तक मेरा ख्याल है स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के लिये खतरे के आधार पर मुझे कोई बहुत बड़ा संकट नजर नहीं आता। अब तक जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता है वह यह है कि इस संकुल में हिफाजत संबंधी जो सावधानियां बरती गई हैं, वे उतना ही कारगर हो सकती हैं जितना उनके कारगर होने का दावा किया गया है और अगर यह बात ठीक है तो संभव है भविष्य में दूषण का कोई कुप्रभाव न हो। यह बड़े सन्तोष की बात है कि अब तक कुप्रभाव की कोई बात देखने में नहीं आई है। मैं सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि जहाँ तक हमें जानकारी है भारतीय भूमि पर ऐसी कोई और युक्ति स्थापित नहीं है और हम किसी ऐसे काम के लिये अनुमति भी नहीं देंगे जिसमें हमारे राष्ट्र को खतरे के समक्ष में डालने की क्षमता हो।

SHRI DALPAT SINGH PARASTE : It is a matter of great concern if such nuclear devices are planted at the origin of the religious rivers. I want to know whether the C.I.A. agents are active in all parts of the world. I want to know whether the effect of such type of devices remain from one year to ten years and the use of the water may result in cancer and other diseases.

I want to know whether the Government of India was aware of planting of Nuclear device by C.I.A and whether some unsocial elements and instutitions also have their hands in it. I want to know whether Atomic Energy Commission well be requested to examine whether the water has been contaminated or not ?

SHRI MORARJI DESAI : There is no question of bringing C.I.A. in this matter. This has been done by our Government with consultation of U.S. Government. It is another thing whether this should have been done or not. So there is nothing to blame anybody in this matter.

श्री के० लकप्पा (तुमकुट) : मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस बारे में न केवल उचित उत्तर बल्कि स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिये था। गत तीन दिनों से यह समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि सी० आई० ए० केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से सांठ-गांठ कर कार्य करता रहा है ((**अन्तर्बाधाएं**)।

इस बारे में न केवल सरकार बल्कि भूतपूर्व गृह मंत्री का भी दायित्व है। सी० आई० ए० और सी० बी० आई० के सम्बन्धों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये। (**अन्तर्बाधाएं**)।

इस मामले में न केवल विदेश मंत्रालय बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी अर्न्तग्रस्त हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बात सिद्ध होती है कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश में कार्य कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय कौन सा अभियान दल आया था और इससे सम्बन्धित अधिकारी कौन-कौन थे और इस मामले में वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी। इस मामले के सब पहलूओं पर एक उच्चस्तरीय एवं निषपक्ष वैज्ञानिक निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : सदन को मैं तथ्यों की विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। सी० आई० ए० और सी० बी० आई० को इस मामले में लाने का कोई औचित्य नहीं है। केवल वही दो एजेंसियां ही कार्य नहीं कर रही हैं बल्कि अन्य वैज्ञानिक एजेंसियां भी कार्य कर रही हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता।

यह एक गम्भीर मामला है और सरकार इस बारे में चिन्तित है। उनका निर्णय सर्वोच्च स्तर पर और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और इसमें पूरी सावधानी भी बरती गई थी। इस बारे में बरती गई सावधानी से मैं सन्तुष्ट हूं।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैंने प्रेस को यह नहीं कहा था कि मैं इस बारे में सदन में वक्तव्य दूंगा। जहां तक "बमशैल" का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपात स्थिति में एक ओर अमरीका और सी० आई० ए० पर आरोप लगा रही थीं और दूसरी ओर विपक्ष पर यह आरोप लगा रही थी कि वे लोग अमरीका से साठ-गांठ कर रहे हैं लेकिन स्थिति पैदा होने पर वास्तव में उन्होंने इस बारे में अमरीका का साथ दिया।

Shri Shankar Singhji Veghela (Kapadganj) : I am thankful to the Prime Minister for giving facts in this matter. you have stated in your statementthat there in no possibility of Contamination of the water of our sacred river Ganga. But plutonium may cause Cancer and other diseases. The former Prime Minister Smt. Indira Gandhi on the one hand had soft Corner for Russia and on the other hand with the collusion of C.I.A. managed to keep a device on Nanda Devi to get information abount China. What was the real policy of the former Prime Minister toward Russia and America. I think that the former Govt. made a joint defence strategy against China with the Co-operation of America.

Shri Morarji Desai : We are not at war with China. It will not be proper to say that it all had happened due to Smt. Indira Gandhi.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : इस विषय पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से मुझे न केवल आश्चर्य हुआ है बल्कि दुख भी हुआ है। विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया से यह पता लगता है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ छिपाया गया है। वह एक मामूली वैज्ञानिक अभियान नहीं था। सी० आई० ए० इस देश और अन्य विकास शील देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा है। इस खतरे को कम नहीं समझना चाहिये।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य में राजनीतिक पहलू की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। हम प्रधान मंत्री से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि सी० आई० ए० को देश में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। हम आशा करते थे कि विदेश मंत्री अथवा प्रधान मंत्री अपने वक्तव्य में सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में अपने रूख को स्पष्ट करेंगे। हम एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अमरीका सरकार से इस मामले में गहरी चिन्ता प्रकट की है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि सी० आई० ए० इन प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के खिलाफ है। इसका राजनैतिक कारण है। आपको शायद हंसी आये परन्तु आप एक दिन अवश्य

मेरी बात मानेंगे। इस स्पष्टीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस वक्तव्य में छुपाई गई है वह है इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर डाला गया दवाव। सी० आई० ए० एजेंसियों ने उन पर दबाव डाला है कि वे प्रत्येक बात भारत सरकार को न बतायें यद्यपि दोनों सरकारों के बीच सहयोग है और समझौता भी है। यह बात महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री कहते हैं कि उनका प्रशिक्षण यहां हुआ है। मुझे उनकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य होता है।

श्री मोरारजी देसाई: यहां नहीं वहां।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: क्या सरकार ने उन लोगों के बारे में आगे और जानकारी प्राप्त की है जो इस अभिमान में अन्तर्ग्रस्त हैं? मैंने कहा है कि इसका राजनैतिक उद्देश्य है। सी० आई० ए० द्वारा यह बात वहां के राष्ट्रपति जानसन तथा उनके पश्चात होने वाले राष्ट्रपति से भी छुपाई गई। प्रधान मंत्री का आदर करते हुए मैं फिर यह बात दोहराना चाहता हूं। कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों ने चोरी छिपे और कोई अन्य पर्वतारोहण बाद में किया हो? पता चला है कि त्रिसूल के लिये कई बार ऐसे प्रयास किये गये। ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ अमरीकन इन अभियानों पर गये। पता चला है कि एक यात्रा एजेन्सी ने 1975 में आकाश अभियान आयोजित किया था—यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करायेगी। सी० आई० ए० का षड़यंत्र अभी तक चल रहा है। विदेश मंत्री तथा उनके कार्यालय के आसपास सी० आई० ए० के एजेंन्ट चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं प्रधान मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सी० आई० ए० की गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई: माननीय सदस्य ने कहा है कि सी० आई० ए० ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह रहस्योदघाटन न करें। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। विश्व की कोई भी शक्ति हम पर दबाव नहीं डाल सकती।

एक माननीय सदस्य: (व्यवधान) ··· संक्षिप्त।

श्री मोरारजी देसाई: मैं आप लोगों की तरह से किसी भी बात का यूं ही विश्वास नहीं करता मुझे अपने दायित्व का पता है। अतः मैंने पूरी तरह इसका अध्ययन किया है। मुझे यकीन है कि यह सी० आई० ए० अथवा सी० बी० आई० द्वारा आरम्भ नहीं किया गया। यह इस देश के विज्ञान विभाग द्वारा आरम्भ किया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा परन्तु इसके देश के सर्वोच्च शक्ति उत्तरदायी है; यदि मैं किसी से कोई कार्य करने के लिये कहता हूं तो उसमें कार्य करने वालों का क्या दोष है। उन लोगों को दोष क्यों देते हो। उस समय देश में खतरा महसूस किया गया था और इस खतरे से बचने के लिये ऐसे कदम उठाने आवश्यक समझे गये। इसीलिये उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा है कि इस प्रकार अन्य कोई उपकरण भारत की धरती पर नहीं है। उन्हें और भी आश्वासन चाहिये? कोई तथ्य इस बारे में छुपाया नहीं गया इस उपकरण के बारे में सावधानी भी बरती गई और सावधानी के उपायों से सन्तुष्ट हूं। 12 वर्षों में पानी का दूषित न होना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है। यदि पानी दूषित होता तो हम सभी को कैंसर हो गया होता। हममें से किसी को भी ऐसा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : ईश्वर न करे ऐसा हो। हम वैज्ञानिकों की एक समिति बना रहे हैं जो इस मामले की जांच करेगी।

श्री चित बसु (बारसाट) **:** प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे कुछ तथ्यों का पता चला है इन तथ्यों की स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु आद्योगिक सम्बन्धों तथा देश की रक्षा नीति पर भी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी।

बताया गया है कि उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ। परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बदल गयी है। क्या इस समझौते को बनाये रखना अभी भी आवश्यक समझा जाता है अथवा इसके स्थान पर अन्य कोई कार्यवाही की जायेगी ? चीन की गतिविधियों का पता गलाने के लिये यह उपकरण लगाया गया या। अब नीति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन है। अतः क्या अभी तक उस समझौते को कायम रखा जायेगा।

दूसरी बात यह है कि इस समझौते के अनुसार भारत तथा अमरीका की सतर्कता एजेंसियों के बीच भारतीय सतर्कता ऐजिन्सयों को विकसित करने तथा उनको आधुनिक बनाने की व्यवस्था की गई थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सी० आई० ए० के भारतीय सतर्कता एजेन्सियों को उच्चतम अधिकारियों के साथ सी० आई० ए० के घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। देश के ऐसे संस्थानों तथा सरकार के उच्चतम अधिकारियों के विषय पर उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता था। अमरीका की राजनैतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक शाखाओं से कहीं अधिक सैनिक सहायता दल के लोग भारत में आ गये थे। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। क्या सरकार अब उस समझौते को समाप्त करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार ऐसा आश्वासन देगी जिससे कि हम आत्म सम्मान तथा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें।

श्री मोरारजी देसाई: मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि क्या उसे बारबार दोहराने की आवश्यकता है ? पता नहीं माननीय सदस्य और क्या आश्वासन चाहते हैं। हम सच्चे ढंग से गुटनिर्पेक्ष हैं और हम सभी से मैत्री चाहते हैं।

लोक लेखा समिति
Public Accounts Committee

71वां तथा 72वां प्रतिवेदन :

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) **:** मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(एक) वर्ष 1975-76 के लिये भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 7, 13, और 14 पर इक्हत्तरवां प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक तथा तार) संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में।

(दो) वर्ष 1975-76 के लिये भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 26 पर बहत्तरवां प्रतिवेदन (सिविल), कनाडा मे रेपसीड तथा रेपसीड तेल के आयात पर, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय।

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति :
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

पांचवां प्रतिवेदन

डा० बापू कालदाते (औरंगाबाद) : मैं सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण विधेयक
AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त, प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिये बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य पदत्त और समुनदेशित करने और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिये बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित शक्तियों और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री सिकन्दर बख्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[MR. DY. SPEAKER *in the Chair*]

MATTER UNDER RULE 377

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जनता सरकार की औद्योगिक नीति को विफल करने के लिये विमको लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हेराफेरी का समाचार।

श्री आर० के० महालगी (थाना) : मैं जनता सरकार की नीति को विफल करने के लिये विमको लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हेराफेरी के बारे में सदन को सूचित करने के लिये बाध्य हुआ हूं और मांग करता हूं कि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राष्ट्रीय विरोधी क्रियाकलापों को विफल करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

जनता सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतम लोगों को रोजगार मिले जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो और सभी को जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त हों। लेकिन महाराष्ट्र में अम्बरनाथ स्थित विमको लिमिटेड सरकार को घोषित नीति के प्रतिकूल चलकर अब एक मशीन आयात की है सो माचिस के बक्सों, का शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ कर देगी। इस मशीन के चालू होने से अम्बरनाथ की फैक्ट्री के लिये तथा कम्पनी के अन्य एकहों के लिये गत्ते के माचिस के बक्सों का उत्पादन करने लगेगी। फिर एक मशीन भी शीघ्र ही आने वाली है जिससे अनेक लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

वर्तमान कर्मचारियों को शाँत करने के लिये कम्पनी ने बाह्य रूप से तो यह आश्वासन दिया है कि किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा। लेकिन इससे प्रतिवर्ष 200 मजदूरों की छटनी हुआ करेगी और उनके स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं लिया जायेगा। इस आश्वासन के बावजूद मजदूरों की संख्या में स्वतः कटौती हो जायेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम्पनी की घृणित क्रियावधि को आरम्भ में ही समाप्त कर दिया जाये।

(दो) जालन्धर में भारतीय सामयवादी दल (मार्क्सवादी) के अधिवेशन के दौरान खुफिया ब्यूरो के हस्तक्षेप का समाचार।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डयामंडहारबर) : जालन्धर में हुए हमारे दल के अधिवेशन के दौरान खुफिया ब्यूरो के हस्तक्षेप के मामले पर गृह मंत्री श्री चरण सिंह के वक्तव्य के प्रकाशन के बारे में मैं वास्तवितक तथ्य देना चाहता हूं।

9 अप्रैल, की रात को एक व्यक्ति को दल से सम्बन्धित कागजातों वाली एक साधारण फाइल को चुराकर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस व्यक्ति ने यह रहस्योदघाटन किया कि वह खुफिया ब्यूरो के लिये काम करता है और उसका नाम गौतम दास है। उसने यह स्वीकार किया है कि वह खुफिया ब्यूरो में सब-इन्सपैक्टर है।

5 अप्रैल, को रिवाल्वर धारी दो मोटरसाइकिल सवारों ने बिहार से आये हमारे दल के एक प्रतिनिधि श्री रामानन्द सिंह को जानबूझकर टक्कर मारी। वह गिर गये और उन दोनों

मोटर साइकिल सवारों ने उनसे फाइल छीन ली जिसमें दल से सम्बन्धित कागजात थे। फिर दोनों लापता हो गये। उनमें एक व्यक्ति ए० के० दत्त नाम का जो खुफिया ब्यूरो में इंसपैक्टर के पद पर दिल्ली में नियुक्त है।

अनुसंधान और विश्लेषण विभाग (आर० ए. डब्ल्यू०) ऐसे तो कार्यों में संलग्न हैं। यह गतिविधि श्रीमती गांधी ने आरम्भ की थी। हमें अत्यधिक आश्चर्य इस बात का है की जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद भी यह सब कुछ हो रहा है। गृह मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

(तीन) बिहार में 65 महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने का असत्य समाचार।

SHRI HUKAM DEO NARAIN YADAV (Madhubani) : The news published in Nav Bharat Times of 14-4-78 or the Caption 'Arakshan Ki Parinati-65 Aurton Ke Sath Balatkar' was totally wrong and misleading. The newspapers and Correspondents of the vested interests have been persistantly trying through wrong propaganda to create communal trouble in Bihar. They are misusing their freedom the incident referred to should be got inquired by the CBI and those who are trying to create communal trouble through the publication of such news, should be tried for treason.

अनुदानों की मांगे, 1978-79

DEMAND FOR GRANTS 1978-79

(एक) श्रम मंत्रालय (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगा। श्री लकप्पा अपना भाषण जारी रखें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रम मंत्रालय की अन्य मंत्रालयों के साथ अच्छी तालमेल होनी चाहिये। और उनका पूरा सहयोग लेना चाहिये। दुर्भाग्यवश बहुत से मंत्री श्रम मंत्री से बात नहीं करते।

देश में एक करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश है। इनमें जून, 1977 के अनुसूचित जातियों के 12.08 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और अनुसूचित जन जातियों के 2.75 लाख 1 जनवरी, से जून, 1977 के बीच रोजगार दफ्तरों में इनमें से क्रमश: 35391 और 1974 लोगों को रोजगार दिलाया। बेरोजगार लोगों को जीवन निर्वाह भत्ता देने का एक विधेयक श्रम मंत्रालय ने वित्तीय आधार पर अस्वीकृत कर दिया। इससे स्पष्ट है कि श्रम मंत्री के मन में कोई बेरोजगार लोगों के प्रति सहानुभूती नहीं है।

लाखों असंगठित कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार को सुनिश्चित किया जाये। वे इस राष्ट्र के आधार स्तम्भ हैं। सीमान्त किसानों को भी उद्योग मजदूरों के बराबर माना जाये। पेंशन आदि की उन्हें भी वही सुविधाएं होनी चाहिये। विभिन्न राज्यों में उनकी मजदूरी से सम्बन्धित कानून पूरी तरह लागू किये जाने चाहिये। वार्षिक भुगतान किये जाने वाले मजदूरों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। तथा सभी उपयुक्त श्रम

कानून उन पर लागू हों। देश के लाखों असंगठित फार्म मजदूरों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाने के लिये उनका वर्गीकरण किया जाये। जिससे उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके।

मनुष्यों को खाड़ी के देशों में बेचे जाने से रोकने के लिये कोई कानून नहीं है। कुछ जाली संगठन लोगों को रोजगार देने के लालच देकर बाहर ले जा कर उन्हें बेच देते हैं। इन संगठनों का पता लगाके उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। इसके लिये समुचित कानून बनाया जाये।

रेलवे के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों पर रेलवे मंत्रालय के परामर्श से विचार करने की जिम्मेदारी भी श्रम मंत्रालय की है। अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ, दक्षिण क्षेत्र में 20 अप्रैल, से हड़ताल पर रहने का नोटिस दिया है। उन्होंने 36 मांगों की सूची दी है। श्रम मंत्री उनकी कठिनाइयां तथा उन अन्य लोगों की शिकायतों पर विचार करें जिन्होंने रेल मंत्री औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है।

SHRI ROOPLAL SOMANI (Bhilwara) : The hon. Minster deserves congratulations for restoring the recognition to trade unions for reinstating the workers removed fiom services in an injustified manner during the emergency, for looking into the misuse of the powers by the management during that period and the trying to give Instice to all, for making provision for payment of 8·33 percent bonus by amending the Payment cf Bonus Act, for abolishing cuts in wages under the Compulsory Deposit scheme and for restoring the tripartite machinery.

It may be correct to say that the increase in the loss of mandays to 21.21 million in 1977 as against 12.80 million dring 1976 in during the Emergency may be on account of the expression of the suppressed feelings of workers after lifting up of the emergency. But we should look more deeply into the causes of present labour unrest. The present labour unrest has been engineered by political parties Each political Party has its Labour organisations and with a view to increase its influence more and more, it adopt at fair and unfair means. Time has come now when we should find out ways and means to end to Labour unrest arising out of political reasons.

The multiplicity of labour union Create differences among workers which reduce their power of collective bargaining and the management take undeue benefit of it. It is, therefore, necessary, that shold be only are union in, one industry. It is also essential for the health development & labour movement in the Country.

The Question of determining the agency of collective bargaining is also very important. It will prove beneficial for the workers, it there is only one agency for collective bargaining. A collective council of workers may be set up either on the basis of secret ballot by all the workers or by inlcuding one third of its members

from amongst the union representatives and by leading the remaining two third through secret ballot by the workers. A third alternative may be that Joint Committee of the representatives of the unions is set up on the basis of the strength of the unions. It is also necessary that a machinery for arbitration is established to settle the issues in case of failure of takes.

It is matter of satisfaction that a comprehensive legislation indutrial disputes is proposed to be introduced in this session. But one thing should be kept in mind in this regard and it is that small industries and more particularly the Khadi industry should be heated on a different basis because the whole of Khadi industry under Khadi commission depend on feeling of trusteeship.

It is good that steps has been taken for participation of labour in 1398 units joit Council may also be set up for this purpose and the rights of admnisi-tration and policy decisions also may be given to them at all levels.

Only 28719 boned labourers have been freed and rehabilitated so far not of 1,02,047. More efforts should be made in this direction.

The responsibility of implementation of laws relating to Agricultural labourers should fully rest with the village Panchayats.

Steps should be taken to solve as early as possible the strike situation at Ketri.

More beneficial rules should be framed for the workers covered under the employees state Insurance Scheme.

SHRI MOHAN BHAIYA (Durg) : I am very happy to know that the hon. Minister personally visits the huts of labourers and hears their grievances. I would like to draw this attention to particularly towards the problem of inter-state migrant labour which are lakhs in number and are dwelling and working in the most pitiable and wretched condition throughout the country. Madhya Pradesh has been facing famine for the last 5—6 years and many labourers have migrated to various parts of Uttar Pradesh. But their condition is simply pathetic. I have received a letter from Allahabad which speaks quite clearly as what is the lot of the labourers at Vilaspuri. Hemandes Kilu. Here, both the man and the woman labourers are not able to earns more than Rs. 4 per day. Besides, that they maltreated by the contractor and the labourers have said that if the contractor came to know about this letter, he would be putting the labourers to high torture.

I personally went there and found that a labourer is paid Rs. 15 only per week. and there are no facilities whatsoever on their housing and they do not get drinking water even. Moreover their women folk are maltreated and molisted. Rape with a woman labourer is not an unusual inci-dent in this area. Also I came to know that a girl named Shiv Ratri was

was brought there from Akaltara on the lure that would get Rs. 10 per day as wages and one kg. rice. But instead she was sold out a number of times one after the other. Ultimately the girl ran away somewhere and nothing is known about her.

In fact these labourers are kept there as slaves under armed guard. They have no security of life nor any legal protection nor any guarantee for a days meals.

Similarly in Raibrailly also the labourers are paid only Rs. 10 per week per family irrespective of the member of family members. One Shri Chamar Rai *a ias* Ravi Singh lured some 125 labourers including children and women to work in U. P. assessing them Rs. 10 per day with facilities of others essential items. But at Vilaspur he handed them over to an agent Shri Yadav and there this caravan met with indescribable sufferings. They mercilessly treated by the stooges of the contractor. Some of these labourers may have escaped and narrated their plight to the authorities who then got about 200 bounded labourers released narrating about the tortures they met with at the hands of the contractor's men. One Shri Boda told that he was beaten mercilessly when he asked for firewood. Some of his fellow workers were tied up and exposed to bitter cold in the night. Sonatlaid was also unashamedly molested.

These are a four of the incidents of injustice and torture being meted out to the inter-state migrant labourer . The Govt. should look into it. Such atrocities on the inter-state migrant labour is going on not only in Uttar Pradesh but in Delhi also. Recently about two days ago I met with about 200 labourers at the construction site of Bulgarian and Hungarian Embassies. They told me that while working in Rohtak, they were paid only 60 paise per day. Also they told me about non payment of their wages for 15 days when water gushed in while digging a canal.

I, therefore, appeal that these labourers should be given minimum wages and also legal protection.

The contractors do not hesitate even in smalling up the amount of wages in thousands of rupees which falls due to these poor people over a long period. These poor people are never able to get their money . So there should be a legislation to protect their interests.

The hon. Minister has mentioned that about a compact committee to look after the interest of the migrant labourers and also to solve their grievances. But may I know what this Committee has done so far ? Let us know its recommendations and also the action taken thereon, so that the labour could get justice.

Bhilai is in my constituency. During last Lok Sabha polls 10 labourers were killed at Rajhara in firing. In Belidila also many people were killed. Why was there firings ? Even the leaders of their unions are acting as the agents of the contractors. In Rajhara the labourers had demanded Rs. 100 each for setting up their huts but your Labour Department could not fetch to them this amount. The labourers are being exploited by everyone and at every place. At Rajhara there was a dispute over the payment of wages for loading and unloading of trucks of bricks and there was a strike for 54 days. But their leaders

lost the game on the negotiation table with the contractor and the labourers suffered a loss of Rs. 500 each. The contractors swallowed up their entire money.

Then in Dalli Rajhara area there is a problem as a result of retrenchment. After the installation of a machine worth Rs. 29 crores, about 80000 labourers have been rendered jobless.

In HSCL plants and Nandini mines also there are no proper arrangements for the security of the workers. Their daily wage at HSCL is Rs. 7·50 a day and at Nandini mines it is Rs. 5·56 but the contractors pay them only Rs. 2·50 after 12 hours strenuous work. Laws regarding minimum wages are not being followed. There is Steel Wage Board, Cement Wage Board but their is no wage Board for contractor workers. Who lakhs in number. The Minister of Steel has said that the Govt. cannot abolish contractor labour system and that they cannot compel the contractor to give work to the labourers. You have said that unemployment will go after ten years. But what has so far been done in this regard ? You will have to provide enough food to the labourers when they work for 12 hours a day. At least Rs. 10/- should be paid to a labourer everyday then the anomaly in wages of the ordinary labour and contractor labour should be removed.

The amount realised from their workers for Cess Fund is not being spent on their welfare and other amenities. In Bhilai this amount comes upto Rs. 1 crore but the amount is being spent on the amenities of the employees drawing Rs. 500 or Rs. 600 as pay. Nothing is being spent for the contract labour.

Similarly Rs. 5 laks are being collected as cess every year from the Beedi workers . I suggest that this amount should be placed at the disposal of states and this amount should be spent on the Workers' Welfare.

With these words I support the Demands for Grants of the Ministry of Labour.

श्री वी० एम० सुधीरन (एलप्पी) : यह सरकार श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने में सर्वथा असफल रही है बल्कि इसने उनके मूल अधिकार तक छीन लिये हैं तथा उनके साथ बन्दूक से बात की जा रही है। अतः इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है।

पन्त नगर में हुई घटनाओं से स्पष्ट पता चलता है कि सरकार का रवैया क्या है । वहां श्रमिक को गोली मारकर ईख के खेतों में जला दिया गया । वर्तमान सरकार पिछली सरकार के अत्याचारों के कारण अस्तित्व में आई परन्तु इस सरकार ने तो पिछली सरकार को भी पीछे छोड़ दिया।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि बेरोजगारी 10 वर्षों में समाप्त हो जायेगी परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यक्रम ही तैयार नहीं हुआ है । कुछ राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता देने की पेशकश की है परन्तु केन्द्र सरकार ने देश के बेरोजगार युवकों की इस मांग को ठुकरा दिया है।

सरकार के पास बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या कार्यक्रम है ? केरल में लाखों लोग परम्परागत उद्योगों में लगे हैं परन्तु वहां नारियल जटा की चटाईयां मशीनों द्वारा बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप वहां बेरोजगारी की विकट स्थिति पैदा हो गयी है। सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकार संसद सदस्यों, कर्मचारी संघों आदि सभी के अनुरोधों की उपेक्षा कर दी है ।

मछली पकड़ने के कार्य को भी मशीनीकृत करने के लिये यह सरकार एकाधिकार गृहों को लायसेंस दे रही है। इसके फलस्वरूप हजारों मछुवे अपना परम्परागत रोजगार खो बैठेंगे। ऐसी नीति रही तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्रमिक वर्ग की क्या दशा हो जायेगी ? इस से तो सारे देश में वाबेला खड़ा हो जायेगा।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों में भर्ती की आयु-सीमा 25-30 वर्ष है। यदि आप इस सीमा को नहीं बढ़ायेंगे तो भी लाखों लोग बेरोजगार रह जायेंगे। अतः इस आयु-सीमा में कम से कम पांच वर्ष की वृद्धि की जानी चाहिये।

सरकार की कोई मजूरी सम्बंधी राष्ट्रीय नीति नहीं है। मंहगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और श्रमिक अपनी मजूरी में गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। अतः सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजरी की एक नीति तैयार करे।

इस वर्ष श्रमिक विवादों में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में हर ओर अशांति फैली हुई है। अतः वर्तमान श्रमिक कानूनों में परिवर्तन करके समझौता अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि श्रमिक विवाद लंबित पड़े रहते हैं।

देश में कृषि श्रमिकों की भी बहुत दुर्दशा हो रही है। हम लोग यद्यपि कृषि के संवर्द्धन तथा ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। यदि उसका वास्तविक लाभ गरीब लोगों को नहीं हो रहा है। ग्रामीण धनिक वर्ग उनका शोषण कर रहा है। कृषि श्रमिकों संवंधी स्थायी समिति ने एक व्यापक विधेयक लाने की सिफारिश की है। मंत्री महोदय इसके लिये एक आदर्श विधेयक पेश करें। केरल सरकार ने तो कृषि श्रमिक विधेयक पारित भी कर दिया है जोकि इस दिशा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।

देश में बेरोजगारी की भारी समस्या है। हमारे कितने ही नौजवान नौकरियों के लिये विदेशों में जाने को उत्सुक हैं। परन्तु 1972 के प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें जाने से सख्ती से रोका जा रहा है। यहां तक कि खाड़ी के देशों से प्राप्त मीसाधारियों को भी वापस यहां भेज दिया गया है। इस देश के अनेक भागों विशेषकर केरल में भारी असन्तोष व्याप्त है।

मंत्री महोदय इस मामले में कुछ हिदायतें।

श्रम मंत्रालय का काम श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहा है। सरकार की मजदूर विरोधी नीति का एक सबूत यह भी है कि उसने राज्य सरकार को तुम्बा में कर्मचारी संघ को अमान्य घोषित करने को कहा था।

मैं मंत्री से चाहूंगा कि वह चुनावों के दौरान किये गये वायदों को पूरा करने के लिये सभा को पुनः आश्वासन दें।

SHRI BHARAT BHUSHAN (Nainital) : When we talk of progress and socialism we have to think of industrialisation and the promotion of agriculture wherein a labour is a very important factor to reckon with. And we must get his due since he toils the most for development and progress. But the previous Government did not brought in any legislation doing their tenure. which

could do any good to the labour class. If we have to run the industries properly, then we should have to give due representation to them in the management so that they also feel themselves as part and parcel of the entire industry. But it is very surprising that on one hand we talk of nationalisation of industries so as to keep them in the nation's hands and on the other hand there is tendency of giving boost to all sorts of strikes etc. In fact these very people are exploiting the labour class. The incident in Pantnagar the other day was also because of this tendency.

The previous Govt. had made a legislation providing for some fixed minimum wages to the workers but the employees exploited the labourers by charging them on account of rent of the land where the labourers had put up their huts, bill for the tap water etc. etc. In this way they deducted the wages of the poor labourers thus eliminating the goods of the legislation. But since the installation of this keen Janata Govt. we have stopped all those deductions and the labourers are getting their full wages. But the leaders of the labour movements have now started misleading the innocent labourers by saying that they should get their dues earlier also from the present Govt. This very incident lead to the violence and then there was a firing wherein 14 person are reported to have been killed. It is really very unfortunate.

I would request the Ministry of Labour to come out for an amicable settlement before such a situation arises. We have seen that even a bilateral agreement are an agreement through arbitration is reached. Some body takes the matter to the court, of law. Therefore a legislation should be made to ban on taking the matter to the court's when an agreement has been reached bilaterally or through arbitration.

As regards agricultural labour, such legislations, rules should be made as might be practicable and worth implementation; and there should be a provision of penalising those who violate these legislations. Then there should be forum to hear the grievances of the labour class. Their cases should not be made to linger on for an indefinite periods in the courts of laws.

In this connection I agree with the Minister's suggestion that there should be on union in one industry and that full representation be given to the workers therein. Presence of many unions always make the matters more complicated and controversial.

It is a bare fact that only the weaker section that goes out to ask for work. Therefore that section should be given protection. It is the duty of the Ministry of Labour to provide for all the facilities for their education, training, housing medical treatment etc.

Finally I would point out that when my friends opposite talk that this thing or that thing has not been there, then in other words they admit their own mistakes since they themselves have been at the realms of affairs until about a year ago and that too for 30 long years.

I hope that there would be worker's co-operation and worker's participation instead of labour unrest and industry and agriculture would develop thereby. The unfortunate incident which has taken place in Pant Nagar, should not allowed to recur in future in any industry or form and the Ministry of Labour should take urgent steps to remove the basic reasons behind such incidents With these words, I support the demands of the Ministry of Labour.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjan) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the demands of the Ministry of Labour. During the period of last one year, the government have restored the rights of the workers, which were taken away by the previous government, but there are certain problems of workers which should be solved urgently.

For example, when a worker goes to the court, the decision is delayed very much. Until and unless his case is decided, he should be given full wages and also he should be provided legal assistance.

The provident fund scheme is not being implemented properly in Public undertakings. Provident fund money should be deposited regularly and workers should be given loans from the fund. The capacity of hospitals under E.S.I. scheme is bery less and drugs and medicines are not available in sufficient quantity. The medical leave should not be allowed to be misused.

श्रीमति पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई।

Shaimati Parvati Krishnan in the chair

The contract system of labour should be abolished and minimum wages should be fixed. At present, there are one crore and nine lakh unemployed people in the country, who have registered their names with Employment exchanges. The Government should make arrangement to provide employment to the people at the earliest. All the facilities should be provided to the people in the villages so that they could not run after jobs in cities.

I would like to urge the Government and through Central Government to the State Governments that the problems of the workers should be resolved promptly so that they may not be forced to resort to agitations. Production should not be allowed to suffer due to agitations. There are several trade unions in an industry . The union rivalry leads to violence, which should be dealt with sternly. When there is accumulated stock in an industry., The capitalists takes advantages of union's rivalry and gets them indulged in agitations so that there might be artificial shortages. This should not be allowed to happen.

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि जहां तक श्रमिकों की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, सभी सदस्यों के विचारों में लगभग मैतक्य है।

सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि श्रमिकों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में दलगत मतभेदों को आड़े नहीं आने देना चाहए और औद्योगिक सम्बन्धों में सोहार्द और शान्ति की भावना के विना उत्पादन की क्षति होगी और वस्तुओं का अभाव होगा। अभाव से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी । अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा । उद्योगों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को उचित मान्यता मिले और उन्हें उचित वेतन मिले तथा रोजगार की उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो।

श्री सुधीरन और मेरे माननीय मित्र श्री सौगत राय ने एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभी भी पिछले भयावह सपने से मुक्त नहीं हो सके हैं।

यह कहा गया है कि श्रमिक असन्तोष में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हुई है। इस बारे में मेरा उदासीन दृष्टिकोण नहीं है। पिछले आठ दस वर्ष में जितने जनदिवसों की हानि हुई है, उनका औसत लगभग 2 करोड़ जनदिवस बैठता है। यह औसत ब्रिटेन, इटली, आस्ट्रेलिया अथवा कनाडा या अन्य अनेक औद्योगिक रूप से विकसित देशों के औसत से भिन्न नहीं है। मेरा यह कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि जनदिवसों की हानि होनी ही चाहिए।

यह भी कहा गया है कि गत 7-8 वर्षों के दौरान तालाबन्दियों के कारण होने वाली जनदिवसों की हानि की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1970 में यह 28% थी, 1972 में 33%, 1975 में 65 प्रतिशत और 1976 में, जबकि आपात स्थिति पूरी तरह लागू थी, यह 73% थी और 1977 में यह 50% से अधिक है। सोचने की बात तो यह है कि कुल कितने जनदिवसों की हानि हुई। वर्ष 1977 में हड़तालों के कारण जितने जनदिवसों की हानि हुई, वह 105 लाख जनदिवस है, जो वर्ष 1970-75 की अवधि की तुलना में सबसे कम हैं।

कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्व अशान्ति और अव्यवस्था का शोर मचाकर एक भय की भावना उत्पन्न करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने के पीछे दो प्रकार के तत्व सक्रिय हैं--एक तो वे तत्व हैं जो यह कहते हैं कि श्रमिकों के अधिकारों को बहाल कर देने से श्रमिक असन्तोष बढ़ा है और इस प्रकार ये निहित स्वार्थ वाले तत्व आपात स्थिति को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। दूसरे वे पूंजीपति इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें आपात स्थिति में मनमानी करने की खुली छूट थी और अब श्रमिकों के अधिकारों को बहाल कर देने से उनकी मनमानी पर रोक लगती है।

श्री सौगत राय ने यह कह कर श्रममंत्री की हंसी उड़ाने की कोशिश की है कि श्रम मंत्री ने केवल 12 मामलों में हस्तक्षेप किया है। वे यह भूल गये कि श्रम मन्त्री के सामयिक हस्तक्षेप के कारण दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टाला जा सका और करोड़ों रुपये के उत्पादन की क्षति को रोका जा सका। उन्होंने प्रतिवेदन के अन्य पृष्ठों को सम्भवतः नहीं देखा। मुख्य श्रम आयुक्त के संगठन ने 5964 मामलों में से 4885 का इस वर्ष ही निपटारा किया और इनमें से 70 प्रतिशत विवादों का निपटारा तो केवल 2 महीनों की अवधि में ही कर दिया गया। इसी प्रकार श्रम अधिकारियों ने 1,38,763 शिकायतों में से 1,38,325 का वर्ष भर में निपटारा किया।

हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद, श्रमिक सम्बन्धों के क्षेत्र में कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक उपाए किये। श्रमिक अधिकारों को बहाल किया गया और आपात स्थिति के दौरान जिन मजदूरों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। अनिवार्य जमा योजना और बोनस के बारे में भी कार्यवाही की गई। बातचीत के लिए त्रिपक्षीय तन्त्र को पुनः स्थापित किया गया।

गत वर्ष के त्रिपक्षीय सम्मेलन के बाद, प्रमुख निर्णयों के बारे में मैंने सदन को अवगत कराया था। एक प्रमुख निर्णय का औद्योगिक सम्बन्धों के लिए व्यापक विधेयक के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए समिति की स्थापना करना और दूसरा, प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए समिति की स्थापना, तीसरे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में समिति की स्थापना और चौथा निर्णय था—कृषि मजदूरों और असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विशेष सम्मेलन आयोजित करना। इन चारों मामलों में सरकार ने कार्यवाही की है।

समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के पीठासीन अधिकारियों, श्रम मंत्रालयों, श्रम आयुक्तों और राज्यों के श्रम मन्त्रियों के साथ परामर्श किया गया। प्रतिवेदन की जांच की गई और मंत्रिमण्डल में चर्चा की गई। व्यापक परामर्श के बाद अब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जबकि व्यापक विधेयक को सदन में पेश किया जा सकता है और औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी व्यापक विधेयक को इसी रूप में सदन में पेश कर दिया जाएगा।

श्रमिकों की प्रबन्ध में साझेदारी को समस्याओं से, जो सदस्य परिचित हैं, वे जानते हैं कि अनेक पहलुओं का अध्ययन किया जाना है। आपात स्थिति के दौरान अथवा उससे पहले श्रमिकों की प्रबन्ध में साझेदारी के बारे में जो योजनाएं लागू की गईं, उनके बारे में किसी भी मजदूर यूनियन ने यह नहीं कहा है कि वे श्रमिकों को प्रबन्ध में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए कोई अवसर देती हैं। प्रबन्ध में किस स्तर पर श्रमिकों को साझीदार बनाना है—वर्कशाप स्तर पर, संयन्त्र स्तर पर बोर्ड स्तर पर अथवा औद्योगिक स्तर पर। इसके अलावा श्रमिकों के सहयोग के बारे में श्रमिक संगठनों और प्रबन्धकों के दृष्टिकोण का भी प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के बारे में इस त्रिपक्षीय समिति ने दो माह के अध्ययन के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो शीघ्र ही आपके समक्ष पेश किया जायगा। श्रमिकों द्वारा साम्यपूंजी में भाग लेने का जहां तक प्रश्न है, हमें यह देखना होगा कि इसमें भाग लेने के लिए जोर जबरदस्ती की भावना न हो और दूसरे श्रमिकों के वेतन का कोई अंश ऐसी जगह न लगाया जाए जहां बाद में उन्हें हानि हो।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिति प्रो० रथ जैसे विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित की गई थी और उसके साथ कामरेड पार्वती कृष्णन, संसद सदस्य जैसे विशिष्ट व्यक्ति सम्बद्ध थे। उस समिति के प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है और उसे शीघ्र ही सदन के समक्ष पेश किया जाएगा।

कर्मचारियों के सताये जाने के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने एक परिपत्र जारी करके अपनी नीति की घोषणा की है कि कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाए, सेवा-भंग की अवधि के लिए उन्हें पूरा वेतन दिया जाए और उनके पदोन्नति के अवसरों को पूर्ण संरक्षण दिया जाये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों में इस बारे में बहुत कम प्रगति हुई है। लेकिन हम इस बारे में उदासीन नहीं हैं।

आप लोगों को पता ही है कि 'उद्योग' की परिभाषा के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों के अनेक ऐसे

वर्गों से भी मांगें प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तगर्त नहीं आते। इस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले श्रमिकों के लिए कोई विधान अथवा कुछ उपबन्ध बनाने के प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ।

मैं अपने मित्र श्री चिन्त बसु से सहमत हूं कि इनमें कुछ तालाबन्दियां तो छिपे रूप में जबरन छुट्टियों अथवा कारखाना बन्द करने की कार्यवाही होती है । यह भी मांग की गई है कि आपात स्थिति के दौरान जोड़े गये अध्याय 5 (ख) को समाप्त किया जाये जिस में जबरन छुट्टी, छटनी तथा कारखाना बन्द करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है । इस मांग से काम के रुकने की समस्या तो हल होगी नहीं । हम तो ऐसा विधान अथवा ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा उपलब्ध हो, उन्हें श्रमिक सुरक्षा प्राप्त हो, उनकी मजदूरी में ह्रास न हो, मुनाफे में उनकी भागीदारी हो तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें दुर्घटनाओं के खतरों से भी सुरक्षा मिले ।

काम के स्थान पर सुरक्षा का प्रश्न सरकार के लिये बड़े महत्व का है चाहे यह सुरक्षा खानों में काम करने वालों की हो अथवा कहीं अन्य स्थानों पर काम करने वालों की । श्रमिक से अधिक से अधिक कुशलता पूर्ण कार्य लेने के लिये उसके स्वास्थ्य तथा जीवन की रक्षा का प्रबन्ध होना बेहतर जरूरी है ।

पिछले वर्ष खानों में दुर्घटनायें तो उतनी ही हुई हैं जितनी इससे पूर्व परन्तु इस बार मरने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, हालांकि होना तो यह चाहिये कि एक भी व्यक्ति न मरे, परन्तु तथ्य ये है कि गत वर्ष हम स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । हां सिंगरेनी कोयला खानों में ऐसी दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है । अतः हम इन कोयला खानों की तरफ़ विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं ।

वर्तमान सरकार के बनते ही हमने एक सुरक्षा सम्मेलन बुलाया था जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी थे तथा हमने कर्मचारियों को और अधिक प्रतिनिधित्व देते हुए खान सुरक्षा पुर्नविलोकन समिति को पुनः जीवित किया और खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने के लिये प्रशासकीय पर्यवेक्षण तथा सुरक्षा दायित्व का स्तर ऊंचा करने के लिये कदम उठाये। इसी संबंध में हमने अधिक कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उपाय भी किये।

सभापति महोदय : जिस समिति का आपने उल्लेख किया है क्या आपने उसकी सिफ़ारिशें क्रियान्वित की ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इन प्रतिवेदनों की सिफारिशों का क्रियान्वित का लेखा-जोखा तैयार करने के लिये इस समिति की तिमाही बैठकें होती है ।

जहां तक अन्य उद्योगों का संबंध है यह आप सबको मालूम है कि कारख़ाना महा-निदेशालय (मंत्रालय सेवा तथा श्रम) संस्थान का कार्य कर रहा है । मेरी इच्छा है कि माननीय सदस्य वहां जा कर देखें कि वहां क्या काम हो रहा है वहां पर आखों कानों आदि

के बचाव के लिए कम खर्च वाले उपकरण तैयार किये जाते हैं। माननीय सदस्य इसमें रुचि लें तथा स्वयं को हम इस बात से अवगत करायें कि वहां क्या कुछ हो रहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप को हमारे दौरे का प्रबंध करना पड़ेगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वह कर दिया जायेगा।

श्री पूर्ण सिन्हा ने चाय बाग़ान के श्रमिकों के बारे में कहा है कि प्रतिवेदन में उनके लिये केवल 10 पंक्तियां ही लिखी गई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भूमि तथा मनुष्य के मध्य व्यापक अनुपात की समस्या केवल श्रम मंत्रालय से हल नहीं हो सकती। इस समस्या के आर्थिक उत्पादकता आदि अनेक पहलू हैं। मुख्य प्रश्न मजूरी तथा आवास, जल सप्लाई चिकित्सा सुविधाओं आदि के लिये सांविधिक में प्रावधान करने का है। मैं उनके सुझाव को स्वीकार कर रहा हूं तथा हम सांविधिक प्रावधानों का क्रियान्विति का व्यौरा रखने के लिये एक सैल बनाने जा रहे हैं। इनमें से कई प्रावधान तो पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में दाक्षिणी क्षेत्रों में अधिक संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित किये गये हैं। सभापति महोदया, आप स्वयं वहां गई थीं और सच्चाई को जानती हैं यद्यपि आप इस पीठ से इस समय इसकी पुष्टि नहीं कर सकेंगी।

कृषि श्रमिकों की समस्याओं के हल के लिये हमने एक विशेष बैठक बुलाई थी। समस्या केवल इतनी नहीं है कि न्यूनतम मजूरी के लिये सांविधिक प्रावधान किया जाये बल्कि कभी-कभी तो इस मजूरी को श्रमिकों की जेब तक पहुंचाना भी कठिन हो जाता है। इसके लिये प्रशासनिक व्यवस्था को भी कुशल और सुदृढ़ करना होता है। आप जानते हैं कि सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन का समर्थन किया है। अतः आशा है कि सरकार ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों के गठन को बढ़ावा देने में सहायता कर सकेगी, साथ ही उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण करने में भी सहायता देगी।

बंधुवा मजदूरी की समस्या का हल करने के लिये भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं परन्तु समस्या यह है कि इसका पता लगाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जायें। इससे पूर्व भी बधुवा मजदूरों के पुनर्वास का कार्य वर्तमान योजनाओं का ही एक अंग था उसके लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। हमने भी एक करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान से यह काम शुरू किया है यद्यपि इस समस्या के सभी पहलुओं पर कार्य करने के लिये यह राशि कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा इस ओर विशेष ध्यान है।

श्रीमती मृणाल गोरे ने महिलाओं के लिये रोजगार के प्रश्न पर कार्यकारी दल के बारे में कहा था। यह एक बड़ा प्रश्न है और इसके कई पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। समान पारश्रमिक अधिनियम के प्रति हमारी विशेष जिम्मेवारी है। इस अधिनियम को रोजगार के सभी 23 क्षेत्रों पर लागू किया गया है केवल एक दो क्षेत्र रहते हैं वहां भी शीघ्र लागू कर दिया जायेगा। मैंने राज्य सरकारों से कहा है कि अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रधिकारियों की नियुक्ति तथा सलाहकार निकायों का गठन करने

की परम आवश्यकता है । केन्द्रीय स्तर पर भी हम समान पारश्रमिक, महिलाओं को रोजगार की समस्याओं तथा तत्संबधी कार्यकारी दल से प्राप्त सिफ़ारिशों के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिये एक गैर-सांविधिक सलाहकार समिति की स्थापना कर रहे हैं । राज्य सरकारों नियोक्ताओं श्रमिक संगठनों तथा महिलाओं के स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का भी हम एक सम्मेलन बुलाने का विचार रखते हैं ताकि समान पारश्रमिक अधिनियम और ऐसी महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता वाली योजनाओं की पूरी क्रियान्विति के बारे में मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकें ।

प्रवासी श्रमिकों के बारे में भी तुरन्त कार्यवाही करने की जरूरत है । यदि यहां मुझे कुछ अधिक बोलने का समय मिला होता तो मैं भी प्रवासी श्रमिकों की हृदय कंपा देने वाली स्थिति का उल्लेख करता कि किस प्रकार उनकी भर्त्ती होती है और किस प्रकार उनसे असीमित समय तक काम लेकर तथा उन्हें रेबडों की तरह हांक कर टीन के शैडों में रखा जाता है । इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जांच के परिणामों और इस संबंध में हुए वार्तालाप के पश्चात हमने एक ऐसा विधान लाने का निर्णय किया है जिसके अधीन पहले से तय हुई मजूरी का नियमित रूप से भुगतान हो सकेगा । प्रवासी श्रमिकों के लिए काम की शर्तें इस दृष्टि से निश्चत होंगी कि वे दूसरे प्रदेश तथा दूसरे वातावरण से आये हैं और इसी के अनुसार उनके लिये सुरक्षात्मक वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि की व्यवस्था होगी और उन्हें उनके मूल राज्य की सरकार से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगी ।

रोजगार कार्यालयों के बारे में श्री लकप्पा तथा मेरे अन्य माननीय साथियों ने प्रश्न काल में सभा का ध्यान आकर्षित किया था । कहा गया था कि नौकरियां बहुत कम दिलाई गई हैं । इसका एक कारण तो यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा कर्मचारी चयन बार्डों तथा केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के गठन के पश्चात बहुत से रिक्त पदों की सूचनायें रोजगार कार्यालयों को नहीं दी जा रही है । सरकार ने हाल ही में एक समिति गठित की ताकि रोजगार कार्यालयों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा वहां अपने नाम लिखने में कुछ लोगों की कठिनाइयों का हल निकाला जा सके ।

जहां तक विदेशों में हमारे कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों द्वारा नौकरियां किये जाने का संबंध है हम चाहते तो हैं कि उन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया जाये परन्तु साथ ही हमें उन श्रमिकों की सेवा शर्तों, रहन-सहन की परिस्थितियों और उनके अन्य हितों की रक्षा की ओर भी ध्यान देना है । यही कारण है कि सरकार ने निर्णय किया है कि उन श्रमिकों को विदेशों में रोजगार के लए पंजीकृत एजेन्सियों के माध्यम से ही मांगा जाना चाहिये । इस संबंध में पैदा होने वाली समस्याओं को हल करने हेतु हम समुद्र-पार रोजगार सैल को सुदृढ़ करने के लिये कदम उठा रहे हैं ।

इस विषय में कोई मत-भिन्नता नहीं है कि हमारी एक राष्ट्रीय मजूरी नीति होनी चाहिए जनता पार्टी तथा यह सरकार राष्ट्रीय मजूरी, आय तथा मूल्य नीति निर्धारित करने के लिये बचन-बद्ध है । इस संदर्भ में अनेक प्रश्न श्री भूतालिंगम तथा उनकी समिति को बिचाराथ सौंपे गये हैं । इस संबंध में अपना माननीय मित्र श्री चिन्तबसु की क्रोधपूर्ण आलोचना को इन्ही अर्थों में लेता हूँ कि वह मुझे चौकन्ना करना चाहते हैं तथा इस कड़ी आलोचना के

पीछे उनका इससे अन्य कोई अभिप्राय नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार इस में पीछे नहीं हटेगी।

भूतलिंगम समिति के बारे में वित मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह एक अध्ययन दल है और सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। यह सोचना गलत है कि इस समिति की स्थापना मजूरी में वृद्धि पर रोक लगाने के लिये की गई है।

मजूरी के पुनरीक्षण पर प्रतिबंध के बारे में जिस परिपत्र का जिक्र किया गया है उसमें तो केवल यह कहा गया है कि जहां आय बहुत अधिक हैं मामलों को वित मंत्रालय भेजकर वित्त मंत्रालय की अनुमति ली जानी चाहिये। ऐसा करना एक राष्ट्रीय मजूरी नीति निर्धारित करने में बहुत सहायक होगा। भूतलिंगम समिति इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी। यदि यह समिति एक मजूरी बोर्ड होती अथवा इसका संबंध केवल मजूरी विषय होता तब तो केवल श्रम मंत्रालय से ही इसका संबंध होता परन्तु जब यह आय, मूल्यों आदि पर भी विचार कर रही है तो इसका संबंध अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी होना स्वाभाविक है और अन्य विभागों के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिये संभव नहीं है।

बोनस के मामले पर सभा में कई महीनों से चर्चा हो रही है तथा आगे भी अवश्य होगी। इस बारे में उस समय विस्तार से बोलने का आज समय नहीं है क्योंकि विदेश मंत्री अपना भाषण देने वाले हैं। व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक भी कई वर्तमान कानूनों यथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रमिक संघ अधिनियम, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम आदि में संशोधन करेगा हम मजूरी, सामाजिक सुरक्षा, काम की शर्तों तथा श्रमिक कल्याण आदि संबंधी अन्य कानूनों को भी सरलबनाने का विचार कर रहे हैं। मजूरी, नियोक्ता, कामगर अदि की एक आम परिभाषा निश्चित करने का भी प्रयास किया जायेगा।

आज एक ही शब्द की विभिन्न कानूनों के अंतर्गत भिन्न परिभाषायें हैं। साथ ही नियोक्ताओं द्वारा, विशेषकर छोटे नियोक्ताओं द्वारा रखे जा रहे रजिस्ट्ररों एवम् भेजे जा रहे विवरणों और तत्संबंधी श्रम-कानूनों की संख्या में भी कमी की जायेगी। श्रमकों की शिक्षा और व्यस्क शिक्षा के अभियान हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे हैं। जो व्यापक विधेयक हम सभा के समक्ष लाने वाले हैं उसमें चुनाव के माध्यम से मान्यता की मांग को भी पूरा किया जायेगा।

जिन विषयों के बारे में मैं नहीं उत्तर दे पाया उसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझते। निश्चय ही वे महत्वपूर्ण हैं। मैं उन पर भी विचार करूंगा और जितने भी सुझाव स्वीकार करने योग्य हुए वे स्वीकार किये जायेंगे।

अन्तः मैं आशा करता हूँ कि सभा इस मंत्रालय के अनुदानों की मागों को पारित कर देगी।

सभापति महोदया : क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहता है?

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभा की अनुमति से कटौती प्रस्ताव वापस लिये गये

The cut motions were, by leave, withdrawn

सभापति महोदया : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखती हूँ :—

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदया द्वारा श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Labour were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
65	श्रम मंत्रालय	68,39,000	—
66	श्रम और रोजगार	57,53,33,000	8,00,000

(दो) विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव पेश किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	1	श्री जी० एम० बनतवाला	1. विदेश जाने वाले, विशेषकर रोजगार के लिये मध्य-पूर्व देशों को जाने वाले व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
31	7		7. जिला मल्लापुरम (केरल) में एक क्षत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	2	श्री राम जेठमलानी	इस वर्ष 12 मार्च को फलस्तीनियों द्वारा इस्रायली क्षेत्र पर आक्रमण और बच्चों सहित निर्दोष इस्रायली नागरिकों के नरसिंहार की निन्दा करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	3	,,	रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला निरन्तर हस्तक्षेप रोकने में असफलता जिससे सम्बन्धित व्यक्ति और देश दोनों के हितों को आघात पहुंचता है ।	--वही--
	4	,,	1966 के संयुक्त राज्य मानवाधिकार सिद्धान्तों पर जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी सिधान्त कहा जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक सिधान्त और ऐच्छिक समझौते पर हस्ताक्षर तथा उनका अनुमोदन न करना ।	--वही--
	5	,,	पाकिस्तान और बंगला देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के निरन्तर हनन की निन्दा न करना और इन दोनों देशों में सत्तारूढ़ तानाशाही शासन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करके उसे बनाये रखना ।	--वही--

सभापति महोदय : प्रो० सक्सेना क्या श्री सुधीरन उपस्थित नहीं हैं । श्री एम० सत्यानारायण राव ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदया, वर्तमान विदेश मंत्री पहले यहीं हमारे पास विपक्ष में बैठा करते थे परन्तु विपक्षी नेता के रूप में वह कभी गैर-जिम्मेवार नहीं रहे । विदेश मंत्री बनने के एक वर्ष बाद तक भी वह ठीक-ठाक रहे परन्तु अब हाल ही से दुर्भाग्य से वे विवादों में फंसने लगे हैं। हाल ही में उन्होंने यह वक्तव्य दिया

कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री भुट्टो के साथ कोई गुप्त समझौता किया था ऐसा शायद उन्होंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा उतेजित किये जाने पर किया होगा उनके इस वक्तव्य ने अनेक सदस्यों को चकित किया क्योंकि आज तक तो हम उन्हें एक जिम्मेवार नेता मानते आए थे। परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने यह ऐसा वक्तव्य दिया जो उन्हें नही देना चाहिये था। दो शासनाध्यक्षों के मध्य कभी कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ करता। खैर अब वह सिद्ध करें कि उन्होंने कितनी सत्य बात कही है।

आज भी उन्होंने श्री लकक्पा के प्रश्न पर क्रोधपूर्ण टिप्पणी की। वह तो स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रशंसक रहे हैं। वर्ष 1971 में, बंगला देश की आज़ादी के समय श्री बाजपेयी ने उन्हें मुबारकबाद दी थी तथा मेरे विचार से श्रीमती गांधी के लिये 'दुर्गा माता' का शब्द इस्तेमाल किया था। निस्सन्देह वह सभा में भी उनकी प्रशंसा किया करते थे। यद्यपि वह आलोचना भी करते थे परन्तु जब वह कोई अच्छा काम करती थी तो श्री वाजपेयी प्रशंसा भी करते थे। परन्तु अब तो उन्हें अनावश्यक रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध आरोप नहीं लगाने चाहियें। विषय किसी भी मंत्रालय का हो वह हमेशा ही इन्दिराजी के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इससे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें यह सलाह इसलिये दे रहा हूं कि वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं तथा मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उनका उक्त वक्तव्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा वक्तव्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी देते तो कोई आश्चर्य न होता।

विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि विदेश नीति पर कोई मतभेद नहीं है। इसके लिये हमें श्री जवाहर लाल नेहरू का आभारी होना चाहिये जिन्होंने यह गुट-निरपेक्षता की नीति सृजित की थी, हालांकि इस नीति की अमरीका और अन्य देशों ने आलोचना की थी क्योंकि वे चाहते थे कि भारत उनके गुट में शामिल हो जाये। केवल रूस ने ही हमारी इस नीति को सराहा था और वह देश इस दिशा में आवश्यकता के समय हमेशा हमारे काम भी आया। इसी देश की सहायता न होती तो काशमीर कभी का हमारे हाथ से चला गया होता। इसके लिये अमरीका तथा पाश्चिमी देशों ने बहुत दबाव डाला था। रूस ने सुरक्षा परिषद् में हमारे हक़ में अपने 'वीटो' अधिकार का प्रयोग किया था। गोआ की मुक्ति के समय भी रूस ने हमारी सहायता की थी और बंगला देश की आज़ादी के समय भी ऐसा ही हुआ जबकि अमरीका, इंग्लैंड, चीन तथा अन्य देशों ने हमें हानि पहुंचानी चाही थी। इसके अतिरिक्त रूस ने हमारी अर्थव्यवस्था तथा अन्य क्षेत्रों में हमारी सहायता की है।

सोवियत रूस के सहयोग से हमने अनेक परियोजनाएं आरम्भ की हैं। मै यह नहीं कहता कि श्री वाजपेयी उस देश की उपेक्षा कर रहे हैं परन्तु कुछ ऐसी धारणा बनी है कि वह अमरीका तथा अन्य देशों को अधिक तरज़ीह दे रहे हैं। इस धारणा का निराकरण किया जाना चाहिए।

जहाँ तक पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, श्री वाजपेयी इस मामले में भाग्यशाली हैं। जब वह विदेश मंत्री बने तब हमारी पड़ोसी देशों के साथ कोई समस्याएं नहीं थीं। उनके विदेश मंत्री बनने के समय हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे थे और उन्होंने इन संबंधों को अधिक बेहतर बनाया।

दो समस्याएं ऐसी हैं जो उनके लिए वास्तविक परीक्षा हैं । पहली काश्मीर की समस्या तथा दूसरी समस्या है चीन के साथ सीमा विवाद । इन दो समस्याओं का समाधान आवश्यक है क्योंकि इनके रहते उन देशों के साथ युद्ध छिड़ सकता है। इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व चीन से एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया था । उनकी विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के साथ क्या बातचीत हुई । यह मैं नहीं जानता परन्तु ऐसा आभास दिया गया है कि वे लोग सीमा संबंधी समस्या के हल के लिए उत्सुक हैं। आप लोगों को भी वहां जाना चाहिए वहां संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल भेजा जाना चाहिए। काश्मीर की समस्या और चीन के साथ सीमा संबंधी समस्या के हल हो जाने से हमारे विदेशों के साथ कोई समस्याएं नहीं रह जायेंगी । मुझे प्रसन्नता है कि सलाल परियोजना के मामले में हमारा पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया है। यहां नेपाल के प्रधान मंत्री भी आए हुए हैं। उनके साथ भी दो देशों से संबंधित परियोजनाओं पर समझौता हुआ है । हमारा बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं । साथ ही साथ हमें पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि हम इसरायल के साथ भी संबंधों को सुधारें । राष्ट्रपति सादात भी इस दिशा की ओर प्रयत्नशील हैं । हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उन देशों के बीच समस्या का समाधान हो।

हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति जड़ नहीं होनी चाहिए । तटस्थता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो कुछ भी हमारे पड़ौसी देशों में हो रहा है उससे हम अप्रभावित रहें । तटस्थता गति शील होनी चाहिए । चीन और अरब देशों में भुट्टो की फांसी की सजा पर पाकिस्तान के मार्शल ला प्रशासक को लिखा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलय की बात कर रहे हैं परन्तु आपने देख लिया है कि आपात काल में इनकी क्या दुर्दशा हुई थी । आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि श्री वाजपेयी जापान जैसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम देश के साथ संबधों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

मैं आपको अमरीका और उसकी सी० आई० ए० एजेंसी से सावधान करना चाहता हूं । हाल में राष्ट्रपति कार्टर यहां आए थे । उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ भेंट करने के बाद कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे । समाचार पत्र से यह पता चला है कि अमरीका यूरेनियम की सप्लाई नहीं करेगा । वे हमेशा अपना हित देखते हैं । यही रूस और अमरीका में अंतर है। इसलिए आपको ऐसे देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो आपकी आर्थिक रूप से मदद कर रहा है परन्तु अमरीका जैसे देश से सावधान रहना चाहिए । यह खुशी की बात है कि आप अफ्रीकी देशों में रुचि दिखा रहे हैं और जातीय भेदभाव, सम्राज्यवाद तथा उप-निवेशवाद के प्रति आवाज उठा रहे हैं ।.

आपने पासपोर्ट के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार संसद सदस्यों को दे कर हम पर एक बोझ डाल दिया है । हमारे पास अनेक प्रकार के लोग हस्ताक्षर के लिए आते हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें।

विदेशी मिशनों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां स्थित राजदूतों का कार्य संतोशजनक नहीं है उनका वहां अपना निहित स्वार्थ होता है । इसलिए अन्य देशों में अधिकांश राजदूत इस देश के गैर सरकारी व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए।

यह अच्छी बात है कि अमरीका और सोवियत रूस हिंद महासागर पर बातचीत कर रहे हैं । यदि हिंद महासागर पर बड़े देश लड़ेगें तो हमारे लिए शान्ति बनाए रखना कठिन हो जाएगा । हमें इस विषय पर तटवर्ती देशों से भी बात चीत करनी चाहिए ताकि हिंद महासागर में शांति की स्थापना की जा सके।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Almora) : Firstly, I congratulate the Foreign Minister and the Janata Government for sailing through the foreign policy smoothly. The hon. Member was critical at the divulgence of some secret provision of the Simla Agreement and for not condemning the action being taken against Mr. Bhutto in Pakistan and why this has been termed as internal matter of Pakistan.

I think some sort of parallelism is being sought between Shrimati Gandhi and Mr. Bhutto so that if any action is taken against Shrimati Gandhi then they can raise voice in world forum. Otherwise this is an ordinary internal matter concerning Pakistan. There should be no interference in it. Probably there might have been some agreement on secret provision in the Simla Agreement between Shrimati Gandhi and Mr. Bhutto that at the time of distress they would save each other. However, he has supported the functioning of the Foreign Ministry. For this he deserve compliments. The hon. Foreign Minister had also supported Shrimati Indira Gandhi for her commendable action in regard to Bangladesh.

The twin problems, which have been stated by the hon. Member, are offshoots of wrong policy of the respected father of the former Prime Minister. The Indian forces could have solved the problem of Kashmir within few hours. The Indian tradition does not allow condemnation of the dead. But I assure him that our Foreign Minister will solve these problems early.

Meanwhile we have improved our relations with neighbouring countries which had been strained a few years back. Fortunately our relation with Pakistan, Bangladesh, Nepal, Srilanka have improved a lot. We have started a new chapter with Vietnam. Recently Heads of a number of States paid a visit to this country and assured us their full cooperation in maintaining good relations with each other.

Besides being a dynamic our non alignment policy should be based on reality as well. It was feared that our foreign policy would be doomed because of our Foreign Minister who is regarded chauvinistic and extreme nationalist. You have seen that all these misgivings have been proved falsified. He has based the foreign policy on realistic, dynamic and strong foundation.

We have categorically stated the reason for not signing the non-proliferation treaty. The nuclear powers now appreciate our stand. One day we will be able to compell the nuclear powers to put a ban on the proliferation of nuclear weapons. We have taken a very realistic stand in regard to Indian Ocean and Africa. The hon. Foreign Minister has warned that foreign forces would not be tolerated in Indian Ocean. In the same way we are adopting such

a policy which will prove helpful in solving the problem of Africa. We are cementing ties with Arabs nations. Regarding Rhodeisa assurance has been given to provide economic and even military assistance to freedom fighters when required.

Foreign trade is influenced by the foreign policy. This year the foreign trade has shown considerable balance. A number of bilateral agreements have been reached. Our good foreign policy is stimulating the trade activities. Naturally industrial production will increase.

We are following our old tradition in regard to the foreign policy. Our Foreign Minister has put into action the philosophy of India. What is this philosophy ? It is to appreciate the other's point of view howsoever antagonistic he may be. This has been the philosophy of this country. In olden times we had good relation with Indonesia, Iran, Bubylone and a number of other Arab countries. India never played a role of exploiter. She never believed in imperialism. We have inherited cooperation, relationship, co-existence and tolerance from our age old philosophy. Our hon. Foreign Minister has tried to materialise this philosophy into the foreign policy. At the end I will make submission that our foreign publicity missions should put different facets of India like philosophy, Science, spiritualism co-existence etc. on which our country take pride, before the world.

With these words, I support the demands.

श्री वेदव्रत बरूआ (कालियाबोर) : यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार की विदेश नीति में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं आया है और वर्तमान विदेश नीति पूर्व नीति का अनुसरण मात्र है । दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया अथवा रोडेशिया के प्रति हमें कठोर नीति अपनानी चाहिए । यह अच्छी बात है कि हमारे सोवियत रूस के साथ संबंध मधुर हैं। इस देश के साथ निकट संबंध बनाए रखना हमारे हित में है । सोवियत रूस के साथ हमारे हितों में कोई टकराव नहीं है और हमारे बीच कोई समस्या नहीं है । हमारी देश की सुरक्षा और उसका किसान सोवियत रूस के साथ अच्छे संबंधों पर टिकी हुई है । मुझे पहिले यह भय था कि सरकार दबाव में आकर अपनी नीति से हट जायेगी, जो कि जहां तक सुरक्षा का संबंध है, हमारे लिए घातक सिद्ध होता। परन्तु मैं जनता पार्टी को बधाई देता हूं जिसने सोवियत रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारा। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि सरकार ने अरब देशों के प्रति अपनी नीति में सुधार किया है । सरकार को इस नीति पर कायम रहना चाहिए कि अरब देशों की समस्या का समाधान अरब देशों और फिलिस्तीनीयों को मान्य होना चाहिए ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमरीका द्वारा उत्तेजक कार्रवाई करने के बावजूद उसके साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। वह तारापुर को ईंधन की सप्लाई में विलम्ब कर रहा है। अमरीका यह नहीं चाहता है कि भारत एक बड़ा और परमाणु संयंत्र देश बने । चीन में होने वाले परमाणु विस्फोट और उसके परमाणु हथियारों को अमरीका ने मान्यता दे दी है परन्तु भारत के मामले में उसने ऐसा नहीं किया है । वे तारापुर के मामलों में भी, जो कि केवल बिजली पैदा करने वाला संयन्त्र है, राजनीति चलाना चाहते हैं। अमरीका एक महान देश है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वह हमारा अपमान करे।

हमारे संबंध पाकिस्तान, बंगलादेश, नैपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ सुधर रहे हैं परन्तु हम बहुत अधिक अहस्तक्षेप की नीति को अपना रहे हैं। बंगलादेश के देशभक्तों के साथ क्या हुआ, यह बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पाकिस्तान में श्री भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। सारा विश्व इसकी भर्त्सना कर रहा है परन्तु हम चुप हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि शिमला समझौते के दौरान श्री भट्टो और श्रीमत्ती इन्दिरा गांधी के बीच क्या गुप्त समझौता हुआ था। बर्मा, वियतनाम और अफगानिस्तान के साथ बेहतर बनते हुए संबंधों का हम स्वागत करते हैं। बर्मा को सब ओर से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। हम इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा संबंधी समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती हैं जब तक हमारे प्रिय मित्र न हों। मैं नहीं समझता कि जहां तक सुरक्षा का संबंध है, मैं नहीं समझता अमरीका हमारा मित्र सिद्ध हो सकाता है। वह आर्थिक मामलों में ही हमारा मित्र बन सकता है सोवियत रूस हमारा मित्र है। हमें एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए। आज योरोपीय देश कठोरता के साथ संरक्षणवादी नीति अपना रहा है। वे हमारे कारखानों में निर्मित सामान को नहीं खरीद रहे हैं।

भारत ने अतीत म अनेक उपलब्धियां हांसिल की हैं। उसने बंगलादेश को आजादी दिलायी, परमाणु विस्फोट किया है, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। इन सब बातों को देखते हुए हमें अमरीका के आगे झुकना नहीं चाहिए। अमरीका का हमें परमाणु विस्फोट न करने के लिए कहना हमारे स्वाभिमान पर चोट के समान है। क्या यह सरकार की कमजोरी है जो कि अमरीका हमें धमकी दे रहा है ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में दृढ़ कदम उठाये जो हमारे आत्माभिमान और गरिमा के अनुरूप हो।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : उस सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति की भरपूर सराहना की गई है। गत वर्ष जनता सरकार द्वारा सता में आने के बाद कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि भारत बड़ी शक्तियों में से किसी एक ओर झुकेगा और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में हम असफल रहेंगे और हमारे पड़ौसी देश हमारे प्रति दयालु नहीं होंगे। अब यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी ख्याति बढ़ी है।

जनता पार्टी ने गत एक वर्ष के दौरान एक सच्ची गुट-निरपेक्षता की नोति अपनायी है जिसके अन्तर्गत हमने हर मामले को गुणावगुणों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार देखा तथा परखा है। हमारी नीति का बुनियादी उद्देश्य मानवता को अणु-युद्ध से बचाना, शस्त्र होड़ को रोकना, शक्ति अथवा शक्ति की धमकी को हटाना, राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना और अन्य राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना और संघर्षों को टालना अथवा समाप्त करना रहा है।

जनता सरकार ने एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सम्बन्ध मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरु कर दिये हैं। हमने वर्तमान सम्पर्कों को नया रूप देने और सहयोग के नये क्षेत्र बनाने का भी निर्णय लिया है।

हम इस बात से अवगत हैं कि हमारे साधन सीमित हैं और हम सहायता का व्यापक कार्यक्रम चालू नहीं कर सकते लेकिन हम पारस्परिक लाभ और सहयोग का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हम द्विपक्षीय आधार पर ही नहीं बल्कि एशिया भावना के साथ संस्थागत आधार पर भी बढ़ाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सदस्य के रूप में किसी गुट में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि समूचा दक्षिण पूर्व एशिया एक ऐसा गुट के दायरे में आ जायेगा ताकि इस भूखंड में एक ताकत का संचार हो, एकता की भावना हो और आर्थिक रूप में एक दूसरे पर आधारित अन्तर्राज्यीय सम्पर्क स्थापित हो सकें। हम "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" के दायरे में ही नहीं रहना चाहते बल्कि उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री बनतवाला को शायद मालूम है कि मैंने आर्थिक शिष्टमंडल के नेता के रूप में वियतनाम का दौरा किया था और यह अत्यंत सफल रहा था। इससे पता चलता है कि हमने एशिया में अपने सम्पर्कों को बढ़ा लिया है।

इस एक वर्ष की अवधि के दौरान थाइलैंड, मलेशिया और वियतनाम के साथ सांस्कृतिक समझौते हुए हैं और थाइलैंड तथा इंडोशिया के साथ हमने अपनी सीमाओं को अंतिम रूप दे दिया है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में हमारे व्यापार तथा सहयोग में काफी वृद्धि हुई है।

हम यह नहीं मानते कि गुट-निरपेक्षता निर्लिप्तता है। हम यह भी नहीं मानते कि गुट-निरेपक्षता निष्पक्षता है और जनता पार्टी ने एक प्रभावशाली गुट-निरपेक्षता की नीति अपना कर इस विचार को ठोस रूप दिया है। सत्ता ग्रहण करने के 15 दिन के अन्दर ही जनता सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के 'कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो' के सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने भारत की गुट-निरपेक्षता नीति को और बल दिया। यह नीति हमारे लोगों की उस आकांक्षा का प्रतीक है जो हमारे राष्ट्र हितों तथा बिना विदेशी ताकतों के प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लेने पर आधारित है। विश्व समुदाय ने हमारी गुट-निरपेक्षता और स्वतंत्र नीति अपनाने की सराहना की है। हमने उस नीति का पालन किया है जिसके अन्तर्गत गैर-सेना और द्विपक्षीय सैद्धान्तिक सम्पर्क सभी देशों के साथ स्थापित किये गये हैं। हम संघर्ष के स्थान पर सहयोग को ही महत्व देते आये हैं। हम शांति, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता, उपनिवेशवाद को हटाने और जातीय मतभेद को मिटाने के लिये काम करते रहे हैं।

पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते समय हमने लातीनी अमरीका और दक्षिण अमरीका के मित्रों को भी नहीं भुलाया है। पिछले वर्ष अक्तूबर में, जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में भाग लेने के लिये न्यूयार्क गया तो मुझे उस क्षेत्र के कुछ देशों का दौरा करने का अवसर मिला। इन देश के नेताओं ने जो मेरा भव्य स्वागत किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनमें से कुछ देशों की आर्थिक विकास की दर बहुत अच्छी है।

यह हर्ष का विषय है कि अधिकांशतया इन देशों में भारतीय दर्शन और संस्कृति का बहुत सम्मान और आदर है। अनेक देशों में महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम घर घर जाने जाते हैं। निःसन्देह ये सभी देश भारत के साथ विशेषकर जनता सरकार बनने के बाद निकट संबंध बनाये रखना चाहते हैं। हम नृत्य, संगीत, कला, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं ।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों ने आर्थिक विकासहेतु अभूतपूर्व कार्यक्रम शुरू किया है । अब तक इन क्षेत्रों के देशों में भारतीय पार्टियों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में मुख्य ठेकेदार उप-ठेकेदारों के रूप में 1500 करोड़ रुपये मूल्य के परियोजनाओं के ठेके प्राप्त किये हैं। इनमें से पिछले 12 महीनों में भारत को 740 करोड़ रुपये के ठेके प्राप्त हुए हैं। अतः इस समय लगभग 2500 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं, विभिन्न प्राक्रियाओं, पेशकश और टेंडरों के कार्य में भारतीय पार्टियां लगी हुई हैं। मंत्रालय यथा-सम्भव प्रयास कर रहा है ताकि विश्व के इस नये भाग को समर्थन और उत्साह मिले और सभी के सहयोग से विश्व के इस भाग में हमारे कार्यकलाप विकसित होंगे और मजबूत बनेंगे।

नई सरकार के सत्ता में आने, लोकतंत्र के पुर्नस्थान होने के बाद सरकार ने लोगों की इच्छा को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक और नई आशा के साथ यात्रा कर सकें । पारपत्र प्राप्ति के लिये बहुत ही अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं और सरकार ने इस ओर उदारता का रुख अपनाया है ।

वर्ष 1977 में 9,06,061 पारपत्र जारी किये गये जबकि 1976 में यह संख्या 5,73,527 थी यह वृद्धि लगभग 60 प्रतिशत है । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पारपत्र मांगने वालों को कम से कम समय में पारपत्र जारी किये जायें । बम्बई में कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है । परन्तु एर्नाकुलम में काफी पारपत्रों का निपटान बाकी है । इस वर्ष के अन्त तक सारा निपटान हो जायेगा और लोगों को 35 से 45 दिनों के बीच पारपत्र मिलने लगेगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह): पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने पारपत्र जारी करना बंद कर दिया है क्योंकि सरकार ने शुल्क में 50 रुपये तक वृद्धि करने के लिये सदन में एक विधेयक पुनःस्थापित किया है और आपने अनुदेश दिये हैं कि जब तक यह पास नहीं हो जाता पारपत्र जारी करना बंद कर दिया जाये ....

श्री एस० कुंडू : जी नहीं। अपितु सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय तथा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर तथा कालीकट में उपक्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने का निर्णय किया है ताकि वे जून, 1978 के शुरू में कार्य करना प्रारम्भ कर दें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गाँधीनगर) : हम प्रतिदिन बहुत से पारपत्र के लिए आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन स्वीकृति दिये जाने पर भी पारपत्र कार्यालय उन्हें जारी

करने में कई सप्ताह का समय ले लेता है। अतः इन पारपत्रों कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार किया जाना चाहिए।

श्री एस० कुंडू : मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जहां तक संभव हो सकेगा इनमें सुधार किया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : संसद सदस्यों को पार-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का जो अधिकार दिया गया है और कि वे किसी व्यक्ति संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दो वर्ष से अधिक की अवधि से जानते हैं। सरकार को दो वर्ष की इस आवश्यकता को खत्म करना चाहिये। आप कृपया इस सुझाव पर विचार करें।

श्री एस० कुंडू : हम निश्चय ही इस सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे : हमने नये तरीके शुरू किये हैं जिसमें वह व्यक्ति हलफनामा पर हस्ताक्षर करके इसे दे सकता है। दूसरे दो वर्ष की बजाए यह अवधि हम एक वर्ष कर सकते हैं।

डाकघरों के माध्यम से पारपत्रों को निपटाने का काम दिल्ली में शुरू किया गया था और अब उसे पंजाब, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी लागू किया गया है। आशा है कि धीरे-धीरे सारे देश में यह प्रणाली लागू हो जायगी और विभिन्न राज्यों के मुख्य डाकघरों में आवेदन-पत्र मिलने लगेंगे। आप्रवासन अधिनियम, 1922 अब पुराना पड़ गया है और इस कानून की जांच कर उसे सुधारने का कार्य चल रहा है और इसे अद्यतन बनाया जा रहा ह। श्रम मंत्रालय इस मंत्रालय के सहयोग से कार्यरत है।

हम पूरी तरह से महसूस करते हैं कि हमारे पार-पत्र कार्यालय के कार्यकरण में सुधार की अभी तक गुंजाइश है। प्रति वर्ष हजारों मुसलमान हज पर जाते हैं और सरकार ने गत वर्ष मुस्लिम समाज को हज के लिये सउदी अरब जाने या जियारत के लिये अन्य मुस्लिम देशों को जाने हेतु सुविधायें बेहतर की हैं। सरकार 1978 में 20,000 हज यात्रियों के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये सहमत हो गई है और विदेशी मुद्रा की राशि में भी वृद्धि की गई है। हज समिति तथा केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और वे समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान ढूंढने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

सरकार वर्तमान हज समिति अधिनियम को बदल कर नया अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है ताकि समिति को अधिक लोकतांत्रिक और अधिक व्यापक बनाया जा सके। सरकार ने जेदाह में भारतीय दूतावास के हज विंग को भी सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया है ताकि यात्रियों के कल्याण हेतु अधिक प्रभावित ढंग से कार्य हो सके।

आप्रवासन अधिनियम होने के बावजूद हम शर्तों को उदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अनुदेश दे दिया है कि वहां जाने वाले वास्तविक लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिये। भारत के नाम सम्मान को अत्यन्त ऊंचा बनाये रखने और इन लोगों की भलाई के लिये भी अच्छा यही होगा कि यदि कुछ प्रतिबंध हों।

श्री वयालर रवि (चिरयिंकील) : पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी के देशों में आप राजदूतों के रूप में महत्वपूर्ण लोगों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। यह मुख्य शिकायत है। वे न तो देश के हित की देख-रेख करने में और न ही उनके साथ हमारे संबंधों को सुधारने में समर्थ हैं। आप सुनिश्चित करें कि ये दूतावास उचित रूप से मजबूत बनाये जायें.................. (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपको कुछ और कहना है।

श्री एस० कुंडू : जी नहीं, श्रीमान्।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978/28 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha thus adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 18, 1978/ 28 Chaitra, 1900 (Saka)

208LSS/78—210—11-9-78—GIPF.